पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली
(ईएसएमएस)

अकैया ग्रीन फ्यूल्स

संशोधन और संस्करण इतिहास

यह पृष्ठ इस दस्तावेज़ के सभी अनुमोदनों और संशोधनों का अभिलेख है। सभी पूर्व संस्करण निरस्त माने जाएंगे।

दस्तावेज़ शीर्षक:	अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह ईएसएमएस मैनुअल	**जारी करने की तिथि**	
दस्तावेज़ संदर्भ:	एसएमएस _v0	**संस्करण संख्या:**	V0

संशोधन संख्या	तिथि	संशोधन का कारण
00	16 अप्रैल 2026	मूल (प्रारंभिक संस्करण)

ईएसजी उपसमिति द्वारा अनुमोदन की तिथि	

अकैया ग्रीन फ्यूल्स बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	

गोपनीयता

यह दस्तावेज़ और इसकी सामग्री अकैया ग्रीन फ्यूल्स की कॉपीराइट संपत्ति है। इस दस्तावेज़ को किसी भी तृतीय पक्ष को बिना पूर्व अनुमति के जारी करना सख्त रूप से प्रतिबंधित है।

विषय-सूची

विषय-सूची 3

परिभाषाएँ और शब्दावली 8

संक्षिप्त रूप (अक्रोनिम्स) 11

1. परिचय और उद्देश्य 1

1.1. परिचय 1

1.2. अकैया ग्रीन फ्यूल्स की पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्धताएँ 1

1.3. उद्देश्य 1

1.4. कार्य क्षेत्र 1

1.5. उद्देश्य 1

1.6. इस दस्तावेज़ की संरचना 2

1.7. बहिष्करण 2

1.8. समीक्षा 2

2. अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह का विवरण 3

2.1. अवलोकन 3

2.2. मिशन 3

2.3. पोर्टफोलियो 3

2.3.1 स्थान 3

2.3.2 अवलोकन 4

2.4. भारत में सीबीजी परियोजनाओं से संबंधित प्रभाव 5

2.6. निवेशक 7

3. ईएमएस का अवलोकन 8

3.1. ईएमएस की संरचना 8

3.2. सहायक दस्तावेज़ 8

4. संगठनात्मक क्षमता, भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ 11

4.1. एचएसएसई प्रबंधन 11

4.2. एचएसएसई भूमिकाएँ, जिम्मेदारियाँ और अधिकार 11

4.2.1 परियोजना शासन 11

4.2.2 अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजना एचएसएसई प्रबंधन उत्तरदायित्व 12

4.2.3 ईएसजी निदेशक और एचएसएसई प्रबंधक 12

4.2.4 साइट-आधारित एचएसएसई प्रबंधक 13

4.2.5 परियोजनाओं के निर्माण के लिए साइट-आधारित एचएसएसई अधिकारी 13

4.2.6 संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) चरण के दौरान परियोजनाओं के लिए साइट-आधारित एचएसएसई अधिकारी 14

4.2.7 निर्माण और संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) चरण के दौरान परियोजनाओं के लिए साइट-आधारित सामुदायिक समन्वय अधिकारी (सीएलओ) 15

4.2.8 अकैया ग्रीन फ्यूल्स मानव संसाधन (HR) प्रबंधक 15

4.2.9 अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह के सभी कर्मचारी 15
4.2.10 कच्चा माल (फीडस्टॉक) खरीद टीम और संग्राहक 15
4.2.11 बाहरी सलाहकार 16
4.2.12 सामुदायिक विकास भागीदार 16
4.3. ठेकेदार एचएसएसई प्रबंधन 16
4.4. क्षमता, प्रशिक्षण और जागरूकता 16
4.4.1 क्षमता और प्रशिक्षण 16
4.4.2 प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन 17
4.4.3 प्रशिक्षण प्रदान करना 17
4.4.4 प्रशिक्षण डिज़ाइन और सामग्री 18
4.4.5 एचएसएसई जागरूकता 18
5. हितधारक सहभागिता और संचार के लिए व्यवस्थाएँ 19
5.1. अकैया ग्रीन फ्यूल्स के प्रमुख हितधारक 19
5.2. हितधारक सहभागिता, संचार और भागीदारी 20
5.3. शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) 20
5.3.1 कर्मचारी शिकायतें 20
5.3.2 बाहरी हितधारक 20
6. एचएसएसई आवश्यकताएँ और नीति 22
6.1. एचएसएसई प्रतिबद्धताएँ 22
6.1.1 एचएसएसई नीति 22
6.1.2 मानव संसाधन पुस्तिका नीति 23
6.1.3 भूमि नीति 23
6.1.4 सतत खरीद नीति 23
6.2. एचएसएसई आवश्यकताएँ 24
6.2.1 कानूनी आवश्यकताएँ 24
6.2.2 अन्य आवश्यकताएँ 25
6.3. निवेश बहिष्करण सूची 26
7. योजना 27
7.1. परियोजना जीवनचक्र और परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया में HSSE प्रबंधन 27
7.1.1 प्रक्रिया 27
7.1.2 निवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी 27
7.2. पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव और जोखिम 29
7.2.1 पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिम स्क्रीनिंग 29
7.2.2 पर्यावरणीय एवं सामाजिक उचित परिश्रम 32
7.2.3 पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) 34
जल स्थिरता से संबंधित विशिष्ट आवश्यकताएँ 35

जलवायु जोखिम एवं संवेदनशीलता आकलन से संबंधित विशिष्ट आवश्यकताएँ 35
7.2.4 पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन योजना (ईएसएमपी) 36
7.2.5 हितधारक सहभागिता योजना (एसईपी) 37
7.3. जलवायु अनुकूलन और शमन 37
7.4. एचएसएसई जोखिम रजिस्टर 37
7.5. ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता और साझेदार 37
7.6. प्रभाव उत्पन्न करना और अवसर 38
7.6.1 लैंगिक समानता और महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण 38
7.6.2 आतिथ्य समुदाय विकास 38
7.6.2 निर्माण परियोजनाओं / शाखाओं / सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर साइनबोर्ड 39
7.7. आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया 40
7.8. पर्यावरणीय एवं सामाजिक कार्य योजना (ईएसएपी) 40
7.9. दस्तावेजों का नियंत्रण 41
7.9.1 आंतरिक स्रोत के दस्तावेज 41
7.9.2 आंतरिक स्रोत के दस्तावेजों का भंडारण 41
7.9.3 बाहरी स्रोत के दस्तावेज 41
7.9.4 रिकॉर्ड का नियंत्रण 41
7.10. परिवर्तन का प्रबंधन 41
8. एचएसएसई प्रबंधन योजनाएँ 42
8.1. अकैया ग्रीन फ्यूल्स एचएसएसई प्रबंधन योजनाएँ 42
8.2. व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा 42
8.3. आवास / श्रमिक शिविर प्रबंधन योजना 42
8.4. ठेकेदार प्रबंधन 43
8.4.1 ठेकेदार प्रबंधन कार्यक्रम 43
9. निगरानी और रिपोर्टिंग 45
9.1. अवलोकन 45
9.2. ईएसएमएस के अनुपालन का मूल्यांकन 45
9.2.1. ईएसएमएस अनुपालन की निगरानी 45
9.2.2. परियोजनाओं के अनुपालन की निगरानी 45
9.3. असंगति, सुधारात्मक कार्रवाई एवं निवारक कार्रवाई 46
9.4. एचएसएसई प्रबंधन समीक्षा 46
9.5. एचएसएसई प्रदर्शन रिपोर्टिंग 46
9.5.1 केपीआई पर मासिक रिपोर्टिंग 46
9.5.2 त्रैमासिक एचएसएसई रिपोर्ट 50
9.5.3 मासिक प्रभाव रिपोर्ट 51
9.5.4 त्रैमासिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन रिपोर्ट 51

9.5.5 वार्षिक एचएसएसई रिपोर्ट 51
9.6. ठेकेदार रिपोर्टिंग 52
9.7. घटना / दुर्घटना रिपोर्टिंग 52
9.7.1 सूचना रिपोर्ट 53
9.7.2 घटना / दुर्घटना विस्तृत रिपोर्ट 53
9.7.3 घटना / दुर्घटना प्रगति रिपोर्ट 53
10. प्रकटीकरण 54
परिशिष्ट क: बहिष्करण सूची 55
परिशिष्ट ख: ईएसजी उपसमिति प्रोटोकॉल 57
परिशिष्ट ग1: ईएसआईए और अन्य विशेषज्ञ अध्ययन 59
1. परिचय 59
2. मार्गदर्शन 59
3. ईएसआईए के लिए सामान्य सिद्धांत और आवश्यकताएँ 60
4. ईएसआईए का प्रावर्तन (कमीशनिंग) 63
5. ईएसआईए की संरचना 63
परिशिष्ट ग2: पुनर्वास, आर्थिक विस्थापन और आजीविका पुनर्स्थापन 67
1. परिचय 67
2. मुख्य संदर्भ 67
3. एलआरपी/आरएपी के लिए सामान्य आवश्यकताएँ 67
परिशिष्ट ग3: स्वदेशी समुदाय 70
1. परिचय 70
2. मार्गदर्शन 71
3. स्वदेशी समुदायों से संबंधित परियोजनाओं के लिए सामान्य सिद्धांत और आवश्यकताएँ 71
4. स्वदेशी समुदायों पर प्रभावों का आकलन 73
5. स्वदेशी समुदाय योजना की सामग्री 76
परिशिष्ट ग4: हितधारक सहभागिता और शिकायत निवारण तंत्र 78
1. परिचय 78
2. मुख्य संदर्भ 78
3. हितधारक सहभागिता और शिकायत निवारण तंत्र के सामान्य आवश्यकताएँ 78
4. एसईपी की सामग्री और संरचना 80
परिशिष्ट ग5: लैंगिक पहलू 82
1. परिचय 82
2. मुख्य संदर्भ 82
3. परियोजना-विशिष्ट लैंगिक विश्लेषण और कार्य योजना 83
परिशिष्ट ग6: सामुदायिक विकास 84
1. परिचय 84

2. मुख्य संदर्भ 84
3. सामुदायिक विकास के लिए सामान्य सिद्धांत और आवश्यकताएँ 84
4. सामुदायिक विकास बजट 87
परिशिष्ट ग7: श्रम और कार्य परिस्थितियाँ 88
1. परिचय 88
2. मुख्य संदर्भ 88
3. सामान्य सिद्धांत 88
परिशिष्ट ग8: व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षा प्रबंधन 92
1. परिचय 92
2. मुख्य संदर्भ 92
3. ओएचएस प्रबंधन के लिए सामान्य सिद्धांत और आवश्यकताएँ 93
परिशिष्ट ग9: प्रक्रिया सुरक्षा 96
1. परिचय 96
2. मुख्य संदर्भ 96
3. प्रक्रिया सुरक्षा के लिए सामान्य सिद्धांत और आवश्यकताएँ 96
परिशिष्ट ग10: फीडस्टॉक स्रोत एवं खरीद में मानवाधिकारों का संरक्षण 99
1. परिचय 99
2. मुख्य संदर्भ 99
3. फीडस्टॉक स्रोत एवं खरीद में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए सामान्य सिद्धांत और आवश्यकताएँ 99
परिशिष्ट घ: बाह्य शिकायत निवारण तंत्र 101
1. परिचय 101
2. सामान्य सिद्धांत 101
3. उद्देश्य 101
4. अकैया ग्रीन फ्यूल्स का बाह्य शिकायत निवारण तंत्र प्रक्रिया 102

परिभाषाएँ और शब्दावली

अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह	सीआई2 से धन प्राप्त करने वाली इकाई, जिसमें सभी सहायक कंपनियाँ और परियोजना कंपनियाँ शामिल हैं।
अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह परियोजना	परियोजना (जिसमें परिसंपत्तियाँ और गतिविधियाँ शामिल हैं) जिसमें अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह के धन (अर्थात् सीआई2 से प्राप्त) निवेश किए गए हैं या किए जाएंगे।
अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह परियोजना कंपनी(याँ)	कोई भी कंपनी, साझेदारी या अन्य इकाई जिसमें अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह का निवेश (अर्थात सीआई2 से) किया गया है। ये सामान्यतः विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) होती हैं।
संबद्ध सुविधाएँ	ऐसी सुविधाएँ जो परियोजना के हिस्से के रूप में वित्तपोषित नहीं होती हैं (इनका वित्तपोषण किसी ग्राहक या तृतीय पक्ष, जिसमें सरकार भी शामिल हो सकती है, द्वारा अलग से किया जा सकता है), और जिनकी व्यवहार्यता तथा अस्तित्व पूरी तरह परियोजना पर निर्भर करता है, तथा जिनकी वस्तुएँ या सेवाएँ परियोजना के सफल संचालन के लिए आवश्यक होती हैं।
क्लाइमेट इन्वेस्टर टू	क्लाइमेट इन्वेस्टर टू का अर्थ है उभरते बाज़ारों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक वित्तीय सुविधा, जो एकीकृत वित्तपोषण समाधान प्रदान करती है। "सीआई2 फंड्स" से आशय विकास और निर्माण इक्विटी फंड से है।
सामुदायिक विकास	आवश्यकताओं पर आधारित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, जिनका उद्देश्य निवेश जीवनचक्र के दौरान परियोजना से जुड़ी समुदायों पर सकारात्मक और सतत प्रभाव डालना है; उस सक्षम वातावरण को मजबूत करना जिसमें फंड निवेश करना चाहता है; फंड की छवि को बेहतर बनाना; फंड और उसके वर्तमान एवं भविष्य के निवेशों के लिए सद्भावना उत्पन्न करना; निरंतर सामुदायिक सहभागिता और विकास की नींव रखना; तथा भविष्य में जलवायु और आर्थिक झटकों के प्रति समुदाय की क्षमता को बढ़ाना।
अनुबंध	परियोजना के लिए संबंधित अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह कंपनी/एसपीवी और ईपीसी ठेकेदार के बीच किया गया ईपीसी/ओ एंड एम अनुबंध।
ठेकेदार	साइट पर कार्य करने वाला ठेकेदार।
मुख्य श्रम मानक	उधारकर्ता पर लागू आवश्यकताएँ जो बाल श्रम और बंधुआ श्रम, भेदभाव, तथा संगठन की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी से संबंधित हैं, जो 1998 में अपनाए गए आईएलओ के कार्यस्थल पर मूलभूत सिद्धांतों और अधिकारों की घोषणा से उत्पन्न हैं, और इनमें शामिल हैं: (i) संगठन की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, (ii) जबरन और अनिवार्य श्रम का उन्मूलन, (iii) बाल श्रम का उन्मूलन, और (iv) कार्यस्थल पर भेदभाव का उन्मूलन।
स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण और सामाजिक	एक व्यापक शब्द जो पर्यावरण, सामाजिक, श्रम एवं कार्य स्थितियों, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, तथा सामुदायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के पहलुओं को सम्मिलित करता है। इस दस्तावेज़ में इसे HSSE (स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण और सामाजिक) के रूप में संदर्भित किया गया है।
पर्यावरणीय और सामाजिक कार्य योजना	फंड और किसी भी परियोजना कंपनी के बीच सहमति से तैयार की गई पर्यावरणीय और सामाजिक कार्य योजना, जिसमें कार्यों, जिम्मेदारियों, परिणामों, अनुपालन संकेतकों तथा उन उपायों के लिए समय-सीमा को परिभाषित किया जाता है जो परियोजना कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों में पर्यावरणीय और सामाजिक आवश्यकताओं के ज्ञात अनुपालन न होने की स्थितियों को सुधारने के लिए आवश्यक हैं, तथा समय-समय पर सहमति अनुसार संशोधित अन्य उपाय भी इसमें शामिल होते हैं।
पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन	संभावित रूप से महत्वपूर्ण प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों एवं प्रभावों का आकलन। सामान्यतः एक ईएसआईए के प्रमुख प्रक्रिया घटकों में शामिल होते हैं: (i) परियोजना की प्रारंभिक स्क्रीनिंग और आकलन प्रक्रिया का दायरा निर्धारण; (ii) वैकल्पिक विकल्पों का परीक्षण; (iii) हितधारकों की पहचान (विशेष रूप से वे जो सीधे प्रभावित होते हैं) और पर्यावरणीय एवं सामाजिक आधारभूत डेटा का संग्रह; (iv) प्रभावों की पहचान, पूर्वानुमान और विश्लेषण; (v) शमन या प्रबंधन उपायों और कार्यों का विकास; (vi) प्रभावों का महत्व (स्रोत: आईएफसी पीएस 1)।
पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन योजना	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन योजना, परियोजना-विशिष्ट ईएसआईए आउटपुट दस्तावेज़ का समेकित रूप है, जिसमें शमन और निगरानी आवश्यकताओं को निर्धारित किया जाता है, साथ ही ईएसजी टीम के इनपुट भी शामिल होते हैं, जिन्हें निर्माण और संचालन के दौरान लागू किया जाना आवश्यक है।
पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली	एक ऐसी प्रणाली जो किसी परियोजना के HSSE प्रभावों और जोखिमों के उचित प्रबंधन के लिए शासन, संस्थागत, संगठनात्मक और प्रबंधन व्यवस्थाओं का वर्णन करती है।

पर्यावरणीय और सामाजिक आवश्यकताएँ	निम्नलिखित में से जो अधिक कठोर हों: (i) पर्यावरणीय कानून, (ii) सामाजिक कानून, (iii) वैधानिक आवश्यकताएँ; (iv) अनुमतियाँ और लाइसेंस, (v) आईएलओ के मुख्य श्रम मानक, आईएलओ के रोजगार के बुनियादी नियम एवं शर्तें तथा संयुक्त राष्ट्र के व्यवसाय और मानवाधिकारों पर मार्गदर्शक सिद्धांत (यूएनजीपी), (vi) सभी लागू आईएफसी प्रदर्शन मानक, और (vii) इस एसएमएस द्वारा निर्धारित अन्य सभी आवश्यकताएँ।
पर्यावरणीय कानून	देश के अधिकार क्षेत्र में पर्यावरण संबंधी विषयों और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित कोई भी कानून, नियम या विनियम (जिसमें अंतरराष्ट्रीय संधि दायित्व भी शामिल हैं)।
लिंग आधारित हिंसा और उत्पीड़न	ऐसी हिंसा और/या उत्पीड़न जो लोगों के लिंग या जैविक लिंग के कारण उन पर निर्देशित हो या किसी विशेष लिंग के व्यक्तियों को असमान रूप से प्रभावित करे, जिसमें यौन उत्पीड़न भी शामिल है। जीबीवीएच में महिलाओं, लड़कियों, पुरुषों और लड़कों के विरुद्ध हिंसा और उत्पीड़न; समलैंगिक, गे, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर या इंटरसेक्स (एलजीबीटीआई) व्यक्तियों के विरुद्ध हिंसा और उत्पीड़न; तथा उन अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी शामिल है जो प्रचलित लैंगिक धारणाओं के अनुरूप नहीं होते। (स्रोत: आईएलओ और सॉलिडेरिटी सेंटर)
अच्छी अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रथा	व्यावसायिक कौशल, परिश्रम, सावधानी और दूरदर्शिता का ऐसा उपयोग, जिसकी अपेक्षा समान प्रकार के कार्य में संलग्न कुशल और अनुभवी पेशेवरों से वैश्विक या क्षेत्रीय स्तर पर समान या समान परिस्थितियों में की जाती है। इस प्रकार के अभ्यास का परिणाम यह होना चाहिए कि परियोजना अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप सबसे उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का उपयोग करे। (स्रोत: आईएफसी पीएस3)
शिकायत	किसी भी हितधारक द्वारा, जो कंपनी के कार्यों से प्रभावित हो या उसमें रुचि रखता हो, उठाई गई चिंता, शिकायत या प्रतिक्रिया। ये चिंताएँ और शिकायतें कंपनी के कार्यों के वास्तविक या अनुमानित प्रभावों के कारण उत्पन्न हो सकती हैं।
शिकायत निवारण तंत्र	ऐसा तंत्र जिसके माध्यम से लोग अपनी शिकायतें और चिंताएँ प्रस्तुत कर सकते हैं, और जिन्हें प्राप्त कर उपयुक्त रूप से तथा यूएनजीपी के सिद्धांत 31 के अनुसार समाधान किया जाता है।
मानव अधिकार	मानव अधिकार सभी मनुष्यों में निहित होते हैं, चाहे उनकी राष्ट्रीयता, निवास स्थान, लिंग, राष्ट्रीय या जातीय मूल, रंग, धर्म, भाषा या कोई अन्य स्थिति कुछ भी हो। प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के मानव अधिकारों का आनंद लेने का अधिकार रखता है। ये अधिकार आपस में जुड़े हुए, परस्पर निर्भर और अविभाज्य होते हैं। मानव अधिकार अक्सर कानून के रूप में व्यक्त और संरक्षित किए जाते हैं, जैसे संधियाँ, प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून, सामान्य सिद्धांत और अंतरराष्ट्रीय कानून के अन्य स्रोत। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून राज्यों पर यह दायित्व निर्धारित करता है कि वे कुछ कार्य करें या कुछ कार्यों से विरत रहें, ताकि व्यक्तियों या समूहों के मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं को बढ़ावा दिया जा सके और उनकी रक्षा की जा सके। व्यवसाय मानव अधिकारों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभाव डाल सकते हैं। (स्रोत: https://www.unglobalcompact.org/)
घटना	घटना एक अनियोजित और अवांछित घटना होती है जो किसी कार्य की पूर्ति में बाधा उत्पन्न करती है और जिससे चोट या अन्य नुकसान हो सकता है।
अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम	अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना वॉशिंगटन, डीसी, अमेरिका में सदस्य देशों के बीच किए गए समझौते के आधार पर की गई है।
आईएफसी प्रदर्शन मानक	आईएफसी के सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता पर प्रदर्शन मानक (जिसमें तकनीकी संदर्भ दस्तावेज़ शामिल हैं जिन्हें आईएफसी के पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा दिशा-निर्देश के रूप में जाना जाता है), जैसा कि आईएफसी की वेबसाइट पर दर्शाया गया है।
प्रभाव	पर्यावरणीय या सामाजिक प्रभाव को मौजूदा स्थितियों में किसी भी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, चाहे वह प्रतिकूल हो या लाभकारी, जो किसी परियोजना द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होता है और किसी संसाधन/प्रभावित तत्व पर विशिष्ट परिणाम उत्पन्न करता है।
घटना	ऐसी घटना या घटनाओं की श्रृंखला जिसने चोट, बीमारी, संपत्ति की हानि या संबंधों अथवा प्रतिष्ठा को संभावित या वास्तविक नुकसान पहुँचाया हो या पहुँचा सकती हो।
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)	एक त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, जो अपने सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाकर दुनिया भर में सम्मानजनक कार्य को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक कार्रवाई करती है।
निगरानी	इस दस्तावेज़ के संदर्भ में, यह एक व्यापक शब्द है जिसमें प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के विभिन्न तरीके शामिल हैं, जैसे निरीक्षण, दृश्य अवलोकन, तथा मापन और परीक्षण, ताकि प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के अनुसार प्रदर्शन की पुष्टि की जा सके।

निकट चूक	एक अनियोजित घटना जिसमें चोट, बीमारी या नुकसान नहीं हुआ, लेकिन होने की संभावना थी। केवल घटनाओं की श्रृंखला में सौभाग्यवश रुकावट आने के कारण चोट, मृत्यु या नुकसान नहीं हुआ।
कार्य अनुमति	एक प्राधिकरण, जो सामान्यतः लिखित रूप में और निर्धारित प्रपत्रों पर विभिन्न कारणों से जारी किया जाता है। इसमें खतरनाक कार्य, सामग्री का संचालन और भंडारण, किसी भवन या संवेदनशील क्षेत्र का उपयोग, तथा सीमित और खतरनाक स्थानों तक पहुँच शामिल हो सकती है, जिनके लिए विशेष सुरक्षा उपाय आवश्यक होते हैं, ताकि उपयोगकर्ताओं, कार्यस्थल के कर्मचारियों और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
परियोजना	सीबीजी परियोजना। परियोजना का विवरण परियोजना-विशिष्ट ESMP में प्रदान किया जाएगा।
साइट	वह भूमि जो स्वामित्व या पट्टे पर है, जहाँ परियोजना संबंधित ESMP में उल्लेखित विशिष्ट गाँवों में स्थापित की जाएगी।
सामाजिक कानून	देश के अधिकार क्षेत्र में लागू कोई भी कानून, नियम या विनियम (जिसमें अंतरराष्ट्रीय संधि दायित्व भी शामिल हैं) जो निम्न से संबंधित हों: (i) श्रम, (ii) सामाजिक सुरक्षा, (iii) औद्योगिक संबंधों का विनियमन (सरकार, नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच), (iv) व्यावसायिक तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का संरक्षण, (v) जन सहभागिता का विनियमन, (vi) भूमि अधिकारों के स्वामित्व (औपचारिक और पारंपरिक दोनों), अचल संपत्ति तथा बौद्धिक और सांस्कृतिक संपत्ति अधिकारों का संरक्षण और विनियमन, (vii) आदिवासी या जातीय समूहों का संरक्षण और सशक्तिकरण, (viii) सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, पुनर्स्थापन और संवर्धन, (ix) कर्मचारियों और नागरिकों के संरक्षण से संबंधित अन्य सभी कानून, नियम और विनियम।
हितधारक	वे व्यक्ति या समूह जो किसी परियोजना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, साथ ही वे भी जिनकी परियोजना में रुचि हो सकती है और/या जो इसके परिणाम को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसमें शेयरधारक, निवेशक, कर्मचारी, समुदाय, सरकारें, उद्योग तथा (अंतरराष्ट्रीय) तृतीय पक्ष शामिल हो सकते हैं।
हितधारक सहभागिता	एक व्यापक शब्द जिसमें परियोजना के पूरे जीवनकाल के दौरान सीएफएम और हितधारकों के बीच विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ और अंतःक्रियाएँ (दो-तरफा संचार) शामिल होती हैं, जिनका उद्देश्य पारदर्शी, जवाबदेह, सकारात्मक और पारस्परिक रूप से लाभकारी कार्य संबंधों को बढ़ावा देना होता है।
उप-ठेकेदार	ऐसा उप-ठेकेदार, उप-आपूर्तिकर्ता, विक्रेता, सामग्री प्रदाता या अन्य प्रतिनिधि, जिसे परियोजना का समर्थन करने के लिए ईपीसी/ओ एंड एम ठेकेदार द्वारा अनुबंधित या नियोजित किया गया हो।
टूलबॉक्स बैठक	एक अनौपचारिक सुरक्षा बैठक, जो किसी संगठन के समग्र सुरक्षा कार्यक्रम का हिस्सा होती है। टूलबॉक्स बैठकें सामान्यतः कार्य स्थल पर किसी कार्य या शिफ्ट शुरू होने से पहले आयोजित की जाती हैं और विशेष कार्य से संबंधित सुरक्षा पहलुओं पर केंद्रित होती हैं।
व्यवसाय और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांत	व्यवसाय और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांत (यूएनजीपी) वर्ष 2011 में प्रकाशित किए गए थे, जो मानवाधिकारों के संदर्भ में व्यवसायों की जिम्मेदारी का मानक निर्धारित करते हैं। यूएनजीपी तीन स्तंभों पर आधारित हैं: (i) राज्य का दायित्व कि वह उचित नीतियों, कानूनों, विनियमों और न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यवसाय सहित तृतीय पक्षों द्वारा मानवाधिकारों के दुरुपयोग से संरक्षण करे; (ii) कॉर्पोरेट जिम्मेदारी कि वे मानवाधिकारों का सम्मान करें, अर्थात दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन न करने के लिए उचित सावधानी बरतें और जिन प्रतिकूल प्रभावों में वे शामिल हों उन्हें संबोधित करें; और (iii) व्यवसाय से संबंधित मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों के लिए प्रभावी उपायों (न्यायिक और गैर-न्यायिक दोनों) तक बेहतर पहुँच की आवश्यकता। UNGP का मुख्य ध्यान नकारात्मक प्रभावों से बचने और उन्हें संबोधित करने पर है। (स्रोत: https://www.unglobalcompact.org/)
संवेदनशील समूह	परियोजना के प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले वे व्यक्ति या समूह जो अपनी संवेदनशील या वंचित स्थिति के कारण अन्य लोगों की तुलना में प्रतिकूल प्रभावों का अधिक गंभीर रूप से अनुभव कर सकते हैं। यह संवेदनशीलता किसी व्यक्ति या समूह की जाति, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक विचार, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति के कारण हो सकती है। अन्य कारकों में लिंग, जातीयता, संस्कृति, बीमारी, शारीरिक या मानसिक विकलांगता, गरीबी या आर्थिक कमजोरी, तथा विशिष्ट प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता भी शामिल हो सकती है।

संक्षिप्त रूप (अक्रोनिम्स)

एसी	प्रभावित समुदाय
सीडीपी	सामुदायिक विकास कार्यक्रम
सी-ईएसएमपी	निर्माण पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन योजना
सीबीजी	संपीड़ित बायोगैस
सीएफएम	क्लाइमेट फंड मैनेजर्स
सीआई2	क्लाइमेट इन्वेस्टर टू
सीएलओ	सामुदायिक समन्वय अधिकारी
सीओ2	कार्बन डाइऑक्साइड
सीओडी	वाणिज्यिक संचालन तिथि
ई एंड एस	पर्यावरणीय और सामाजिक
ईपीसी	इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और निर्माण
ईएसएपी	पर्यावरणीय और सामाजिक कार्य योजना
ईएसआईए	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन
ईएसएमपी	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन योजना
ईएसएमएस	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली
जीबीवीएच	लिंग आधारित हिंसा और उत्पीड़न
जीआईएपी	लिंग एकीकरण विश्लेषण और कार्य योजना
जीआईआईपी	अच्छी अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रथा
जीएम	शिकायत निवारण तंत्र
एचआर	मानव संसाधन
एचएसएसई	स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक और पर्यावरण
आईएफसी	अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम
आईएफसी पीएस	अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम प्रदर्शन मानक
आईएलओ	अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन
केपीआई	प्रमुख प्रदर्शन संकेतक
एलओटीओ	लॉक आउट टैग आउट
एमआरवी	मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन
एनटीपी	कार्य प्रारंभ सूचना
ओ एंड एम	संचालन और रखरखाव
ओएमसी	तेल विपणन कंपनियाँ
पीसी	परियोजना कंपनी
पीपीई	व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण
पीपीएम	नियोजित निवारक रखरखाव
पीटीडब्ल्यू	कार्य अनुमति
एससीएडीए	सुपरवाइजरी कंट्रोल और डेटा अधिग्रहण
एसईपी	हितधारक सहभागिता योजना
यूएनजीपी	व्यवसाय और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांत

1. परिचय और उद्देश्य

1.1. परिचय

यह दस्तावेज़ एक मैनुअल है, जो अकैया ग्रीन फ्यूल्स की पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस), जिसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा (एच एंड एस) भी शामिल हैं, का वर्णन करता है। यह अकैया ग्रीन फ्यूल्स, उसकी सहायक कंपनियों और परियोजना कंपनियों द्वारा लागू की जाने वाली नीतियों, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों का एक अवलोकन प्रस्तुत करता है, ताकि उनके संचालन और गतिविधियों (जिसमें संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) परियोजनाओं के विकास, निर्माण और संचालन के दौरान भी शामिल है) से जुड़े स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक और पर्यावरणीय (एचएसएसई) मुद्दों, जोखिमों और प्रभावों का प्रबंधन किया जा सके।

1.2. अकैया ग्रीन फ्यूल्स की पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्धताएँ

अकैया ग्रीन फ्यूल्स अपनी गतिविधियों से जुड़े एचएसएसई (जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षा शामिल हैं) जोखिमों और प्रभावों के प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्ध है, और यह राष्ट्रीय नियामक आवश्यकताओं के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के मानकों के अनुरूप कार्य करता है, जैसे कि पर्यावरणीय और सामाजिक स्थिरता पर आईएफसी प्रदर्शन मानक (2012) तथा लागू विश्व बैंक समूह के पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा (ईएचएस) दिशानिर्देश, जिसमें जहाँ उपलब्ध हो, संबंधित आईएफसी क्षेत्र-विशिष्ट दिशानिर्देश भी शामिल हैं।

1.3. उद्देश्य

यह एसएमएस अपनी गतिविधियों के निर्माण और संचालन से जुड़े एचएसएसई प्रभावों के प्रबंधन के लिए व्यवस्थाओं और आवश्यकताओं का वर्णन करता है। इसमें उन प्रमुख कार्यों का विवरण दिया गया है जिन्हें किया जाना आवश्यक है, साथ ही संबंधित जिम्मेदार पक्षों को भी स्पष्ट किया गया है।

ठेकेदारों को इन आवश्यकताओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट और विस्तृत प्रबंधन योजनाएँ तथा प्रक्रियाएँ विकसित करना आवश्यक है।

1.4. कार्य क्षेत्र

यह एसएमएस अकैया ग्रीन फ्यूल्स और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के विकास, निर्माण और संचालन चरणों के दौरान किए जाने वाले सभी कार्यों पर लागू होता है। यह उन ठेकेदारों और तृतीय पक्षों पर भी लागू होता है जिन्हें परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, और वे यह सुनिश्चित करेंगे कि ये आवश्यकताएँ सभी उप-ठेकेदारों पर भी, जहाँ लागू हो, लागू की जाएँ।

इस दस्तावेज़ में वर्णित अकैया ग्रीन फ्यूल्स एसएमएस का कार्य क्षेत्र, अकैया ग्रीन फ्यूल्स और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के सभी एचएसएसई पहलुओं को शामिल करता है, जिसमें अकैया ग्रीन फ्यूल्स, उसकी वर्तमान और भविष्य की सहायक कंपनियों तथा वर्तमान और भविष्य की परियोजना कंपनियों (आगे "अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह" के रूप में संदर्भित) की गतिविधियाँ, तथा सभी ठेकेदार, उप-ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता और सेवा प्रदाता (अर्थात तृतीय पक्ष) शामिल हैं, जो परियोजना स्थल पर और/या अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह की ओर से कार्य कर रहे हैं। ये तृतीय पक्ष अपने स्वयं के प्रबंधन तंत्र के माध्यम से इस एसएमएस के उद्देश्यों को लागू करेंगे। यद्यपि अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह इन गतिविधियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं हो सकता है, फिर भी उसकी ओर से की जाने वाली सभी गतिविधियों के एचएसएसई पहलुओं के लिए वह अंतिम रूप से उत्तरदायी रहेगा।

अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में भारत में स्थित सीबीजी परियोजनाएँ शामिल होंगी।

1.5. उद्देश्य

एसएमएस मैनुअल एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसके माध्यम से अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं से जुड़े एचएसएसई मुद्दों, जोखिमों और प्रभावों का योजनाबद्ध और नियंत्रित तरीके से प्रबंधन किया जा सके, तथा स्थापित प्रबंधन चक्र को लागू करते हुए एचएसएसई प्रदर्शन में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जा सके। यह प्रबंधन चक्र निम्नलिखित है:

- योजना : नीतियों और उद्देश्यों को परिभाषित करना, जोखिमों और अवसरों की पहचान करना, कार्य योजनाएँ तैयार करना तथा उनके कार्यान्वयन के लिए वित्तीय और मानव संसाधनों का आवंटन करना।

- क्रियान्वयन: आवंटित संसाधनों के साथ कार्य योजनाओं को लागू करना।
- जांच: नीतियों और उद्देश्यों के विरुद्ध परिणामों को मापकर कार्य योजनाओं और संसाधनों की उपयुक्तता की निगरानी और मूल्यांकन करना।
- कार्यवाही: प्रदर्शन में सुधार के लिए सुधारात्मक कार्रवाइयाँ लागू करना।

एसएमएस का कार्यान्वयन अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह को राष्ट्रीय विधिक एचएसएसई आवश्यकताओं के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रमुख हितधारकों की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में सक्षम बनाएगा (एचएसएसई आवश्यकताओं के लिए अनुभाग 6 देखें)। विशेष रूप से, एसएमएस अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाएगा कि:

- पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षा से जुड़े जोखिमों का उचित रूप से प्रबंधन किया जाए।
- एचएसएसई प्रदर्शन की निगरानी की जाए, एसएमएस की प्रभावशीलता की नियमित समीक्षा की जाए, और प्रबंधन उपायों में निरंतर सुधार किया जाए; और
- एचएसएसई प्रबंधन से संबंधित भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह के कर्मचारियों के साथ-साथ प्रमुख ठेकेदारों और सेवा प्रदाताओं के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित हों।

1.6. इस दस्तावेज़ की संरचना

इस मैनुअल का पहला भाग व्यावसायिक संदर्भ और समग्र प्रबंधन प्रक्रियाओं तथा संरचना को प्रस्तुत करता है, जिनका एसएमएस एक हिस्सा है। मैनुअल के शेष भाग को निम्नानुसार संरचित किया गया है:

खंड	शीर्षक
खंड 1	परिचय
खंड 2	अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह का विवरण
खंड 3	संगठनात्मक क्षमता, भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ
खंड 4	एसएमएस का अवलोकन
खंड 5	नीतियाँ
खंड 6	योजना
खंड 7	कार्यान्वयन और प्रबंधन
खंड 8	निगरानी और रिपोर्टिंग
परिशिष्ट A	अकैया ग्रीन फ्यूल्स निवेश बहिष्करण सूची
परिशिष्ट B	ईएसजी उपसमिति प्रोटोकॉल
परिशिष्ट C	ईएसआईए (सी1) के दृष्टिकोण का विवरण; पुनर्वास, आर्थिक विस्थापन और आजीविका (सी2); स्वदेशी समुदाय (सी4); लैंगिक पहलू (सी5); सामुदायिक विकास (सी6); श्रम और कार्य परिस्थितियाँ (सी7); तथा ओएचएस (सी8) से संबंधित विवरण।
परिशिष्ट D	अकैया ग्रीन फ्यूल्स शिकायत निवारण तंत्र

1.7. बहिष्करण

वर्तमान में कोई विशिष्ट बहिष्करण नहीं है।

1.8. समीक्षा

इस एसएमएस और इससे संबंधित सभी दस्तावेज़ों की कम से कम वर्ष में एक बार समीक्षा की जाएगी और आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाएगा, ताकि यह साइट की प्रथाओं और गतिविधियों के अनुरूप बना रहे और निम्नलिखित को प्रतिबिंबित कर सके:

- दुर्घटनाओं या घटनाओं से प्राप्त सीख तथा समय-समय पर की गई समीक्षाओं के माध्यम से पहचाने गए निरंतर सुधार।
- यदि अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह भारत में सीबीजी परियोजनाओं से असंबंधित परियोजनाओं/गतिविधियों में निवेश करने का इरादा रखता है।
- कानूनों और विनियमों में परिवर्तन।
- परियोजना की नीतियों और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में परिवर्तन।
- परियोजना की गतिविधियों में परिवर्तन।

2. अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह का विवरण

2.1. अवलोकन

अकैया ग्रीन फ्यूल्स भारत में पंजीकृत है और वर्ष 2025 से संचालन कर रहा है। सहायक कंपनियों और विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) कंपनियों (अर्थात परियोजना कंपनियों) के माध्यम से, अकैया ग्रीन फ्यूल्स भारत में स्थित सीबीजी परियोजनाओं में निवेश करता है।

अकैया ग्रीन फ्यूल्स का व्यवसाय एनारोबिक डाइजेशन प्रक्रिया का उपयोग करते हुए सीबीजी परियोजनाओं का विकास, निर्माण और संचालन करना है। उत्पादित सीबीजी को सीबीजी - सीडीजी समन्वय योजना (जिसे भारत की ग्रीन फ्यूल नीति भी कहा जाता है) के अंतर्गत तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीएस) को बेचा जाता है।

चित्र 2-1 अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह की संरचना

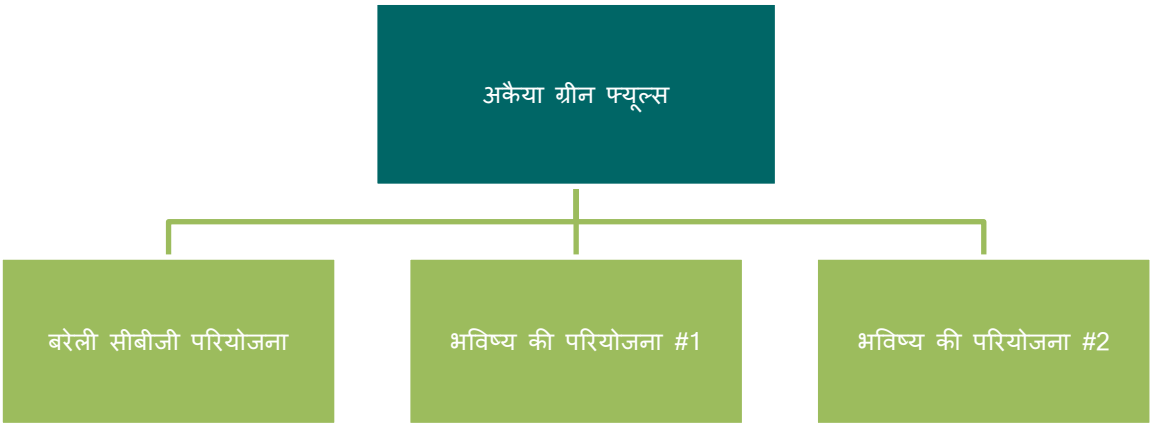

अकैया ग्रीन फ्यूल्स ग्रीनफील्ड परियोजनाओं का विकास करता है (अर्थात यह किसी भी ब्राउनफील्ड परियोजना या अधिग्रहण को नहीं अपनाता है)।

अकैया ग्रीन फ्यूल्स की वेबसाइट उपलब्ध है: [अपडेट किया जाना है]

भारत में परियोजना कंपनियों द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, जिनमें सभी आवश्यक क्षेत्रों–मानव संसाधन (एचआर), वित्त, विधिक, ESG, इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन–में अनुभव रखने वाले कर्मचारी शामिल होते हैं।

2.2. मिशन

अकैया ग्रीन फ्यूल्स का मिशन एक सतत भविष्य को सशक्त बनाना है, जिसके अंतर्गत भारत के जलवायु परिवर्तन शमन और ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों में योगदान दिया जाता है। इसके माध्यम से जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों को कृषि और खाद्य प्रसंस्करण अपशिष्टों, जैसे धान की पराली और गन्ना प्रसंस्करण से उत्पन्न प्रेस मड से प्राप्त स्वच्छ ऊर्जा से प्रतिस्थापित किया जाता है। अपशिष्ट से मूल्य सृजन करने और रोजगार प्रदान करने के अतिरिक्त, ये परियोजनाएँ इस अपशिष्ट के खुले में जलाने को कम करेंगी, जिससे स्वच्छ वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और आसपास के समुदायों के मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

2.3. पोर्टफोलियो

2.3.1 स्थान

परियोजनाएँ और परियोजना पाइपलाइन वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। भविष्य में इस पाइपलाइन का विस्तार भारत के अन्य राज्यों में भी किया जा सकता है।

2.3.2 अवलोकन

परियोजनाएँ कृषि अपशिष्ट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करेंगी, जिसे एनारोबिक डाइजेशन प्रक्रिया से गुजारा जाएगा, जिससे बायोगैस का उत्पादन होगा और शेष डाइजेस्टेट प्राप्त होगा, जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। इस बायोगैस को आगे शुद्ध किया जाएगा ताकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और अन्य यौगिकों को हटाया जा सके, जिसके परिणामस्वरूप 90% से अधिक मीथेन सामग्री वाला सीबीजी प्राप्त होगा। सीबीजी का ऊष्मीय मान संपीड़ित प्राकृतिक गैस के समान होता है, जिससे यह एक उपयुक्त नवीकरणीय विकल्प बनता है।

चित्र 2-2 सीबीजी परियोजना के सामान्य घटक

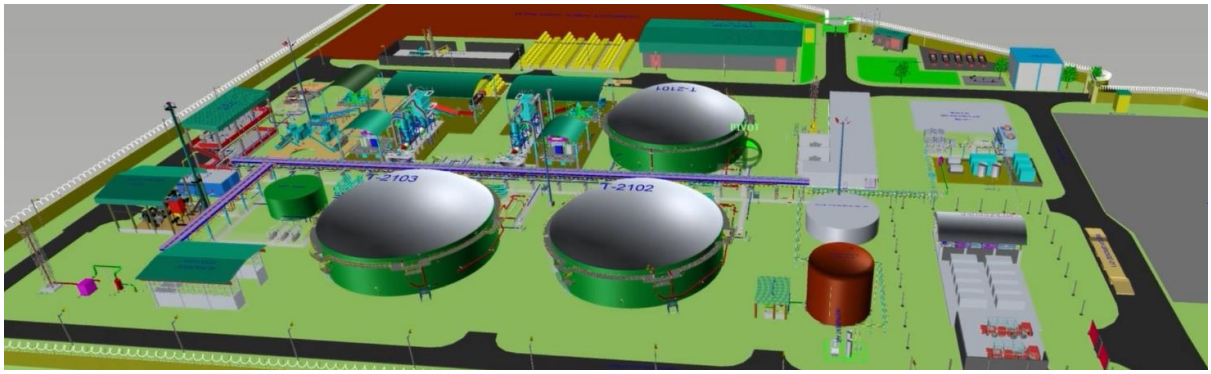

सीबीजी संयंत्र चार मुख्य भागों से मिलकर बना होता है, जो हैं: (1) पूर्व-उपचार, (2) एनारोबिक डाइजेशन, (3) गैस उन्नयन, और (4) उर्वरक स्टेशन। कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) संयंत्र परियोजना परिसर के भीतर स्थित होगा और इसका संचालन एवं स्वामित्व सीओ2 क्रेता द्वारा किया जाएगा।

मुख्य प्रक्रिया चरण इस प्रकार हैं:

(1) पूर्व-उपचार: तीन प्रकार के कच्चे पदार्थ–प्रेस मड (गन्ने के रस के निस्पंदन से प्राप्त ठोस अवशेष), धान की पराली और गोबर–को तरल के साथ मिलाने से पहले यांत्रिक रूप से संसाधित किया जाता है, जिससे एक स्लरी तैयार होती है जो सामान्य एनारोबिक डाइजेशन के लिए उपयुक्त होती है।

(2) एनारोबिक डाइजेशन: कृषि अपशिष्ट का सामान्य एनारोबिक डाइजेशन किया जाता है, जिसमें गोबर को संतुलित सब्सट्रेट बनाए रखने के लिए सहायक सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। डाइजेस्टर में उपयुक्त तापमान, pH और हाइड्रोलिक रिटेंशन समय बनाए रखा जाता है ताकि मीथेन उत्पादन अधिकतम हो सके। इस प्रक्रिया में, डाइजेस्टेट से तरल का पुनः परिसंचरण (रीसर्कुलेशन) सीबीजी संयंत्र से शून्य तरल उत्सर्जन प्राप्त करने में सहायता करता है।

(3) गैस उन्नयन: चरण 2 के बाद, बायोगैस में मीथेन की मात्रा 55–65% होती है। गैस ग्रिड के मानक (96% मीथेन) को पूरा करने के लिए गैस को शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया में नमी हटाने के लिए मॉइस्चर ट्रैप, अशुद्धियों को हटाने के लिए स्क्रबिंग, और फिर सीओ 2 को अलग करने के लिए बहु-चरणीय मेम्ब्रेन प्रणाली शामिल होती है, जिससे गैस की गुणवत्ता क्रेता की आवश्यकताओं के अनुरूप हो जाती है। इसके बाद उन्नत गैस को संपीड़ित किया जाता है और सीधे गैस ग्रिड में प्रविष्ट कराया जाता है।

अलग की गई सीओ2 धारा सीओ2 इकाई में जाती है, जहाँ आगे संपीड़न के बाद द्रवीकृत सीओ2 तैयार की जाती है, जिसे परिवहन के लिए लिया जाता है।

(4) उर्वरक स्टेशन: सामान्यतः उर्वरक को तरल और ठोस रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है, और डाइजेस्टेट का प्रबंधन शून्य तरल उत्सर्जन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। बहु-चरणीय ठोस-तरल पृथक्करण प्रक्रिया डाइजेस्टर में तरल के अधिकतम पुनः परिसंचरण को सुनिश्चित करती है, जिससे ताजे पानी की खपत कम होती है (मेकअप पानी और सीबीजी प्रक्रिया पुनः परिसंचरण का अनुपात 1:6.8 है)। ठोस डाइजेस्टेट को अंतिम पैकेजिंग से पहले सुखाया और परिपक्व किया जाता है।

चित्र 2-3 सरलीकृत संयंत्र प्रक्रिया आरेख

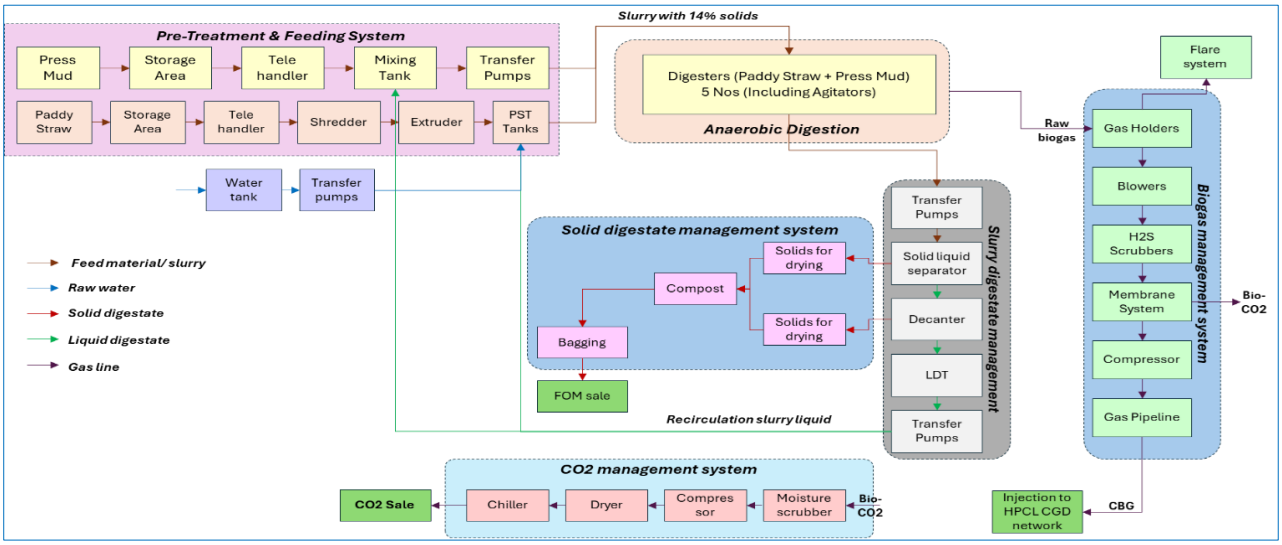

अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह द्वारा वित्तपोषित प्रत्येक परियोजना के लिए परियोजना-विशिष्ट ईएसएमपी में परियोजना का विस्तृत विवरण प्रदान किया जाएगा।

2.4. भारत में सीबीजी परियोजनाओं से संबंधित प्रभाव

भारत में सीबीजी परियोजनाएँ–जिनमें कृषि अवशेष, जैविक अपशिष्ट और गोबर से प्राप्त बायोफ्यूल का उपयोग शामिल है–महत्वपूर्ण जलवायु और विकास संबंधी लाभ प्रदान कर सकती हैं। हालांकि, इन परियोजनाओं के विकास, निर्माण, संचालन और निष्क्रियकरण चरणों के दौरान विभिन्न प्रकार के एचएसएसई जोखिम और प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। एसएमएस को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि यह लागू राष्ट्रीय विनियमों और जीआईआईपी के अनुरूप इन जोखिमों की पहचान, आकलन और प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करे।

वर्तमान परियोजनाओं को बी+ श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है (सीएफएम के एसएमएस में जोखिम वर्गीकरण के अनुसार), जो अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) की श्रेणी B के समकक्ष है। नीचे दी गई तालिका अकैया ग्रीन फ्यूल्स की सीबीजी परियोजनाओं के लिए लागू आईएफसी प्रदर्शन मानक ढाँचे के अनुसार समीक्षा प्रस्तुत करती है और संभावित एचएसएसई जोखिमों और प्रभावों की पहचान करती है।

आईएफसी प्रदर्शन मानक	संभावित जोखिमों का विवरण	भारत में CBG परियोजनाओं पर लागूता
आईएफसी प्रदर्शन मानक 1: पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों एवं प्रभावों का आकलन	भारत में सीबीजी परियोजनाओं से जुड़े एचएसएसई जोखिमों और प्रभावों की परियोजना-स्तरीय पर्यावरणीय और सामाजिक उचित परिश्रम तथा प्रभाव आकलन के तहत जाँच और मूल्यांकन किया जाता है। जहाँ आवश्यक हो, शमन और प्रबंधन उपायों को पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन योजनाओं (ईएसएमपीएस) में परिभाषित किया जाता है और पूरे परियोजना जीवनचक्र के दौरान उनकी निगरानी की जाती है। यह एसएमएस एक समग्र ढाँचा प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जोखिमों की व्यवस्थित रूप से पहचान, शमन, निगरानी और रिपोर्टिंग की जाए, तथा समुदाय और श्रमिकों की चिंताओं को संबोधित करने के लिए हितधारक सहभागिता और शिकायत निवारण तंत्र लागू किए जाएँ।	अकैया ग्रीन फ्यूल्स की सीबीजी परियोजनाओं पर लागू
आईएफसी प्रदर्शन मानक 2: श्रम और कार्य स्थितियाँ	सीबीजी परियोजनाओं में प्रत्यक्ष श्रमिकों, ठेकेदारों तथा अनौपचारिक या मौसमी श्रमिकों का मिश्रण शामिल हो सकता है, विशेष रूप से कच्चे माल के संग्रहण और परिवहन में। प्रमुख जोखिमों में व्यावसायिक स्वास्थ्य और प्रक्रिया सुरक्षा से जुड़े खतरे, अपर्याप्त कार्य स्थितियाँ, या आपूर्ति श्रृंखला में अनियमित श्रम का उपयोग शामिल हो सकते हैं। निष्पक्ष श्रम प्रथाओं, श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा ठेकेदार प्रबंधन के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ स्थापित की जाती हैं, ताकि राष्ट्रीय श्रम कानूनों और जीआईआईपी का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।	अकैया ग्रीन फ्यूल्स की सीबीजी परियोजनाओं पर लागू

आईएफसी प्रदर्शन मानक 3: संसाधन दक्षता और प्रदूषण निवारण	भारत में सीबीजी परियोजनाओं से जुड़े प्रमुख जोखिमों में वायु उत्सर्जन (जिसमें दुर्गंध और मीथेन का उत्सर्जन शामिल है), अपशिष्ट जल का उत्पादन, ठोस और खतरनाक अपशिष्ट का प्रबंधन, तथा मिट्टी और जल संसाधनों पर प्रभाव शामिल हो सकते हैं। कच्चे माल और डाइजेस्टेट के अनुचित प्रबंधन और भंडारण से स्थानीय स्तर पर प्रदूषण, कीट आकर्षण या पोषक तत्वों का बहाव हो सकता है। बायोमास आधारित परियोजनाओं में यह जोखिम भी होता है कि यदि कच्चे माल का स्रोत सही तरीके से प्रबंधित नहीं किया गया, तो यह अस्थिर भूमि उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा दे सकता है। ये प्रभाव सामान्यतः स्थल-विशिष्ट होते हैं और उचित इंजीनियरिंग डिज़ाइन, प्रदूषण नियंत्रण उपायों तथा संचालनात्मक नियंत्रणों के माध्यम से प्रबंधित किए जा सकते हैं।	अकैया ग्रीन फ्यूल्स की सीबीजी परियोजनाओं पर लागू
आईएफसी प्रदर्शन मानक 4: सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षा	सीबीजी परियोजनाएँ अक्सर स्थानीय समुदायों के साथ निकट रूप से जुड़ी होती हैं, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में जहाँ कच्चा माल किसानों, संग्राहकों या नगर निकायों से प्राप्त किया जाता है। संभावित सामाजिक प्रभावों में यातायात में वृद्धि और सड़क सुरक्षा से जुड़े जोखिम, शोर या दुर्गंध जैसी असुविधाएँ, तथा जैविक पदार्थों और बायोगैस के परिवहन, भंडारण और प्रसंस्करण से जुड़े व्यावसायिक और सामुदायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जोखिम शामिल हो सकते हैं। ये परियोजनाएँ सकारात्मक सामाजिक प्रभाव भी उत्पन्न कर सकती हैं, जैसे स्थानीय रोजगार के अवसर, किसानों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत, और अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में सुधार।	अकैया ग्रीन फ्यूल्स की सीबीजी परियोजनाओं पर लागू
आईएफसी प्रदर्शन मानक 5: भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास	एसएमएस यह सुनिश्चित करता है कि भूमि अधिग्रहण और आजीविका पर प्रभावों से जहाँ संभव हो बचा जाए, परियोजना डिजाइन के माध्यम से उन्हें न्यूनतम किया जाए, और जहाँ अपरिहार्य हो, उन्हें लागू राष्ट्रीय कानूनों और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रबंधित किया जाए। अकैया ग्रीन फ्यूल्स सामान्यतः अपनी परियोजनाएँ निजी भूमि पर विकसित करेगा और जहाँ संभव हो कृषि भूमि से बचने का प्रयास करेगा। भूमि अधिकार "इच्छुक विक्रेता-इच्छुक खरीदार" या "इच्छुक पट्टादाता-इच्छुक पट्टेदार" के आधार पर प्राप्त किए जाएंगे। गैर-स्वामित्व धारकों (जैसे बटाईदार या मजदूर) की उपस्थिति और उनकी भूमि पर निर्भरता का मामला-दर-मामला मूल्यांकन किया जाएगा। गैस पाइपलाइन और ट्रांसमिशन लाइन के लिए आवश्यक मार्ग-अधिकार स्थापित किए जाएंगे और कानून के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। औपचारिक और अनौपचारिक भूमि उपयोगकर्ताओं की पहचान के लिए सर्वेक्षण किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, कच्चे माल की आपूर्ति व्यवस्थाएँ स्थानीय आजीविका को प्रभावित कर सकती हैं, यदि वे मौजूदा कृषि या अवशेष प्रबंधन प्रथाओं में परिवर्तन लाती हैं।	सभी परियोजनाओं के लिए लागूता का आकलन करने हेतु स्क्रीनिंग की जाती है, परंतु प्रभावों को सामान्यतः टाला जा सकता है।
आईएफसी प्रदर्शन मानक 6: जैव विविधता संरक्षण और जीवित प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन	सीबीजी परियोजनाओं का भौतिक विस्तार सामान्यतः सीमित होता है। अकैया ग्रीन फ्यूल्स की परियोजनाएँ अपशिष्ट अवशेषों का उपयोग करेंगी, इसलिए बायोफ्यूल परियोजनाओं से सामान्यतः जुड़े अप्रत्यक्ष भूमि उपयोग परिवर्तन और प्राकृतिक आवासों पर प्रभाव (अर्थात कच्चे माल की खेती से होने वाले प्रभाव) से बचा जा सकता है। जैव विविधता के लिए जोखिम तब उत्पन्न हो सकते हैं जब कच्चे माल की आपूर्ति से कृषि अवशेषों का अत्यधिक दोहन हो, मिट्टी के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़े, या संवेदनशील आवासों पर अतिक्रमण हो। एसएमएस परियोजनाओं से अपेक्षा करता है कि वे अपने प्रभाव क्षेत्र में जैव विविधता से जुड़े जोखिमों का आकलन करें और महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए सतत कच्चा माल आपूर्ति और संसाधन प्रबंधन प्रथाओं को लागू करें।	सभी परियोजनाओं के लिए लागूता का आकलन करने हेतु स्क्रीनिंग की जाती है, परंतु प्रभावों को सामान्यतः टाला जा सकता है।
आईएफसी प्रदर्शन मानक 7: आदिवासी समुदाय	यद्यपि भारत में कई आदिवासी समुदाय (अनुसूचित जनजातियाँ) हैं, फिर भी परियोजना स्थल चयन के माध्यम से प्रभावों से बचा जा सकता है। एसएमएस परियोजनाओं से अपेक्षा करता है कि वे परियोजना प्रभाव क्षेत्र में आदिवासी समुदायों/अनुसूचित जनजातियों की उपस्थिति और उनसे जुड़े जोखिमों का आकलन करें तथा महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभावों से बचें।	सभी परियोजनाओं के लिए स्क्रीनिंग की जाती है, परंतु सामान्यतः लागू होने की संभावना कम होती है/या प्रभावों से बचा जा सकता है।
आईएफसी प्रदर्शन मानक 8: सांस्कृतिक विरासत	परियोजना स्थल चयन के माध्यम से प्रभावों से बचा जा सकता है। एसएमएस परियोजनाओं से अपेक्षा करता है कि वे परियोजना प्रभाव क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत की उपस्थिति और उससे जुड़े जोखिमों का आकलन करें तथा महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभावों से बचें।	सभी परियोजनाओं के लिए स्क्रीनिंग की जाती है, परंतु सामान्यतः लागू होने की संभावना कम होती है/या प्रभावों से बचा जा सकता है।

2.6. निवेशक

अकैया ग्रीन फ्यूल्स का स्वामित्व परियोजना प्रायोजक (एक व्यक्ति) और क्लाइमेट इन्वेस्टर टू ("सीआई2") के पास है, जो क्लाइमेट फंड मैनेजर्स ("सीएफएम") द्वारा प्रबंधित एक फंड है।

सीआई2 का मुख्य ध्यान अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के विकसित, निम्न-मध्यम आय और उच्च-मध्यम आय वाले देशों में जल, स्वच्छता और महासागर क्षेत्रों के लिए पूंजी प्रदान करने पर है। एक सामान्य सिद्धांत के रूप में, सीआई2 उन परियोजनाओं के माध्यम से कोई नुकसान न करने का प्रयास करता है जिनमें वह निवेश करता है। इसका अर्थ है कि जिन परियोजनाओं के प्रभाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें केवल कठोर मूल्यांकन और 'सकारात्मक प्रभाव' के स्पष्ट प्रमाण के आधार पर ही विचार किया जाएगा, जो 'भलाई करने' की अवधारणा के अनुरूप हो। सीएफएम की वेबसाइट उपलब्ध है: www.climatefundmanagers.com/

3. ईएमएस का अवलोकन

3.1. ईएमएस की संरचना

ईएमएस, आईएसओ 9001:2015; आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2015 प्रबंधन मानकों के प्रमुख पहलुओं पर आधारित है, जिन्हें योजना, क्रियान्वयन, जांच और कार्यवाही (पीडीसीए) प्रबंधन चक्र के आधार पर विकसित किया गया है। अकैया ग्रीन फ्यूल्स की सभी परियोजनाओं के निर्माण के लिए ईएमएस के मुख्य घटकों को नीचे चित्र 3-1 में दर्शाया गया है। सभी घटक इस एसएमएस के कार्य क्षेत्र में शामिल हैं।

चित्र 3-1: एसएमएस की संरचना

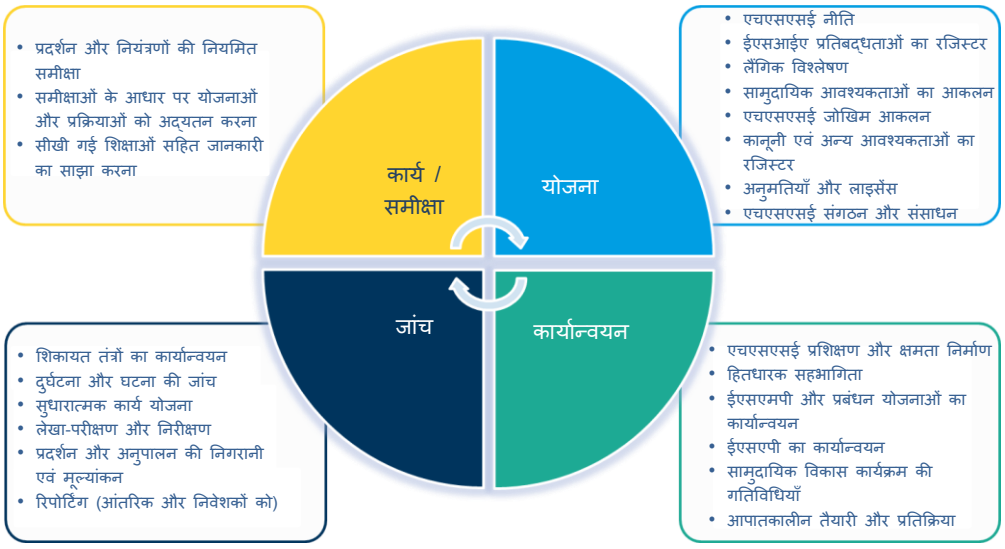

3.2. सहायक दस्तावेज़

इस एसएमएस मैनुअल के अतिरिक्त, परियोजनाओं के विकास, निर्माण और संचालन से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों के लिए प्रबंधन योजनाएँ, प्रक्रियाएँ और कार्य निर्देश भी उपलब्ध हैं।

सहायक दस्तावेज़		
अकैया ग्रीन फ्यूल्स एचएसएसई नीति		
भूमि नीति		
सतत खरीद नीति (जिसमें कच्चे माल की खरीद भी शामिल है)		
मानव संसाधन नीति		
कानूनी रजिस्टर		
ठेकेदारों के लिए एचएसएसई आवश्यकताएँ / परियोजना के सामान्य HSSE आवश्यकताएँ		
मानव संसाधन योजना		
एचएसएसई प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन और प्रशिक्षण योजना		
सामुदायिक विकास दस्तावेज़ और केस स्टडी		
परियोजना स्तर के दस्तावेज़	ई एंड एस	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) – आईएफसी और सीएफएम की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु
		पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन योजना (ईएसएमपी)

(प्रत्येक परियोजना के लिए उपलब्ध होंगे और संबंधित परियोजना चरणों को दर्शाएँगे)		हितधारक सहभागिता योजना और शिकायत निवारण तंत्र
		लिंग और सामाजिक समावेशन (जीईएसआई) विश्लेषण और कार्य योजना
		संयोग से प्राप्त विरासत वस्तुओं की प्रक्रिया
		यातायात प्रबंधन योजना
		अपशिष्ट प्रबंधन योजना
		आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना
		परियोजना जलवायु अनुकूलन योजना
		सामुदायिक आवश्यकताओं का आकलन
		सामुदायिक विकास कार्यक्रम
		पर्यावरणीय और सामाजिक कार्य योजना (ईएसएपी)
		मानवाधिकार कार्य योजना (कच्चे माल की खरीद से संबंधित)
	एचएसएसई	एचएसएसई प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन और प्रशिक्षण योजना
		एचएसएसई जोखिम रजिस्टर
		एचएसएसई अनुपालन (कानूनी और अन्य आवश्यकताएँ) रजिस्टर
		घटना और दुर्घटना रिपोर्टिंग रजिस्टर, रिपोर्ट तथा अनुवर्ती कार्यवाहियों के प्रमाण
		एचएसएसई, प्रभाव और जीएचजी रिपोर्टिंग (सीएफएम/सीआई2 के प्रारूप में) इस एसएमएस के अनुभाग 8.5 के अनुसार
		ईएसएपी के अनुपालन को दर्शाने वाले अभिलेख, जिनमें कार्यों के समापन के प्रमाण शामिल हैं
		आंतरिक एचएसएसई निरीक्षण और ऑडिट अभिलेख, तथा जहाँ आवश्यक हो अनुवर्ती कार्यवाहियों के प्रमाण
		बाहरी एचएसएसई ऑडिट रिपोर्ट, तथा जहाँ आवश्यक हो अनुवर्ती कार्यवाहियों के प्रमाण
		ठेकेदार प्रबंधन योजना
	स्वास्थ्य और सुरक्षा	ठेकेदार अभिलेख, जो स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित हों तथा स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रक्रियाओं के अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक हों, जिनमें उच्च जोखिम वाली गतिविधियाँ; सुरक्षा जोखिम आकलन; सुरक्षा प्रबंधन प्रक्रिया; यातायात प्रबंधन प्रक्रिया; श्वसन सुरक्षा प्रक्रिया; शोर प्रबंधन प्रक्रिया; आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया प्रक्रिया; चिकित्सीय फिटनेस प्रक्रिया; जेएसए और हिरा; लोटो प्रक्रिया; अग्नि प्रबंधन योजना तथा श्रमिक आवास प्रबंधन प्रक्रिया शामिल हैं।
	श्रम और कार्य स्थितियाँ / मानव संसाधन	सीएफएम/सीआई2 के प्रारूप में मासिक HR रिपोर्टिंग
		लिंग कार्य योजना के अनुपालन को दर्शाने वाले अभिलेख
		अकैया ग्रीन फ्यूल्स और ठेकेदारों के लिए एचआर, अभिविन्यास (इंडक्शन) और प्रशिक्षण अभिलेख
		ठेकेदार अभिलेख, जो श्रम और कार्य स्थितियों से संबंधित हों तथा निम्नलिखित के अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक हों: HSSE संचार, परामर्श और सहभागिता प्रक्रिया; श्रम और कार्य स्थितियाँ प्रक्रिया(एँ); आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र; श्रमिक आवास प्रबंधन प्रक्रिया; तथा श्रमिकों के दैनिक वेतन अभिलेख और ईएसआईसी/पीएफ अभिलेख।

	पर्यावरण	ईएमपी और ईएसएमपी तथा अन्य प्रबंधन योजनाओं के अनुपालन को दर्शाने वाले अभिलेख, जिनमें पर्यावरणीय और सामाजिक निगरानी अभिलेख शामिल हैं
		ठेकेदार अभिलेख, जो पर्यावरण से संबंधित हों तथा निम्नलिखित के अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक हों: खतरनाक पदार्थ प्रबंधन प्रक्रिया; अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया; अपरदन और अवसादन नियंत्रण प्रक्रिया; जल और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रक्रिया; वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रक्रिया।
	समुदाय	हितधारक सहभागिता रजिस्टर, तथा संबंधित दस्तावेज़ जैसे बैठक कार्यवृत्त (एमओएम), फोटो, उपस्थिति सूची
		हितधारक शिकायत रजिस्टर, तथा अनुवर्ती कार्यवाहियों के प्रमाण
		ठेकेदार अभिलेख, जो समुदाय से संबंधित हों तथा निम्नलिखित के अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक हों: सामुदायिक जोखिम आकलन; और समुदाय में वाहनों के लिए यातायात प्रक्रिया
		सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित अभिलेख

उपकरणों के लिए टेम्पलेट*
ई एंड एस स्क्रीनिंग टेम्पलेट
ईएसडीडी आरएफपी टेम्पलेट
ईएसआईए आरएफपी टेम्पलेट
हितधारक सहभागिता लॉग टेम्पलेट
निर्माण/ओ एंड एम ईएसएमपी टेम्पलेट
शिकायत प्रपत्र टेम्पलेट
घटना रिपोर्ट टेम्पलेट
एचएसएसई प्रदर्शन रिपोर्टिंग टेम्पलेट
बाह्य एचएसएसई लेखा-परीक्षण आरएफपी टेम्पलेट
अनुबंधों के लिए एचएसएसई आवश्यकताएँ (जैसे ईपीसी, ओ एंड एम, सीडीपी साझेदार, आपूर्तिकर्ता आदि)
एचएसएसई कर्मियों के लिए कार्य विवरण
सीडीपी साझेदारी चेकलिस्ट

*ये टेम्पलेट सीएफएम/सीआई2 के टेम्पलेट्स के अनुरूप होने चाहिए।

4. संगठनात्मक क्षमता, भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

4.1. एचएसएसई प्रबंधन

अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजनाओं के एचएसएसई प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार है, और यह जिम्मेदारी इस एसएमएस के कार्यान्वयन के माध्यम से पूरी की जाती है। एचएसएसई से संबंधित भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह की समग्र संगठनात्मक संरचना में समाहित हैं, जिसमें अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह के एचएसएसई कर्मचारियों तथा प्रमुख ठेकेदारों और सेवा प्रदाताओं के बीच स्पष्ट संबंध और अधिकार की रेखाएँ निर्धारित की गई हैं, जैसा कि **चित्र 4-1** में दर्शाया गया है।

चित्र 4-1: अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह का एचएसएसई संगठनात्मक ढांचा

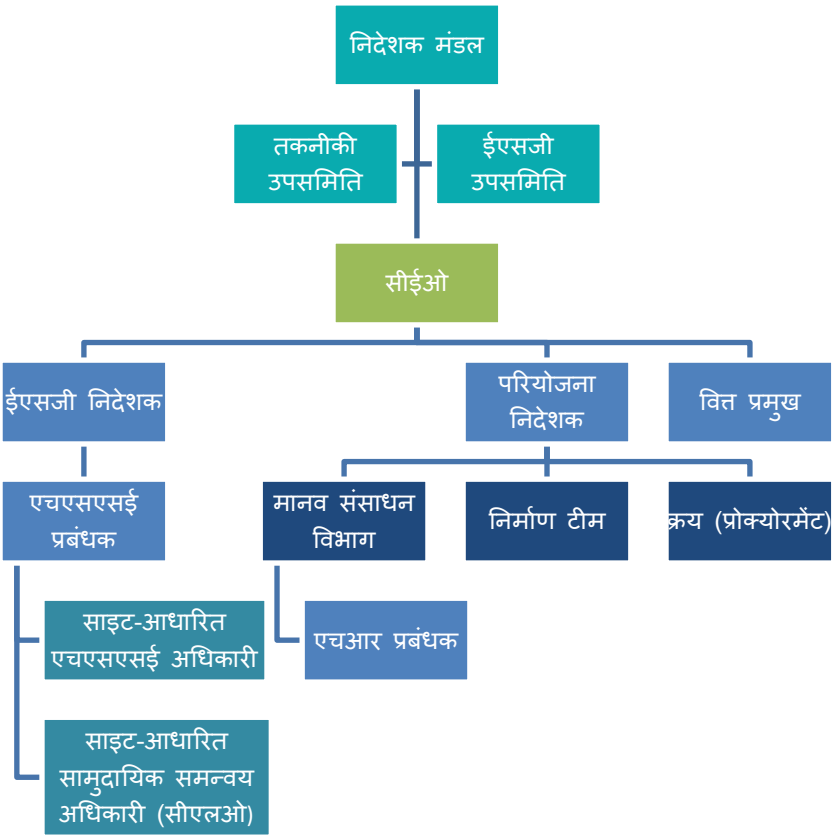

4.2. एचएसएसई भूमिकाएँ, जिम्मेदारियाँ और अधिकार

4.2.1 परियोजना शासन

अकैया ग्रीन फ्यूल्स का संचालन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। सीईओ अकैया ग्रीन फ्यूल्स के निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। अकैया ग्रीन फ्यूल्स के निदेशक मंडल ने एचएसएसई से संबंधित दैनिक कार्यों के प्रबंधन और निगरानी की जिम्मेदारी अकैया ग्रीन फ्यूल्स की प्रबंधन टीम को सौंप दी है।

अकैया ग्रीन फ्यूल्स का निदेशक मंडल प्रत्येक परियोजना के सभी एचएसएसई पहलुओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, जो एचएसएसई आवश्यकताओं के अनुरूप होगा। इसमें एक व्यापक और प्रभावी एसएमएस का विकास, उसका कार्यान्वयन तथा उसके निरंतर पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। अकैया ग्रीन फ्यूल्स का निदेशक मंडल नए परियोजनाओं को निवेश के लिए स्वीकृति देने के लिए भी जिम्मेदार है, बशर्ते कि वे परियोजनाएँ एसएमएस में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करती हों।

ईएसजी उपसमिति चार (4) सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जो ईएसजी से संबंधित विषयों के लिए समर्पित होते हैं। ईएसजी उपसमिति को बोर्ड द्वारा सौंपे गए ईएसजी संबंधी दायित्व प्राप्त होंगे। ईएसजी उपसमिति प्रोटोकॉल परिशिष्ट बी में दिया गया है। ईएसजी उपसमिति अकैया ग्रीन फ्यूल्स के एचएसएसई प्रदर्शन की निगरानी और पर्यवेक्षण करेगी, जिसमें परियोजनाओं के निर्माण और संचालन के दौरान भी शामिल है।

4.2.2 अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजना एचएसएसई प्रबंधन उत्तरदायित्व

एसएमएस की समग्र जिम्मेदारी अकैया ग्रीन फ्यूल्स के निदेशक मंडल के पास है, जो एक ऐसी संगठनात्मक संरचना स्थापित और बनाए रखता है जिसमें परियोजना के जीवनचक्र के सभी चरणों में एसएमएस के कार्यान्वयन के लिए भूमिकाएँ, जिम्मेदारियाँ और अधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित किए जाते हैं।

निदेशक मंडल की एचएसएसई के संबंध में निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ हैं:

- इस एसएमएस की नियमित (कम से कम वार्षिक आधार पर) समीक्षा करना और आवश्यकता होने पर इसे अद्यतन करना;
- एचएसएसई आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना, जिसमें एसएमएस का कार्यान्वयन शामिल है;
- महत्वपूर्ण एचएसएसई मुद्दों से संबंधित प्रमुख निर्णय लेना (जिसमें आगे बढ़ने / न बढ़ने के निर्णय शामिल हैं);
- HSSE जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं के लिए पर्याप्त संसाधन (बजट और कर्मचारी) सुनिश्चित करना; और
- प्रत्येक निवेश के लिए एचएसएसई मुद्दों की औपचारिक समीक्षा करना और इसे निवेश निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना।

अकैया ग्रीन फ्यूल्स के सीईओ और परियोजना निदेशक को नामित प्रबंधन प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, जिनके पास एसएमएस के रखरखाव और कार्यान्वयन की दैनिक जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व होता है, और उन्हें इस भूमिका में अकैया ग्रीन फ्यूल्स के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है।

अकैया ग्रीन फ्यूल्स के सीईओ की एचएसएसई के संबंध में निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ हैं:

- एचएसएसई, तकनीकी, मानव संसाधन और संचालन टीमों को एचएसएसई से संबंधित कार्यों में नेतृत्व और पर्यवेक्षण प्रदान करना;
- एचएसएसई मुद्दों के प्रबंधन या समाधान के लिए आवश्यक दैनिक निर्णय लेना;
- ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और भागीदारों के चयन के दौरान उनकी एचएसएसई क्षमताओं (इच्छा, तकनीकी क्षमता, पूर्व अनुभव) पर विचार करना;
- अनुबंध संबंधी दस्तावेज़ों में HSSE प्रबंधन से संबंधित प्रावधानों का समावेश सुनिश्चित करना (जो इस एसएमएस में निर्धारित एचएसएसई आवश्यकताओं और ठेकेदारों के लिए अकैया ग्रीन फ्यूल्स HSSE प्रबंधन आवश्यकताओं के अनुरूप हों); और
- सभी बैठकों में एचएसएसई विषयों को शामिल करके और उन्हें एजेंडा में सुनिश्चित करके एचएसएसई के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
- बाहरी शिकायत निवारण तंत्र के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होना (परिशिष्ट डी देखें)।

सीईओ नामित प्रबंधन प्रतिनिधि हैं, जिनके पास एसएमएस के रखरखाव और कार्यान्वयन की समग्र जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व है, और उन्हें इस भूमिका में अकैया ग्रीन फ्यूल्स के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया गया है।

एचएसएसई के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होने हेतु सीईओ द्वारा एक परियोजना निदेशक नियुक्त किया जाता है।

4.2.3 ईएसजी निदेशक और एचएसएसई प्रबंधक

अकैया ग्रीन फ्यूल्स के ईएसजी निदेशक प्रभावी कार्यक्रमों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों की स्थापना और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होते हैं तथा एसएमएस के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हैं। अकैया ग्रीन फ्यूल्स के ईएसजी निदेशक और एचएसएसई प्रबंधक, ईपीसी/ओ एंड एम ठेकेदारों तथा अकैया ग्रीन फ्यूल्स द्वारा नियुक्त अन्य ठेकेदारों/सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय करते हैं, ताकि एचएसएसई प्रबंधन के दृष्टिकोण को एकीकृत किया जा सके और इसे अकैया ग्रीन फ्यूल्स की सभी परियोजना गतिविधियों में समान रूप से लागू किया जा सके। ईएसजी निदेशक नियमित रूप से सीईओ को रिपोर्ट करते हैं।

अकैया ग्रीन फ्यूल्स के ईएसजी निदेशक की निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ हैं:

- प्रत्येक नई परियोजना के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक (ई एंड एस) स्क्रीनिंग और उचित परिश्रम का नेतृत्व करना तथा बाहरी सलाहकारों के सहयोग से प्रारंभिक E&S श्रेणी निर्धारण करना;
- ई एंड एस कार्यों के लिए संदर्भ शर्तें विकसित करना और सलाहकारों के कार्य की निगरानी करना;
- यह सुनिश्चित करना कि विशेष अध्ययन के लिए पर्याप्त अनुभव वाले सलाहकार नियुक्त किए जाएँ;
- अकैया ग्रीन फ्यूल्स और उसकी परियोजनाओं में एचएसएसई प्रदर्शन की दैनिक जिम्मेदारी और पर्यवेक्षण करना;
- यह सुनिश्चित करना कि हितधारक सहभागिता की जाए, शिकायत निवारण तंत्र लागू हो और अभिलेख संधारित किए जाएँ, जिसमें कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित पहलू भी शामिल हों;
- हितधारकों को परियोजना और ई एंड एस से संबंधित जानकारी का समय पर प्रकटीकरण सुनिश्चित करना;
- अकैया ग्रीन फ्यूल्स की टीमों और ठेकेदारों को एचएसएसई प्रशिक्षण प्रदान करना/सुविधा देना और एचएसएसई से संबंधित सहयोग देना;
- एसएमएस का निरंतर रखरखाव और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, जिसमें परियोजना स्तर पर एसएमएस और सभी एचएसएसई प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन की निगरानी शामिल है;
- अकैया ग्रीन फ्यूल्स के आंतरिक कर्मचारियों और ठेकेदारों के लिए प्रशिक्षण सामग्री का विकास/गुणवत्ता नियंत्रण करना, एचएसएसई प्रशिक्षण प्रदान करना तथा प्रशिक्षण अभिलेखों का संधारण करना;
- यह सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षण प्रदान करना कि निवेश जीवनचक्र के प्रत्येक चरण में तथा पोर्टफोलियो के प्रत्येक निवेश में ई एंड एस मुद्दों का प्रभावी रूप से एकीकरण हो रहा है;
- पोर्टफोलियो स्तर पर एचएसएसई निगरानी और रिपोर्टिंग की निगरानी करना, जिसमें निदेशक मंडल को आंतरिक रिपोर्टिंग तथा निवेशकों और अन्य हितधारकों को बाहरी रिपोर्टिंग शामिल है; और
- परियोजना निगरानी प्रक्रिया में एचएसएसई मानदंडों को एकीकृत करना तथा ठेकेदारों के लिए स्थल पर आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करना।

ईएसजी निदेशक को एचएसएसई प्रबंधक(ओं) द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा।

4.2.4 साइट-आधारित एचएसएसई प्रबंधक

अकैया ग्रीन फ्यूल्स के एचएसएसई प्रबंधक साइट पर एचएसएसई कार्यक्रमों और पहलों की निगरानी करेंगे, ताकि एचएसएसई नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के मानकों को लागू किया जा सके, एचएसएसई जोखिमों की पहचान और शमन किया जा सके, तथा कंपनी में स्वास्थ्य और सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके।

एचएसएसई प्रबंधक की निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ हैं:

- अकैया ग्रीन फ्यूल्स की परियोजनाओं और ठेकेदारों की गतिविधियों के एचएसएसई पहलुओं की निगरानी और पर्यवेक्षण करना।
- अकैया ग्रीन फ्यूल्स में स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जागरूकता विकसित करना और एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति का निर्माण करना।
- आवश्यक व्यवस्थाओं का निर्माण करना (जिसमें एचएसएसई नीति, प्रक्रियाएँ, जोखिम नियंत्रण ढाँचा आदि शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है); अंतिम परियोजना डिज़ाइन में आवश्यकतानुसार योगदान देना; तथा ठेकेदारों का चयन करना।
- साइट पर एचएसएसई प्रदर्शन का सक्रिय प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन करना।

एचएसएसई प्रबंधक को एचएसएसई अधिकारी(यों) द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा।

4.2.5 परियोजनाओं के निर्माण के लिए साइट-आधारित एचएसएसई अधिकारी

प्रत्येक अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजना, जिसमें निर्माण गतिविधियाँ शामिल हों, में निर्माण के लिए कम से कम एक समर्पित अकैया ग्रीन फ्यूल्स एचएसएसई अधिकारी होगा, जो निर्माण चरण के दौरान परियोजना की गतिविधियों से जुड़े एचएसएसई पहलुओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा। एक सक्षम और अनुभवी ओनर का इंजीनियर एचएसएसई प्रबंधक द्वारा पर्याप्त प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण प्रदान किए जाने की स्थिति में अकैया ग्रीन फ्यूल्स एचएसएसई अधिकारी की भूमिका निभा सकता है।

एचएसएसई अधिकारी एचएसएसई आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित एचएसएसई, विशेष रूप से ईएसएमपी और ठेकेदारों के लिए एचएसएसई प्रबंधन आवश्यकताओं का। एचएसएसई अधिकारी कार्यस्थल निरीक्षण और ऑडिट के माध्यम से अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजना के ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों के एचएसएसई प्रदर्शन की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन करेगा, जिसमें ऑडिट अभिलेखों का संधारण भी शामिल है। एचएसएसई अधिकारी अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजना के कर्मियों, ठेकेदारों और साइट पर कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ समन्वय करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विभागों और अनुबंध पक्षों के बीच एचएसएसई का प्रबंधन एकीकृत और सहयोगात्मक तरीके से किया जा रहा है। अन्य कार्यों में शामिल होंगे:

- आपातकालीन तैयारी से संबंधित प्रशिक्षण और अभ्यास ड्रिल का संचालन और पर्यवेक्षण करना।
- एचएसएसई अनुमति आवश्यकताओं का प्रबंधन करना और यह सुनिश्चित करना कि वे अद्यतन हैं तथा आवश्यकतानुसार नवीनीकृत किए गए हैं।
- एचएसएसई प्रदर्शन से संबंधित डेटा और जानकारी का संग्रह, संकलन और रिपोर्टिंग करना, ताकि एसएमएस के अंतर्गत रिपोर्टिंग दायित्वों का समर्थन किया जा सके।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू करना और अकैया ग्रीन फ्यूल्स के कर्मचारियों तथा ठेकेदारों के कार्यबल को प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करना।
- निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी दुर्घटना या घटना की रिपोर्ट करना, जांच प्रक्रिया में सहयोग या पर्यवेक्षण प्रदान करना, तथा सुधारात्मक कार्यवाहियों के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

यदि एचएसएसई अधिकारी ईएसएमपी के कार्यान्वयन पर पर्याप्त निगरानी प्रदान करने में सक्षम नहीं है और/या निर्माण के दौरान विशेष पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तो अकैया ग्रीन फ्यूल्स द्वारा एक अलग पर्यावरणीय और सामाजिक अधिकारी/प्रबंधक नियुक्त किया जाएगा।

4.2.6 संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) चरण के दौरान परियोजनाओं के लिए साइट-आधारित एचएसएसई अधिकारी

प्रत्येक अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजना, जिसमें संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) गतिविधियाँ शामिल हों, में कम से कम एक समर्पित अकैया ग्रीन फ्यूल्स एचएसएसई अधिकारी होगा, जो ओ एंड एम चरण के दौरान परियोजना की गतिविधियों से जुड़े एचएसएसई पहलुओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा। एक सक्षम और अनुभवी ओनर का इंजीनियर, एचएसएसई प्रबंधक द्वारा पर्याप्त प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण प्रदान किए जाने की स्थिति में, अकैया ग्रीन फ्यूल्स एचएसएसई अधिकारी की भूमिका निभा सकता है।

एचएसएसई अधिकारी एचएसएसई आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, विशेष रूप से ईएसएमपी और ठेकेदारों के लिए एचएसएसई प्रबंधन आवश्यकताओं का। एचएसएसई अधिकारी कार्यस्थल निरीक्षण और ऑडिट के माध्यम से अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजना के ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों के एचएसएसई प्रदर्शन की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन करेगा, जिसमें ऑडिट अभिलेखों का संधारण भी शामिल है। एचएसएसई अधिकारी अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजना के कर्मियों, ठेकेदारों और साइट पर कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ समन्वय करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विभागों और अनुबंध पक्षों के बीच एचएसएसई का प्रबंधन एकीकृत और सहयोगात्मक तरीके से किया जा रहा है। अन्य कार्यों में शामिल होंगे:

- आपातकालीन तैयारी से संबंधित प्रशिक्षण और अभ्यास ड्रिल का संचालन और पर्यवेक्षण करना।
- एचएसएसई अनुमति आवश्यकताओं का प्रबंधन करना और यह सुनिश्चित करना कि वे अद्यतन हैं तथा आवश्यकतानुसार नवीनीकृत किए गए हैं।
- एचएसएसई प्रदर्शन से संबंधित डेटा और जानकारी का संग्रह, संकलन और रिपोर्टिंग करना, ताकि एसएमएस के अंतर्गत रिपोर्टिंग दायित्वों का समर्थन किया जा सके।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू करना और अकैया ग्रीन फ्यूल्स के कर्मचारियों तथा ठेकेदारों के कार्यबल को प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करना।
- निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी दुर्घटना या घटना की रिपोर्ट करना, जांच प्रक्रिया में सहयोग या पर्यवेक्षण प्रदान करना, तथा सुधारात्मक कार्यवाहियों के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

यदि एचएसएसई अधिकारी ईएसएमपी के कार्यान्वयन पर पर्याप्त निगरानी प्रदान करने में सक्षम नहीं है और/या संचालन चरण के दौरान विशेष पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तो अकैया ग्रीन फ्यूल्स द्वारा एक अलग पर्यावरणीय और सामाजिक अधिकारी/प्रबंधक नियुक्त किया जाएगा।

4.2.7 निर्माण और संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) चरण के दौरान परियोजनाओं के लिए साइट-आधारित सामुदायिक समन्वय अधिकारी (सीएलओ)

प्रत्येक अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजना में कम से कम एक सीएलओ होगा, जो परियोजना के आसपास के समुदायों के लिए एक प्रमुख संपर्क और समन्वय बिंदु के रूप में कार्य करेगा। सीएलओ जानकारी प्रदान करेगा, मार्गदर्शन और सहयोग देगा तथा हितधारक सहभागिता योजना (एसईपी) और परियोजना के शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए जिम्मेदार होगा। सीएलओ अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजना का प्रतिनिधि भी होगा और उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह परियोजना क्षेत्र, स्थानीय समुदायों, उनकी संवेदनशीलताओं, संस्कृति, उपलब्ध सुविधाओं और सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल से भली-भांति परिचित हो। सीएलओ सामुदायिक विकास कार्यक्रम की निगरानी भी करेगा।

भूमि अधिग्रहण, प्रारंभिक कार्यों और/या सामुदायिक विकास से संबंधित गतिविधियाँ चल रही होने की स्थिति में विकास चरण के दौरान भी सीएलओ की आवश्यकता हो सकती है।

4.2.8 अकैया ग्रीन फ्यूल्स मानव संसाधन (HR) प्रबंधक

एचआर प्रबंधक श्रम और कार्य स्थितियों से संबंधित एचएसएसई आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक प्रभावी एचआर प्रबंधन योजना और आचार संहिता के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा।

एचआर प्रबंधक की निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ हैं:

- कंपनी की प्रक्रियाओं, नीतियों और मानकों की स्थापना, अद्यतन, संचार और उनके अनुपालन की निगरानी करना।
- मानव संसाधन प्रबंधन में कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करना और उसमें सुधार करना।
- अकैया ग्रीन फ्यूल्स की लैंगिक पहल पर योजना बनाना, कार्यान्वयन करना, समीक्षा करना और प्रगति की रिपोर्टिंग करना, जिसमें लैंगिक कार्य योजना का कार्यान्वयन शामिल है।
- कंपनी के भीतर आंतरिक और बाहरी संबंधों और संचार का विकास और प्रबंधन करना। इसमें प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र और व्हिसलब्लोइंग चैनलों का पर्यवेक्षण और कार्यान्वयन शामिल है।
- ईएसजी और तकनीकी विभागों के लिए ऐसे उपकरणों के विकास में मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करना, जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अकैया ग्रीन फ्यूल्स के आपूर्तिकर्ता और ठेकेदार श्रम और कार्य स्थितियों से संबंधित एसएमएस आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहे हैं। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि ठेकेदारों के लिए एचएसएसई प्रबंधन आवश्यकताओं के परिशिष्ट 5 के अनुसार न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी की जा रही हैं, और इन जाँचों के अभिलेख सुरक्षित रखे जाएँ।
- मानव संसाधन प्रबंधन गतिविधियों के लिए वार्षिक बजट योजना तैयार करना और उसे नियंत्रित करना, तथा श्रम लागत का विश्लेषण और नियंत्रण करना।
- एचआर कार्यक्रमों और पहलों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए HR मापदंडों का कार्यान्वयन और निगरानी करना।
- ऐसी HR प्रणाली का विकास और कार्यान्वयन करना जो व्यक्तिगत जानकारी की डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करे।
- विभाग और कंपनी के प्रशिक्षण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण योजनाओं का विकास करना।

4.2.9 अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह के सभी कर्मचारी

अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह के लिए या उसकी ओर से कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वे अपना कार्य इस प्रकार करें जिससे पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित हो। सभी कर्मचारियों को एसएमएस के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इसके कार्यान्वयन में अपनी भूमिका को समझना चाहिए।

4.2.10 कच्चा माल (फीडस्टॉक) खरीद टीम और संग्राहक

कच्चे माल की खरीद के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्ति आपूर्तिकर्ताओं के साथ सहभागिता, स्क्रीनिंग और निगरानी का कार्य मानवाधिकार आवश्यकताओं के अनुरूप करेंगे, जो कच्चे माल की खरीद से संबंधित हैं।

4.2.11 बाहरी सलाहकार

आवश्यकतानुसार बाहरी पर्यावरणीय और सामाजिक (ई एंड एस) सलाहकारों को अकैया ग्रीन फ्यूल्स की सहायता के लिए नियुक्त किया जाएगा, ताकि वे ई एंड एस उचित परिश्रम, विशेष अध्ययन और निरंतर निगरानी में सहयोग प्रदान कर सकें। इस सहयोग को ईएसजी निदेशक/प्रबंधक द्वारा सीएफएम के समन्वय में परिभाषित, सुगम और निगरानी किया जाएगा। सलाहकारों को अकैया ग्रीन फ्यूल्स द्वारा कार्य के दायरे और अपेक्षित परिणामों को स्पष्ट करने वाली संदर्भ शर्तों के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सलाहकार कार्य के दायरे को पूरा करने में सक्षम और योग्य हैं।

4.2.12 सामुदायिक विकास भागीदार

तृतीय पक्ष संगठनों के साथ साझेदारी, अकैया ग्रीन फ्यूल्स की सार्थक और सतत सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को लागू करने की क्षमता को बढ़ा सकती है। संभावित भागीदारों में विकास संगठन, शैक्षणिक या शोध संस्थान, नागरिक समाज संगठन (सीएसओएस), और प्रशिक्षण संस्थान शामिल हो सकते हैं, जिन्हें पहचानी गई विकास आवश्यकताओं या अवसरों के अनुरूप अनुभव हो। इन भागीदारों को सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए नियुक्त किया जाएगा। किसी सामुदायिक विकास भागीदार को नियुक्त करने से पहले अकैया ग्रीन फ्यूल्स द्वारा एक साझेदारी चेकलिस्ट पूरी की जाएगी।

4.3. ठेकेदार एचएसएसई प्रबंधन

प्रत्येक ठेकेदार अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित अकैया ग्रीन फ्यूल्स के एसएमएस की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए जिम्मेदार है।

अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजना स्थल पर कार्य करने वाले प्रत्येक ठेकेदार कर्मी की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि किया गया कार्य अनुभाग 6.1 में निर्धारित एचएसएसई आवश्यकताओं तथा ठेकेदारों के लिए एचएसएसई प्रबंधन आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

ठेकेदार यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि पर्याप्त और सक्षम कर्मचारी, कार्य-क्षेत्र-विशिष्ट प्रबंधन योजनाएँ और प्रक्रियाएँ, तथा संसाधन उपलब्ध हों, ताकि सभी एचएसएसई आवश्यकताओं का प्रभावी प्रबंधन और कार्यान्वयन किया जा सके। ठेकेदार पूरी तरह से उस प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, जो यह सुनिश्चित करेगी कि कार्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी कार्यों का उचित पर्यवेक्षण और समन्वय किया जाए। ठेकेदार अपनी कार्य गतिविधियों के संदर्भ में अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह की परियोजनाओं पर एचएसएसई का समन्वय और प्रबंधन करेंगे।

ठेकेदार परियोजना निर्माण गतिविधियों और एचएसएसई से संबंधित मुद्दों के लिए संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करने हेतु साइट पर एक एचएसएसई प्रबंधक और एक या अधिक एच एंड एस अधिकारी नियुक्त करेंगे। इस साइट प्रबंधन टीम का विवरण ईपीसी/ओ एंड एम ठेकेदार के परियोजना-विशिष्ट एसएमएस में दिया जाएगा, और उनके आपातकालीन संपर्क विवरण साइट पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि साइट कर्मियों और आसपास के समुदाय को इसकी जानकारी हो।

ठेकेदार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका एच एंड एस अधिकारी निर्माण गतिविधियों के दौरान हर समय परियोजना स्थल पर उपस्थित रहे, सिवाय उन परिस्थितियों के जब अनुबंध के दायरे को पूरा करने के लिए आवश्यक हो (जैसे बैठकों में भाग लेना या सामाजिक मुद्दों को संबोधित करना, और जैसा कि दैनिक रिपोर्ट में दर्ज किया गया हो)।

जहाँ ठेकेदार ने कार्य के कुछ हिस्सों को पूरा करने के लिए उप-ठेकेदारों को नियुक्त किया है, वहाँ ठेकेदार यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि उप-ठेकेदार एचएसएसई आवश्यकताओं का पालन करें।

प्रत्येक परियोजना/चरण के लिए स्टाफिंग, भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ अनुबंध और ईएसएमपी में विस्तार से वर्णित की जाएँगी।

4.4. क्षमता, प्रशिक्षण और जागरूकता

4.4.1 क्षमता और प्रशिक्षण

प्रशिक्षण का उद्देश्य उपयुक्त ज्ञान, कौशल और व्यवहार का विकास करना है, जिससे व्यक्ति अपनी भूमिकाओं में सक्षम बन सकें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें और कार्यस्थल पर आवश्यक गतिविधियों को प्रभावी रूप से निभा सकें। इस प्रकार, प्रशिक्षण व्यवसाय के लिए जोखिम शमन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रशिक्षण निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है:

- प्रशिक्षण कर्मचारियों और ठेकेदारों दोनों को उनकी भूमिका, जोखिम और जिम्मेदारियों के आधार पर प्रदान किया जाता है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण में उपस्थिति सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि क्षमता और गुणवत्ता वाले परिणाम सुनिश्चित करना है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागियों की आवश्यकताओं पर केंद्रित होता है और विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग-अलग शिक्षण विधियों का उपयोग करता है।
- प्रशिक्षण एक सतत और पुनरावृत्त प्रक्रिया है।

अकैया ग्रीन फ्यूल्स के कर्मचारी एसएमएस की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए आवश्यक क्षमता रखते होंगे और एसएमएस को लागू करने के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों हेतु एचएसएसई प्रबंधन पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किया जाएगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कम से कम निम्नलिखित विषयों को शामिल करेगा:

- अंतरराष्ट्रीय मानक, आईएफसी प्रदर्शन मानक (आईएफसी पीएस), विश्व बैंक ईएचएस दिशानिर्देश, और आईएलओ के मुख्य श्रम मानक।
- अकैया ग्रीन फ्यूल्स का एसएमएस प्रक्रिया, जिसमें भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ तथा एचएसएसई प्रबंधन प्रक्रिया के चरण शामिल हैं; और
- अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजनाओं से संबंधित सामान्यतः अपेक्षित एचएसएसई जोखिम और प्रभाव।

अकैया ग्रीन फ्यूल्स अपने कर्मचारियों के लिए पर्यावरणीय, सामाजिक, श्रम या सांस्कृतिक पहलुओं से संबंधित जोखिमों, प्रभावों, प्रबंधन या सर्वोत्तम प्रथाओं पर विशिष्ट और पूरक तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता का निर्धारण करेगा। पूरक प्रशिक्षण की आवृत्ति क्षमताओं और आवश्यकताओं के आधार पर तय की जाएगी।

अकैया ग्रीन फ्यूल्स का निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि अकैया ग्रीन फ्यूल्स की गतिविधियों के लिए पर्याप्त वित्त और संसाधन उपलब्ध हों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम को अनुमोदित करेगा।
अकैया ग्रीन फ्यूल्स निवेशकों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगा कि एचएसएसई जोखिमों, प्रभावों और प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट और प्रासंगिक प्रशिक्षण आवश्यकतानुसार संबंधित भागीदारों और ठेकेदारों को प्रदान किया जाए, ताकि परियोजना का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित हो सके। ठेकेदारों और/या परियोजना स्तर पर प्रशिक्षण या क्षमता में किसी भी महत्वपूर्ण कमी की पहचान परियोजना के कार्यान्वयन से पहले की जाएगी और आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयन के दौरान उसका समाधान किया जाएगा।

4.4.2 प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन

सभी परियोजना कर्मियों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण के प्रकार और आवृत्ति की पहचान करने हेतु संबंधित अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह कंपनी (जिसमें परियोजना कंपनियाँ शामिल हैं) तथा ईपीसी/ओ एंड एम ठेकेदारों द्वारा कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा। यही आवश्यकता सभी उप-ठेकेदारों पर भी लागू होगी। सभी नए परियोजना कर्मियों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन किया जाएगा। इसमें जोखिमों और जिम्मेदारियों को शामिल किया जाना चाहिए, साथ ही उपयुक्त अभिविन्यास (इंडक्शन) और कौशल विकास को भी संबोधित किया जाना चाहिए।

उच्च जोखिम वाले समूहों की पहचान की जानी चाहिए, जैसे वे कर्मचारी जो सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाते हैं, जिन्हें अतिरिक्त और त्वरित शमन उपायों की आवश्यकता होती है, जैसे अतिरिक्त पर्यवेक्षण, कोचिंग और प्रशिक्षण योजना के साथ, ताकि क्षमता संबंधी कमियों को दूर किया जा सके। प्रशिक्षण आवश्यकताओं को प्रशिक्षण योजना के रूप में दस्तावेजीकृत किया जाना चाहिए। इन योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए, तथा आवश्यकता होने पर जोखिम आकलन, ऑडिट से उत्पन्न सुधारात्मक कार्यवाहियों या किसी दुर्घटना या घटना के मूल कारण की जांच के बाद उन्हें अद्यतन किया जाना चाहिए।

4.4.3 प्रशिक्षण प्रदान करना

प्रशिक्षण प्रदान करना सीखने की प्रभावशीलता और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन के परिणामों के आधार पर विकसित और लागू किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण आंतरिक रूप से और/या बाहरी प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से दिया जा सकता है, हालांकि न्यूनतम रूप से निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाना चाहिए:

- प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों की विशेषताओं पर विचार करना, जिसमें भाषा और साक्षरता क्षमता शामिल है।
- आवश्यक क्षमताओं के आधार पर प्रशिक्षण के उद्देश्यों (लक्ष्य, उद्देश्य और अभिप्राय) को निर्धारित करना।
- आवश्यक क्षमताओं के लिए सबसे उपयुक्त (और विविध) प्रशिक्षण विधियों का उपयोग करना।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षक या संचालक प्रशिक्षण देने के लिए अनुभवी और/या योग्य हों। बाहरी प्रशिक्षकों के लिए आवश्यक जाँच की जानी चाहिए, जैसे संबंधित प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों और संदर्भों की प्रतियाँ प्राप्त करना।
- जहाँ आंतरिक कर्मचारियों द्वारा आंतरिक पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं, वहाँ 'ट्रेन द ट्रेनर' कार्यक्रम प्रदान किए जाने चाहिए, ताकि प्रशिक्षकों को परियोजना की आंतरिक आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त हो सके।
- महत्वपूर्ण जोखिमों से संबंधित प्रशिक्षण सभी कर्मचारियों और ठेकेदारों के लिए नियमित रूप से दोहराया जाना चाहिए।

4.4.4 प्रशिक्षण डिज़ाइन और सामग्री

प्रभावी प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण सत्रों की योजना बनाने में पर्याप्त समय देना चाहिए, ताकि सीखने के उद्देश्यों को स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य बनाया जा सके, तथा प्रशिक्षण को प्रतिभागियों और वातावरण के अनुरूप उचित स्तर, गति और शैली में प्रस्तुत किया जा सके। प्रशिक्षण के दौरान निम्नलिखित तत्वों पर विचार किया जाना चाहिए:

- प्रतिभागियों का पूर्व ज्ञान।
- सीखने के उद्देश्य।
- प्रशिक्षण विधि/विधियों की उपयुक्तता।
- प्रशिक्षण विधियों की विविधता।
- संचार की शैली, जिसमें मौखिक और अमौखिक दोनों शामिल हैं।
- सांस्कृतिक समझ।
- ऊर्जा स्तर और प्रतिभागियों के साथ सहभागिता।
- प्रशिक्षक की क्षमता का सत्यापन।
- प्रश्नों और गलतफहमियों का समाधान करने की क्षमता।

प्रशिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री उस भाषा में प्रदान की जाएगी जो प्रतिभागियों के लिए समझने योग्य हो (अर्थात सामान्यतः अंग्रेज़ी, हिंदी या क्षेत्रीय भाषा), हालांकि प्रत्येक प्रशिक्षण के लिए इसका अलग से मूल्यांकन किया जाएगा।

4.4.5 एचएसएसई जागरूकता

अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह की एचएसएसई प्रतिबद्धताओं और इस एसएमएस की आवश्यकताओं को अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह के सभी कर्मचारियों के साथ-साथ तृतीय पक्षों (ठेकेदारों, उप-ठेकेदारों और सेवा प्रदाताओं) को संप्रेषित किया जाएगा, और परियोजना स्थलों पर कार्यरत सभी कर्मचारियों को इस एसएमएस की आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य होगा।

तृतीय पक्ष अपने कर्मचारियों को भी यही जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे, और अपने प्रबंधन प्रणालियों में कर्मचारियों की जागरूकता, सहभागिता और प्रशिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को शामिल करेंगे। एसएमएस के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रभावी प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, और ठेकेदारों को कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान कर सभी श्रमिकों को उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। प्रशिक्षण अभिलेख अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह की कंपनियों तथा ठेकेदारों दोनों द्वारा संधारित किए जाएंगे।

अकैया ग्रीन फ्यूल्स यह सुनिश्चित करेगा कि एचएसएसई प्रक्रियाएँ उस भाषा में उपलब्ध कराई जाएँ जो अकैया ग्रीन फ्यूल्स के कर्मचारियों, ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों के लिए समझने योग्य हो (अर्थात सामान्यतः अंग्रेज़ी, हिंदी या क्षेत्रीय भाषा), हालांकि प्रत्येक कार्य क्षेत्र और परियोजना स्थान के अनुसार इसका अलग से मूल्यांकन किया जाएगा।

5. हितधारक सहभागिता और संचार के लिए व्यवस्थाएँ

5.1. अकैया ग्रीन फ्यूल्स के प्रमुख हितधारक

अकैया ग्रीन फ्यूल्स के प्रमुख हितधारक वे हैं जिनके लिए अकैया ग्रीन फ्यूल्स से संबंधित गतिविधियाँ और उनके प्रभाव महत्वपूर्ण होते हैं। अकैया ग्रीन फ्यूल्स के प्रमुख हितधारकों का सारांश नीचे दिया गया है।[1]

हितधारक	विवरण
निवेशक (जैसे सीएफएम और प्रायोजक)	वित्तीय संस्थान और इक्विटी भागीदार, जो अकैया ग्रीन फ्यूल्स/परियोजना में निवेश करते हैं और पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ईएसजी) प्रदर्शन तथा अनुपालन की निगरानी करते हैं।
ऋणदाता और वर्तमान ऋणदाता	वाणिज्यिक बैंक और निवेशक, जो परियोजना के विकास, कार्यान्वयन के लिए ऋण वित्त, गारंटी या अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं तथा वित्तीय शर्तों के अनुपालन की निगरानी करते हैं।
खरीदार (ग्राहक)	तेल विपणन कंपनियाँ (सीएसओएस)
प्रभावित समुदाय	वे समुदाय जो परियोजना क्षेत्र और उसके आसपास रहते हैं और जो परियोजना के विकास, निर्माण और संचालन से सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं।
राष्ट्रीय एजेंसियाँ और सरकार	नवीकरणीय ऊर्जा नीति, पर्यावरणीय विनियमन, ग्रिड विनियमों और वैधानिक स्वीकृतियों के लिए जिम्मेदार केंद्रीय सरकारी मंत्रालय और प्राधिकरण। इनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), विद्युत मंत्रालय (एमओपी); केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई); केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी); पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) (जहाँ लागू हो), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) (जहाँ लागू हो), ग्रिड इंडिया/एनएलडीसी (ग्रिड कनेक्टिविटी और शेड्यूलिंग के लिए)।
राज्य एजेंसियाँ और सरकार	राज्य स्तर के विभाग और एजेंसियाँ जो परियोजना स्वीकृतियों, भूमि, पर्यावरण, ऊर्जा विनियमन और परियोजना राज्य के भीतर ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: राज्य ऊर्जा विभाग; राज्य नवीकरणीय/नोडल एजेंसी (जैसे यूपीनेडा, आरआरईसीएल, जीईडीए आदि); राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी), राज्य डिस्कॉम (विद्युत खरीदार और कनेक्टिविटी), राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी (एसटीयू); राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) (जहाँ आवश्यक हो), उद्योग विभाग, राज्य लोड डिस्पैच केंद्र (एसएलडीसी)।
जिला एजेंसियाँ और सरकार	जिला स्तर के प्रशासनिक प्राधिकरण जो स्थानीय अनुमतियों, भूमि अभिलेखों, निर्माण सहयोग तथा स्थानीय जन प्रतिनिधि समिति, अवसंरचना और सेवाओं के साथ समन्वय के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम), तहसीलदार/राजस्व विभाग (भूमि और रूपांतरण), जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी), कार्यपालक अभियंता-डिस्कॉम (स्थानीय कनेक्टिविटी), जिला वन कार्यालय (जहाँ लागू हो), जिला प्रदूषण कार्यालय (जहाँ लागू हो)।
स्थानीय एजेंसियाँ और सरकार	स्थानीय शासन निकाय जैसे ग्राम पंचायत, नगर निकाय, पुलिस स्टेशन और सिंचाई विभाग, जो स्थानीय समन्वय, सामुदायिक सहभागिता, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और शिकायत निवारण में शामिल होते हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं: ग्राम पंचायत/गाँव पंचायत, ब्लॉक विकास कार्यालय (बी.डी.ओ), स्थानीय विद्युत उपकेंद्र कार्यालय; स्थानीय राजस्व अधिकारी (पटवारी/लेखपाल), नगर निकाय/नगर पंचायत (यदि परियोजना शहरी क्षेत्र के पास हो)।
निजी क्षेत्र की संस्थाएँ	उद्योग संघ, ट्रांसमिशन यूटिलिटी, डिस्कॉम, ईपीसी कंपनियाँ तथा अन्य निजी क्षेत्र के हितधारक जो परियोजना विकास, विद्युत निकासी और संचालन में संलग्न होते हैं।
गैर-सरकारी संगठन (एनजीओएस)/ नागरिक समाज संगठन (सीएसओएस)	स्थानीय या राष्ट्रीय संगठन, जो पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक कल्याण, स्थिरता और सामाजिक विकास से संबंधित होते हैं तथा अकैया ग्रीन फ्यूल्स द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की गतिविधियों में रुचि रखते हैं या उनसे संबंधित होते हैं।
मीडिया	स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया, जो अकैया ग्रीन फ्यूल्स की परियोजना गतिविधियों, स्थिरता पहलों और हितधारक सहभागिता पर रिपोर्ट या प्रकाशन कर सकते हैं।

[1] परियोजना-विशिष्ट हितधारकों को परियोजना के हितधारक सहभागिता योजनाओं में शामिल किया गया है।

अकैया ग्रीन फ्यूल्स कर्मचारी	प्रत्यक्ष कर्मचारी, जो परियोजना विकास, इंजीनियरिंग, निर्माण, संचालन, ईएसजी और कॉर्पोरेट कार्यों में संलग्न हैं।
अकैया ग्रीन फ्यूल्स ठेकेदार	वे संस्थाएँ जिन्हें अकैया ग्रीन फ्यूल्स और उसकी परियोजनाओं की ओर से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, जिसमें ईपीसी और ओ एंड एम ठेकेदार, तथा सीबीजी परियोजनाओं के निर्माण, स्थापना और रखरखाव के लिए नियुक्त उप-ठेकेदार शामिल हैं।
आपूर्तिकर्ता	संभावित आपूर्तिकर्ता और सेवा प्रदाता–जैसे कच्चा माल आपूर्तिकर्ता और उपकरण एवं सेवाएँ प्रदान करने वाले विक्रेता, जो परियोजना निर्माण और संचालन के लिए आवश्यक होते हैं।
सलाहकार	वे संस्थाएँ/व्यक्ति जिन्हें अकैया ग्रीन फ्यूल्स की ओर से विशिष्ट कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है–जैसे तकनीकी, पर्यावरणीय और सामाजिक आकलन एवं रिपोर्ट, विधिक और वित्तीय सलाहकार, जो परियोजना विकास, अनुपालन और संचालन में सहयोग प्रदान करते हैं।

5.2. हितधारक सहभागिता, संचार और भागीदारी

प्रभावी हितधारक सहभागिता (परामर्श और भागीदारी के माध्यम से) यह सुनिश्चित करती है कि हितधारकों को उचित रूप से शामिल किया जाए और उन्हें उन पर्यावरणीय, सामाजिक तथा अन्य प्रभावों के बारे में जानकारी दी जाए, जो उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सूचना के प्रकटीकरण और अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह तथा उसकी परियोजनाओं के साथ सार्थक संवाद के माध्यम से की जाती है। यह हितधारकों के साथ निरंतर आधार पर रचनात्मक संबंध बनाए रखने में सहायक होती है। हितधारक सहभागिता के लिए संसाधनों और निवेश की आवश्यकता होती है; हालांकि, इसे सफलतापूर्वक लागू करने पर यह वित्तीय और प्रतिष्ठात्मक जोखिम को कम करती है, संचालन में होने वाली देरी को घटाती है, संचालन मूल्य को बढ़ाती है और समुदायों के लिए सामाजिक लाभों को सुदृढ़ करती है।

बाहरी संचार के लिए व्यवस्थाएँ परियोजना-विशिष्ट हितधारक सहभागिता योजनाओं (एसईपी) में वर्णित हैं। ईपीसी/ओ एंड एम ठेकेदार संबंधित अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह परियोजना को एसईपी के कार्यान्वयन में सहयोग करेंगे। परियोजना-विशिष्ट एसईपी, आईएफसी पीएस1 के अनुरूप तैयार किए जाएंगे और इनमें सभी परियोजना चरणों के दौरान बाहरी हितधारकों के साथ सहभागिता गतिविधियों का कार्यक्रम शामिल होगा। निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए आवश्यकताएँ भी इसमें सम्मिलित होंगी।

अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह की कंपनियों को अपने कर्मचारियों के साथ प्रभावी संचार और परामर्श तथा उनसे संबंधित विषयों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय अपनाने होंगे। इसमें आवश्यकतानुसार श्रमिक प्रतिनिधियों/समितियों के साथ सहभागिता भी शामिल है।

5.3. शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम)

5.3.1 कर्मचारी शिकायतें

मानव संसाधन पुस्तिका में एक श्रमिक शिकायत निवारण तंत्र शामिल है, जिसका पालन अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह की कंपनियों द्वारा श्रमिकों से प्राप्त शिकायतों के प्रबंधन, निपटान, प्रतिक्रिया और आवश्यकतानुसार आगे बढ़ाने (एस्केलेशन) के लिए किया जाएगा। सभी ठेकेदारों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपने एसएमएस के हिस्से के रूप में इस जीआरएम को अपनाएँ।

5.3.2 बाहरी हितधारक

अकैया ग्रीन फ्यूल्स अपने बाहरी हितधारकों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप सक्रिय रूप से हितधारक सहभागिता करने का प्रयास करता है। अकैया ग्रीन फ्यूल्स यह मानता है कि समय-समय पर हितधारकों के पास उसकी गतिविधियों के संबंध में टिप्पणियाँ, प्रश्न या चिंताएँ हो सकती हैं। अकैया ग्रीन फ्यूल्स बाहरी शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) को अपनी वेबसाइट पर तथा प्रत्येक परियोजना स्थल पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा। इसके अतिरिक्त, इसे प्रत्येक परियोजना स्थल के आसपास के समुदायों तक भी संप्रेषित किया जाएगा।

बाहरी शिकायत निवारण तंत्र का विवरण परिशिष्ट D में दिया गया है। यह तंत्र बाहरी हितधारकों (अनुभाग 6.1 देखें) के उपयोग के लिए है, ताकि वे प्रतिक्रिया, शिकायतें और अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकें, जिनमें जीबीवीएच और एसईएएच जैसे मुद्दों से संबंधित शिकायतें भी शामिल हैं। अकैया ग्रीन फ्यूल्स एक निष्पक्ष, पारदर्शी और रचनात्मक प्रक्रिया प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो पीड़ित-केंद्रित और लैंगिक रूप से संवेदनशील हो। यह तंत्र औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की टिप्पणियों, प्रश्नों या शिकायतों का समाधान करने के लिए बनाया गया है, ताकि वे गंभीर शिकायतों में परिवर्तित न हों।

यह बाहरी शिकायत निवारण तंत्र स्थानीय समुदायों या अन्य हितधारकों से प्राप्त शिकायतों या अभ्यावेदन के प्रबंधन के लिए तैयार किया गया है, जो अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजनाओं से प्रभावित हो सकते हैं। अकैया ग्रीन फ्यूल्स यह सुनिश्चित करता है कि उसकी सभी परियोजनाएँ अलग-अलग, स्थानीय शिकायत निवारण तंत्र लागू करें, जो परियोजना से प्रभावित समुदायों और अन्य स्थानीय हितधारकों के उपयोग के लिए हों। प्रत्येक परियोजना की एसईपी में एक परियोजना-विशिष्ट जीआरएम शामिल होगा, जिसका पालन अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजनाओं द्वारा किया जाएगा, ताकि (i) हितधारकों, जिसमें प्रभावित समुदाय भी शामिल है, से प्राप्त शिकायतों को प्राप्त और पंजीकृत किया जा सके; (ii) उठाए गए मुद्दों की जाँच और मूल्यांकन किया जा सके तथा उनके समाधान का निर्धारण किया जा सके; (iii) प्रतिक्रिया प्रदान की जा सके, उसका ट्रैक रखा जा सके और उसका दस्तावेजीकरण किया जा सके; तथा (iv) आवश्यकता अनुसार जीआरएम में सुधार किया जा सके।

परियोजना स्तर पर प्राप्त किसी भी शिकायत पर अकैया ग्रीन फ्यूल्स के साथ साप्ताहिक बैठकों में चर्चा की जाएगी, तथा नियमित बैठकों में ईएसजी उपसमिति और निदेशक मंडल के साथ भी इस पर विचार किया जाएगा।

6. एचएसएसई आवश्यकताएँ और नीति

6.1. एचएसएसई प्रतिबद्धताएँ

6.1.1 एचएसएसई नीति

अकैया ग्रीन फ्यूल्स ने एक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक और पर्यावरणीय नीति ("एचएसएसई नीति") तैयार की है, जो उसकी गतिविधियों और परियोजनाओं से संबंधित पर्यावरणीय, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक पहलुओं के प्रबंधन के लिए समग्र प्रतिबद्धताओं का वर्णन करती है। यह इन प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए लागू व्यवस्थाओं का भी विवरण देती है। अकैया ग्रीन फ्यूल्स की एचएसएसई नीति सभी अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह कंपनियों और परियोजना गतिविधियों पर लागू होती है, जिसमें वे गतिविधियाँ भी शामिल हैं जो तृतीय पक्षों (जैसे ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं आदि) द्वारा की जाती हैं। एचएसएसई नीति के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सीईओ के पास है।

एचएसएसई नीति की प्रत्येक बारह महीनों में समीक्षा की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह अकैया ग्रीन फ्यूल्स की गतिविधियों के अनुरूप अद्यतन और प्रासंगिक बनी रहे। इसे प्रशिक्षण प्रदान करने और ठेकेदारों के निविदा आमंत्रण (आईटीटी) तथा प्रारंभिक दस्तावेज़ों में शामिल करने के माध्यम से अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह के सभी कर्मियों और उसकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्तियों तक संप्रेषित किया जाता है। एचएसएसई नीति की प्रतियाँ अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह के कार्यालयों और परियोजना स्थलों पर प्रदर्शित की जाती हैं।

निम्नलिखित नीति प्रतिबद्धताएँ परियोजना के दौरान लागू की जाएँगी। इन प्रतिबद्धताओं का पालन करना अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह और ठेकेदारों की जिम्मेदारी है। यह नीति अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह के सभी परियोजना कर्मचारियों को संप्रेषित की जाएगी।

अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह निम्नलिखित के प्रति प्रतिबद्ध है:

a) ऐसी शासन और प्रबंधन व्यवस्थाएँ अपनाना, जिससे अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह और परियोजना गतिविधियों का प्रबंधन उपयुक्त, उत्तरदायी और पारदर्शी तरीके से किया जा सके।
b) इस नीति के कार्यान्वयन के लिए नेतृत्व, पर्यवेक्षण और संसाधन प्रदान करना, तथा अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह और परियोजनाओं दोनों के लिए पर्याप्त स्टाफ और संसाधनों का आवंटन करना, ताकि सभी एचएसएसई आवश्यकताओं का प्रभावी प्रबंधन और कार्यान्वयन किया जा सके।
c) cअकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह के लिए या उसकी ओर से कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों के श्रम और कार्य स्थितियों की सुरक्षा करना, जो अच्छी अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रथाओं (जीआईआईपी) के अनुरूप हो, तथा गतिविधियों और ठेकेदार प्रबंधन में एचएसएसई आवश्यकताओं को एकीकृत करके अपने कर्मचारियों और ठेकेदारों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करना।
d) स्थानीय समुदायों पर अपनी गतिविधियों के प्रभावों से बचना और जहाँ संभव हो उन्हें न्यूनतम करना तथा उनका शमन करना, और जीआईआईपी के अनुरूप परियोजना से प्रभावित समुदायों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षा की रक्षा करना।
e) पर्यावरण पर अपनी गतिविधियों के प्रभावों से बचना तथा जहाँ संभव हो उन्हें न्यूनतम करना और उनका शमन करना (जिसमें भूमि उपयोग, जैव विविधता, जल, अपशिष्ट, शोर और संसाधनों की खपत शामिल है, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है)।
f) परियोजना जीवनचक्र के दौरान ऊर्जा, जल और सामग्री के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना तथा खतरनाक पदार्थों, अपशिष्ट और उपयोग-समाप्त उपकरणों का जिम्मेदारीपूर्वक प्रबंधन सुनिश्चित करना।
g) जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को कम करने, वायुमंडल में उत्सर्जन को नियंत्रित करने तथा ऊर्जा संरक्षण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन में अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह के योगदान का प्रबंधन करना।
h) सभी व्यक्तियों के मानवाधिकारों का हर समय सम्मान करना, जिसमें परियोजना के लिए या उसकी ओर से कार्य करने वाले सभी लोग तथा परियोजना से प्रभावित होने वाले व्यक्ति, जिनमें स्थानीय समुदाय के सदस्य शामिल हैं।

i) अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह और सभी परियोजना गतिविधियों में लैंगिक समानता को मुख्यधारा में शामिल करना।

j) परियोजनाओं के माध्यम से सकारात्मक पर्यावरणीय और सामाजिक लाभों को अधिकतम करना।

k) निरंतर सुधार के उद्देश्य से एचएसएसई प्रदर्शन की निगरानी और रिपोर्टिंग करना, तथा ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना जहाँ घटनाओं, निकट चूकों और असुरक्षित परिस्थितियों की रिपोर्ट बिना किसी भय के की जा सके।

l) अपने भागीदारों और हितधारकों को सटीक और समय पर परियोजना संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह सभी लागू कानूनों और एचएसएसई आवश्यकताओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें जीआईआईपी और एचएसएसई प्रबंधन से संबंधित मानक शामिल हैं, जैसे कि (परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं) पर्यावरणीय और सामाजिक स्थिरता पर अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) के प्रदर्शन मानक (पी.एस.) 2012 तथा व्यवसाय और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांत ("यूएनजीपी")।

इन एचएसएसई नीति प्रतिबद्धताओं का:

- अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह के लिए या उसकी ओर से कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा हर समय पालन किया जाएगा।
- अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह के लिए या उसकी ओर से कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को संप्रेषण किया जाएगा।
- संबंधित हितधारकों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता अनुसार अद्यतन किया जाएगा।

6.1.2 मानव संसाधन पुस्तिका नीति

मानव संसाधन पुस्तिका में अकैया ग्रीन फ्यूल्स और उसकी परियोजनाओं के लिए श्रम और कार्य स्थितियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत शामिल हैं। इसमें समान अवसर प्रदान करने और लैंगिक आधारित हिंसा एवं उत्पीड़न (जीबीवीएच) की रोकथाम से संबंधित आवश्यकताएँ भी शामिल हैं।

6.1.3 भूमि नीति

यह नीति भूमि अधिग्रहण के लिए एक रूपरेखा स्थापित करती है, जिसमें स्पष्ट दिशानिर्देश दिए गए हैं कि किन प्रक्रियाओं और मानकों का पालन किया जाना चाहिए, ताकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो तथा भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास पर आईएफसी प्रदर्शन मानक 5 (पीएस5) के अनुरूप हो।

6.1.4 सतत खरीद नीति

सतत खरीद नीति यह निर्धारित करती है कि अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह अपनी सभी खरीद और आपूर्ति संबंधी निर्णयों में पर्यावरणीय, सामाजिक, मानवाधिकार और शासन से संबंधित पहलुओं को लागत, गुणवत्ता और विश्वसनीयता के साथ किस प्रकार एकीकृत करता है।

यह नीति व्यवसाय और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों (यूएनजीपीएस) के अनुरूप है और परियोजना की निम्नलिखित प्रतिबद्धताओं को दर्शाती है:

- अपने मूल्य श्रृंखला में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों का सम्मान करना,
- खरीद गतिविधियों के माध्यम से प्रतिकूल मानवाधिकार प्रभावों को उत्पन्न करने या उसमें योगदान देने से बचना,
- परियोजना के संचालन, उत्पादों या सेवाओं से सीधे जुड़े मानवाधिकार प्रभावों को, जो व्यावसायिक संबंधों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, रोकने या कम करने का प्रयास करना, भले ही परियोजना ने उन प्रभावों में प्रत्यक्ष योगदान न दिया हो।

यह नीति अकैया ग्रीन फ्यूल्स द्वारा वित्तपोषित सभी खरीद गतिविधियों, ईपीसी ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं, संग्राहकों और लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं, तथा प्रमुख सेवा प्रदाताओं (जैसे प्लांटेशन सेवाएँ, परिवहन, अपशिष्ट प्रबंधन, सुरक्षा आदि) पर लागू होती है।

6.2. एचएसएसई आवश्यकताएँ

6.2.1 कानूनी आवश्यकताएँ

अकैया ग्रीन फ्यूल्स की परियोजनाएँ एचएसएसई प्रबंधन से संबंधित विभिन्न कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अधीन होती हैं। इन आवश्यकताओं को कानून द्वारा लागू किया जाता है और ये विधायिका, परमिट, लाइसेंस, अनुबंधों तथा निर्धारित मानकों के माध्यम से स्थापित होती हैं। नियामक आवश्यकताओं में वे प्रावधान शामिल होते हैं जो अधिनियमों, नियमों या मानकों/दिशानिर्देशों में निहित होते हैं, जिन्हें कानून के अंतर्गत नियामक दर्जा प्राप्त होता है, और जो स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू हो सकते हैं।

अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजनाओं से संबंधित सभी कानूनी और अन्य आवश्यकताओं को एक अनुपालन रजिस्टर में शामिल किया जाता है, जिसमें विकास, निर्माण और संचालन चरणों के दौरान आवश्यक सभी परमिट, लाइसेंस और शर्तों की जानकारी भी शामिल होती है।

अकैया ग्रीन फ्यूल्स यह सुनिश्चित करेगा कि सभी परमिट और लाइसेंस निरंतर रूप से वैध रहें/नवीनीकृत किए जाएँ, तथा सभी परमिट/लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन किया जाए, जिसमें उनकी समीक्षा और नवीनीकरण से संबंधित आवश्यकताएँ भी शामिल हैं।

एचएसएसई के लिए लागू कानूनों का सारांश नीचे प्रस्तुत है:

- सरकारी संकल्प संख्या मिस्क. - 03/2015/सी.एन.34/ए-2 दिनांक 12 मई 2015 तथा 30 सितंबर 2015। निजी बातचीत के माध्यम से प्रत्यक्ष खरीद के लिए।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा समय-समय पर संशोधित
- जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, संशोधित रूप में
- वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, संशोधित रूप में
- शोर (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 तथा 2010 तक के संशोधनों सहित
- अपशिष्ट प्रबंधन नियम
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, संशोधित (निर्माण एवं पैकेजिंग अपशिष्ट सहित)
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, संशोधित
- खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा-पार संचलन) नियम, 2016, संशोधित
- निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
- बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022
- ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016, संशोधित 2022
- खतरनाक रसायनों के निर्माण, भंडारण और आयात (एमएसआईएचसी) नियम, 1989, संशोधित
- कारखाना अधिनियम, 1948 तथा महाराष्ट्र कारखाना नियम, 1963, संशोधित
- ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा केंद्रीय नियम 1975
- अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979
- बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
- बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976
- न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
- भारतीय मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017
- कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबंध अधिनियम, 1952
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013; और
- निजी सुरक्षा एजेंसियाँ (विनियमन) अधिनियम, 2005

- भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996; तथा बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के अंतर्गत सेस का भुगतान।
- श्रम संहिताएँ (नए समेकित कानून) - वेतन संहिता, 2019; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियाँ संहिता, 2020; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
- विद्युत अधिनियम, 2003, संशोधित रूप में
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010, संशोधित
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड से संयोजन हेतु तकनीकी मानक) विनियम
- ग्रिड कोड विनियम (राज्य/केंद्र, जैसा लागू हो)
- केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) विनियम / राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) विनियम
- सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, संशोधित
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, संशोधित
- भारतीय तार अधिनियम, 1885 (प्रेषण लाइनों के लिए)
- निष्पक्ष मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन)

जहाँ लागू राष्ट्रीय/स्थानीय कानूनों और विनियमों, लागू निवेशक आवश्यकताओं और अच्छी अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रथाओं के बीच अंतर होता है, वहाँ अधिक कठोर मानकों को लागू किया जाएगा।

अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह से संबंधित सभी कानूनी और अन्य आवश्यकताओं को एक रजिस्टर में शामिल किया गया है, जिसमें सभी आवश्यक परमिट, लाइसेंस और शर्तों की जानकारी भी दी गई है।

भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) का विनियमन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत किया जाता है और इसे संशोधित ईआईए अधिसूचना, 2006 के माध्यम से लागू किया जाता है। यह अधिसूचना अपने अनुसूची में सूचीबद्ध परियोजनाओं के लिए, क्षेत्र और क्षमता की सीमा के आधार पर, पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) अनिवार्य करती है, और स्वीकृति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) या संबंधित राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा प्रदान की जाती है।

स्वतंत्र सीबीजी परियोजनाएँ ईआईए अधिसूचना, 2006 की अनुसूची में शामिल नहीं हैं, और इसलिए सामान्य परिस्थितियों में इनके लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। हालांकि, ईआईए से संबंधित वैधानिक अनुमोदन तब लागू हो सकते हैं जब परियोजना में वन भूमि का उपयोग परिवर्तन शामिल हो, संरक्षित क्षेत्रों या पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों के भीतर या उनके निकट स्थित हो, तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) में आती हो, या संबंधित अवसंरचना (जैसे बड़े ट्रांसमिशन सिस्टम) स्वतंत्र रूप से अधिसूचित श्रेणी के अंतर्गत आती हो। इसलिए, यद्यपि सामान्यतः सीबीजी परियोजनाएँ EIA आवश्यकताओं को ट्रिगर नहीं करती हैं, फिर भी स्थल-विशिष्ट पर्यावरणीय और भूमि उपयोग स्वीकृतियों का आकलन प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

6.2.2 अन्य आवश्यकताएँ

अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजनाओं को एचएसएसई प्रबंधन से संबंधित "अन्य" एचएसएसई आवश्यकताओं का भी अनुपालन करना आवश्यक है। अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजनाओं के लिए अनुपालन हेतु आवश्यक एचएसएसई आवश्यकताओं में शामिल हैं:

- अकैया ग्रीन फ्यूल्स और सीएफएम की नीतियाँ, मानक और दिशानिर्देश।
- आईएफसी प्रदर्शन मानक।
- विश्व बैंक समूह के ईएचएस दिशानिर्देश।
- आईएफसी श्रमिक आवास: प्रक्रियाएँ और मानक।
- मेजबान देश पर लागू संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधियाँ, जिनमें आदिवासी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध तथा आईएलओ के मूल सम्मेलन, और मेजबान देश द्वारा अनुमोदित सभी अन्य आईएलओ सम्मेलन शामिल हैं।
- अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक (जिसमें संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध तथा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध शामिल हैं)।

- व्यवसाय और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांत ("यूएनजीपी")।
- निवेशकों और सीएफएम के साथ सहमति किए गए संविदात्मक दायित्व।
- अन्य बाहरी हितधारकों के साथ किए गए समझौते, जैसे समुदाय समूह और गैर-सरकारी संगठन।
- सरकारी प्राधिकरणों के साथ किए गए समझौते।
- स्वैच्छिक सिद्धांत, मानक और आचार संहिता।
- उद्योग-विशिष्ट तकनीकी मानक और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएँ।
- ईयू टैक्सोनॉमी (सीएफएम की आवश्यकताओं के अनुरूप रहने के लिए)।
- प्रत्येक परियोजना के लिए विशिष्ट पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) और परियोजना पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन योजना (ईएसएमपी), तथा अन्य संबंधित परियोजना प्रबंधन योजनाएँ।

6.3. निवेश बहिष्करण सूची

अकैया ग्रीन फ्यूल्स उन परियोजनाओं को वित्तपोषण प्रदान नहीं करेगा जिनकी गतिविधियों में प्राकृतिक पर्यावरण का जानबूझकर क्षरण शामिल हो, या ऐसे किसी उत्पाद या गतिविधि का उत्पादन या व्यापार शामिल हो जो मेजबान देश के कानूनों या विनियमों, अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों के अंतर्गत अवैध हो, या जिन पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लागू हों। इसलिए, अकैया ग्रीन फ्यूल्स किसी भी ऐसे क्षेत्र या सेवा का समर्थन नहीं करेगा जो संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और/या उसके वित्तपोषकों द्वारा किसी विशेष देश में प्रतिबंधित हो।

अकैया ग्रीन फ्यूल्स बहिष्करण सूची **(परिशिष्ट क)** उन गतिविधियों की विस्तृत सूची प्रदान करती है जो वित्तपोषण के लिए पात्र नहीं हैं या ऊर्जा आपूर्ति (अर्थात ऑफ-टेकर) के माध्यम से समर्थन योग्य नहीं हैं।

अकैया ग्रीन फ्यूल्स द्वारा वित्तपोषण के लिए विचाराधीन नई परियोजनाओं के लिए, इस बहिष्करण सूची के विरुद्ध स्क्रीनिंग परियोजना आवेदन के प्रारंभिक चरणों में की जाएगी। अकैया ग्रीन फ्यूल्स द्वारा वित्तपोषित सभी मौजूदा परियोजनाओं और ऑफ-टेकरों का भी निगरानी के दौरान समय-समय पर इस बहिष्करण सूची के आधार पर आकलन किया जाएगा।

7. योजना

7.1. परियोजना जीवनचक्र और परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया में HSSE प्रबंधन

7.1.1 प्रक्रिया

एचएसएसई प्रभावों, जोखिमों और अवसरों की पहचान, मूल्यांकन और उन्हें परियोजना प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में शामिल किया जाता है, जो स्थल चयन से शुरू होकर निष्क्रियकरण/निर्गमन चरण तक चलता है। जैसा कि चित्र 7.1 में दर्शाया गया है, उचित परिश्रम/विकास के साथ आगे बढ़ने से पहले अकैया ग्रीन फ्यूल्स प्रबंधन टीम की स्वीकृति आवश्यक होती है। निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए अकैया ग्रीन फ्यूल्स के निदेशक मंडल की स्वीकृति भी आवश्यक होती है।

सीआई2 फंड्स के माध्यम से किसी परियोजना को निवेश के लिए स्वीकृत करने से पहले सीएफएम की अपनी निवेश समिति द्वारा अलग से स्वीकृति की आवश्यकता हो सकती है (जैसे विकास या निर्माण वित्तपोषण के लिए)।

अकैया ग्रीन फ्यूल्स एचएसएसई जोखिमों (जिसमें पाइपलाइन और वर्तमान परियोजनाएँ शामिल हैं) पर नियमित आधार पर सीएफएम को नियमित अद्यतन प्रदान करेगा, जिसमें ईएसजी उपसमिति की बैठकों तथा विकास संचालन समिति (डीएससी), निर्माण संचालन समिति (सीएससी) और संचालन संचालन समिति (ओएससी) की बैठकों में भी शामिल होगा। ईएसजी उपसमिति की बैठकें डीएससी, सीएससी और ओएससी बैठकों के साथ एक ही समय पर या अलग से आयोजित की जा सकती हैं।

7.1.2 निवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

न्यूनतम रूप से, नई परियोजनाओं के विकास को आगे बढ़ाने की स्वीकृति हेतु निवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ में निम्नलिखित शामिल होंगे: पर्यावरणीय और सामाजिक (ई एंड एस) श्रेणीकरण; ई एंड एस स्क्रीनिंग परिणामों का सारांश; प्रमुख ई एंड एस जोखिम; अगले चरणों की योजना; ईएसजी अध्ययनों के लिए बजट; तथा सामुदायिक विकास के लिए बजट।

चित्र 7-1: परियोजना जीवनचक्र और परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया में एचएसएसई प्रबंधन

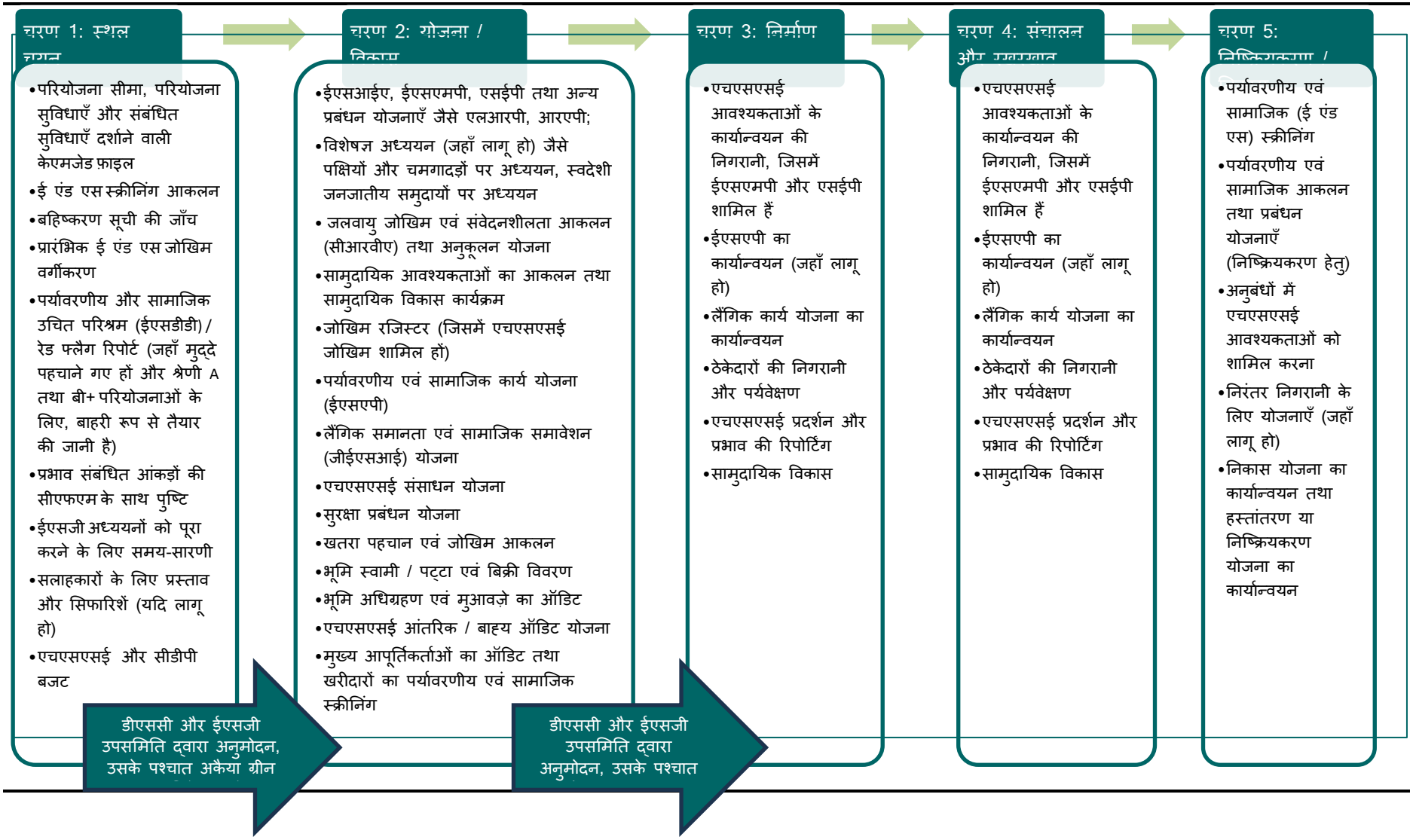

7.2. पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव और जोखिम

7.2.1 पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिम स्क्रीनिंग

अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह के लिए सभी संभावित निवेशों (परियोजनाओं) का मूल्यांकन संभावित एचएसएसई जोखिमों के आधार पर किया जाएगा और प्रत्येक परियोजना को पर्यावरणीय एवं सामाजिक (ई एंड एस) जोखिम श्रेणी प्रदान की जाएगी। कुल चार जोखिम श्रेणियाँ हैं, जो सीएफएम द्वारा उपयोग की जाने वाली श्रेणियों के अनुरूप हैं। इन्हें निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है। एक पर्यावरणीय एवं सामाजिक (ई एंड एस) स्क्रीनिंग चेकलिस्ट भी पूर्ण की जाएगी।

तालिका 7-1 ई एंड एस जोखिम श्रेणीकरण

जोखिम श्रेणी विवरण	विवरण
श्रेणी A (उच्च जोखिम) *आईएफसी ई एंड एस श्रेणी A के समकक्ष*	ऐसी व्यावसायिक गतिविधियाँ जिनमें संभावित रूप से महत्वपूर्ण प्रतिकूल पर्यावरणीय या सामाजिक जोखिम और/या प्रभाव होते हैं, जो विविध, अपरिवर्तनीय या अभूतपूर्व हो सकते हैं। इस श्रेणी में वे परियोजनाएँ शामिल हैं (परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं), जो सभी परियोजनाओं के उच्चतम जोखिम वाले सीमित समूह का हिस्सा होती हैं, जिनमें: (i) आईएफसी पीएस 6, अनुच्छेद 16-19 के अनुसार परिभाषित महत्वपूर्ण आवास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है; और/या (ii) आईएफसी पीएस 6, अनुच्छेद 13-15 के अनुसार परिभाषित प्राकृतिक आवास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है; और/या (iii) जटिल पुनर्वास (पीएस 5 का उपसमूह) शामिल हो सकता है; और/या (iv) आदिवासी समुदायों के संदर्भ में, आईएफसी पीएस 7, अनुच्छेद 13-17 के अनुसार एफपीआईसी आवश्यकताओं को सक्रिय कर सकता है; और/या (v) आईएफसी पीएस 8, अनुच्छेद 13-15 के अनुसार परिभाषित महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत पर प्रभाव पड़ सकता है; और/या (vi) सामाजिक और/या राजनीतिक संघर्ष तथा/या गंभीर सुरक्षा मुद्दों की स्थिति को दर्शाता हो, जो परियोजना के लिए महत्वपूर्ण संभावित जोखिम उत्पन्न करते हों; और/या (vii) ऐसे संभावित महत्वपूर्ण प्रतिकूल सामाजिक या पर्यावरणीय प्रभाव प्रस्तुत करता हो, जो विविध, अपरिवर्तनीय या अभूतपूर्व हों।
श्रेणी B+ (मध्यम-उच्च जोखिम) *आईएफसी ई एंड एस श्रेणी B के समकक्ष*	ऐसी परियोजनाएँ जिनमें संभावित प्रतिकूल सामाजिक या पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं, जो सामान्यतः परियोजना स्थल की सीमाओं से बाहर तक फैल सकते हैं, अधिकांशतः प्रतिवर्ती होते हैं और उचित शमन उपायों के माध्यम से संबोधित किए जा सकते हैं।
श्रेणी B (मध्यम-निम्न जोखिम) *आईएफसी ई एंड एस श्रेणी B के समकक्ष*	ऐसी परियोजनाएँ जिनमें संभावित सीमित प्रतिकूल सामाजिक या पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं, जो संख्या में कम होते हैं, सामान्यतः स्थल-विशिष्ट होते हैं, अधिकांशतः प्रतिवर्ती होते हैं और शमन उपायों के माध्यम से आसानी से संबोधित किए जा सकते हैं।
श्रेणी C (निम्न जोखिम) *आईएफसी ई एंड एस श्रेणी C के समकक्ष*	ऐसी परियोजनाएँ जिनमें न्यूनतम या कोई प्रतिकूल सामाजिक या पर्यावरणीय प्रभाव नहीं होता है।

जहाँ प्रस्तावित निवेश के पर्यावरणीय एवं सामाजिक (ई एंड एस) प्रभाव क्षेत्र को जोखिम स्क्रीनिंग के समय पर्याप्त रूप से समझा या परिभाषित नहीं किया जा सकता है, वहाँ ई एंड एस जोखिम श्रेणी का निर्धारण परियोजना के प्रकार से जुड़े अंतर्निहित ई एंड एस जोखिमों तथा नियोजित परियोजना गतिविधियों और संभावित भौगोलिक क्षेत्र की उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया जाएगा।

वे परियोजनाएँ जिनके बारे में ज्ञात है कि उनका पर्यावरणीय और/या सामाजिक संसाधनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, और जिनके संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र में स्थित होने की संभावना है जहाँ महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवधान की आशंका हो, उन्हें श्रेणी A में वर्गीकृत किया जाएगा। जहाँ उसी प्रकार की परियोजना अपेक्षाकृत कम ई एंड एस जोखिम वाले क्षेत्र में स्थापित की जानी हो, वहाँ उसे श्रेणी B+ में रखा जा सकता है, परंतु यह निर्णय परियोजना-विशिष्ट जानकारी के आधार पर लिया जाएगा। यह दृष्टिकोण आईएफसी, विश्व बैंक और अन्य विकास वित्त संस्थानों द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुरूप है।

स्क्रीनिंग और श्रेणीकरण गतिविधियों का सारांश तालिका 7-2 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 7 2 स्क्रीनिंग और श्रेणीकरण गतिविधियाँ

गतिविधि	विवरण
डेस्क-आधारित ई एंड एस स्क्रीनिंग आकलन	• परियोजना और उससे संबंधित सुविधाओं से जुड़े संभावित पर्यावरणीय एवं सामाजिक (ई एंड एस) जोखिमों का निर्धारण करने के लिए ई एंड एस स्क्रीनिंग आकलन (उपयुक्त ई एंड एस स्क्रीनिंग आकलन प्रारूप का उपयोग करते हुए) पूर्ण किया जाएगा। इस आकलन में अन्य वर्तमान या नियोजित गतिविधियों/विकासों से जुड़े ई एंड एस जोखिमों और प्रभावों (जिसमें संभावित प्रतिष्ठात्मक जोखिम भी शामिल हैं) पर भी विचार किया जाएगा, जिनका परियोजना हिस्सा हो सकती है या बाहरी हितधारक समूहों (जैसे समुदाय, गैर-सरकारी संगठन, नागरिक समाज संगठन) द्वारा परियोजना का हिस्सा माना जा सकता है, भले ही वे परियोजना से अलग हों।[2]
जलवायु परिवर्तन	• सभी प्रस्तावित परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे यूरोपीय संघ टैक्सोनॉमी विनियमन ((EU) 2020/852) के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों के रूप में पात्र हैं या नहीं।
मानवाधिकार आकलन	• एफएमओ मानवाधिकार टूलकिट का उपयोग मानवाधिकार संबंधी संदर्भगत जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाएगा, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े जोखिम भी शामिल हैं। यदि आवश्यक हो, तो इस मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर उचित परिश्रम प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त विशेषज्ञ अध्ययन की आवश्यकता हो सकती है। • अन्य सभी निवेशों के लिए, जब ई एंड एस स्क्रीनिंग आकलन जोखिम को मध्यम या उच्च दर्शाता है, तब मानवाधिकार टूलकिट का उपयोग किया जाएगा।
स्वदेशी जनजातीय समुदाय आकलन	• स्क्रीनिंग चरण में परियोजना के प्रभाव क्षेत्र में स्वदेशी जनजातीय समुदायों की उपस्थिति की पहचान की जानी चाहिए, जो परियोजना से प्रभावित हो सकते हैं। यदि ऐसे समुदायों की पहचान होती है, तो उचित परिश्रम और विकास चरण के दौरान आगे का विश्लेषण आवश्यक होगा।
भौतिक और आर्थिक पुनर्वास	• स्क्रीनिंग चरण में परियोजना स्थल पर आवासीय या अन्य निर्मित संरचनाओं की उपस्थिति, तथा/या आजीविका के लिए भूमि के वर्तमान उपयोग (जैसे कृषि) की पहचान की जानी चाहिए। ये परियोजना से जुड़े संभावित पुनर्वास प्रभावों के जोखिम के संकेत हो सकते हैं।
बाहरी कारकों की समीक्षा	• सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध जानकारी की समीक्षा की जाएगी ताकि यह जांचा जा सके कि परियोजना डेवलपर, प्रायोजक या प्रतिपक्ष से संबंधित कोई नकारात्मक सोशल मीडिया, दस्तावेज़ या अन्य जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, जो अस्वीकार्य ई एंड एस प्रबंधन प्रथाओं को दर्शाती हो और निवेशकों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकती हो या परियोजना के "सामाजिक संचालन स्वीकृति" प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर सकती हो। इसमें संघर्ष, विरोध, गंभीर घटनाएँ, न्यायालय मामले, नकारात्मक मीडिया या अन्य तृतीय पक्ष ध्यान तथा संबंधित गैर-सरकारी संगठनों के मुद्दे शामिल हो सकते हैं (परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं)। • आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े विशेष मुद्दों का भी आकलन किया जाएगा, विशेषकर मानवाधिकार से संबंधित आपूर्ति श्रृंखला जोखिमों की संभावना को समझने के लिए। यह समीक्षा डेस्क-आधारित ई एंड एस स्क्रीनिंग आकलन के भाग के रूप में की जाती है।

[2] उदाहरण के रूप में, किसी ग्रीनफील्ड स्थल पर ऐसी परियोजना का विकास शामिल हो सकता है जो नए बंदरगाह परिसर के विकास के लिए नगरपालिका मास्टर प्लान का हिस्सा हो।

गतिविधि	विवरण
बहिष्करण सूची की जाँच	• ऐसी किसी भी गतिविधि में संलिप्तता की पहचान करने के लिए समीक्षा की जाएगी, जो बहिष्करण सूची **(परिशिष्ट A)** में शामिल है।
प्रतिपक्ष की ई एंड एस जागरूकता, क्षमता और प्रतिबद्धता	• यदि कोई प्रतिपक्ष शामिल है, तो उसके साथ साक्षात्कार किया जाएगा ताकि उसकी आंतरिक ई एंड एस संसाधनों, क्षमता और अकैया ग्रीन फ्यूल्स की आवश्यकताओं के अनुसार ई एंड एस प्रबंधन करने की योग्यता की प्रारंभिक समझ प्राप्त की जा सके।

सामान्य सिद्धांत के रूप में, सभी श्रेणी A (अर्थात उच्च जोखिम) परियोजनाओं से बचा जाएगा। अकैया ग्रीन फ्यूल्स केवल उसी स्थिति में श्रेणी A परियोजना में निवेश पर विचार करेगा जब तालिका 7.4 में सूचीबद्ध शर्तें पूरी की जा सकें। यदि किसी संभावित श्रेणी A परियोजना की पहचान होती है, तो ईएसजी उपसमिति के साथ तुरंत आगे की चर्चा की जाएगी। किसी भी श्रेणी A परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए निवेशकों (सीएफएम) से अतिरिक्त स्वीकृति आवश्यक होगी।

तालिका 7.4 श्रेणी A परियोजना में निवेश पर विचार करने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तें

- स्वदेशी जनजातीय समुदायों से संबंधित निम्नलिखित में से कोई भी बहिष्करण लागू नहीं होना चाहिए:
  - (i) ऐसी स्थिति जिसमें स्वदेशी जनजातीय समुदायों का अनैच्छिक भौतिक विस्थापन (अर्थात स्थानांतरण, जिसमें आश्रय के नुकसान के कारण आवश्यक स्थानांतरण भी शामिल है), चाहे वह पूर्ण या आंशिक, स्थायी या अस्थायी हो; या स्वदेशी जनजातीय समुदायों का आर्थिक या व्यावसायिक विस्थापन (अर्थात संपत्तियों का नुकसान या संपत्तियों तक पहुँच का नुकसान, जिससे आय के स्रोत या आजीविका के साधनों का नुकसान हो) परियोजना गतिविधियों के परिणामस्वरूप हो, सिवाय उन असाधारण मामलों के जहाँ परिशिष्ट C3: स्वदेशी जनजातीय समुदायों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
  - (ii) ऐसी स्थिति जहाँ स्वदेशी जनजातीय समुदायों पर महत्वपूर्ण प्रभाव का जोखिम हो, जिसके कारण एफपीआईसी प्रक्रिया लागू हो (आईएफसी पीएस7 के अनुरूप)। एफपीआईसी आवश्यक होगा जब परियोजना के परिणामस्वरूप निम्न में से कोई भी होने की संभावना हो:
    - a) पारंपरिक स्वामित्व या प्रथागत उपयोग के अंतर्गत आने वाली भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव;
    - b) स्वदेशी जनजातीय समुदायों का पारंपरिक स्वामित्व या प्रथागत उपयोग वाली भूमि और प्राकृतिक संसाधनों से स्थानांतरण;
    - c) महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत पर गंभीर प्रभाव, जो स्वदेशी जनजातीय समुदायों की पहचान तथा उनके सांस्कृतिक, धार्मिक या आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है, जिसमें सांस्कृतिक और/या आध्यात्मिक महत्व वाले प्राकृतिक क्षेत्र जैसे पवित्र उपवन, पवित्र जल स्रोत और जलमार्ग, पवित्र वृक्ष और पवित्र शिलाएँ शामिल हैं; या
    - d) सांस्कृतिक विरासत का उपयोग, जिसमें स्वदेशी जनजातीय समुदायों के ज्ञान, नवाचार या प्रथाओं का वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग शामिल है।
  - (iii) ऐसी स्थिति जिसमें सीमित बाहरी संपर्क वाले दूरस्थ समूहों, जिन्हें "स्वैच्छिक एकांत में रहने वाले समुदाय", "एकाकी समुदाय" या "प्रारंभिक संपर्क में रहने वाले समुदाय" कहा जाता है, के साथ अवांछित संपर्क की आवश्यकता हो या ऐसा होने की संभावना हो, जिसमें उनकी भूमि, क्षेत्र या जीवन शैली पर प्रभाव शामिल हो।
- परियोजना के सकारात्मक प्रभाव, परियोजना के संभावित प्रतिकूल प्रभावों तथा "कोई-परियोजना नहीं" परिदृश्य से जुड़े प्रभावों की तुलना में अधिक होने चाहिए;
- यह स्पष्ट और ठोस प्रमाण होना चाहिए कि परियोजना उच्च विकासात्मक प्रभाव प्रदान करेगी;
- परियोजना के विकास/डिजाइन के दौरान CFM और अकैया ग्रीन फ्यूल्स की भागीदारी हो, जिससे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप परियोजना के विकास/डिजाइन को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त प्रभाव सुनिश्चित हो;
- परियोजना प्रवर्तक और/या स्थानीय परियोजना भागीदार ने आईएफसी पीएस के अनुरूप प्रभावित समुदायों से परामर्श किया हो और आवश्यक सुझाव/इनपुट प्राप्त किए हों;
- विशेषज्ञ क्षमता (जिसकी पहचान अकैया ग्रीन फ्यूल्स और CFM द्वारा की जाएगी) परियोजना के सभी पहचाने गए प्रतिकूल प्रभावों के शमन और प्रबंधन के लिए समर्पित की जाएगी; और
- प्रभाव और जोखिम के शमन तथा नियंत्रण उपायों को अकैया ग्रीन फ्यूल्स की आवश्यकताओं के अनुरूप लागू किया जाएगा।

परियोजना के श्रेणीकरण की समीक्षा उचित परिश्रम प्रक्रिया के दौरान निरंतर की जाएगी और जैसे-जैसे नई जानकारी उपलब्ध होती जाएगी, उसे आवश्यकतानुसार संशोधित किया जाएगा। जहाँ श्रेणीकरण में परिवर्तन किया जाता है, वहाँ आगे की उचित परिश्रम योजना, पर्यावरणीय एवं सामाजिक कार्य योजना (ई एंड एस एक्शन प्लान) के बिंदुओं आदि की भी, जहाँ आवश्यक हो, समीक्षा और संशोधन किया जाना चाहिए।

7.2.2 पर्यावरणीय एवं सामाजिक उचित परिश्रम

जब प्रस्तावित निवेश (परियोजना) को डीएससी, ईएसजी उपसमिति और अकैया ग्रीन फ्यूल्स निदेशक मंडल द्वारा उचित परिश्रम के लिए स्वीकृति मिल जाती है, तब उचित परिश्रम की गतिविधियाँ शुरू की जाएँगी। उचित परिश्रम की प्रकृति अलग-अलग हो सकती है और यह जोखिम श्रेणीकरण पर आधारित होती है। सभी परियोजनाओं के लिए परियोजना स्थल(स्थलों) का दौरा और संबंधित हितधारकों के साथ साक्षात्कार किया जाएगा, सिवाय श्रेणी C परियोजनाओं के, जिनके लिए डेस्क-आधारित जानकारी की समीक्षा पर्याप्त मानी जाती है।

उचित परिश्रम करने का उद्देश्य उन आवश्यक गतिविधियों की पुष्टि करना है जिन्हें परियोजना के विकास के दौरान पूरा किया जाना होगा, साथ ही इन विकास गतिविधियों के लिए आवश्यक बजट का निर्धारण करना भी है। उचित परिश्रम अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने का अवसर भी प्रदान करता है और आवश्यकता होने पर जोखिम श्रेणीकरण में संशोधन करने की सुविधा देता है। उचित परिश्रम आकलन करने के लिए बाहरी सलाहकारों की नियुक्ति की जा सकती है (विशेषकर तब, जब बढ़े हुए पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिम श्रेणी B+ या A को ट्रिगर कर सकते हों)। सभी परियोजनाओं के आकलन के लिए संदर्भ मानक आईएफसी प्रदर्शन मानक होंगे, साथ ही इस ईएसएमएस की आवश्यकताएँ और संबंधित कानूनी ढांचा भी लागू होगा।

उचित परिश्रम गतिविधियों का विवरण **तालिका 7-2** में दिया गया है। उचित परिश्रम आकलन का दायरा **तालिका 7-3** में उल्लिखित पहलुओं को कवर करेगा; प्रत्येक व्यक्तिगत निवेश के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त विषय भी शामिल किए जा सकते हैं। उचित परिश्रम के निष्कर्षों को **तालिका 7-4** में वर्णित श्रेणियों के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा।

तालिका 7-1 उचित परिश्रम गतिविधियाँ

गतिविधि	विवरण
दस्तावेज़ समीक्षा	• उपलब्ध जानकारी की समीक्षा की जाएगी। इसमें मौजूदा रिपोर्टों जैसे 'रेड फ्लैग्स' रिपोर्ट, ईएसआईए रिपोर्ट आदि की समीक्षा शामिल हो सकती है।
स्थल भ्रमण (श्रेणी A, B+ और B परियोजनाएँ)	• परियोजना, उससे संबंधित सुविधाओं तथा अन्य वर्तमान या नियोजित गतिविधियों/विकासों (जिनका परियोजना हिस्सा हो सकती है)[3] के संभावित पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का आगे मूल्यांकन करने तथा 'रेड फ्लैग' मुद्दों की पहचान करने के लिए अकैया ग्रीन फ्यूल्स की ईएसजी टीम और/या बाहरी सलाहकारों द्वारा स्थल भ्रमण किया जाएगा। • श्रेणी C परियोजनाएँ सामान्यतः स्थल भ्रमण के अधीन नहीं होंगी।
परियोजना विकासकर्ता की ई एंड एस जागरूकता, क्षमता और प्रतिबद्धता का आकलन	• मुख्य हितधारकों के साथ साक्षात्कार किए जाएँगे ताकि उनकी आंतरिक पर्यावरणीय एवं सामाजिक संसाधनों, क्षमता और अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह तथा उसके निवेशकों की आवश्यकताओं के अनुसार ई एंड एस प्रबंधन करने की योग्यता का आकलन किया जा सके।
ई एंड एस श्रेणीकरण की समीक्षा	• उचित परिश्रम प्रक्रिया के दौरान ई एंड एस जोखिम श्रेणीकरण की पुनः समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह अभी भी उपयुक्त है या नई प्राप्त जानकारी के आधार पर इसमें संशोधन की आवश्यकता है।
ईएसएपी (पर्यावरणीय एवं सामाजिक कार्य योजना)	• उचित परिश्रम आकलन का परिणाम एक ईएसएपी होगा, जिसमें विकास चरण के दौरान चिंता के क्षेत्रों को संबोधित करने हेतु आवश्यक कार्यों का विवरण दिया जाएगा। • आकलन के आधार पर प्रारंभिक ई एंड एस जोखिम रेटिंग की पुष्टि की जाएगी। ध्यान दें कि श्रेणी A या B+ (और संभावित रूप से B) परियोजनाओं के मामले में, अंतिम रेटिंग तब पुष्टि की जाएगी जब सभी आवश्यक अतिरिक्त अध्ययन (जैसे ईएसआईए) पूर्ण हो जाएँगे।

[3] केवल वे परामर्शदाता संस्थाएँ जिन्हें अकैया ग्रीन फ्यूल्स और सीएफएम द्वारा पूर्व-स्वीकृत किया गया है, उन्हें ही उचित परिश्रम आकलन के लिए निविदा में आमंत्रित किया जाएगा।

तालिका 7-2 उचित परिश्रम आकलन कार्य का दायरा

जोखिम श्रेणी	विवरण
पर्यावरणीय एवं सामाजिक (ई एंड एस) कानूनों का अवलोकन	• लागू ई एंड एस कानून, जिनका पालन परियोजना को योजना, स्थापना और संचालन चरणों के दौरान करना होगा।
ई एंड एस परमिट/लाइसेंस आवश्यकताओं तथा पालन की जाने वाली प्रक्रिया का अवलोकन	• परियोजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक संबंधित ई एंड एस परमिटों की पहचान, जिसमें लागू नियमों को पूरा करने के लिए नियामक पर्यावरणीय (और यदि शामिल हो तो सामाजिक) प्रभाव आकलन (ईआईए) प्रक्रिया की आवश्यकताएँ और उसकी लागूता शामिल हैं।
पूर्ण भूमि अधिग्रहण का अनुपालन	• पिछली और वर्तमान गतिविधियों का अनुपालन ऑडिट, जिसमें स्थल पर आकलन भी शामिल है, ताकि पूर्व या वर्तमान चिंताओं की पहचान की जा सके। ऐसे ऑडिट ईएसजी उपसमिति द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र बाहरी सलाहकार द्वारा किए जाएँगे। • भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास के संदर्भ में, ऑडिट में भूमि की स्क्रीनिंग, चयन और अधिग्रहण की प्रक्रिया की समीक्षा शामिल होगी, साथ ही भूमि अधिग्रहण से संबंधित किसी भी लंबित मुद्दों तथा पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों या प्राकृतिक क्षेत्रों तथा पारंपरिक अधिकारों वाली भूमि से बचने की प्रक्रिया की समीक्षा भी शामिल होगी।
संबद्ध सुविधाएँ और गतिविधियाँ	• आईएफसी पीएस1 के अनुसार परिभाषित संबद्ध सुविधाओं और गतिविधियों की पहचान। • उन सुविधाओं के संभावित प्रभावों का आकलन जो डेवलपर/प्रवर्तक/प्रतिपक्ष द्वारा प्रबंधित की जाएँगी, जिसमें वे भी शामिल हैं जो आईएफसी पीएस1 की परिभाषा में नहीं आतीं, परंतु जिनसे प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम उत्पन्न हो सकता है या जो निवेशकों के विपरीत हो सकती हैं।
परियोजना हितधारक	• मुख्य परियोजना हितधारकों का विवरण, जिसमें लोगों की जातीयता की पुष्टि तथा स्वदेशी जनजातीय समुदायों, जातीय अल्पसंख्यकों और संवेदनशील व्यक्तियों की संभावित उपस्थिति शामिल है।
लैंगिक और मानवाधिकार	• देश/क्षेत्र में लैंगिक और मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों का अवलोकन, जिसमें परियोजना कार्यबल और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े संभावित जोखिम शामिल हैं।
स्वदेशी जनजातीय समुदाय	• यदि ई एंड एस स्क्रीनिंग चरण के दौरान परियोजना क्षेत्र में स्वदेशी जनजातीय समुदायों की उपस्थिति का निर्धारण होता है, तो उनकी उपस्थिति की पुष्टि और संभावित प्रतिकूल प्रभाव के जोखिम का आकलन करने हेतु उचित परिश्रम के भाग के रूप में एक विशेषज्ञ अध्ययन आवश्यक होगा।
पुनर्वास	• उचित परिश्रम के दौरान यह पुष्टि की जाएगी कि परियोजना स्थल पर आवासीय या अन्य संरचनाएँ मौजूद हैं या नहीं, तथा कोई चल रही आजीविका गतिविधियाँ और भूमि के अन्य उपयोग (जैसे पारिस्थितिकी सेवाओं का उपयोग, धार्मिक या आध्यात्मिक उद्देश्य) क्या हैं।
आपूर्ति श्रृंखला	• उचित परिश्रम आकलन में प्राथमिक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े संभावित जोखिमों का मूल्यांकन शामिल होगा, विशेष रूप से श्रम, कार्य स्थितियों और मानवाधिकार पर ध्यान केंद्रित करते हुए। • आकलन में न्यूनतम रूप से विभिन्न प्रकार के श्रमिकों (पूर्णकालिक, अस्थायी, दैनिक, ठेका और आपूर्ति श्रृंखला श्रमिक, जैसा कि आईएफसी पीएस2 में परिभाषित है) को ध्यान में रखा जाएगा। मुख्य उद्देश्यों में शामिल होंगे: - परियोजना गतिविधियों से उत्पन्न वर्तमान और संभावित श्रम जोखिमों को समझना (जिसमें उच्च जोखिम संदर्भगत मुद्दे शामिल हैं); - यह आकलन करना कि परियोजना पर लागू मानव संसाधन नीतियाँ, प्रथाएँ और प्रबंधन प्रणाली आईएफसी पीएस2 की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं या नहीं; - यह आकलन करना कि ये नीतियाँ और प्रणालियाँ पूरी संविदा श्रृंखला (अर्थात सभी उप-ठेकेदार और प्रमुख आपूर्तिकर्ता) में कैसे लागू होती हैं; - ग्राहक और मुख्य ठेकेदार की आईएफसी पीएस2 आवश्यकताओं के अनुपालन की क्षमता का मूल्यांकन करना;

जोखिम श्रेणी	विवरण
	- वास्तविक या संभावित श्रम मुद्दों के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए शमन, प्रबंधन और निगरानी उपायों की पहचान करना, तथा उनके लिए समय-सीमा निर्धारित करना।
जलवायु परिवर्तन	• संभावित जलवायु परिवर्तन जोखिमों और प्रभावों का अवलोकन। इसे विकास चरण के दौरान किए जाने वाले जलवायु जोखिम और संवेदनशीलता आकलन द्वारा और मजबूत किया जाएगा।
सामुदायिक विकास के अवसर	• हालाँकि एक अलग सामुदायिक आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा, फिर भी उचित परिश्रम के दौरान पहचानी गई सामुदायिक आवश्यकताओं और अवसरों को भी दर्ज किया जाएगा।

तालिका 7-3 व्यक्तिगत मुद्दा श्रेणियों का विवरण

श्रेणी	श्रेणी की परिभाषा
रेड फ्लैग मुद्दा / घातक कमी	• ऐसे मुद्दे जो आईएफसी परियोजना बहिष्करण सूची / निषिद्ध गतिविधियों के प्रावधानों को सक्रिय करते हैं; • ऐसे मुद्दे जो अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप नहीं हैं और जिनके शमन के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय लागत (> अमेरिकी डॉलर 0.5 मिलियन) की आवश्यकता होगी; • ऐसे मुद्दे जो गंभीर नियामक अनुपालन न होने का कारण बन सकते हैं, जिससे संचालन बंद होना, गंभीर प्रतिष्ठा हानि और/या भारी जुर्माना/आपराधिक कार्यवाही हो सकती है; • ऐसे मुद्दे जो पारिस्थितिक और/या सामाजिक संसाधनों या संवेदनशील घटकों पर अपरिवर्तनीय प्रभाव डाल सकते हैं; और/या • ऐसे मुद्दे जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया/निगरानी संस्थाओं से जुड़े प्रतिष्ठात्मक या अन्य प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं।
उच्च जोखिम मुद्दा	• ऐसे मुद्दे जो अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप नहीं हैं और जिनके शमन के लिए उच्च वित्तीय लागत (> अमेरिकी डॉलर 0.3 मिलियन) की आवश्यकता होगी; • ऐसे मुद्दे जो सीएफएम और/या उसकी परिसंपत्तियों के लिए प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं और समुदायों/बाहरी हितधारकों के साथ संघर्ष का कारण बन सकते हैं; • ऐसे मुद्दे जो आईएफसी प्रदर्शन मानकों के अनुरूप नहीं हैं और परियोजना के पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकते हैं (जैसे परियोजना विकास अवधि से आगे तक प्रभाव जारी रहना); • ऐसे मुद्दे जो नियामक अनुपालन न होने का कारण बन सकते हैं, जिससे जुर्माना, महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यवधान और गंभीर मामलों में संभावित आपराधिक कार्यवाही हो सकती है; और/या • ऐसे मुद्दे जो राष्ट्रीय स्तर के मीडिया/निगरानी संस्थाओं से जुड़े प्रतिष्ठात्मक या अन्य प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं।
मध्यम जोखिम मुद्दा	• ऐसे मुद्दे जो अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप नहीं हैं और जिनके शमन के लिए मध्यम वित्तीय लागत (> अमेरिकी डॉलर 0.1 मिलियन) की आवश्यकता हो सकती है; • ऐसे मुद्दे जो अल्पकालिक व्यावसायिक व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन परियोजना पर दीर्घकालिक प्रभाव नहीं डालते; • ऐसे मुद्दे जो अनुपालन न होने और/या प्रवर्तन कार्रवाई का कारण बन सकते हैं, परंतु जिन्हें आसानी से सुधारा जा सकता है और जिनका परियोजना पर दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होगा; और/या • ऐसे मुद्दे जो स्थानीय/क्षेत्रीय मीडिया/निगरानी संस्थाओं से जुड़े प्रतिष्ठात्मक या अन्य प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं।
निम्न जोखिम मुद्दा	• ऐसे मुद्दे जो आईएफसी प्रदर्शन मानकों और/या अच्छी अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रथाओं (जीआईआईपी) के अनुरूप नहीं हैं, परंतु जिन्हें न्यूनतम लागत पर आसानी से संबोधित किया जा सकता है और जिनसे हितधारकों/मीडिया/गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिकूल ध्यान आकर्षित नहीं होगा।

7.2.3 पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए)

अकैया ग्रीन फ्यूल्स द्वारा वित्तपोषित प्रत्येक परियोजना के लिए, गतिविधियों और संचालन से जुड़े पर्यावरणीय एवं सामाजिक (ई एंड एस) जोखिमों और प्रभावों की महत्वपूर्णता की पहचान आईएफसी के अनुरूप पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी।

अन्य मौजूदा, नियोजित या यथोचित रूप से परिभाषित विकासों से उत्पन्न संचयी पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों को भी आकलन में शामिल किया जाएगा।

जल स्थिरता से संबंधित विशिष्ट आवश्यकताएँ

ईएसआईए में यूरोपीय संघ निर्देश 2000/60/ईसी के अनुरूप जल पर प्रभाव का आकलन शामिल होगा। इसमें जल गुणवत्ता को बनाए रखने और जल तनाव से बचने से संबंधित पर्यावरणीय क्षरण जोखिमों की पहचान शामिल होगी, ताकि यूरोपीय संघ विनियमन 2020/852 के अनुच्छेद 2 के बिंदु (22) और (23) में परिभाषित "अच्छी जल स्थिति" और "अच्छी पारिस्थितिक क्षमता" प्राप्त की जा सके, जो निर्देश 2000/60/ईसी के अनुरूप है।[4]

विशेष रूप से, प्रभाव आकलन में जल दोहन के प्रभाव का मूल्यांकन निम्नलिखित पर किया जाएगा:

- जैव विविधता और आवासों पर।
- संसाधन उपयोग / दक्षता के संदर्भ में (जैसे ऊर्जा, जल हानि / रिसाव)।
- प्रतिस्पर्धी जल उपयोगों पर, जिसमें जल स्थिरता और पर्यावरणीय प्रवाह पर विचार शामिल होना चाहिए। इसमें संभावित अधिकतम जल दोहन को ध्यान में रखते हुए मौसमी परिवर्तनों का भी विचार किया जाना चाहिए। आवश्यक पर्यावरणीय प्रवाह की गणना निम्नलिखित पर्यावरणीय और सामाजिक उद्देश्यों (तथा लागू मानकों) के आधार पर की जाएगी:
- पीने के पानी की आपूर्ति के लिए जल का उपयोग।
- जल संसाधनों का न्यायसंगत, सतत और कुशल उपयोग।
- स्थलीय, नदीय, आर्द्रभूमि, झील, मुहाना, तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों (जहाँ लागू हो) की दीर्घकालिक स्थिति और स्थिरता को बनाए रखने हेतु पर्यावरणीय प्रवाह और जल गुणवत्ता का संरक्षण।
- जलधाराओं के तल और किनारों तथा जल निकायों, मुहानों और तटों की स्थिरता का संरक्षण।
- भूजल प्रवाह को बनाए रखना, भूजल पर निर्भर पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण करना तथा भूजल की गुणवत्ता को अच्छा बनाए रखना।
- सतही और भूजल संसाधनों के मौजूदा उपयोगकर्ताओं के लिए आपूर्ति को बनाए रखना।
- जल स्रोत और पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर मानव आजीविका और कल्याण को बनाए रखना।

जलवायु जोखिम एवं संवेदनशीलता आकलन से संबंधित विशिष्ट आवश्यकताएँ

यूरोपीय संघ टैक्सोनॉमी विनियमन वर्ष 2020 में लागू हुआ, जिसके अंतर्गत छह पर्यावरणीय उद्देश्यों की स्थापना की गई:

1. जलवायु परिवर्तन शमन
2. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन
3. जल और समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग और संरक्षण
4. परिपत्र अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण
5. प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण
6. जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण और पुनर्स्थापन

किसी भी छह उद्देश्यों के साथ संरेखण प्राप्त करने के लिए एक सुदृढ़ जलवायु जोखिम और संवेदनशीलता आकलन आवश्यक है।

यूरोपीय संघ टैक्सोनॉमी के अनुरूप एक जलवायु जोखिम और संवेदनशीलता आकलन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा:

---

[4] लागू राष्ट्रीय कानून या अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, जो अच्छी जल स्थिति और अच्छी पारिस्थितिक क्षमता के समान उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, समतुल्य प्रक्रियात्मक और मौलिक नियमों के माध्यम से–अर्थात एक जल उपयोग और संरक्षण प्रबंधन योजना, जिसे संबंधित हितधारकों के परामर्श से विकसित किया गया हो, जो यह सुनिश्चित करती है कि: 1) गतिविधियों का संभावित रूप से प्रभावित जल निकायों की पहचानी गई स्थिति या पारिस्थितिक क्षमता पर प्रभाव का आकलन किया जाए; और 2) जल निकाय की अच्छी स्थिति/पारिस्थितिक क्षमता के बिगड़ने या उसे प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होने से बचा जाए; या जहाँ यह संभव न हो, 3) इसे इस आधार पर उचित ठहराया जाए कि बेहतर पर्यावरणीय विकल्प उपलब्ध नहीं हैं या वे अत्यधिक महंगे/तकनीकी रूप से अव्यवहारिक हैं, तथा जल निकाय की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सभी व्यावहारिक कदम उठाए जाएँ।

- गतिविधि से संबंधित महत्वपूर्ण भौतिक जलवायु जोखिमों की पहचान करना, जिसके लिए एक सुदृढ़ जलवायु जोखिम और संवेदनशीलता आकलन किया जाएगा।
- पहचाने गए भौतिक जलवायु जोखिमों को कम करने वाले अनुकूलन उपायों का आकलन करना।
- परियोजना / परियोजना पर कार्य करने वाले पक्षों द्वारा लागू किए जाने वाले समाधानों के लिए एक अनुकूलन योजना तैयार करना।

न्यूनतम रूप से जिन खतरों को ध्यान में रखा जाना है, वे नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत हैं।

तालिका 7-7 स्क्रीनिंग और श्रेणीकरण गतिविधियाँ

	तापमान से संबंधित	पवन से संबंधित	जल से संबंधित	ठोस द्रव्यमान से संबंधित
क्रॉनिक	तापमान में परिवर्तन (वायु, मीठा जल, समुद्री जल)	पवन पैटर्न में परिवर्तन	वर्षा के पैटर्न और प्रकार में परिवर्तन (वर्षा, ओले, हिम/बर्फ)	तटीय कटाव
	ऊष्मा तनाव		वर्षा या जलवैज्ञानिक परिवर्तनशीलता	मृदा क्षरण
	तापमान में परिवर्तनशीलता		महासागरीय अम्लीकरण	मृदा अपरदन
	पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना		लवणीय जल का प्रवेश	सोलिफ्लक्शन
			समुद्र स्तर में वृद्धि	
			जल तनाव	
तीव्र	हीट वेव	चक्रवात, हरिकेन, टाइफून	सूखा	हिमस्खलन
	कोल्ड वेव / पाला	तूफान (जिसमें बर्फीले तूफान, धूल और रेत के तूफान शामिल हैं)	अत्यधिक वर्षा (वर्षा, ओले, हिम/बर्फ)	भूस्खलन
	जंगल की आग	बवंडर	बाढ़ (तटीय, नदीय, वर्षाजनित, भूजल)	भूमि धंसाव
			हिमनद झील विस्फोट	

केवल उन्हीं खतरों का आकलन करना आवश्यक है जिनमें गतिविधि की अवधि के दौरान उस पर प्रभाव डालने की संभावना हो।

यूरोपीय संघ टैक्सोनॉमी विनियमन के अनुपालन के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जलवायु जोखिम और संवेदनशीलता आकलन:

- उपलब्ध उच्चतम रिज़ॉल्यूशन और वर्तमान उन्नत जलवायु प्रक्षेपणों पर आधारित हो, जो भविष्य के विभिन्न परिदृश्यों की पूरी श्रृंखला को कवर करते हों।
- गतिविधि/परियोजना की अपेक्षित अवधि के अनुरूप हो।
- संवेदनशीलता और जोखिम विश्लेषण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और उपलब्ध दिशानिर्देशों पर आधारित हो।
- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की नवीनतम रिपोर्टों, वैज्ञानिक सहकर्मी-समीक्षित प्रकाशनों तथा ओपन सोर्स या सशुल्क मॉडलों के अनुरूप हो।

7.2.4 पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन योजना (ईएसएमपी)

प्रत्येक परियोजना के लिए आईएफसी के अनुरूप एक ईएसएमपी, ईएसआईए प्रक्रिया के परिणामस्वरूप तैयार किया जाएगा। यह ईएसएमपी परियोजना-विशिष्ट कार्यों का विवरण देगा, जो पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों के प्रबंधन और शमन के लिए आवश्यक हैं, साथ ही कानूनी और अन्य आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को भी स्पष्ट करेगा।

ईएसएमपी की मानक सामग्री में निम्नलिखित शामिल हैं:

- परिचय।
- संदर्भ मानक (जिसमें संबंधित कानूनी आवश्यकताएँ शामिल हैं)।
- परियोजना विवरण।
- भूमिकाएँ, जिम्मेदारियाँ और दक्षताएँ।
- हितधारक सहभागिता और संचार के लिए व्यवस्थाओं का अवलोकन।
- आंतरिक और बाहरी हितधारकों के लिए उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र का विवरण।

- विभिन्न पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं से संबंधित प्रबंधन योजनाओं का अवलोकन (जैसे अपशिष्ट प्रबंधन; खतरनाक पदार्थ; यातायात सुरक्षा आदि)।
- प्रबंधन, निगरानी और रिपोर्टिंग दायित्व, जिनमें निर्धारित जिम्मेदारियाँ, अनुपालन के संकेतक और अनुपालन की समय-सीमा शामिल हो।

7.2.5 हितधारक सहभागिता योजना (एसईपी)

प्रत्येक परियोजना के लिए आईएफसी के अनुरूप एक एसईपी और शिकायत निवारण तंत्र तैयार किया जाएगा। यह सामान्यतः ईएसआईए प्रक्रिया के हिस्से के रूप में पूरा किया जाएगा। जहाँ स्वदेशी जनजातीय समुदाय उपस्थित हों, वहाँ एसईपी और शिकायत निवारण तंत्र में उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष व्यवस्थाएँ शामिल की जाएँगी।

शिकायत निवारण तंत्र में जीबीवीएच से संबंधित रिपोर्ट किए गए मामलों के प्रति प्रतिक्रिया और प्रबंधन के लिए विशेष तथा पीड़ित-केंद्रित उपाय शामिल किए जाएँगे, जिनमें गवाहों तथा अन्य हितधारकों जैसे व्हिसलब्लोअर्स की उपयुक्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रावधान भी शामिल होंगे।

7.3. जलवायु अनुकूलन और शमन

अकैया ग्रीन फ्यूल्स यह स्वीकार करता है कि जलवायु परिवर्तन अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और पारिस्थितिक तंत्रों के लिए गंभीर और व्यापक जोखिम उत्पन्न करता है। अकैया ग्रीन फ्यूल्स के सभी निवेशों की स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे पर्यावरणीय और सामाजिक स्थिरता के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुरूप हैं। इसके लिए यूरोपीय संघ टैक्सोनॉमी और संबंधित तकनीकी स्क्रीनिंग मानदंडों का संदर्भ लिया जाएगा। अकैया ग्रीन फ्यूल्स यह सुनिश्चित करेगा कि उसके प्रत्येक निवेश के लिए किए गए जलवायु जोखिम और संवेदनशीलता आकलन में पहचाने गए अनुकूलन उपायों का कार्यान्वयन किया जाए।

अकैया ग्रीन फ्यूल्स अपने स्वयं के जलवायु परिवर्तन में योगदान के प्रबंधन के लिए भी प्रतिबद्ध है और यह आवश्यक करता है कि सभी अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजनाएँ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (जिसमें स्कोप 1, 2 और 3 उत्सर्जन शामिल हैं) की परियोजना-विशिष्ट निगरानी और रिपोर्टिंग जीएचजी प्रोटोकॉल के अनुसार करें। अकैया ग्रीन फ्यूल्स जहाँ संभव हो, अपने स्वयं के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करता है, जिसमें यात्रा की आवश्यकता को कम करना, ऊर्जा संरक्षण करना, पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों का उपयोग करना तथा परिपत्र अर्थव्यवस्था में योगदान देना शामिल है।

7.4. एचएसएसई जोखिम रजिस्टर

मुख्य जोखिमों और प्रभावों को परियोजना एचएसएसई प्रभाव और जोखिम रजिस्टर में शामिल किया जाएगा तथा उनका प्रबंधन और निगरानी विस्तृत प्रबंधन कार्यक्रमों के माध्यम से की जाएगी।

एचएसएसई जोखिम रजिस्टर एक जीवंत दस्तावेज़ है और इसे निरंतर आधार पर अद्यतन रखा जाएगा। यदि नए एचएसएसई जोखिम या प्रभाव पहचाने जाते हैं (परियोजना गतिविधियों में परिवर्तन या प्रबंधन कार्यक्रमों की कमियों के कारण), तो उनकी पहचान और मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होगा। जोखिमों की पहचान, आकलन और विश्लेषण के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली को उनके दायरे, प्रकृति और समय के संदर्भ में परिभाषित किया जाएगा, ताकि विधियाँ प्रतिक्रियात्मक के बजाय सक्रिय हों; तथा जोखिमों की पहचान, प्राथमिकता निर्धारण और दस्तावेजीकरण तथा नियंत्रण उपायों के लागू करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणालियाँ अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं (जैसे आईएसओ 31000) के अनुरूप होंगी।

सभी जोखिमों को जोखिम रजिस्टर में शामिल किया जाएगा और नए मुद्दों के समाधान हेतु प्रबंधन कार्यक्रमों को अद्यतन किया जाएगा (या नए प्रबंधन कार्यक्रमों की पहचान कर उन्हें लागू किया जाएगा)। सभी परियोजना कर्मियों को जोखिम आकलन प्रक्रिया के तहत पहचाने गए प्रमुख जोखिमों और उन उपायों की जानकारी दी जानी चाहिए जिन्हें उन्हें लागू करना है। जोखिम रजिस्टर, जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएँ और जोखिम आकलन दस्तावेज़ आवश्यकतानुसार समीक्षा के लिए अकैया ग्रीन फ्यूल्स और सीएफएम के लिए उपलब्ध होने चाहिए।

7.5. ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता और साझेदार

अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजना के हितधारकों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, प्राधिकरणों, प्रतिस्पर्धियों और अन्य तृतीय पक्षों के साथ जिम्मेदारी, ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ व्यवहार करेगा। अकैया ग्रीन फ्यूल्स ऐसे कंपनियों या व्यक्तियों के साथ

व्यावसायिक संबंध स्थापित नहीं करेगा जो नैतिकता, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (एच एंड एस) और मानवाधिकार मानकों के अनुरूप नहीं हैं, जो अकैया ग्रीन फ्यूल्स द्वारा अपनाए गए मानकों के समान हों।

सभी नए ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं की स्क्रीनिंग बहिष्करण सूची (परिशिष्ट A) और एचएसएसई आवश्यकताओं के अनुसार की जाएगी।

सभी नए प्राथमिक ऑफ-टेकरों और आपूर्तिकर्ताओं की भी बहिष्करण सूची (परिशिष्ट A) तथा लागू कानूनों और विनियमों (जिसमें श्रम कानून शामिल हैं) के अनुपालन के आधार पर स्क्रीनिंग की जाएगी।

7.6. प्रभाव उत्पन्न करना और अवसर

7.6.1 लैंगिक समानता और महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण

प्रत्येक परियोजना के लिए एक लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन (जीईएसआई) विश्लेषण और कार्य योजना तैयार की जाएगी और इसे परियोजना के सभी चरणों में लागू किया जाएगा। इसे ईएसआईए के कार्य क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है और ईएसआईए टीम में एक लैंगिक विशेषज्ञ को शामिल करना आवश्यक होगा। इस विश्लेषण में जीबीवीएच से संबंधित जोखिमों, आवश्यक नियंत्रण उपायों और निरंतर निगरानी गतिविधियों पर विचार करना अनिवार्य होगा। इसके लिए विशिष्ट आवश्यकताएँ नीचे और परिशिष्ट C5 में प्रदान की गई हैं।

7.6.2 आतिथ्य समुदाय विकास

अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह अपने परियोजना निवेशों के प्रभाव क्षेत्र में विशेष रूप से स्थानीय समुदायों के लिए पर्यावरणीय एवं सामाजिक लाभों के अवसरों को अधिकतम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी परियोजनाएँ समाज में प्रभावी योगदान दें और साथ ही उस व्यापक समुदाय का निरंतर समर्थन प्राप्त करें, जिसका परियोजना हिस्सा है और जिसकी सेवा करती है। सीएफएम की आवश्यकताओं के अनुरूप, सामुदायिक विकास निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा:

- सतत - सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को संबंधित संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में योगदान देने के लिए तैयार किया जाएगा और वे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देंगे तथा निर्भरता से बचेंगे, साथ ही सरकारी सहयोग और अन्य विकास भागीदारों के साथ साझेदारी के अवसर उत्पन्न करेंगे; इन कार्यक्रमों के लिए एक स्पष्ट और सतत निकास रणनीति होगी।
- समुदाय-नेतृत्वित - सामुदायिक विकास कार्यक्रम लैंगिक समावेशी होंगे और इन्हें समुदाय के सदस्यों तथा लाभार्थियों (जिसमें संवेदनशील समूह भी शामिल हैं) के परामर्श और सहभागिता के साथ डिजाइन, योजना, कार्यान्वित और प्रबंधित किया जाएगा।
- समावेशी - कार्यक्रमों के विकास और क्रियान्वयन में, जहाँ आवश्यक हो, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ), विकास एजेंसियों और अन्य स्थानीय हितधारकों के साथ सहभागिता शामिल होगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र में चल रही मौजूदा विकास गतिविधियों के साथ समन्वय स्थापित करना और आवश्यकता अनुसार अन्य समुदायों में भी इसे दोहराने योग्य बनाना है।
- पारदर्शी - सभी सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का विकास, कार्यान्वयन और प्रबंधन पारदर्शी, लेखा-परीक्षण योग्य और आंतरिक एवं बाहरी समीक्षा के लिए खुला होगा।
- मापनीय - प्रमुख प्रदर्शन संकेतक स्थापित किए जाएँगे ताकि यह मापा जा सके कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम लक्षित लाभार्थियों को कितना मूल्य प्रदान कर रहे हैं, और परिणाम एवं प्रभाव संकेतकों के माध्यम से परिवर्तन का आकलन किया जाएगा।

सामुदायिक आवश्यकताओं का आकलन कराया जाएगा और एक सामुदायिक विकास योजना तैयार की जाएगी। बजट और सामुदायिक विकास गतिविधियों की योजना बनाकर उन्हें सीएफएम की आवश्यकताओं के अनुरूप लागू किया जाएगा। पहचानी गई सामुदायिक पहलों के कार्यान्वयन के लिए चयनित कार्यान्वयन भागीदारों के साथ संविदात्मक समझौते किए जाएँगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए निर्धारित बजट का प्रबंधन और वितरण, कार्यान्वयन भागीदार के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार किया जाएगा। सामुदायिक विकास हस्तक्षेपों को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने/बजट व्यय करने से पहले ईएसजी उपसमिति के समक्ष समीक्षा और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

विशिष्ट आवश्यकताएँ नीचे और परिशिष्ट C6 में प्रदान की गई हैं: -

विषय	विवरण
विकास चरण	• अकैया ग्रीन फ्यूल्स 'त्वरित हस्तक्षेपों' की पहचान करेगा, जिनका उद्देश्य मेजबान समुदाय/समुदायों के बीच सद्भावना स्थापित करना होगा। • प्रस्तावित हस्तक्षेपों को विचार और अनुमोदन के लिए सीएफएम के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। • सीएफएम के साथ एक अधिकतम बजट पर सहमति बनाई जाएगी, जो विकास चरण के सामुदायिक विकास के लिए आवंटित कुल बजट का एक हिस्सा होगा। • व्यय का एक अभिलेख रखा जाएगा और इसे मासिक आधार पर सीएफएम को प्रस्तुत किया जाएगा।
निर्माण चरण	• निर्माण चरण के दौरान, अकैया ग्रीन फ्यूल्स को विकास चरण में सीएफएम द्वारा तैयार किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी जाएगी। सामान्यतः यह कार्यक्रम सामुदायिक आवश्यकताओं के आकलन (जो विकास चरण में पूरा किया गया होता है) पर आधारित होगा और इसमें अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक कार्य शामिल होंगे। • सामुदायिक विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन सामान्यतः एक या अधिक स्थानीय कार्यान्वयन भागीदारों द्वारा किया जाएगा, जिनका चयन सीएफएम और अकैया ग्रीन फ्यूल्स द्वारा किया जाएगा। • कार्यक्रम के आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन के लिए सीएफएम, अकैया ग्रीन फ्यूल्स को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेगा। • अकैया ग्रीन फ्यूल्स को कार्यक्रम हस्तक्षेपों की प्रगति पर आवश्यकतानुसार सीएफएम को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। • अकैया ग्रीन फ्यूल्स, सीएफएम द्वारा या उसकी ओर से किए गए भ्रमणों की मेजबानी करेगा, जिनका उद्देश्य निरंतर निगरानी और मूल्यांकन करना होगा।
संचालन चरण	• परिसंपत्ति के संचालन चरण के दौरान, अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजना कंपनी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के निरंतर कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि कार्यान्वयन भागीदार सहमति के अनुसार प्रदर्शन रिपोर्ट प्रदान करें। • अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजना कंपनी को कार्यक्रम हस्तक्षेपों की प्रगति पर आवश्यकतानुसार सीएफएम को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। • अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजना कंपनी, सीएफएम द्वारा या उसकी ओर से किए गए भ्रमणों की मेजबानी करेगी, जिनका उद्देश्य निरंतर निगरानी और मूल्यांकन करना होगा।
निकास	• सीएफएम की यह परिकल्पना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम निवेश की अवधि से आगे भी जारी रहें, ताकि एक स्थायी सकारात्मक विरासत सुनिश्चित की जा सके। • कार्यक्रम के निरंतर कार्यान्वयन की व्यवस्थाओं पर अकैया ग्रीन फ्यूल्स और सीएफएम के बीच चर्चा कर सहमति बनाई जाएगी।

7.6.2 निर्माण परियोजनाओं / शाखाओं / सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर साइनबोर्ड

परियोजना/निर्माण स्थल तथा सभी सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर अकैया ग्रीन फ्यूल्स, अकैया ग्रीन फ्यूल्स और सीएफएम का लोगो प्रदर्शित करेगा। इसके अतिरिक्त, यूरोपीय संघ (ईयू) का प्रतीक चिन्ह भी प्रदर्शित किया जाएगा ताकि ईयू के वित्तीय सहयोग को स्वीकार और प्रचारित किया जा सके। ईयू के प्रतीक चिन्ह के ठीक नीचे या बगल में "यूरोपीय संघ द्वारा सह-वित्तपोषित" शब्दों के माध्यम से ईयू के वित्तीय योगदान का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाएगा (यहाँ 'यूरोपीय संघ' शब्द पूर्ण रूप से लिखा जाएगा)।

साइनबोर्ड पर लोगो स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। उच्च गुणवत्ता वाले (हाई रिज़ॉल्यूशन) लोगो अनुरोध पर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। यदि साइनबोर्ड स्थापित किया जाता है, तो उसमें अधिक जानकारी प्राप्त करने और समुदाय द्वारा शिकायत दर्ज कराने के लिए संपर्क नाम और नंबर अवश्य होना चाहिए (अनुभाग 5.3 देखें)। कंपनी और निवेशक के लोगो वाले किसी भी सामग्री के उपयोग के लिए पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा (अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी या ईएसजी उपसमिति, निवेशक परिसंपत्ति प्रबंधन या निदेशक मंडल से)।

CLIMATE FUND MANAGERS

A programme co-funded by the European Union

परियोजना/निर्माण स्थल पर स्थापित साइनबोर्ड में शिकायत निवारण तंत्र के अनुसार संपर्क विवरण भी शामिल होंगे (अनुभाग 5.3 देखें)।

7.7. आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया

अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह द्वारा वित्तपोषित प्रत्येक परियोजना के लिए एक आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना विकसित की जाएगी। इस योजना को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए तैयार किया जाएगा:

- आपातकालीन स्थितियों के प्रकारों की पहचान करना और प्रतिक्रिया के लिए आवश्यकताओं को निर्धारित करना; इसमें प्राकृतिक आपदाएँ, विस्फोट, आग, नागरिक अशांति, खतरनाक पदार्थों का रिसाव, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (ओएचएस) दुर्घटनाएँ, महामारी और सुरक्षा घटनाएँ शामिल होंगी।
- भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना, विशेष रूप से आपातकालीन उपकरणों और अन्य आवश्यक सामग्रियों (जैसे निकासी योजना) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए।
- यह सुनिश्चित करना कि आपातकालीन घटनाओं का सुरक्षित और कुशल तरीके से प्रबंधन और शमन किया जाए, ताकि परियोजना विकास, उसके उपयोगकर्ताओं, पड़ोसी क्षेत्रों, व्यापक समुदाय और पर्यावरण पर प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके।
- जोखिम आकलन के अनुरूप आपातकालीन उपकरणों की पहचान करना।
- आपातकालीन सेवा प्रदाताओं, पड़ोसियों और अन्य हितधारकों के साथ योजना और समन्वय को सुगम बनाना।
- घटनाओं के वर्गीकरण, प्रबंधन, प्रतिक्रिया और रिपोर्टिंग के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करना।
- आपातकालीन अभ्यासों के लिए आवश्यकताओं को निर्धारित करना, जिसमें स्थल पर अकैया ग्रीन फ्यूल्स के कर्मचारियों और ठेकेदारों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने हेतु संयुक्त आपातकालीन अभ्यास आयोजित करना शामिल है।

अकैया ग्रीन फ्यूल्स सभी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और आपातकालीन अभ्यास आयोजित करेगा तथा आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना को सभी कर्मचारियों, स्थानीय समुदायों और संबंधित सरकारी एजेंसियों तक संप्रेषित करेगा।

यद्यपि कुछ कार्य परियोजना कंपनियों को सौंपे जा सकते हैं, फिर भी परियोजनाओं में आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया (जिसमें आपातकालीन उपकरणों की उपलब्धता शामिल है) की समग्र जिम्मेदारी अकैया ग्रीन फ्यूल्स की होगी।

अकैया ग्रीन फ्यूल्स आपातकालीन प्रतिक्रिया से संबंधित दक्षता के अभिलेख बनाए रखेगा, जिसमें संबंधित प्रमाणपत्रों वाले कर्मियों (जैसे प्राथमिक उपचार प्रशिक्षित कर्मचारी), प्राथमिक उपचार किट और आपातकालीन उपकरणों के निरीक्षण अभिलेख, तथा शाखाओं में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं (यदि कोई हों) का विवरण शामिल होगा।

पर्यावरणीय और सामाजिक घटनाओं की सूचना अकैया ग्रीन फ्यूल्स को दी जाएगी और तत्पश्चात उनका जांच कार्य अनुभाग 9.6 में वर्णित आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा। महत्वपूर्ण घटनाओं की जांच की जाएगी और सुधारात्मक कार्यवाही तथा/या सुधार के अवसरों को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

7.8. पर्यावरणीय एवं सामाजिक कार्य योजना (ईएसएपी)

यदि किसी भी समय अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह की कंपनियों को ईएसएपी तैयार करना आवश्यक होता है, तो ईएसएपी तैयार किया जाएगा और संबंधित अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह कंपनी: (A) ईएसजी उपसमिति को आवश्यकतानुसार सभी अतिरिक्त जानकारी और सहायता शीघ्र प्रदान करेगी ताकि प्रत्येक ईएसएपी पर सहमति सुनिश्चित की जा सके;(B) यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक ईएसएपी (जो ईएसजी उपसमिति द्वारा स्वीकृत हो) निर्धारित समय-सीमा के भीतर और उसके प्रावधानों के अनुसार लागू किया जाए; (C) उन विशिष्ट घटकों के कार्यान्वयन को आगे नहीं बढ़ाएगी जिनमें अनैच्छिक पुनर्वास के प्रभाव पहचाने गए हैं, जब तक कि ईएसएपी को ईएसजी उपसमिति द्वारा स्वीकृत और चर्चा नहीं कर लिया जाता; (D) निवेशकों को समय-समय पर ईएसएपी में निर्दिष्ट या निवेशकों द्वारा माँगी गई जानकारी और निगरानी रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराएगी, ताकि ईएसएपी के कार्यान्वयन की स्थिति की पुष्टि की जा सके; और (E) ईएसएपी में निर्दिष्ट किसी भी तिथि के बाद, जिस तक संबंधित घटना, परिस्थिति या स्थिति का समाधान किया जाना था, यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में 5 (पाँच) कार्यदिवसों के भीतर निवेशकों को एक सूचना प्रदान करेगी, जिसमें या तो यह पुष्टि होगी कि संबंधित सुधारात्मक कार्य पूर्ण कर लिया गया है या यह विवरण दिया जाएगा कि वह कार्य क्यों पूरा नहीं हो सका और उसे पूरा करने के लिए प्रस्तावित कदम क्या हैं।

7.9. दस्तावेजों का नियंत्रण

7.9.1 आंतरिक स्रोत के दस्तावेज

इस ईएसएमएस के अंतर्गत आवश्यक सभी दस्तावेजों को स्वीकृति मिलने के बाद सामान्य उपयोग के लिए जारी किया जाता है। ये सभी दस्तावेज अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह के नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। सभी मानव संसाधन (एचआर) दस्तावेजों की मूल प्रति के लिए एचआर प्रबंधक जिम्मेदार होता है। सभी औपचारिक परियोजना दस्तावेजों की मूल प्रति के लिए परियोजना निदेशक जिम्मेदार होता है। दस्तावेजों की सभी हार्ड कॉपी अनियंत्रित मानी जाती हैं। सभी मामलों में, दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ (जो कंपनी के नेटवर्क ड्राइव पर उपलब्ध होती हैं) वर्तमान संस्करण मानी जाती हैं और यदि हार्ड कॉपी की अद्यतन स्थिति को लेकर कोई संदेह हो, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

7.9.2 आंतरिक स्रोत के दस्तावेजों का भंडारण

सभी ईएसएमएस से संबंधित दस्तावेजों के भंडारण के लिए नेटवर्क ड्राइव का उपयोग किया जाएगा। कोई भी दस्तावेज व्यक्तिगत हार्ड ड्राइव/कंप्यूटर/लैपटॉप पर संग्रहीत नहीं किया जाएगा।

ऐसे सभी ईएसएमएस से संबंधित दस्तावेज और जानकारी, जिन्हें उनकी प्रकृति के कारण कंपनी के नेटवर्क ड्राइव पर नियंत्रित पहुँच के साथ बनाए रखना संभव नहीं है, उन्हें अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजना कार्यालयों में सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जाएगा।

7.9.3 बाहरी स्रोत के दस्तावेज

ईएसएमएस से संबंधित बाहरी स्रोत के दस्तावेजों में परमिट और लाइसेंस, ईएसआईए (और जहाँ लागू हो ईआईए), तथा पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन योजना शामिल हैं। अन्य बाहरी दस्तावेजों में इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध दस्तावेज, जैसे कानूनी संहिताएँ, भी शामिल हैं। जहाँ संभव हो, बाहरी दस्तावेजों और जानकारी को आवश्यकतानुसार बाहरी वेबसाइटों से ही प्राप्त किया जाएगा, ताकि नवीनतम संस्करणों का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

7.9.4 रिकॉर्ड का नियंत्रण

रिकॉर्ड मुख्यतः हार्ड कॉपी के रूप में रखे जाते हैं या अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह के नेटवर्क ड्राइव पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत किए जा सकते हैं। विभिन्न प्रमुख रिकॉर्डों की जिम्मेदारी, संरक्षण अवधि और स्थान का विवरण एक अलग प्रक्रिया में निर्धारित किया जाएगा।

दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस प्रकार संग्रहीत किया जाएगा कि वे क्षति, खराब होने या खोने से सुरक्षित रहें और पूरी तरह से पहचान योग्य तथा ट्रेस करने योग्य हों। अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह के नेटवर्क ड्राइव का नियमित रूप से बैकअप लिया जाना चाहिए और कागजी दस्तावेजों का अभिलेखीकरण किया जाना चाहिए ताकि दस्तावेजों को हमेशा पुनः प्राप्त किया जा सके।

सभी रिकॉर्ड कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित न्यूनतम अवधि तक सुरक्षित रखे जाएँगे और जहाँ कोई विशिष्ट अवधि निर्धारित नहीं है, वहाँ इन्हें 30 वर्षों की अवधि तक संरक्षित किया जाएगा। गोपनीय फाइलें, जिनमें चिकित्सा और व्यक्तिगत अभिलेख शामिल हैं, सुरक्षित और गोपनीय तरीके से रखी जाएँगी।

7.10. परिवर्तन का प्रबंधन

संगठन, प्रबंधन, कर्मियों, उपकरण, प्रक्रियाओं या कार्यविधियों में परिवर्तन परियोजना की गतिविधियों से जुड़े एचएसएसई जोखिमों को प्रभावित कर सकते हैं। संभावित एचएसएसई प्रभावों के प्रबंधन के लिए परिवर्तन की योजना बनाने की प्रक्रिया को वर्णित करने हेतु एक परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया लागू की जाएगी।

8. एचएसएसई प्रबंधन योजनाएँ

8.1. अकैया ग्रीन फ्यूल्स एचएसएसई प्रबंधन योजनाएँ

अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह की कंपनियाँ परियोजनाओं के लिए अपनाई गई एचएसएसई प्रतिबद्धताओं और मानकों को पूरा करने हेतु विभिन्न प्रबंधन कार्यक्रम (प्रबंधन/कार्य योजनाएँ और प्रक्रियाएँ) तैयार करेंगी और उन्हें लागू करेंगी। यद्यपि यह ईएसएमएस एक मार्गदर्शक दस्तावेज़ है, प्रत्येक अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजना कंपनी (एसपीवी) को विशेष रूप से ईएसएमपी बनाए रखना आवश्यक होगा, जो ईएसआईए के परिणामों के साथ-साथ विस्तृत यातायात प्रबंधन योजना, आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना, सुरक्षा प्रबंधन योजना, विधिक रजिस्टर, एसईपी और जीआरएम, सामुदायिक विकास योजना, लैंगिक कार्य योजना, अपशिष्ट प्रबंधन योजना, आकस्मिक खोज प्रक्रिया, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन योजना तथा अन्य आवश्यक योजनाओं का समेकित रूप होगा।

8.2. व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा

अकैया ग्रीन फ्यूल्स अपने संचालन और गतिविधियों से जुड़े पर्यावरणीय, स्वास्थ्य, सुरक्षा, संरक्षा और सामाजिक जोखिमों के आकलन और प्रबंधन के लिए एक एचएसएसई जोखिम आकलन/एचएसएसई सर्वेक्षण प्रक्रिया लागू करेगा, ताकि ईएसएमएस से संबंधित जोखिमों की सक्रिय और व्यवस्थित रूप से पहचान, आकलन, मूल्यांकन और नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। जोखिमों का आकलन किया जाएगा और उनका मूल्यांकन एचएसएसई जोखिम रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

नियंत्रण उपायों की पहचान नियंत्रण के पदानुक्रम के आधार पर की जाएगी। इसके बाद प्राथमिक ध्यान जहाँ संभव हो जोखिमों को समाप्त करने के अवसरों की खोज पर होगा। उपयुक्त नियंत्रण और शमन रणनीतियाँ एवं उपाय तैयार करते समय सभी पक्षों द्वारा इस पदानुक्रम का पालन किया जाएगा।
प्रत्येक कार्य गतिविधि के लिए एक जोखिम आकलन होना आवश्यक है, जो प्रक्रिया, कार्य जोखिम आकलन ("जेएचए") या समकक्ष दस्तावेज़ के रूप में समर्थित होगा।
अकैया ग्रीन फ्यूल्स स्थल-विशिष्ट प्रक्रियाएँ लागू करेगा, जिनमें ठेकेदारों के लिए एचएसएसई आवश्यकताओं में निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यकताएँ शामिल होंगी, जिनमें निम्नलिखित उच्च जोखिम वाली गतिविधियाँ शामिल हैं (परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं): -

- ऊँचाई पर कार्य करना
- सुरक्षित यांत्रिक उठान
- हॉट वर्क (उष्ण कार्य)
- वाहन संचालन
- पानी पर या उसके ऊपर कार्य करना (अधिकांश परियोजनाओं के लिए संभवतः लागू नहीं)
- कार्य अनुमति
- ऊर्जा पृथक्करण
- संकीर्ण स्थानों में कार्य
- खुदाई कार्य

अकैया ग्रीन फ्यूल्स जोखिम आकलन में पहचाने गए शेष एचएसएसई खतरों के प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएँ लागू करेगा, जिनमें कर्मचारियों की कार्य हेतु उपयुक्तता की चिकित्सीय जाँच, ठेकेदार/उप-ठेकेदार के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) की उपलब्धता सुनिश्चित करना, तथा सभी नए श्रमिकों के लिए सुरक्षा अभिमुखीकरण शामिल है। अकैया ग्रीन फ्यूल्स परिशिष्ट C7 और C8 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का पालन करेगा।

8.3. आवास / श्रमिक शिविर प्रबंधन योजना

जहाँ अकैया ग्रीन फ्यूल्स या उसके ठेकेदार कर्मचारियों/श्रमिकों के लिए आवास (जैसे श्रमिक शिविर और आवासीय सुविधाएँ) प्रदान करते हैं, वहाँ एक लिखित प्रबंधन योजना होना आवश्यक होगा, जिसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा, सुरक्षा व्यवस्था, रहने की परिस्थितियाँ, श्रमिकों के अधिकार और प्रतिनिधित्व, समुदायों के साथ संबंध तथा शिकायत निवारण प्रक्रियाओं से संबंधित नीतियाँ या योजनाएँ शामिल हों। इन नीतियों और योजनाओं का एक हिस्सा आचार संहिता के रूप में भी हो सकता है। इस संदर्भ में आईएफसी श्रमिक आवास: प्रक्रियाएँ और मानकों का पालन किया जाएगा।

यदि सुविधा का प्रबंधन किसी ठेकेदार द्वारा किया जाता है, तो अपेक्षित आवास और प्रबंधन मानकों को संबंधित अनुबंध में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा, तथा यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित किए जाएँगे कि इन मानकों का पालन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत, आवास प्रबंधक (या ठेकेदार) का दायित्व होगा कि वह आवास मानकों के अनुपालन की निगरानी करे और उनके कार्यान्वयन के संबंध में नियमित रूप से अकैया ग्रीन फ्यूल्स को रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

8.4. ठेकेदार प्रबंधन

अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजना कंपनियाँ ठेकेदारों और अन्य तृतीय पक्षों के एचएसएसई प्रदर्शन का प्रबंधन ठेकेदार प्रबंधन योजना / ठेकेदारों के लिए एचएसएसई आवश्यकताओं के माध्यम से करेंगी, जिसमें एचएसएसई प्रबंधन और प्रदर्शन के लिए न्यूनतम आवश्यकताएँ निर्धारित की जाती हैं, जिसमें एचएसएसई प्रबंधन और निगरानी के मानक, तथा परियोजना की एचएसएसई प्रतिबद्धताओं और मानकों से उत्पन्न प्रमुख प्रदर्शन संकेतक शामिल हैं।

ईपीसी/ओ एंड एम ठेकेदार को एक ऐसी प्रणाली संचालित करनी होगी जो ईएसएमएस और ईएसएमपी के अनुरूप हो। ईपीसी/ओ एंड एम ठेकेदार, अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजना कंपनी और उप-ठेकेदारों के बीच समन्वय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाना आवश्यक है, ताकि एचएसएसई जोखिमों को न्यूनतम किया जा सके और प्रदर्शन बनाए रखा जा सके।

ठेकेदारों को अनुबंध प्रदान किए जाने के बाद एक एचएसएसई प्रबंधन योजना प्रस्तुत करनी होगी। ठेकेदार की एचएसएसई योजना में यह वर्णित होना चाहिए कि अच्छे स्तर का एचएसएसई प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए परिचालन व्यवस्थाएँ क्या होंगी।

जहाँ उपयुक्त हो, ठेकेदार अपने ईएसएमएस और अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह के ईएसएमएस के बीच एक समन्वय दस्तावेज़ तैयार करेगा, ताकि भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के संबंध में स्पष्टता सुनिश्चित की जा सके तथा सामान्य संचालन और घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया के दौरान दृष्टिकोण में एकरूपता बनी रहे।

8.4.1 ठेकेदार प्रबंधन कार्यक्रम

आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों के अनुबंधों के लिए, अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह की कंपनियाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि अनुबंध में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख हो कि ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता एचएसएसई आवश्यकताओं (जहाँ लागू हो) का पालन करेंगे। ठेकेदारों को संलग्न करने से पहले, उन्हें एचएसएसई आवश्यकताओं की समीक्षा करनी होगी और यह पुष्टि करनी होगी कि उनके कार्यक्रम और कार्य पद्धतियाँ इन आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं। पहचानी गई नीतियाँ, प्रक्रियाएँ और आवश्यकताएँ संविदात्मक दायित्व मानी जाएँगी और किसी भी प्रकार का अनुपालन न होना अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा। अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह की कंपनियों के साथ कार्य हेतु आवेदन करते समय प्रत्येक ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता को सुरक्षित संचालन का इतिहास प्रदर्शित करना होगा तथा अपने पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा अपशिष्ट निपटान से संबंधित दस्तावेजों और कार्यक्रमों की प्रतियाँ प्रदान करने के लिए तैयार रहना होगा।

ठेकेदारों को अपनी गतिविधियों के अनुरूप प्रबंधन कार्यक्रम विकसित और लागू करने होंगे, जिनमें उन शमन, प्रबंधन और निगरानी उपायों का विवरण होगा जिन्हें वे अपनी गतिविधियों से जुड़े एचएसएसई पहलुओं, जोखिमों और प्रभावों के प्रबंधन के लिए अपनाएँगे। ठेकेदार प्रबंधन कार्यक्रमों में इस ईएसएमएस तथा संबंधित एचएसएसई प्रतिबद्धताओं और उद्देश्यों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

ठेकेदार दस्तावेजों में शामिल एचएसएसई आवश्यकताओं के अनुसार, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन के लिए निम्नलिखित प्रबंधन योजनाएँ और व्यवस्थाएँ ठेकेदार द्वारा लागू की जाएँगी। अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह की कंपनियाँ इन व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगी ताकि अनुपालन की पुष्टि की जा सके।

ईपीसी/ओ एंड एम ठेकेदार को निर्माण/संचालन चरण के लिए एक ईएसएमएस विकसित और लागू करना आवश्यक है तथा इसे समीक्षा और अनुमोदन के लिए अकैया ग्रीन फ्यूल्स को प्रस्तुत करना होगा। यह एक संविदात्मक आवश्यकता है (ठेकेदारों के लिए एचएसएसई आवश्यकताओं का संदर्भ लें - जिसे ईपीसी/ओ एंड एम अनुबंध में शामिल किया जाना है) और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं:

- ऐसी योजनाएँ जिनमें यह बताया गया हो कि वे अपने कार्य के दायरे के संबंध में एचएसएसई आवश्यकताओं और परियोजना शिकायत निवारण तंत्र का पालन कैसे करेंगे।

- एचएसएसई आवश्यकताओं से संबंधित कानूनी और अन्य आवश्यकताओं का रजिस्टर।
- कार्य हेतु संगठनात्मक चार्ट (जिसमें उप-ठेकेदारों और अन्य पक्षों का विवरण शामिल हो)।
- एचएसएसई आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए जिम्मेदार कर्मियों के नाम, उनकी योग्यता और अनुभव ("एचएसएसई प्रबंधक" - इसमें एक या अधिक व्यक्ति शामिल हो सकते हैं)।
- प्रत्येक कार्य गतिविधि के लिए जोखिम आकलन, जो कार्य जोखिम आकलन (जेएचए) या समकक्ष दस्तावेज़ द्वारा समर्थित हो।
- ऐसी गतिविधियों और भूमिकाओं की सूची जिनके लिए योग्य कर्मियों की आवश्यकता होती है (जैसे ऊँचाई पर कार्य, वाहन चलाना, मशीन संचालन, विद्युत कार्य आदि), तथा इन भूमिकाओं के लिए कर्मियों के नाम और प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ।
- आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना, जिसमें प्राथमिक उपचार की व्यवस्था शामिल हो।
- कर्मचारियों के लिए ईएचएसएस अभिमुखीकरण योजना, जिसमें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) की व्यवस्था शामिल हो।
- स्थल पर संग्रहीत किए जाने वाले किसी भी खतरनाक पदार्थों की सूची तथा उनके भंडारण/हैंडलिंग आवश्यकताएँ (जिसमें सामग्री सुरक्षा डेटा शीट (एमएसडीएस) शामिल हों)।
- श्रम प्रबंधन नीति और प्रक्रियाएँ।
- मद्यपान और अन्य नशीले पदार्थों से संबंधित नीति, जो सभी श्रमिकों (उप-ठेकेदारों सहित) पर लागू होगी।
- अपशिष्ट प्रबंधन योजना।
- आकस्मिक खोज प्रक्रिया।
- श्रमिक आवास, कार्य स्थल पर शौचालय/स्वच्छता सुविधाएँ तथा पेयजल की व्यवस्था (उप-ठेकेदारों सहित)।
- कार्य के दौरान ऑडिट और निरीक्षण के लिए कार्यक्रम।

अकैया ग्रीन फ्यूल्स इन योजनाओं/व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा ताकि अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

9. निगरानी और रिपोर्टिंग

9.1. अवलोकन

अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह के एचएसएसई प्रदर्शन की निरंतर निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रियाएँ इस ईएसएमएस में संदर्भित एचएसएसई आवश्यकताओं के आधार पर विकसित और लागू की जाएँगी। अकैया ग्रीन फ्यूल्स एक ऑडिट योजना तैयार करेगा, जिसमें भ्रमण के लिए प्रक्रियाएँ और समय-सीमा शामिल होगी।

परियोजना गतिविधियों का ऑडिट और निरीक्षण नियमित और नियोजित आधार पर किया जाएगा, जिसमें आंतरिक निरीक्षण/ऑडिट (संबंधित पक्ष द्वारा अपने प्रदर्शन का) तथा अकैया ग्रीन फ्यूल्स समूह की कंपनियों द्वारा किए गए ऑडिट दोनों शामिल होंगे।

यदि ऑफ-टेकर/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार अवैध या बहिष्कृत गतिविधियों, मानवाधिकार उल्लंघनों या महत्वपूर्ण पर्यावरणीय घटनाओं से संबंधित उल्लंघनों या खराब प्रथाओं में शामिल पाए जाते हैं, तो इसे एक घटना माना जाएगा और इसकी सूचना ईएसजी उपसमिति को दी जाएगी। इसके बाद आवश्यक कार्रवाइयों पर ईएसजी उपसमिति के साथ चर्चा की जाएगी।

सभी ठेकेदार और तृतीय पक्ष अपने-अपने ईएसएमएस के अंतर्गत एक ऑडिट प्रक्रिया निर्धारित करेंगे, जिसमें ऑडिट की आवृत्ति, विधियाँ, परिणामों के विश्लेषण/मूल्यांकन और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया, तथा परिणामों को किसे रिपोर्ट किया जाएगा, यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होगा। साथ ही, ऐसी प्रक्रियाएँ भी निर्धारित की जाएँगी जिनके माध्यम से उन स्थितियों का समाधान किया जा सके, जहाँ निगरानी के परिणाम मानकों या प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के अनुपालन न होने को दर्शाते हैं।

9.2. ईएसएमएस के अनुपालन का मूल्यांकन

9.2.1. ईएसएमएस अनुपालन की निगरानी

अकैया ग्रीन फ्यूल्स समय-समय पर आंतरिक ऑडिट करेगा ताकि यह आकलन किया जा सके कि इस ईएसएमएस की आवश्यकताओं को सभी गतिविधियों में किस सीमा तक लागू और पालन किया जा रहा है।

9.2.2. परियोजनाओं के अनुपालन की निगरानी

अकैया ग्रीन फ्यूल्स की अनुपालन संबंधी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, परियोजना की गतिविधियों के लागू कानूनी और अन्य आवश्यकताओं के विरुद्ध निरंतर अनुपालन की पुष्टि हेतु आंतरिक और बाहरी ऑडिट किए जाएँगे। ईएसजी निदेशक द्वारा **तालिका 9-1** में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वार्षिक आधार पर एक ऑडिट कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और इसे चर्चा एवं अनुमोदन के लिए ईएसजी उपसमिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अकैया ग्रीन फ्यूल्स यह सुनिश्चित करेगा कि ऑडिट संचालन के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध हो।

तालिका 9-1 परियोजनाओं की निगरानी

विषय	विवरण
विकास चरण	• विकास चरण के दौरान, अकैया ग्रीन फ्यूल्स के ईएसजी निदेशक/ईएसजी प्रबंधक द्वारा परियोजना स्थल का कम से कम एक दौरा किया जाएगा। इस दौरे का उद्देश्य परियोजना के पर्यावरणीय एवं सामाजिक संदर्भ की समग्र समझ विकसित करना और प्रमुख हितधारकों के साथ संवाद करना होगा। • यदि ईएसजी निदेशक/प्रबंधक या निवेशकों द्वारा आवश्यक समझा जाता है, तो अकैया ग्रीन फ्यूल्स एक स्वतंत्र सलाहकार की नियुक्ति करेगा, जो विशेषज्ञ निगरानी सेवाएँ प्रदान करेगा, जिसमें व्यापक सामुदायिक समर्थन के स्तर की निरंतर निगरानी भी शामिल होगी।
निर्माण चरण	• निर्माण स्वीकृति के पश्चात, ईएसजी निदेशक/प्रबंधक परियोजना के साथ मासिक (या आवश्यकता अनुसार अधिक बार) समीक्षा करेगा, ताकि एचएसएसई आवश्यकताओं के अनुपालन और कार्यों की प्रगति की निगरानी की जा सके। ये समीक्षाएँ प्रत्यक्ष रूप से या आभासी माध्यम से की जा सकती हैं। यह निगरानी तब तक जारी रहेगी जब तक सभी कार्य ईएसजी निदेशक/निवेशकों की संतुष्टि के अनुसार पूर्ण नहीं हो जाते।

विषय	विवरण
	• निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं के लिए, ईएसजी निदेशक/प्रबंधक द्वारा निर्माण चरण के दौरान कम से कम मासिक आधार पर स्थल पर एचएसएसई ऑडिट किए जाएँगे या करवाए जाएँगे, ताकि इस ईएसएमएस और परियोजना-विशिष्ट दस्तावेजों (जैसे ईएसएपी, ठेकेदारों के लिए एचएसएसई आवश्यकताएँ, लैंगिक कार्य योजना आदि) के अनुपालन की पुष्टि की जा सके। निर्माण के दौरान कम से कम एक और आदर्श रूप से दो एचएसएसई ऑडिट कराने के लिए एक बाहरी सलाहकार नियुक्त किया जाएगा। • एचएसएसई ऑडिट के अंतर्गत, अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजना स्थल पर कार्यरत अपने ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों के एचएसएसई प्रदर्शन की निगरानी और समीक्षा करेगा। इन गतिविधियों के परिणामों की रिपोर्ट ईएसजी उपसमिति और अकैया ग्रीन फ्यूल्स निदेशक मंडल को दी जाएगी।
संचालन चरण	• संचालन में चल रही सभी परियोजनाओं के लिए, अकैया ग्रीन फ्यूल्स द्वारा एचएसएसई प्रदर्शन के त्रैमासिक स्थल-आधारित ऑडिट किए जाएँगे, और यदि ईएसजी निदेशक/निवेशकों द्वारा परियोजना के पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिम/प्रभाव के आधार पर आवश्यक समझा जाए तो अधिक बार भी किए जा सकते हैं। • ईएसजी उपसमिति के साथ सहमति के अनुसार, समय-समय पर बाहरी ऑडिट कराने के लिए एक बाहरी सलाहकार नियुक्त किया जाएगा। • एचएसएसई ऑडिट के अंतर्गत, अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजना स्थल पर कार्यरत अपने ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों के पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रदर्शन की निगरानी और समीक्षा करेगा। इन गतिविधियों के परिणामों की रिपोर्ट ईएसजी उपसमिति और अकैया ग्रीन फ्यूल्स निदेशक मंडल को दी जाएगी। • सभी परिसंपत्तियाँ निवेशकों द्वारा आयोजित वार्षिक प्रबंधन समीक्षा में भाग लेंगी, जिसमें समग्र पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी।

9.3. असंगति, सुधारात्मक कार्रवाई एवं निवारक कार्रवाई

असंगति की पहचान कई माध्यमों से की जा सकती है, जिनमें ऑडिट और निरीक्षण, बाहरी शिकायतें, पर्यावरणीय निगरानी, या कर्मचारियों अथवा ठेकेदारों के सुझाव शामिल हैं।

पहचानी गई असंगतियाँ, अवलोकन और सहमति से तय सुधारात्मक कार्रवाइयाँ दर्ज की जाती हैं और उनके पूर्ण निष्पादन तक उनका अनुगमन किया जाता है। जहाँ आवश्यक हो, समापन की पुष्टि अनुवर्ती ऑडिट के माध्यम से की जाती है।

बाहरी शिकायतों से उत्पन्न असंगतियों का प्रबंधन हितधारक सहभागिता योजना में शामिल परियोजना शिकायत निवारण तंत्र के अनुसार किया जाता है।

निरीक्षण के दौरान या कर्मचारियों अथवा ठेकेदारों के सुझावों के परिणामस्वरूप पहचाने गए सुधार के अवसर, जिन्हें स्थल पर तुरंत लागू नहीं किया जा सकता, उन्हें ईएसएमएस निरीक्षण कार्यक्रम के माध्यम से पूर्ण निष्पादन तक अनुगमन किया जाता है।

9.4. एचएसएसई प्रबंधन समीक्षा

प्रत्येक परियोजना के समग्र एचएसएसई प्रदर्शन की समीक्षा के लिए परियोजना प्रबंधन समीक्षा बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाएँगी (इसे निदेशक मंडल की बैठक के भाग के रूप में भी किया जा सकता है)। इन समीक्षाओं की अध्यक्षता परियोजना निदेशक करेंगे। ईपीसी/ओ एंड एम ठेकेदार तथा सभी उप-ठेकेदारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

9.5. एचएसएसई प्रदर्शन रिपोर्टिंग

9.5.1 केपीआई पर मासिक रिपोर्टिंग

अकैया ग्रीन फ्यूल्स, सीएफएम द्वारा प्रदान किए गए प्रारूप के अनुसार, निम्नलिखित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) का उपयोग करते हुए मासिक आधार पर डेटा सीएफएम को प्रदान करेगा।

तालिका 9-2 मासिक केपीआई

सूचक	विवरण
एचएसएसई घटनाएँ	
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा घटनाओं की संख्या	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान हुई कुल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा घटनाओं की संख्या, जिसमें प्राथमिक उपचार के मामले, चिकित्सीय उपचार के मामले, कार्य-समय हानि घटनाएँ और मृत्यु शामिल हैं।
सुरक्षा घटनाओं की संख्या	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान हुई कुल सुरक्षा घटनाओं की संख्या, जिसमें संयंत्र और उपकरणों को नुकसान, चोरी, अनधिकृत प्रवेश शामिल हैं।
ठेकेदार श्रम-संबंधी घटनाओं की संख्या	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान हुई श्रम-संबंधी कुल घटनाओं की संख्या, जिसमें नाबालिग श्रमिक, अनुशासनात्मक मामले, भेदभाव के मामले, विरोध, हड़ताल तथा अन्य व्यवधान शामिल हैं।
पर्यावरणीय घटनाओं की संख्या और प्रकृति	ऐसी सभी घटनाओं को संदर्भित करता है जो पर्यावरण को हानि पहुँचा सकती हैं, जिसमें खतरनाक तरल पदार्थों का रिसाव, वायुमंडल में उत्सर्जन का अनियोजित उत्सर्जन, तथा वन्यजीव (वनस्पति और जीव-जंतु) को हानि या चोट शामिल है, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है।
एचएसएसई घटनाओं के परिणाम	
मृत्यु की संख्या	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कार्य से संबंधित कुल मृत्यु की संख्या, जिसमें परियोजना कार्यबल के सदस्य और तृतीय पक्ष (सार्वजनिक सदस्यों सहित) शामिल हैं।
उच्च संभावित घटनाओं (एचपीआई) की संख्या	ऐसी घटना या निकट चूक, जिसमें भिन्न, संभावित परिस्थितियों में सबसे गंभीर संभावित परिणाम एक महत्वपूर्ण घटना हो सकता था (परिभाषा के लिए सीएफएम ईएसएमएस मैनुअल शब्दावली देखें)।
चोटों की संख्या और प्रकृति	रिपोर्ट की जाने वाली चोटों में प्राथमिक उपचार के मामले, चिकित्सीय उपचार के मामले, कार्य-समय हानि घटनाएँ तथा व्यावसायिक बीमारी या रोग शामिल हैं।The परियोजना कंपनी को किसी भी ऐसी घटना की रिपोर्ट करना आवश्यक है जिसमें परियोजना कार्यबल और तृतीय पक्ष (सार्वजनिक सदस्यों सहित) शामिल हों।
संयंत्र या संपत्ति को हुए नुकसान से संबंधित घटनाओं की संख्या और प्रकृति	ऐसी घटनाएँ जिनके परिणामस्वरूप परियोजना कंपनी के स्वामित्व या पट्टे पर लिए गए संयंत्र या संपत्ति को नुकसान होता है, तथा किसी भी तृतीय पक्ष की संपत्ति को हुए नुकसान शामिल हैं।
कार्य-समय हानि चोटों की संख्या	यह उन गैर-घातक कार्य-संबंधित चोटों की कुल संख्या को दर्शाता है, जिनके कारण एक या अधिक लगातार (कार्य दिवस और गैर-कार्य दिवस) दिनों के लिए कार्य से अनुपस्थिति होती है (दुर्घटना के दिन को छोड़कर)। यह अवधि एक दिन या एक शिफ्ट जितनी कम भी हो सकती है।
चोटों के कारण खोए गए दिनों की संख्या	गैर-घातक कार्य-संबंधित चोटों के कारण खोए गए कुल कार्य दिवसों की संख्या।
कार्य-समय हानि चोट आवृत्ति, घटना और गंभीरता दर	इनकी गणना रिपोर्टिंग प्रारूप द्वारा स्वतः की जाएगी: कार्य-समय हानि चोट आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) = प्रति 10 लाख कार्य घंटों पर चोटों की संख्या = ([रिपोर्टिंग अवधि में कार्य-समय हानि चोटों की संख्या] × 1,000,000) / (रिपोर्टिंग अवधि में कुल कार्य घंटे)। कार्य-समय हानि चोट गंभीरता दर = प्रति 100 श्रमिकों पर खोए गए कार्य-दिवसों की संख्या = ([रिपोर्टिंग अवधि में खोए गए कार्य-दिवसों की संख्या] × 200,000) / (एक वर्ष में कुल कार्य घंटे)।
प्रमुख स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अग्रणी संकेतक	
सुरक्षित कार्य घंटों की संख्या	बिना किसी घटना के किए गए कुल कार्य घंटों की संख्या।
निकट चूक घटनाओं की संख्या और प्रकृति	ऐसी घटनाएँ, जिनसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिनमें परियोजना कार्यबल के किसी सदस्य और/या तृतीय पक्ष (सार्वजनिक सदस्यों सहित) को चोट या स्वास्थ्य हानि पहुँचने की संभावना थी।
खतरनाक स्थितियों/सुरक्षा अवलोकनों की संख्या	ऐसी परिस्थितियों का समूह जिनमें हानि होने की संभावना होती है, जिसमें बीमारी या चोट, संपत्ति, संयंत्र, उत्पाद या पर्यावरण को नुकसान, उत्पादन हानि या बढ़ी हुई जिम्मेदारियाँ शामिल हैं।

सूचक	विवरण
सुलझाई गई खतरनाक स्थितियों/सुरक्षा अवलोकनों की संख्या	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान संतोषजनक रूप से सुलझाई गई स्थितियों/अवलोकनों की संख्या। इसमें जांच और सुधारात्मक कार्य योजना का औपचारिक समापन शामिल हो सकता है।
प्रमुख प्रशिक्षण और ऑडिट संकेतक	
एचएसएसई हेतु अभिमुखीकरण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या - ठेकेदार (लैंगिक आधार पर विभाजित)	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अभिमुखीकरण प्रशिक्षण में भाग लेने वाले ठेकेदार श्रमिकों की संख्या।
एचएसएसई हेतु अभिमुखीकरण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या - परियोजना कंपनी (लैंगिक आधार पर विभाजित)	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान एचएसएसई अभिमुखीकरण प्रशिक्षण में भाग लेने वाले परियोजना कंपनी के कर्मचारियों की संख्या।
एचएसएसई प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या - ठेकेदार (लैंगिक आधार पर विभाजित)	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान एचएसएसई से संबंधित प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने वाले ठेकेदार श्रमिकों की संख्या।
एचएसएसई प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या - परियोजना कंपनी (लैंगिक आधार पर विभाजित)	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान एचएसएसई से संबंधित प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने वाले परियोजना कंपनी के कर्मचारियों की संख्या।
परियोजनाओं या परियोजना पर कार्यरत ठेकेदारों पर किए गए एचएसएसई ऑडिट की संख्या	परियोजना कंपनी और/या ठेकेदारों द्वारा सीएफएम की एचएसएसई आवश्यकताओं के अनुपालन का आकलन करने के लिए आंतरिक (परियोजना कंपनी द्वारा) या तृतीय पक्षों द्वारा किए गए ऑडिट की कुल संख्या।
पर्यावरणीय प्रदर्शन	
ऊर्जा खपत (किलोवाट घंटा)	कार्यालय, निर्माण और संचालन एवं रखरखाव गतिविधियों में उपयोग की गई ऊर्जा तथा किसी भी ईंधन स्रोत से उत्पन्न ऊर्जा। जहाँ संभव हो, सटीक डेटा प्राप्त करने के लिए ऊर्जा उपयोग को मीटर के माध्यम से मापा जाएगा।
वाणिज्यिक और औद्योगिक जल खपत (घन मीटर)	परियोजना के किसी भी चरण में उपयोग किया गया जल, जिसमें कार्यालय आधारित गतिविधियाँ, निर्माण गतिविधियाँ (जैसे सीमेंट निर्माण), संचालन एवं रखरखाव गतिविधियाँ तथा निष्क्रियकरण गतिविधियाँ शामिल हैं। जहाँ संभव हो, सटीक डेटा प्राप्त करने के लिए जल उपयोग को मीटर के माध्यम से मापा जाएगा।
ठोस गैर-खतरनाक अपशिष्ट निपटान की मात्रा (किलोग्राम)	परियोजना कंपनी द्वारा उत्पन्न ठोस गैर-खतरनाक अपशिष्ट, जिन्हें पुनर्चक्रण के बजाय निपटान किया जाता है, जैसे कार्यालय अपशिष्ट, कागज, गत्ते आदि, जो कार्यालय, निर्माण और संचालन एवं रखरखाव गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं।
ठोस खतरनाक अपशिष्ट निपटान की मात्रा (किलोग्राम)	परियोजना कंपनी द्वारा उत्पन्न ठोस खतरनाक अपशिष्ट, जिनमें औद्योगिक अपशिष्ट, चिकित्सा एवं स्वच्छता से संबंधित अपशिष्ट शामिल हैं, जो कार्यालय, निर्माण और संचालन एवं रखरखाव गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं।
ठोस गैर-खतरनाक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण की मात्रा (किलोग्राम)	परियोजना कंपनी द्वारा उत्पन्न ठोस अपशिष्ट, जिन्हें पुनर्चक्रण और/या पुनः उपयोग के लिए भेजा जाता है, जैसे पैकेजिंग अपशिष्ट, लकड़ी आदि, जो कार्यालय, निर्माण और संचालन एवं रखरखाव गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं।
तरल अपशिष्ट निर्वहन (घन मीटर)	परियोजना से उत्पन्न औद्योगिक तरल अपशिष्ट, जिन्हें किसी प्राप्त जल निकाय (सीवर, सीधे पर्यावरण में जैसे समुद्र, नदी आदि) में छोड़ा जाता है।
वायु में उत्सर्जन	ऐसी परियोजनाओं के लिए, जो वार्षिक रूप से 25,000 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन उत्पन्न करती हैं या करने की अपेक्षा है, परियोजना कंपनी को परियोजना की भौतिक सीमा के भीतर स्थित सुविधाओं से प्रत्यक्ष उत्सर्जनों के साथ-साथ परियोजना द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के ऑफ-साइट उत्पादन से जुड़े अप्रत्यक्ष उत्सर्जनों का मात्रात्मक आकलन करना होगा। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों का मात्रात्मक आकलन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कार्यप्रणालियों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार वार्षिक आधार पर किया जाएगा। संदर्भ हेतु आईएफसी पीएस3 देखें।
सामाजिक प्रदर्शन	

सूचक	विवरण
नाबालिग श्रमिकों के मामले (लैंगिक आधार पर विभाजित)	स्थल पर नाबालिग श्रमिकों (अर्थात 18 वर्ष से कम आयु) से संबंधित किसी भी घटना को शामिल करता है।
बाहरी हितधारकों से प्राप्त शिकायतों और शिकायत निवारण मामलों की संख्या (लैंगिक आधार पर विभाजित)	परियोजना कंपनी द्वारा बाहरी शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से प्राप्त शिकायतों और अभ्यावेदन की संख्या को दर्शाता है। प्रत्येक शिकायत की प्रकृति और उसकी स्थिति का विवरण भी प्रदान किया जाएगा। डेटा को इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि पुरुषों और महिलाओं से प्राप्त शिकायतों की संख्या अलग-अलग दर्शाई जा सके।
बाहरी हितधारकों से प्राप्त शिकायतों और अभ्यावेदन का समाधान (लैंगिक आधार पर विभाजित)	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान संतोषजनक रूप से समाधान की गई शिकायतों की संख्या।
बाहरी हितधारकों से प्राप्त लंबित शिकायतों और अभ्यावेदन की संख्या (लैंगिक आधार पर विभाजित)	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अब तक अनसुलझी रहने वाली शिकायतों की संख्या।
मानव संसाधन और श्रम (ठेकेदार)	
आंतरिक हितधारकों से प्राप्त शिकायतों और अभ्यावेदन की संख्या (लैंगिक आधार पर विभाजित)	परियोजना कार्यबल द्वारा आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से परियोजना कंपनी को प्राप्त शिकायतों और अभ्यावेदन की संख्या को दर्शाता है।
भेदभाव या अनुशासनात्मक प्रक्रिया से संबंधित शिकायतों की संख्या	परियोजना कार्यबल से प्राप्त ऐसी शिकायतों को दर्शाता है जो भेदभाव या परियोजना की अनुशासनात्मक प्रक्रिया से संबंधित हों।
नियोजित श्रमिकों की कुल संख्या (नए रोजगार सृजन)	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान सृजित और भरे गए नए पदों/नई नियुक्तियों की संख्या (उन मामलों को छोड़कर जहाँ किसी पद को छोड़कर गए कर्मचारी के स्थान पर नई नियुक्ति की गई हो)। इसे नए रोजगार सृजन के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है।
कार्य किए गए घंटों की संख्या (लैंगिक आधार पर विभाजित)	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान पाँच-दिवसीय कार्य सप्ताह के आधार पर पूर्णकालिक समकक्ष कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य घंटों की संख्या (अतिरिक्त समय को छोड़कर), जिसे लैंगिक आधार पर विभाजित किया जाएगा।
मानव संसाधन और श्रम (परियोजना कंपनी)	
आंतरिक हितधारकों से प्राप्त शिकायतों और अभ्यावेदन की संख्या	परियोजना कार्यबल द्वारा आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से परियोजना कंपनी को प्राप्त शिकायतों और अभ्यावेदन की संख्या को दर्शाता है।
भेदभाव या अनुशासनात्मक प्रक्रिया से संबंधित शिकायतों की संख्या	परियोजना कार्यबल से प्राप्त ऐसी शिकायतों को दर्शाता है जो भेदभाव या परियोजना की अनुशासनात्मक प्रक्रिया से संबंधित हों।
कुल कर्मचारी संख्या (लैंगिक आधार पर विभाजित)	इसमें परियोजना कार्यबल के स्थायी, अंशकालिक और अस्थायी सदस्य शामिल होते हैं और इसे पूर्णकालिक समकक्ष (एफटीई) के रूप में लैंगिक आधार पर विभाजित करके रिपोर्ट किया जाएगा। कर्मचारी संख्या को इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि निर्माण चरण की गतिविधियों और संचालन/रखरखाव चरण की गतिविधियों में नियोजित कुल एफटीई अलग-अलग प्रदर्शित किए जा सकें।
लैंगिक आधार और श्रेणी के अनुसार कर्मचारियों की संख्या (केवल परियोजना कंपनी)	परियोजना के प्रत्येक चरण के लिए कर्मचारियों की संख्या को आगे श्रेणी और लैंगिक आधार पर निम्नानुसार विभाजित किया जाएगा: - वरिष्ठ प्रबंधक कर्मचारी: इसमें परियोजना निदेशक और/या 20 वर्ष से अधिक अनुभव वाले कर्मचारी शामिल होते हैं। - प्रबंधक कर्मचारी की संख्या: टीम प्रबंधक पदों पर कार्यरत कर्मचारी और/या विशेषज्ञ कौशल/क्षेत्र वाले कर्मचारी, जिनके पास सामान्यतः 10 वर्ष से अधिक अनुभव होता है। - कनिष्ठ कर्मचारी की संख्या: पेशेवर पदों पर कार्यरत कर्मचारी जिनके पास 5 वर्ष से कम अनुभव होता है। - सहायक कर्मचारी की संख्या: ऐसे कर्मचारी जिनके पदों के लिए सीमित या कोई विशेष कौशल आवश्यक नहीं होता।
कुल नए रोजगार सृजन (नियोजित श्रमिकों की संख्या)	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान सृजित और भरे गए नए पदों/नई नियुक्तियों की संख्या (उन मामलों को छोड़कर जहाँ किसी पद को छोड़कर गए कर्मचारी के स्थान पर नई नियुक्ति की गई हो)।

सूचक	विवरण
औसत कार्य घंटे	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान पाँच-दिवसीय कार्य सप्ताह के आधार पर पूर्णकालिक समकक्ष कर्मचारियों द्वारा किए गए औसत कार्य घंटे (अतिरिक्त समय को छोड़कर), जिन्हें लैंगिक आधार पर विभाजित किया जाएगा।
कुल और औसत वेतन (लैंगिक आधार पर विभाजित)	रिपोर्टिंग अवधि में भुगतान किए गए औसत वेतन, जिन्हें प्रबंधन स्तर और लैंगिक आधार पर विभाजित किया जाएगा।
रिपोर्टिंग अवधि में छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों की संख्या	ऐसे परियोजना कंपनी कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने छंटनी के कारण अपनी नौकरी खो दी, जैसे कार्य के किसी चरण की पूर्णता या परियोजना गतिविधियों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप।
नई नियुक्तियों/सेवा छोड़ने वालों का विवरण	नई नियुक्तियों का संक्षिप्त विवरण तथा प्रमुख पदों (जैसे परियोजना निदेशक, ईएसजी निदेशक/प्रबंधक, एच एंड एस अधिकारी) से सेवा छोड़ने वाले कर्मचारियों के कारणों का संक्षिप्त स्पष्टीकरण।

9.5.2 त्रैमासिक एचएसएसई रिपोर्ट

अकैया ग्रीन फ्यूल्स प्रत्येक परियोजना के एचएसएसई प्रदर्शन को दर्शाने हेतु सीएफएम को प्रस्तुत करने के लिए एक त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार करेगा। इस रिपोर्ट के लिए एक प्रारूप सीएफएम द्वारा प्रदान किया जाएगा। ये रिपोर्ट प्रत्येक कैलेंडर तिमाही के समाप्त होने के 10 दिनों के भीतर सीएफएम को भेजी जाएँगी (अर्थात 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर)। रिपोर्ट में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की जाएगी:

तालिका 9-3 त्रैमासिक रिपोर्ट

त्रैमासिक एचएसएसई प्रदर्शन रिपोर्ट

- एचएसएसई प्रदर्शन का अवलोकन, जो अनुभाग 8.5.1.1 में केपीआई के अनुसार मासिक रूप से रिपोर्ट किए गए एचएसएसई डेटा के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रवृत्ति विश्लेषण के परिणाम तथा घटित घटनाओं के संबंध में की जा रही कार्रवाइयाँ शामिल होंगी (त्रैमासिक रिपोर्ट)।
- परियोजना प्रगति (एचएसएसई की प्रमुख उपलब्धियों और विशेष बिंदुओं का सारांश, प्रमुख पदों की भर्ती और पूर्ति का सारांश, अगले 3 महीनों की संभावित योजना और संबंधित समय-सीमा, तथा संबंधित एचएसएसई चिंताएँ और जोखिम) (त्रैमासिक रिपोर्ट)।
- बाहरी पर्यावरणीय एवं सामाजिक आकलनों का सारांश (जैसे आईएफसी अनुरूप ईएसआईए, बाहरी ऑडिट आदि) तथा आकलन करने के लिए नियुक्त संस्था का विवरण।
- रोजगार संबंधी डेटा (त्रैमासिक रिपोर्ट), निम्नानुसार:
- नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या और उनका विभाजन:
- प्रत्यक्ष रोजगार (कुल संख्या)।
- स्थायी पुरुष कर्मचारियों की संख्या और कौशल स्तर।
- स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या और कौशल स्तर।
- कार्य किए गए मानव-घंटे (जहाँ लागू हो, ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों सहित)।
- रिपोर्टिंग अवधि में कर्मचारियों की किसी भी छंटनी का विवरण, जिसमें प्रभावित कर्मचारियों की संख्या और छंटनी योजना शामिल होगी (रिपोर्ट के साथ प्रति प्रदान की जाएगी)।
- कच्चे और उत्पादित जल से संबंधित जल गुणवत्ता निगरानी डेटा।
- कार्य किए गए मानव-घंटे (जहाँ लागू हो, ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों सहित)।
- एचएसएसई आवश्यकताओं (जिसमें ईएसएमपी शामिल है) के अनुपालन की स्थिति।
- किसी भी अनुपालन न होने की स्थिति के लिए प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाइयाँ।
- सामुदायिक विकास कार्यक्रम की गतिविधियाँ तथा पर्यावरणीय या सामाजिक लाभ से संबंधित अन्य पहलें।
- ऐसे किसी भी प्रदर्शन सुधार का विवरण जिनसे स्पष्ट पर्यावरणीय लाभ प्राप्त हुआ हो।
- लैंगिक कार्य योजना में वर्णित कार्रवाइयों के कार्यान्वयन की प्रगति।
- ईएसएपी (जहाँ लागू हो) में वर्णित कार्रवाइयों के कार्यान्वयन की प्रगति।

9.5.3 मासिक प्रभाव रिपोर्ट

अकैया ग्रीन फ्यूल्स निम्नलिखित जानकारी प्रदान करेगा:

- मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन (एमआरवी या "एमआरवी प्रक्रिया") के लिए आवश्यक इनपुट डेटा, ताकि परियोजनाओं से जुड़े जलवायु शमन प्रभाव (अर्थात प्रति वर्ष टन सीओ$_2$ समतुल्य में बचाए गए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन) की गणना की जा सके।
- लाभान्वित लोग: ऐसे लाभार्थी जिन्हें बेहतर, स्वच्छ या अधिक विश्वसनीय ऊर्जा सेवाओं तक पहुँच प्राप्त हुई है।
- रोजगार सृजन/समर्थन: निर्माण और संचालन के दौरान सीधे उत्पन्न रोजगार।
- निजी क्षेत्र वित्तपोषण को प्रोत्साहन (अमेरिकी डॉलर में)

9.5.4 त्रैमासिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन रिपोर्ट

अकैया ग्रीन फ्यूल्स के ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन सूची का मापन, निगरानी और रिपोर्टिंग उसके जलवायु प्रभाव के जिम्मेदार प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तथा यह उन विकल्पों की पहचान करने में भी सहायक है जो उत्सर्जन को कम कर सकते हैं, जिससे ऊर्जा दक्षता में सुधार और संभावित लागत बचत हो सकती है।

अकैया ग्रीन फ्यूल्स, सीएफएम द्वारा प्रदान किए गए जीएचजी डेटा संग्रह उपकरण के माध्यम से, त्रैमासिक आधार पर डेटा संकलित कर सीएफएम को प्रदान करेगा। जीएचजी डेटा प्रत्येक त्रैमासिक रिपोर्टिंग अवधि के अंतिम दिन के 30 कैलेंडर दिनों के भीतर सीएफएम के साथ साझा किया जाएगा। इस डेटा में निम्नलिखित शामिल होंगे, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे: ईंधनों की खपत, फ्लोरीनयुक्त गैसों और सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस की खपत, अग्निशमन पदार्थों का उपयोग, बिजली की खपत, कार्यालय व्यय, संचालन व्यय, निर्माण व्यय, परिवहन और वितरण, जल, अपशिष्ट, व्यावसायिक यात्रा और आवागमन (कम्यूटिंग)

9.5.5 वार्षिक एचएसएसई रिपोर्ट

अकैया ग्रीन फ्यूल्स और उसकी परियोजनाओं के एचएसएसई प्रदर्शन का मूल्यांकन सीएफएम द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाएगा। प्रदर्शन का मानक सभी लागू एचएसएसई आवश्यकताओं के विरुद्ध निरंतर अनुपालन होगा। रिपोर्ट के लिए एक प्रारूप सीएफएम द्वारा प्रदान किया जाएगा। अकैया ग्रीन फ्यूल्स को निम्नलिखित विवरणों सहित एक वार्षिक एचएसएसई निगरानी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करनी होगी:

तालिका 9-4 वार्षिक रिपोर्ट

वार्षिक एचएसएसई प्रदर्शन रिपोर्ट

- कंपनी की गतिविधियों में पहचाने गए महत्वपूर्ण एचएसएसई जोखिमों का सारांश आकलन।
- मुख्य ईएसजी/एचएसएसई कर्मियों का विवरण।
- एचएसएसई प्रदर्शन की स्थिति (जिसमें अनुभाग 8.5.1.1 में सूचीबद्ध केपीआई के विरुद्ध प्रदर्शन, ईएसएमएस का कार्यान्वयन, लैंगिक कार्य योजना, ईएसएमपी तथा सहमति प्राप्त ईएसएपी (जहाँ लागू हो) का कार्यान्वयन शामिल है)।
- अनुभाग 8.5.1.2 के अनुसार रोजगार संबंधी डेटा।
- एचएसएसई ऑडिट/आकलन उद्देश्यों के लिए किए गए अंतिम स्थल भ्रमण की तिथि।
- एचएसएसई आवश्यकताओं के अनुपालन की स्थिति।
- किसी भी अनुपालन न होने की स्थिति के लिए प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाइयाँ।
- ऐसे किसी भी प्रदर्शन सुधार का विवरण जिनसे स्पष्ट पर्यावरणीय लाभ प्राप्त हुआ हो।
- सामुदायिक विकास कार्यक्रम की गतिविधियाँ तथा पर्यावरणीय या सामाजिक लाभ से संबंधित अन्य पहलें।
- ईएसएपी (जहाँ लागू हो) के अनुपालन की स्थिति।
- ईएसएमएस में किए गए किसी भी संशोधन का विवरण (नवीनतम ईएसएमएस की प्रति संलग्न के रूप में प्रदान की जाएगी)।

9.6. ठेकेदार रिपोर्टिंग

अकैया ग्रीन फ्यूल्स अपने ठेकेदारों से भी समान जानकारी प्रदान करने की अपेक्षा करेगा, ताकि परियोजना स्तर पर जानकारी का समेकन किया जा सके। इसके अतिरिक्त, अकैया ग्रीन फ्यूल्स ठेकेदारों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहेगा कि: (i) सभी श्रमिक परियोजना शिकायत निवारण तंत्र से अवगत हों; (ii) श्रमिकों को श्रमिक संगठनों का गठन करने और उनमें शामिल होने तथा सामूहिक सौदेबाजी करने की अनुमति हो; और (iii) दुर्घटना की स्थिति में सभी श्रमिकों का आय हानि और चिकित्सा व्यय के विरुद्ध बीमा किया गया हो।

9.7. घटना / दुर्घटना रिपोर्टिंग

यदि किसी परियोजना स्थल पर या परियोजना से संबंधित गतिविधियों के दौरान (जिसमें परियोजना स्थल तक आने-जाने का परिवहन भी शामिल है) कोई घटना या दुर्घटना घटित होती है, तो अकैया ग्रीन फ्यूल्स को नीचे वर्णित आवश्यकताओं के अनुसार एक सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसके बाद एक विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। अकैया ग्रीन फ्यूल्स घटना या दुर्घटना की जानकारी प्राप्त होते ही यथाशीघ्र सीएफएम को सूचित करेगा। रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ निम्नलिखित प्रकार की घटनाओं और दुर्घटनाओं पर लागू होंगी: -

महत्वपूर्ण घटना	ऐसी पर्यावरणीय और/या सामाजिक घटना जो स्थल पर, स्थल के बाहर या पोर्टफोलियो में घटित होती है, लेकिन जो सीधे परिसंपत्ति के विकास, निर्माण और/या संचालन गतिविधियों से संबंधित होती है और सामान्यतः निम्नलिखित में से एक या अधिक परिणाम उत्पन्न करती है: • किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु हो जाना या जीवन बदल देने वाली गंभीर चोट लगना (जिसमें परियोजना कार्यबल, आगंतुक और आम जनता के सदस्य शामिल हैं); • ऐसी घटना जिसमें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो (अर्थात व्यावसायिक चोट या बीमारी के लिए केवल निरीक्षण से अधिक चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो); • कार्यबल में स्वास्थ्य महामारी का फैलना; • वास्तविक या संभावित मानवाधिकार उल्लंघन; • गंभीर पर्यावरणीय क्षति या वैधानिक आवश्यकताओं का दीर्घकालिक उल्लंघन; • महत्वपूर्ण वित्तीय हानि और/या विनियमों का अनुपालन न होना और/या अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रथाओं को न अपनाना; और/या • कंपनी की प्रतिष्ठा पर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा प्रभाव (जैसे सामुदायिक असंतोष या विरोध से संबंधित)।
उच्च संभावित घटना (उच्च संभावित निकट चूक सहित) (एचपीआई)	कुछ घटनाएँ और निकट चूक ऐसी हो सकती हैं जो स्थल पर, परियोजना में या परियोजना से संबंधित गतिविधियों के दौरान घटित होती हैं, और जिनमें भिन्न, संभावित परिस्थितियों में सबसे गंभीर संभावित परिणाम एक महत्वपूर्ण घटना हो सकता था।
रिपोर्ट योग्य घटना	ऐसी कोई भी पर्यावरणीय और/या सामाजिक घटना जिसे सीएफएम द्वारा अपने निवेशकों और दाताओं को रिपोर्ट करना आवश्यक हो, जिसमें महत्वपूर्ण घटनाएँ और उच्च संभावित घटनाएँ शामिल हैं। यह निर्धारित करते समय कि कोई घटना रिपोर्ट योग्य है या नहीं, यह अपेक्षित होना चाहिए कि घटना/दुर्घटना की परिस्थितियाँ परियोजना कंपनी के संचालन के कार्यान्वयन या संचालन पर, पर्यावरणीय एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुपालन के संदर्भ में, महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। इसमें उदाहरण के रूप में पर्यावरणीय और/या सामाजिक दावे, दुर्घटनाएँ, मृत्यु, कानून का गंभीर उल्लंघन, या सामाजिक या प्राकृतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव शामिल हो सकते हैं।

अन्य प्रकार की दुर्घटनाएँ और घटनाएँ अनुभाग 9.5.1.1 में वर्णित मासिक रिपोर्टिंग के माध्यम से रिपोर्ट की जा सकती हैं।

9.7.1 सूचना रिपोर्ट

अकैया ग्रीन फ्यूल्स किसी भी सामाजिक, श्रम, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, संरक्षा या पर्यावरणीय घटना या दुर्घटना की सूचना ईएसजी उपसमिति और निदेशक मंडल को देगा, जो अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजना से संबंधित हो। घटना/दुर्घटना की परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए जिनसे यह अपेक्षित हो कि वे सभी लागू एचएसएसई आवश्यकताओं के अनुपालन में अकैया ग्रीन फ्यूल्स के संचालन के कार्यान्वयन या संचालन पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। इसमें उदाहरण के रूप में किसी भी पर्यावरणीय एवं सामाजिक दावे, दुर्घटनाएँ, मृत्यु, कानून का गंभीर उल्लंघन, या सामाजिक या प्राकृतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव शामिल हो सकते हैं। यह सूचना यथाशीघ्र दी जाएगी और किसी भी स्थिति में घटना की जानकारी प्राप्त होने के तीन (3) दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक सूचना एक सूचना रिपोर्ट भरकर दी जाएगी।

मामलों की विशेष प्रकृति और आवश्यक प्रतिक्रियाओं को देखते हुए, लैंगिक संबंधित किसी भी शिकायत, अभ्यावेदन या घटना, जिसमें जीबीवीएच और/या एसईएएच से संबंधित मामले या निकट चूक शामिल हैं, की सूचना भी यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में घटना की जानकारी प्राप्त होने के तीन (3) दिनों के भीतर दी जाएगी।

9.7.2 घटना / दुर्घटना विस्तृत रिपोर्ट

इसके पश्चात यथाशीघ्र, और अधिकतम पहली सूचना रिपोर्ट के 30 (तीस) दिनों के भीतर, अकैया ग्रीन फ्यूल्स एक दुर्घटना जांच रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे ईएसजी उपसमिति तथा निदेशक मंडल के साथ साझा करेगा। इस रिपोर्ट में प्रत्येक मामले में घटना/दुर्घटना/स्थिति की प्रकृति, उससे उत्पन्न या संभावित प्रभाव, तथा उन्हें संबोधित करने और भविष्य में ऐसी समान घटनाओं की रोकथाम के लिए किए जा रहे या प्रस्तावित उपायों का विवरण शामिल होगा।

9.7.3 घटना / दुर्घटना प्रगति रिपोर्ट

गंभीर मामलों में, अकैया ग्रीन फ्यूल्स ईएसजी उपसमिति को नियमित आधार पर (समय-सीमा सहमति के अनुसार, परंतु कम से कम मासिक) सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी) उपायों के चल रहे कार्यान्वयन और उनकी प्रभावशीलता के बारे में सूचित करता रहेगा, जब तक कि यह सहमति न हो जाए कि सभी सीएपी उपाय सफलतापूर्वक लागू हो चुके हैं और घटना को पूर्ण रूप से बंद माना जा सकता है। निदेशक मंडल को भी कम से कम त्रैमासिक आधार पर अद्यतन जानकारी प्रदान की जाएगी, जब तक कि अन्यथा सहमति न हो।

10. प्रकटीकरण

एसईपी में निर्दिष्ट अनुसार निगरानी रिपोर्टों और हितधारक सहभागिता गतिविधियों के माध्यम से प्रकट की जाने वाली परियोजना जानकारी के अतिरिक्त, निम्नलिखित जानकारी अकैया ग्रीन फ्यूल्स की वेबसाइट पर प्रकाशित की जानी चाहिए:

- प्रत्येक अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजना का प्रभाव (स्थापित और उत्पन्न स्वच्छ ऊर्जा, बचाए गए कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, सृजित रोजगार, लाभान्वित लोग तथा अन्य प्रभाव आदि)। ये सभी आँकड़े सीएफएम की वेबसाइट पर उपलब्ध आँकड़ों के अनुरूप होने चाहिए और इन्हें पहले से निवेशकों के साथ रिपोर्ट एवं पुष्टि किया जाना चाहिए।
- अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजना और एचएसएसई संदर्भ का विवरण।
- अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजना के ईएसएमपी/एचएसएसई प्रबंधन प्रणाली की रूपरेखा।
- शिकायत निवारण तंत्र।
- सामुदायिक विकास कार्यक्रम से संबंधित गतिविधियों का अवलोकन।

अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजनाओं से संबंधित किसी भी प्रभाव या ईएसजी/एचएसएसई जानकारी को अकैया ग्रीन फ्यूल्स की वेबसाइट पर प्रकाशित करने से पूर्व, अकैया ग्रीन फ्यूल्स ईएसजी उपसमिति से लिखित रूप में अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

परिशिष्ट क: बहिष्करण सूची

अकैया ग्रीन फ्यूल्स निम्नलिखित से संबंधित किसी भी उत्पादन, उपयोग, व्यापार, वितरण या गतिविधि को वित्तपोषित नहीं करेगा:

- बलपूर्वक श्रम[5] या बाल श्रम।[6]
- ऐसी गतिविधियाँ या सामग्री जो मेजबान देश के कानूनों या विनियमों या अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों के तहत अवैध मानी जाती हैं, या जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चरणबद्ध समाप्ति या प्रतिबंध के अधीन हैं, जैसे:
- ओजोन क्षयकारी पदार्थ, पीसीबी (पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल) और अन्य विशिष्ट खतरनाक औषधियाँ, कीटनाशक/शाकनाशी या रसायन;
- वन्यजीव या उत्पाद जो संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (साइट्स) के अंतर्गत विनियमित हैं; या
- अस्थायी/असतत मत्स्य पालन विधियाँ (जैसे विस्फोटक मत्स्य पालन और समुद्री पर्यावरण में 2.5 किमी से अधिक लंबाई वाले जाल का उपयोग कर ड्रिफ्ट नेट मत्स्य पालन)।
- ऐसे टैंकरों में तेल या अन्य खतरनाक पदार्थों का परिवहन जो आईएमओ आवश्यकताओं का पालन नहीं करते हैं।
- कचरे और अपशिष्ट उत्पादों का सीमा-पार व्यापार, जब तक कि यह बेसल कन्वेंशन और संबंधित विनियमों के अनुरूप न हो।
- "उच्च संरक्षण मूल्य"[7], वाले क्षेत्रों का विनाश, महत्वपूर्ण क्षरण या संशोधन।[8]
- रेडियोधर्मी पदार्थ[9] और मुक्त एस्बेस्टस रेशे।
- अश्लीलता और/या वेश्यावृत्ति।
- नस्लवादी और/या लोकतंत्र-विरोधी मीडिया।
- जीवाश्म ईंधनों (कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और पीट) की बड़े पैमाने पर खोज, निष्कर्षण, उत्पादन, वितरण, प्रसंस्करण और प्रचार में निवेश।
- ऐसी गतिविधियाँ जो सीधे जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को बढ़ाती हैं और/या जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कर ऊष्मा और ऊर्जा उत्पादन की तकनीकी या आर्थिक आयु को बढ़ाती हैं, सिवाय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों में बैक-अप, घरेलू खाना पकाने के उद्देश्य तथा उन प्रक्रियाओं के लिए जहाँ व्यवहार्य विकल्प उपलब्ध नहीं हैं।
- जैव ईंधन परियोजनाएँ यदि वे:
    - ऐसी भूमि पर उगाए गए कच्चे माल पर आधारित हों जिनमें उच्च कार्बन सामग्री या जैव विविधता मूल्य हो, जैसे वर्षावन, आर्द्रभूमि, पीट भूमि और घासभूमि, संरक्षित क्षेत्रों में या संरक्षित भूमि पर, या उच्च संरक्षण मूल्य वाली भूमि पर;
    - केवल कच्चे माल या जैव ईंधन के निर्यात पर केंद्रित बड़े पैमाने की परियोजनाएँ हों;

---

[5] बलपूर्वक श्रम का अर्थ वह सभी कार्य या सेवा है जो स्वेच्छा से नहीं की जाती और जिसे किसी व्यक्ति से बल या दंड की धमकी के तहत लिया जाता है, जैसा कि आईएलओ सम्मेलनों में परिभाषित किया गया है।

[6] व्यक्तियों को केवल तभी नियोजित किया जा सकता है जब उनकी आयु कम से कम 15 वर्ष हो, जैसा कि आईएलओ के मौलिक मानवाधिकार सम्मेलनों (न्यूनतम आयु सम्मेलन सी138, अनुच्छेद 2) में परिभाषित है, जब तक कि स्थानीय कानून अनिवार्य विद्यालय उपस्थिति या कार्य करने की न्यूनतम आयु को निर्दिष्ट न करता हो। ऐसे मामलों में उच्च आयु सीमा लागू होगी।

[7] विनाश का अर्थ है (1) भूमि या जल उपयोग में बड़े और दीर्घकालिक परिवर्तन के कारण किसी क्षेत्र की अखंडता का समाप्त होना या गंभीर रूप से कम हो जाना, या (2) किसी आवास का इस प्रकार परिवर्तन कि वह क्षेत्र अपनी भूमिका बनाए रखने की क्षमता खो दे।

[8] उच्च संरक्षण मूल्य (एचसीवी) क्षेत्र वे प्राकृतिक आवास हैं जहाँ इन मूल्यों को अत्यंत महत्वपूर्ण या अत्यावश्यक माना जाता है (देखें http://www.hcvnetwork.org)।

[9] यह प्रावधान चिकित्सा उपकरणों, गुणवत्ता नियंत्रण (मापन) उपकरणों या ऐसे किसी अन्य उपकरण की खरीद पर लागू नहीं होता, जहाँ रेडियोधर्मी स्रोत को नगण्य माना जाता है और/या पर्याप्त रूप से सुरक्षित (शील्डेड) किया गया होता है।

- ऐसे कच्चे माल का उपयोग कर रही हों जिसका उपयोग तरल जैव ईंधन के उत्पादन के लिए किया जा रहा हो, जबकि समग्र जलवायु और विकास संबंधी लाभ अधिक होते यदि उसी कच्चे माल का बिना प्रसंस्करण के, उदाहरण के लिए, सह-उत्पादन संयंत्र में प्रत्यक्ष दहन हेतु उपयोग किया जाता।

- हथियार, गोला-बारूद और हथियार वाहकों के उत्पादन और वितरण के लिए वित्तपोषण।
- यदि किसी परियोजना कंपनी की प्रमुख वित्तपोषित व्यावसायिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा निम्नलिखित से संबंधित हो:
  - मद्यपान पेय (बीयर और वाइन को छोड़कर);
  - तंबाकू;
  - हथियार और गोला-बारूद; या
  - जुआ, कैसीनो और समान प्रकार के उद्यम,

  जहाँ कंपनियों के लिए "महत्वपूर्ण" का अर्थ उनकी समेकित बैलेंस शीट या आय का दस प्रतिशत (10%) से अधिक है, और वित्तीय संस्थानों तथा निवेश निधियों के लिए "महत्वपूर्ण" का अर्थ उनके अंतर्निहित पोर्टफोलियो का दस प्रतिशत (10%) से अधिक है।
- वे कंपनियाँ, गतिविधियाँ या व्यक्ति जो संयुक्त राष्ट्र (यूएन), यूरोपीय संघ (ईयू) या संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) के प्रतिबंधों के अधीन हैं।
- वे कंपनियाँ जो भ्रष्टाचार, मूलभूत नैतिक मानकों के गंभीर उल्लंघन या अन्य नैतिक व्यावसायिक सिद्धांतों के उल्लंघन में संलिप्त पाई गई हों या जिन पर संदेह हो।
- केएलपी बहिष्करण सूची में शामिल कोई भी कंपनी: https://www.klp.no/en/corporate-responsibility-and-responsible-investments/exclusion-and-dialogue

परिशिष्ट ख: ईएसजी उपसमिति प्रोटोकॉल

मुख्य उद्देश्य	प्रत्येक समूह कंपनी एक ईएसजी समिति का गठन करेगी, जो पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों के लिए निदेशक मंडल को परामर्श देने वाली समिति के रूप में कार्य करेगी। ईएसजी समिति निर्माण तथा संचालन एवं रखरखाव चरणों के दौरान संबंधित समूह कंपनी के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रदर्शन की निगरानी करेगी और ईएसजी आवश्यकताओं के अनुसार अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम औद्योगिक प्रथाओं (जिसमें आईएफसी प्रदर्शन मानक शामिल हैं) के कार्यान्वयन तथा उनसे जुड़े जोखिमों पर निदेशक मंडल को सलाह देगी। यह निगरानी और पर्यवेक्षण भूमिका संबंधित परियोजना के एचएसएसई प्रबंधन प्रणाली तक भी विस्तारित होगी, जिसमें एचएसएसई प्रबंधन प्रणाली का ढांचा दस्तावेज़, संबंधित कार्य योजनाएँ तथा ईएसएपी शामिल हैं।
मुख्य जिम्मेदारियाँ	चूँकि ईएसजी समिति का दायित्व संबंधित परियोजना के ईएसजी प्रदर्शन की जीआईआईपी के अनुरूप निगरानी करना है, इसलिए इसकी प्रमुख जिम्मेदारी निदेशक मंडल को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिम और प्रभाव प्रबंधन से संबंधित विषयों पर सलाह देना है। इसमें वे विषय शामिल हैं जिनके लिए पूंजी आवंटन (बजट योजना) की आवश्यकता हो, जो परियोजना के कार्यक्रम या परिचालन योजनाओं में परिवर्तन ला सकते हों या उन्हें प्रभावित कर सकते हों, या जो संबंधित परियोजना और/या एक या अधिक शेयरधारकों (प्रतिष्ठा के संदर्भ में भी) पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हों। अपनी निगरानी के माध्यम से, ईएसजी समिति–संभवतः अपने किसी सदस्य को यह जिम्मेदारी सौंपकर–संबंधित समूह कंपनी की परियोजना प्रबंधन टीम के साथ नियमित और उपयुक्त संपर्क बनाए रखेगी, जिसमें निदेशक, तकनीकी निदेशक, एचएसएसई प्रबंधक और सामुदायिक समन्वय अधिकारी शामिल हैं, साथ ही आवश्यकता अनुसार मालिक के अभियंता तथा ईपीसी और ओ एंड एम ठेकेदारों के पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ भी समन्वय स्थापित करेगी, ताकि ईएसजी समिति के रूप में अपने दायित्वों का प्रभावी निर्वहन किया जा सके।
विशिष्ट जिम्मेदारी	उपरोक्त के अतिरिक्त, प्रत्येक ईएसजी समिति का दायित्व है कि वह संबंधित परियोजना के एचएसएसई प्रबंधन प्रणाली आवश्यकताओं के अनुपालन की निकटता से निगरानी करे, जो एचएसएसई प्रबंधन प्रणाली ढांचा दस्तावेज़, विशिष्ट एचएसएसई प्रबंधन एवं कार्य योजनाओं (जो ठेकेदारों के दायरे से बाहर परियोजना-विशिष्ट जिम्मेदारियों का विवरण देती हैं) तथा एचएसएसई ठेकेदार आवश्यकताओं दस्तावेज़ में वर्णित हैं। वास्तविक परिचालन जिम्मेदारी एचएसएसई प्रबंधक की होती है, जो ईएसजी समिति की समीक्षा के लिए पर्यावरणीय एवं सामाजिक रिपोर्ट तैयार करेगा, तथापि ईएसजी समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करने के लिए उपलब्ध रहे।
ईएसजी उपसमिति के सदस्य	नियुक्त किए जाने हैं।
अन्य प्रतिभागी:	ईएसजी निदेशक और/या संबंधित समूह कंपनी के प्रत्येक परियोजना निदेशक एवं तकनीकी निदेशक समीक्षा और चर्चा हेतु विषयों को ईएसजी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ईएसजी समिति को यह अधिकार होगा कि वह उपयुक्त व्यक्तियों को पर्यवेक्षक या सलाहकार के रूप में बैठकों में आमंत्रित करे।
न्यासिक दायित्व:	ईएसजी समिति के सदस्यों पर निदेशक मंडल के सदस्यों या किसी भी शेयरधारक के प्रति कोई न्यासिक या समान दायित्व नहीं होगा।
अध्यक्ष/अध्यक्षा:	समिति का अध्यक्ष/अध्यक्षा समिति का सदस्य होगा/होगी, जिसे समिति के सदस्यों द्वारा नामित किया जाएगा और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। यह पद ईएसजी समिति की प्राथमिकताओं के अनुसार परिवर्तित (रोटेशन) हो सकता है।
कार्यसूची:	प्रत्येक बैठक से पूर्व अध्यक्ष/अध्यक्षा (या अधिकृत प्रतिनिधि) द्वारा कार्यसूची तैयार की जाएगी और सभी ईएसजी समिति सदस्यों को प्रेषित की जाएगी। प्रत्येक सदस्य को कार्यसूची में संशोधन या अतिरिक्त बिंदु सुझाने का अवसर मिलेगा। ईएसजी समिति के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रस्तावित कार्यसूची के आधार पर प्रत्येक बैठक से पूर्व शेयरधारकों से सुझाव प्राप्त करें, ताकि वे विभिन्न कार्यसूची बिंदुओं पर चर्चा और आवश्यक कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
बैठक की आवृत्ति:	ईएसजी समिति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु मासिक या अन्य उपयुक्त अंतराल पर बैठक करेगी। प्रत्येक बैठक में अगली बैठक की तिथि निर्धारित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल की सहमति से भी ईएसजी समिति की बैठक बुलाई जा सकती है।

बैठक स्थल:	ईएसजी समिति की बैठकें सदस्यों की सुविधा के अनुसार स्थानों पर आयोजित की जाएँगी। प्रत्येक बैठक में अगली बैठक के स्थान का निर्धारण किया जाएगा। बैठकें टेली-कॉन्फ्रेंस या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी आयोजित की जा सकती हैं।
कार्यवृत्त	प्रत्येक बैठक में एक नामित समिति सदस्य (या अधिकृत प्रतिनिधि) कार्यवृत्त तैयार करेगा। बैठक समाप्त होने के सात (7) दिनों के भीतर कार्यवृत्त का प्रारूप सदस्यों को टिप्पणियों हेतु भेजा जाएगा। प्रत्येक सदस्य प्रारूप प्राप्त होने के सात (7) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियाँ भेजेगा; अन्यथा, अध्यक्ष/अध्यक्षा (या अधिकृत प्रतिनिधि) यह मान सकता/सकती है कि कोई टिप्पणी नहीं है। अध्यक्ष/अध्यक्षा (या अधिकृत प्रतिनिधि) सदस्यों के सुझावों के आधार पर कार्यवृत्त को अंतिम रूप देगा/देगी और प्रत्येक बैठक के समाप्त होने के इक्कीस (21) दिनों के भीतर सभी सदस्यों को अंतिम संस्करण वितरित करेगा/करेगी।
कोरम:	ईएसजी समिति की बैठक में कोरम के लिए प्रत्येक शेयरधारक से कम से कम एक (1) सदस्य की उपस्थिति आवश्यक होगी।
मतदान	ईएसजी समिति में निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाएँगे। यदि सर्वसम्मति प्राप्त नहीं होती है, तो निर्णय/मामले को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सदस्य बैठकों के लिए अपने प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) नियुक्त कर सकते हैं।

एसएचए के अनुसार अद्यतन

परिशिष्ट ग1: ईएसआईए और अन्य विशेषज्ञ अध्ययन

1. परिचय

सभी श्रेणी A और B+ परियोजनाओं के लिए आईएफसी अनुरूप पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) किया जाएगा। श्रेणी B परियोजनाओं के लिए भी ईएसआईए की आवश्यकता हो सकती है, जिसका निर्धारण प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाएगा - यदि पूर्ण ईएसआईए आवश्यक नहीं है, तब भी इन परियोजनाओं के लिए उनके पैमाने और जोखिमों के अनुरूप एक पर्यावरणीय एवं सामाजिक आकलन तथा एक ईएसएमपी आवश्यक होगा।

जहाँ उपयुक्त हो, परियोजना के संदर्भ के आधार पर अतिरिक्त विशेषज्ञ आकलन और/या प्रबंधन योजनाएँ भी आवश्यक होंगी (जैसे महत्वपूर्ण आवास आकलन, जैव विविधता ऑफसेट आकलन, जैव विविधता प्रबंधन योजनाएँ, लैंगिक विश्लेषण, स्वदेशी समुदाय और/या सांस्कृतिक विरासत से संबंधित आकलन)। अकैया ग्रीन फ्यूल्स आईएफसी अनुरूप ईएसआईए तथा जहाँ आवश्यक हो अन्य विशेषज्ञ अध्ययनों के संचालन के लिए उपयुक्त विशेषज्ञता और अनुभव वाले बाहरी सलाहकारों की नियुक्ति करेगा।

नोट: इस मार्गदर्शन को परियोजना के स्थान के अनुसार लागू स्थानीय/राष्ट्रीय कानूनों के तहत आवश्यक ईएसआईए या समान आकलनों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कुछ न्यायक्षेत्रों में ऐसे ईएसआईए अध्ययनों की सामग्री और प्रारूप विस्तृत रूप से निर्धारित होते हैं और अनिवार्य होते हैं। इसलिए, परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय/राष्ट्रीय आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए; इस दस्तावेज़ में प्रदान किया गया मार्गदर्शन (अन्य अनुशंसित प्रकाशनों सहित) यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप होने हेतु राष्ट्रीय ईआईए को पूरक करने के लिए कौन से अतिरिक्त अध्ययन आवश्यक हैं।

2. मार्गदर्शन

अधिक विस्तृत मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित प्रकाशनों (या उनके नवीनतम संस्करणों) का संदर्भ लिया जाना चाहिए।

ईएसआईए तैयार करने के लिए मार्गदर्शन:

- आईएफसी मार्गदर्शन नोट्स और मैनुअल, विशेष रूप से:
  - आईएफसी प्रदर्शन मानक 1: पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों एवं प्रभावों का आकलन और प्रबंधन (आईएफसी, 2012);
  - आईएफसी मार्गदर्शन नोट 1: पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों एवं प्रभावों का आकलन और प्रबंधन (आईएफसी, 2021);
  - संचयी प्रभाव आकलन और प्रबंधन पर आईएफसी का उत्तम प्रथा मार्गदर्शिका: उभरते बाजारों में निजी क्षेत्र के लिए मार्गदर्शन (आईएफसी, 2013);

अन्य विशेषज्ञ अध्ययनों को तैयार करने के लिए मार्गदर्शन:

- जैव विविधता से संबंधित (जैसे पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ, जैव विविधता ऑफसेट आकलन):

- आईएफसी प्रदर्शन मानक 6: जैव विविधता संरक्षण और जीवित प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन (आईएफसी, 2012);
- आईएफसी मार्गदर्शन नोट 6: जैव विविधता संरक्षण और जीवित प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन (आईएफसी, 2019);

- विश्व बैंक की जैव विविधता ऑफसेट: उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका (लेडेक और रे जॉनसन, 2016)[10];

- जलवायु परिवर्तन जोखिम आकलन:

- इक्वेटर प्रिंसिपल्स 4: जलवायु जोखिम आकलन पर मार्गदर्शन नोट (ईपी, 2020)[11];

- सामाजिक अध्ययन (जैसे मानवाधिकार, लैंगिक उत्तरदायी विश्लेषण, पुनर्वास, स्वदेशी समुदाय और सांस्कृतिक विरासत):

- डेनिश मानवाधिकार संस्थान: "मानवाधिकार प्रभाव आकलन मार्गदर्शन और टूलकिट" (2020)[12];
- लैंगिक उत्तरदायी विश्लेषण करने हेतु रूपरेखा (आईयूसीएन, 2013)[13];
- लैंगिक विश्लेषण मार्गदर्शिका: आईयूसीएन, उसके सदस्यों, भागीदारों और सहयोगियों के लिए लैंगिक उत्तरदायी पर्यावरणीय कार्यक्रमों को सूचित करने हेतु एक तकनीकी उपकरण (आईयूसीएन, 2021)[14];
- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर): पुनर्वास मार्गदर्शिका (यूएनएचसीआर, 2011);[15]
- संयुक्त राष्ट्र: स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा के लिए व्यवसाय संदर्भ मार्गदर्शिका (यूएन, 2013)।[16]

3. ईएसआईए के लिए सामान्य सिद्धांत और आवश्यकताएँ

ईएसआईए के लिए सामान्य सिद्धांत और आवश्यकताएँ नीचे तालिका C1-1 में दी गई हैं।

तालिका C1-1 **ईएसआईए के लिए सामान्य आवश्यकताएँ**

विषय	विवरण
नियुक्ति और ईएसआईए	• ईएसआईए प्रक्रियाओं और संबंधित अध्ययन क्षेत्रों में आवश्यक योग्यता और अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों की एक विशेष टीम को ईएसआईए और संबंधित विशेषज्ञ अध्ययनों को संचालित करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। अधिक विवरण के लिए नीचे अनुभाग 4 देखें।
आधारभूत अध्ययन	• विशेषज्ञों की टीम परियोजना और उसके परिवेश के पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं के अनुरूप आधारभूत अध्ययन करेगी, जिसमें हितधारक सहभागिता भी शामिल होगी। • अध्ययन क्षेत्र के भौतिक और जैविक पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत तथा सामाजिक-आर्थिक आधारभूत स्थिति का एक सूचीकरण और आकलन तैयार किया जाएगा। • प्राथमिक आधारभूत डेटा के संग्रह के लिए परियोजना क्षेत्र का कम से कम एक दौरा आवश्यक होगा। आगे का डेटा संग्रह इस प्रकार की अवधि में किया जाएगा जो मौसमी परिवर्तनों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करता हो। द्वितीयक डेटा का उपयोग भी आकलन में किया जाएगा, बशर्ते कि वह प्रतिनिधि और प्रासंगिक हो। • सभी डेटा के स्रोत (चाहे मौजूदा हों या अध्ययन के लिए एकत्रित किए गए हों) का खुलासा किया जाएगा। सभी सीमाएँ और की गई धारणाएँ स्पष्ट रूप से बताई जाएँगी।

[10] http://documents.worldbank.org/curated/en/344901481176051661/Biodiversity-offsets-a-user-guide
[11] https://equator-principles.com/app/uploads/CCRA_Guidance_Note_Sept2020.pdf
[12] https://www.humanrights.dk/tools/human-rights-impact-assessment-guidance-toolbox
[13] https://genderandenvironment.org/framework-for-conducting-gender-responsive-analysis/
[14] https://genderandenvironment.org/iucn-gender-analysis-guide/
[15] https://www.unhcr.org/46f7c0ee2.pdf
[16] https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc%2Fhuman_rights%2FIndigenousPeoples%2FBusinessGuide.pdf

विषय	विवरण
हितधारक सहभागिता	• ईएसआईए टीम हितधारक सहभागिता, जन परामर्श और प्रकटीकरण से संबंधित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं एवं मानकों पर विचार करेगी, और परियोजना के लिए ईएसआईए तथा हितधारक सहभागिता योजना (एसईपी) के विकास के भाग के रूप में निम्नलिखित कार्य करेगी: हितधारकों की पहचान और उनका वर्गीकरण; हितधारक मानचित्रण और विश्लेषण; हितधारक सहभागिता प्रक्रिया; दायरा निर्धारण और आधारभूत सहभागिता की व्यवस्थाएँ; ईएसआईए के बाद की सहभागिता, तथा निरंतर निगरानी और रिपोर्टिंग।
परियोजना विकल्पों का मूल्यांकन	• ईएसआईए परियोजना के विभिन्न विकल्पों की पहचान और मूल्यांकन करेगा (जैसे स्थल स्थान के विकल्प, परियोजना डिजाइन, पैमाना, संचालन की स्थितियाँ और प्रौद्योगिकी, जिसमें प्रस्तावित परियोजना के "कोई कार्रवाई न करने" विकल्प भी शामिल है)। प्रत्येक विकल्प के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का यथासंभव आकलन किया जाएगा, जिसमें उपलब्ध जानकारी और ज्ञान का संदर्भ लिया जाएगा। अन्य विकल्पों के मुकाबले परियोजना के चयन के आधार और मूल्यांकन को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा।
प्रभाव आकलन	• ईएसआईए सभी परियोजना चरणों (जैसे विस्तृत डिजाइन, निर्माण, संचालन और/या निष्क्रियकरण, जहाँ लागू हो) के दौरान सभी परियोजना गतिविधियों के संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों की पहचान और उनके महत्व का आकलन करेगा। • प्रबंधन (शमन और निगरानी) उपायों की पहचान की जाएगी, जिन्हें परियोजना संभावित प्रभावों के महत्व को टालने या कम करने के लिए लागू कर सकती है। • ईएसआईए में अवशिष्ट प्रभावों का भी आकलन शामिल होगा (अर्थात आवश्यक प्रबंधन उपायों के कार्यान्वयन के बाद प्रभावों का महत्व)।
संचयी प्रभाव	• जहाँ परियोजना के विशिष्ट संदर्भ में प्रासंगिक हो, ईएसआईए आईएफसी पीएस1 की आवश्यकताओं[17] और मार्गदर्शन के अनुसार परियोजना के संचयी प्रभावों और संबद्ध सुविधाओं का आकलन और मूल्यांकन भी करेगा।
स्वदेशी समुदाय (आईपी)	• यदि परियोजना क्षेत्र में स्वदेशी समुदायों की उपस्थिति की पुष्टि होती है, तो परियोजना कंपनी परिशिष्ट *C3 - जातीय समूह और स्वदेशी समुदायों में वर्णित आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ स्थापित करेगी।* • ईएसआईए टीम स्वदेशी समुदायों पर प्रभाव आकलन के लिए आवश्यक विशेषज्ञता की व्यवस्था करेगी, जिसमें जहाँ आवश्यक हो स्थानीय ज्ञान भी शामिल होगा। • ईएसआईए का दायरा स्वदेशी समुदायों पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगा और यदि ईएसआईए के आधार पर आवश्यक समझा जाए, तो परियोजना द्वारा कार्यान्वयन हेतु एक स्वदेशी समुदाय योजना (आईपीपी) विकसित की जाएगी।
अनैच्छिक भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास	• किसी भी संभावित आर्थिक और/या भौतिक पुनर्वास के प्रभावों का आकलन ईएसआईए में शामिल किया जाएगा। यदि पुनर्वास आवश्यक हो, तो इसका प्रबंधन *परिशिष्ट C2: पुनर्वास, आर्थिक विस्थापन और आजीविका पुनर्स्थापन के अनुसार किया जाएगा।* • यदि ईएसआईए के आधार पर आवश्यक समझा जाए, तो परियोजना द्वारा कार्यान्वयन हेतु एक पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) विकसित की जाएगी।

[17] संचयी प्रभाव संचयी प्रभाव वे होते हैं जो परियोजना द्वारा उपयोग किए जा रहे या सीधे प्रभावित क्षेत्रों या संसाधनों पर अन्य मौजूदा, नियोजित या यथोचित रूप से परिभाषित विकासों के क्रमिक (क्रमशः बढ़ते) प्रभावों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं, उस समय जब जोखिमों और प्रभावों की पहचान की प्रक्रिया संचालित की जा रही होती है।

विषय	विवरण
लैंगिक समावेशन	• ईएसआईए टीम में एक लैंगिक विशेषज्ञ शामिल होना चाहिए और ईएसआईए अध्ययनों में लैंगिक पहलुओं को सम्मिलित करना अनिवार्य होगा। • स्थानीय लैंगिक विश्लेषण और कार्य योजना: एक स्थानीय लैंगिक विश्लेषण और स्थल-विशिष्ट कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिसे पूरे परियोजना जीवनचक्र में लागू किया जाएगा। यह रिपोर्ट उस स्थानीय क्षेत्र में प्रासंगिक लैंगिक मुद्दों का अवलोकन प्रस्तुत करेगी जहाँ परियोजना स्थित है। • हितधारक सहभागिता गतिविधियाँ: बहु-हितधारक और सामुदायिक संवाद में लैंगिक विचारों को एक विशिष्ट गतिविधि के रूप में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए। • हितधारक सहभागिता योजना: संभावित लैंगिक प्रभावों (सकारात्मक और नकारात्मक) की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और उन्हें हितधारक सहभागिता योजना के विकास में शामिल किया जाना चाहिए। • लैंगिक समावेशी प्रबंधन और निगरानी कार्य: ईएसएमपी में प्रबंधन और निगरानी गतिविधियों का विकास लैंगिक रूप से समावेशी होना चाहिए, जिसमें लैंगिक-विशिष्ट कार्यवाहियाँ और लैंगिक-केंद्रित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक शामिल हों।
सामुदायिक विकास	• सामुदायिक आवश्यकताओं का आकलन और सामुदायिक विकास योजना की तैयारी। सामान्यतः, आवश्यकताओं का आकलन ईएसआईए प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
मानवाधिकार	• ऐसी परिस्थितियों में जहाँ मानवाधिकार संभावित चिंता के रूप में पहचाने जाते हैं, चाहे वह प्रारंभिक जाँच, विस्तृत समुचित परिश्रम या ईएसआईए के दायरा निर्धारण के दौरान हो, ईएसआईए में मानवाधिकारों पर विशेष ध्यान शामिल किया जाएगा।
पर्यावरणीय एवं सामाजिक श्रेणीकरण की समीक्षा	• ईएसआईए प्रक्रिया के दौरान परियोजना के पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिम श्रेणीकरण की पुनः समीक्षा की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दायरा निर्धारण चरण, आधारभूत मूल्यांकन चरण और/या हितधारक सहभागिता गतिविधियों के दौरान उत्पन्न नई जानकारी के आधार पर यह उपयुक्त बना हुआ है।
पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन योजना	• परियोजना के पहचाने गए पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के आधार पर एक ईएसएमपी विकसित किया जाएगा। ईएसएमपी प्रत्येक पहचाने गए प्रभाव के लिए शमन और निगरानी उपायों को निर्धारित करेगा, साथ ही जिम्मेदारियों का आवंटन, जहाँ उपयुक्त हो लागत का अनुमान, इन उपायों को लागू करने के लिए संस्थागत और प्रशिक्षण आवश्यकताओं का विवरण, तथा कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत समय-सीमा भी प्रदान करेगा।

4. ईएसआईए का प्रावर्तन (कमीशनिंग)

ईएसआईए के प्रावर्तन और प्रबंधन के संबंध में अकैया ग्रीन फ्यूल्स द्वारा नीचे वर्णित आवश्यकताओं का पालन किया जाएगा:

- एक बाहरी परामर्शदाता, जिसमें योग्य और सक्षम ईएसआईए तथा विषय-विशेषज्ञों की टीम शामिल हो, को संपूर्ण ईएसआईए प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए नियुक्त किया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान अकैया ग्रीन फ्यूल्स की परियोजना योजना टीम, विषय विशेषज्ञ, इंजीनियरिंग कर्मचारी और अन्य संबंधित व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और योगदान सुनिश्चित किया जाएगा। बाहरी विशेषज्ञ की नियुक्ति का उद्देश्य न केवल विशेषज्ञता सुनिश्चित करना है, बल्कि पूरे आकलन प्रक्रिया में निष्पक्षता भी बनाए रखना है।
- कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में योग्य बाहरी विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, विशेषकर पुनर्वास (आईएफसी प्रदर्शन मानक 5 के अनुसार), जैव विविधता (आईएफसी प्रदर्शन मानक 6 के अनुसार), स्वदेशी समुदाय (आईएफसी प्रदर्शन मानक 7 के अनुसार) तथा सांस्कृतिक विरासत (आईएफसी प्रदर्शन मानक 8 के अनुसार) से संबंधित मुद्दों पर।
- ईएसआईए विशेषज्ञों की नियुक्ति पूर्व-व्यवहार्यता चरण में की जाएगी और परियोजना के अध्ययन दल में उन्हें शामिल किया जाएगा, जब परियोजना स्क्रीनिंग से आगे बढ़ते हुए पूर्व-व्यवहार्यता, व्यवहार्यता और योजना चरणों में प्रवेश करेगी।
- अकैया ग्रीन फ्यूल्स अनुमोदित बाहरी विशेषज्ञों की एक सूची बनाए रखेगा।

5. ईएसआईए की संरचना

तालिका C1-2 में आईएफसी प्रदर्शन मानकों की आवश्यकताओं के अनुरूप एक ईएसआईए रिपोर्ट की अपेक्षित संरचना और सामग्री प्रस्तुत की गई है। नीचे दिए गए अनुभागों में मुख्य ईएसआईए रिपोर्ट की सामग्री पर अधिक विस्तार से चर्चा की गई है।

पहचाने गए जोखिमों के अनुसार, सर्वोत्तम पेशेवर निर्णय के आधार पर संरचना और सामग्री में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है, इसलिए इसे स्थिर नहीं माना जाना चाहिए। अन्य विशेषज्ञ अध्ययनों की आवश्यकता परियोजना-विशिष्ट आधार पर निर्धारित की जाएगी और उनका मूल्यांकन ईएसआईए के भाग के रूप में किया जाएगा। ऐसे मामलों में, परियोजना द्वारा कार्यान्वयन हेतु विकास प्रक्रिया के दौरान विशेषज्ञ प्रबंधन योजनाएँ भी विकसित की जाएँगी।

तालिका C1-2 ईएसआईए रिपोर्ट की संरचना और सामग्री

अनुभाग	विवरण
गैर-तकनीकी सारांश	परियोजना का अवलोकन, प्रमुख पर्यावरणीय और सामाजिक संवेदनशील घटक तथा प्रभाव आकलन के मुख्य निष्कर्ष।
परिचय	परियोजना का परिचय, ईएसआईए प्रक्रिया, ईएसआईए विशेषज्ञ टीम, परियोजना प्रवर्तक आदि।
नीति, विधिक और प्रशासनिक ढाँचा	ईएसआईए परियोजना के लिए प्रशासनिक ढाँचे का वर्णन करेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: • परियोजना से संबंधित सभी लागू स्थानीय/राष्ट्रीय/क्षेत्रीय कानून, विनियम, नीतियाँ और मानक। • ईएसआईए में संबंधित कार्यों को नियंत्रित करने वाले अन्य कानून और विनियम। • संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानक, जिनमें विश्व बैंक के पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा मानक (ईएसएस); अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) के प्रदर्शन मानक, तथा उनसे संबंधित दिशानिर्देश, जिनमें सामान्य पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा दिशानिर्देश शामिल हैं। • संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधियाँ, प्रोटोकॉल और समझौते। • संबंधित उद्योग मानक तथा ईएचएस नीतियाँ और मानक जिन्हें परियोजना ने अपनाया है या अपनाने की योजना है। • आवश्यक विकास अनुमतियाँ। परंपरागत या प्रथागत भूमि स्वामित्व, उपयोग और पहुँच अधिकार।

अनुभाग	विवरण
परियोजना विवरण	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण, जिसमें इसका भौगोलिक, भौतिक, पारिस्थितिक, सामाजिक और समयगत संदर्भ, अस्थायी और स्थायी भूमि उपयोग, तथा किसी भी ऑफ-साइट निवेश (जैसे सड़कों का सुधार आदि) शामिल होंगे, निम्नलिखित पहलुओं के अनुसार: • परियोजना और संबद्ध सुविधाएँ: आईएफसी पीएस1 में परिभाषित अनुसार सभी परियोजना स्थलों/सुविधाओं और किसी भी संबद्ध सुविधाओं के स्थान और विन्यास का विस्तृत विवरण। परियोजना गतिविधियाँ, अवसंरचना और संसाधन: अपेक्षित परियोजना गतिविधियों, अवसंरचना और संरचनात्मक घटकों का अवलोकन (जिसमें उपयोगिताओं और अवसंरचना की अवधारणात्मक/प्रारंभिक डिजाइन आदि शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं), साथ ही परियोजना के अपेक्षित संसाधन आवश्यकताएँ (जिसमें श्रम आवश्यकताएँ शामिल हैं)।
प्रभाव क्षेत्र	ईएसआईए को परियोजना के उस क्षेत्र का वर्णन करना होगा जो परियोजना के विभिन्न घटकों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा, जैसा कि आईएफसी पीएस1 में वर्णित परिभाषा और दृष्टिकोण के अनुसार है। परियोजना के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव क्षेत्र (एओआई) को परिभाषित करने की प्रक्रिया आधारभूत स्थितियों के आधार पर की जाएगी, जिसमें एओआई का न्यूनतम विभाजन निम्नानुसार होगा: • प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र: वह क्षेत्र जहाँ परियोजना स्थित होगी; निर्माण के दौरान अस्थायी साइट भवनों जैसे परियोजना के मुख्य घटकों के आसपास का क्षेत्र; सामग्री भंडारण क्षेत्र (लेडाउन एरिया) और पहुँच मार्ग; ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण से प्रभावित क्षेत्र तथा आवश्यक पहुँच मार्ग। अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र: वे क्षेत्र जहाँ प्रत्यक्ष, द्वितीयक और तृतीयक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। ये वे क्षेत्र हैं जहाँ परियोजना के घटक विकसित नहीं किए जाते, लेकिन उनसे संबंधित कुछ गतिविधियाँ की जाती हैं और जहाँ पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं।
विकल्पों का मूल्यांकन	परियोजना के स्थान, डिजाइन, पैमाने, संचालन की स्थितियों और प्रौद्योगिकी के विकल्पों का विश्लेषण किया जाएगा, जिसमें प्रस्तावित परियोजना के "कोई कार्रवाई न करने" वाले विकल्प को भी शामिल किया जाएगा। प्रत्येक विकल्प के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का, उपलब्ध जानकारी और ज्ञान के आधार पर, यथासंभव आकलन किया जाएगा। अन्य विकल्पों की अपेक्षा परियोजना को चुनने के आधार और मूल्यांकन को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा।
हितधारक सहभागिता	ईएसआईए में हितधारक सहभागिता से संबंधित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं और मानकों का वर्णन किया जाएगा, साथ ही हितधारकों की पहचान और वर्गीकरण; हितधारक मानचित्रण और विश्लेषण; ईएसआईए-पूर्व सहभागिता और उसके मुख्य परिणाम; हितधारक सहभागिता प्रक्रिया; दायरा निर्धारण और आधारभूत सहभागिता की व्यवस्थाएँ; ईएसआईए के बाद की सहभागिता; तथा निरंतर निगरानी और रिपोर्टिंग का भी विवरण दिया जाएगा।
पर्यावरणीय और सामाजिक आधारभूत स्थिति	ईएसआईए रिपोर्ट में भौतिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत की आधारभूत स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें न्यूनतम रूप से निम्नलिखित पहलू शामिल होंगे: • पर्यावरणीय: मौसम संबंधी स्थितियाँ; स्थलाकृति; भूविज्ञान और मृदा; शोर; वायु गुणवत्ता; जल विज्ञान और भूजल विज्ञान; जैव विविधता; संरक्षित स्थल (जिनमें स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नामांकन वाले स्थल शामिल हैं)। • सामाजिक: भौगोलिक और सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ; जनसांख्यिकी; संवेदनशील समूह; आजीविका और अर्थव्यवस्था; भूमि स्वामित्व, भूमि उपयोग और भूमि अधिकार; शिक्षा और साक्षरता; सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षा व्यवस्थाएँ; सार्वजनिक सेवाएँ और अवसंरचना; सांस्कृतिक विरासत/पवित्र स्थल। अवसंरचना: सड़क नेटवर्क/पहुँच मार्ग; सैन्य क्षेत्र; हवाई अड्डे/वायु क्षेत्र; विद्युत संचरण; जलापूर्ति और अपशिष्ट जल अवसंरचना; अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएँ; पर्यटन सुविधाएँ आदि।
प्रभाव आकलन	ईएसआईए में परियोजना के सभी चरणों के दौरान संभावित सकारात्मक और नकारात्मक पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों की विस्तृत पहचान और आकलन शामिल होगा। पहचाने गए प्रभावों का प्रोफाइल तैयार किया जाएगा ताकि उनके परिमाण और महत्व का आकलन

अनुभाग	विवरण
	किया जा सके। उपलब्ध डेटा की सीमा और गुणवत्ता का वर्णन किया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी की कमी और प्रभावों के पूर्वानुमान से संबंधित किसी भी अनिश्चितता की व्याख्या शामिल होगी। प्रभाव आकलन में उन शमन उपायों की संख्या और परिमाण को ध्यान में रखा जाएगा, जिन्हें पर्यावरण पर उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए लागू करना आवश्यक है। जहाँ संभव हो, प्रभावों का मात्रात्मक आकलन किया जाएगा। प्रत्येक परियोजना गतिविधि या प्रभाव का मूल्यांकन परियोजना के सभी चरणों (अर्थात निर्माण, संचालन और निष्क्रियकरण) के लिए उसके परिमाण और महत्व दोनों के आधार पर किया जाएगा।
जल स्थिरता	जल गुणवत्ता को संरक्षित रखने और जल तनाव से बचने से संबंधित पर्यावरणीय क्षरण जोखिमों की पहचान की जाएगी, ताकि यूरोपीय संघ विनियमन 2020/852 के अनुच्छेद 2 के बिंदु (22) और (23) में परिभाषित "अच्छी जल स्थिति" और "अच्छी पारिस्थितिक क्षमता" को निर्देश 2000/60/ईसी के अनुसार प्राप्त किया जा सके।[18] विशेष रूप से, प्रभाव आकलन में जल दोहन के प्रभाव का मूल्यांकन निम्नलिखित पर किया जाएगा: • जैव विविधता और आवासों पर। • संसाधन उपभोग / दक्षता के संदर्भ में (जैसे ऊर्जा, जल हानि / रिसाव)। • प्रतिस्पर्धी जल उपयोगों पर, जिसमें जल स्थिरता और पर्यावरणीय प्रवाह का विचार शामिल होना चाहिए। इसमें संभावित अधिकतम जल दोहन को ध्यान में रखते हुए मौसमी परिवर्तनों का भी विचार किया जाना चाहिए। आवश्यक पर्यावरणीय प्रवाह की गणना निम्नलिखित पर्यावरणीय और सामाजिक उद्देश्यों के आधार पर की जाएगी: - पीने के पानी की आपूर्ति हेतु जल का दोहन। - जल संसाधनों का न्यायसंगत, सतत और कुशल उपयोग। - स्थलीय, नदीय, आर्द्रभूमि, झील, मुहाना, तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों (जहाँ लागू हो) की दीर्घकालिक स्थिति और स्थिरता बनाए रखने हेतु पर्यावरणीय प्रवाह और जल गुणवत्ता का संरक्षण। - जलधाराओं के तल और किनारों तथा जल निकायों, मुहानों और तटों की स्थिरता बनाए रखना। - भूजल प्रवाह को बनाए रखना, भूजल-निर्भर पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण करना और भूजल की अच्छी गुणवत्ता बनाए रखना। - सतही और भूजल संसाधनों के मौजूदा उपयोगकर्ताओं के लिए जल आपूर्ति बनाए रखना। - जल स्रोत और पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर मानव आजीविका और कल्याण को बनाए रखना।
अप्रत्याशित घटनाएँ	निर्माण, संचालन, रखरखाव और निष्क्रियकरण के दौरान परियोजना से संबंधित अप्रत्याशित घटनाओं के जोखिम से उत्पन्न संभावित प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का आकलन किया जाएगा और जहाँ संभव हो, जोखिम-आधारित गुणात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।
संचयी प्रभावों का आकलन	अन्य मौजूदा, नियोजित या यथोचित रूप से परिभाषित विकासों से उत्पन्न संचयी पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को आकलन में शामिल किया जाएगा। इस आकलन के संचालन में विश्व बैंक के मार्गदर्शन का संदर्भ लिया जाएगा।

[18] लागू राष्ट्रीय कानूनों या अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार, जो "अच्छी जल स्थिति" और "अच्छी पारिस्थितिक क्षमता" के समकक्ष उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, समान प्रक्रियात्मक और विषयगत नियमों के माध्यम से, अर्थात एक जल उपयोग और संरक्षण प्रबंधन योजना विकसित की जाएगी, जिसे संबंधित हितधारकों के परामर्श से तैयार किया जाएगा। यह योजना सुनिश्चित करेगी कि: 1) संभावित रूप से प्रभावित जल निकाय या निकायों की पहचानी गई स्थिति या पारिस्थितिक क्षमता पर गतिविधियों के प्रभाव का आकलन किया जाए; और 2) अच्छी स्थिति/पारिस्थितिक क्षमता में गिरावट या उसे प्राप्त करने में बाधा से बचा जाए; या, जहाँ यह संभव न हो, 3) इसे इस आधार पर उचित ठहराया जाए कि बेहतर पर्यावरणीय विकल्प उपलब्ध नहीं हैं जो अत्यधिक महंगे या तकनीकी रूप से अव्यवहार्य न हों, तथा जल निकाय की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सभी व्यावहारिक कदम उठाए जाएँ।

अनुभाग	विवरण
ईएसएमपी	ईएसएमपी प्रत्येक पहचाने गए प्रभाव के लिए शमन और निगरानी उपायों को निर्धारित करेगा, साथ ही जिम्मेदारियों का आवंटन, जहाँ उपयुक्त हो लागत का अनुमान, इन उपायों को लागू करने के लिए संस्थागत और प्रशिक्षण आवश्यकताओं का विवरण, तथा कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत समय-सीमा प्रदान करेगा। प्रत्येक संभावित नकारात्मक प्रभाव के लिए प्रबंधन और शमन उपायों का वर्णन किया जाएगा। इसमें लाभकारी प्रभावों के अधिकतमकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए सिफारिशें भी शामिल होंगी। प्रबंधन उपायों की पहचान नियंत्रण पदानुक्रम (आईएफसी पीएस1 के संदर्भ में) के अनुरूप की जाएगी। अवशिष्ट नकारात्मक प्रभावों की भी पहचान की जाएगी। परियोजना के पूरे जीवनकाल के दौरान प्रभावों तथा प्रबंधन और शमन उपायों की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए निगरानी उपाय भी प्रस्तावित किए जाएँगे। इसमें संबंधित तकनीकी विवरण, मापे जाने वाले मानक, नमूना लेने के स्थान, मापन की आवृत्ति, पहचान सीमा, तथा उन सीमाओं की परिभाषा शामिल होगी जो सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता को संकेतित करेंगी। न्यूनतम रूप से, ईएसएमपी में निम्नलिखित शामिल होंगे: • प्रबंधन और निगरानी कार्यक्रम की आवश्यकता को स्पष्ट करने वाला परिचय। • पहचानी गई कमियों को संबोधित करने हेतु अनुशंसित प्रबंधन कार्रवाइयाँ, साथ ही संबंधित जिम्मेदारियाँ। • निगरानी आवश्यकताएँ, जिनमें निगरानी की जा रही गतिविधि; एकत्र किए जाने वाले आवश्यक डेटा; निगरानी मानक और मानदंड; अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली; तथा निगरानी की आवृत्ति शामिल होगी। • सभी शमन और निगरानी उपायों के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक। • यदि आवश्यक हो, नियामक प्राधिकरणों को रिपोर्टिंग की आवृत्ति।
लैंगिक विश्लेषण और कार्य योजना	विश्लेषण और कार्य योजना में निम्नलिखित शामिल होंगे: • ऊर्जा तक स्थानीय पहुँच और लैंगिक मुद्दों का अवलोकन। • नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लैंगिक विविधता। • ऊर्जा क्षेत्र में महिलाओं के लिए प्रमुख चुनौतियाँ और अवसर। • परियोजना स्तर पर लैंगिक एकीकरण के लिए कार्य योजना। • लैंगिक एकीकरण के लिए निगरानी और मूल्यांकन योजना, जिसमें लैंगिक उत्तरदायी लक्ष्य और प्रदर्शन संकेतक शामिल होंगे।
परिशिष्ट	• जहाँ प्रासंगिक हो: • दायरा निर्धारण रिपोर्ट • हितधारक सहभागिता योजना (एसईपी) • लैंगिक एकीकरण और कार्य योजना (जीआईएपी) • तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा तैयार आधारभूत और प्रभाव आकलन रिपोर्टें (जैसे जैव विविधता, सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक आदि)

परिशिष्ट ग2: पुनर्वास, आर्थिक विस्थापन और आजीविका पुनर्स्थापन

1. परिचय

अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजनाओं को भौतिक और/या आर्थिक पुनर्वास से बचने का प्रयास करना चाहिए, तथापि जहाँ यह संभव न हो, वहाँ प्रभाव को कम करने के लिए उपाय आवश्यक होंगे। किसी भी संभावित आर्थिक और/या भौतिक पुनर्वास के प्रभावों का आकलन किया जाएगा। जहाँ प्रासंगिक/उपयुक्त हो, यह आकलन पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) (देखें परिशिष्ट C1) में शामिल किया जाएगा। यदि आकलन/ईएसआईए के आधार पर आवश्यक समझा जाए, तो आर्थिक विस्थापन की स्थिति में परियोजनाओं के लिए एक आजीविका पुनर्स्थापन योजना (एलआरपी) विकसित की जाएगी, और जहाँ भौतिक पुनर्वास से बचा नहीं जा सकता, वहाँ परियोजनाओं के लिए एक पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) विकसित की जाएगी।

2. मुख्य संदर्भ

अधिक मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित प्रकाशनों (या उनके नवीनतम संस्करणों) का संदर्भ लिया जाना चाहिए:

- आईएफसी प्रदर्शन मानक 5 (और संबंधित मार्गदर्शन नोट): भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास (आईएफसी, 2012)[19];
- आईएफसी मार्गदर्शन नोट्स और मैनुअल, विशेष रूप से:
  - रणनीतिक सामुदायिक निवेश: उभरते बाजारों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों के लिए एक उत्तम प्रथा मार्गदर्शिका (आईएफसी, 2010)[20];
  - उत्तम प्रथा नोट: निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के सामाजिक आयामों का समाधान (आईएफसी, 2003)[21];
  - हितधारक सहभागिता: उभरते बाजारों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों के लिए एक उत्तम प्रथा मार्गदर्शिका (आईएफसी, 2007)।[22]

3. एलआरपी/आरएपी के लिए सामान्य आवश्यकताएँ

तालिका C2-1 में एलआरपी/आरएपी की आवश्यक सामग्री का रूपरेखा प्रस्तुत किया गया है।

तालिका C2-2 एलआरपी/आरएपी के लिए सामान्य आवश्यकताएँ

अनुभाग	विवरण
परियोजना का विवरण और संभावित प्रभाव	• परियोजना का सामान्य विवरण और परियोजना क्षेत्र की पहचान। • संभावित प्रभावों का विवरण, जिसमें शामिल हैं: - वे परियोजना घटक या गतिविधियाँ जो पुनर्वास की स्थिति उत्पन्न करती हैं; ऐसे घटकों या गतिविधियों का प्रभाव क्षेत्र; - पुनर्वास से बचने या उसे न्यूनतम करने के लिए विचार किए गए विकल्प; तथा - परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान, जहाँ तक संभव हो, पुनर्वास को कम करने के लिए स्थापित तंत्र।
उद्देश्य और लक्ष्य	• पुनर्वास कार्यक्रम के उद्देश्य और मुख्य लक्ष्यों का विवरण।
सहायक अध्ययन	• पुनर्वास योजना/कार्यान्वयन के समर्थन में किए गए अध्ययनों का सारांश, जैसे जनगणना सर्वेक्षण, सामाजिक-आर्थिक अध्ययन, बैठकें, स्थल चयन अध्ययन।

[19] https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-5
[20] https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/strategic-community-investment-good-practice-handbook-companies-doing-business-emerging-markets
[21] https://www.ifc.org/en/insights-reports/2000/publications-gpn-socialdimensions--wci--1319578072859
[22] https://www.ifc.org/en/insights-reports/2000/publications-handbook-stakeholderengagement--wci--1319577185063

अनुभाग	विवरण
नियामक और संस्थागत ढाँचा	• मेजबान देश के संबंधित कानूनों, ग्राहक की नीतियों और प्रक्रियाओं तथा प्रदर्शन मानकों का विवरण। • राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय राजनीतिक एवं संस्थागत संरचनाओं का अवलोकन; नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठनों का विवरण, जिनकी परियोजना में रुचि हो सकती है।
हितधारक सहभागिता	• पुनर्वास योजना से संबंधित जन परामर्श और प्रकटीकरण का सारांश, जिसमें प्रभावित परिवारों, स्थानीय और/या राष्ट्रीय प्राधिकरणों, संबंधित सीएसओ और एनजीओ तथा अन्य पहचाने गए हितधारकों, जिसमें मेजबान समुदाय भी शामिल हैं, के साथ सहभागिता शामिल होगी। • आरएपी में न्यूनतम रूप से प्रमुख पहचाने गए हितधारकों की सूची, अपनाई गई प्रक्रिया (जैसे बैठकें, फोकस समूह), उठाए गए मुद्दे, दिए गए उत्तर, महत्वपूर्ण शिकायतें (यदि कोई हों) तथा पुनर्वास कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान निरंतर सहभागिता की योजना शामिल होनी चाहिए।
सामाजिक-आर्थिक विशेषताएँ	• ईएसआईए के भाग के रूप में किए गए सामाजिक-आर्थिक अध्ययनों के निष्कर्षों का विवरण, जिसमें परिवार और जनगणना सर्वेक्षण के परिणाम, संवेदनशील समूहों से संबंधित जानकारी, आजीविका और जीवन स्तर की जानकारी, भूमि स्वामित्व और हस्तांतरण प्रणाली, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, सामाजिक अंतःक्रिया के पैटर्न, सामाजिक सेवाएँ और सार्वजनिक अवसंरचना शामिल होंगे।
पात्रता	• विस्थापित व्यक्तियों की परिभाषा तथा मुआवजा और अन्य पुनर्वास सहायता के लिए उनकी पात्रता निर्धारित करने के मानदंड, जिसमें संबंधित कट-ऑफ तिथियाँ शामिल होंगी।
हानियों का मूल्यांकन और मुआवजा	• हानियों का मूल्यांकन करने और उनके प्रतिस्थापन लागत निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली की परिभाषा। • स्थानीय कानून के अंतर्गत प्रस्तावित मुआवजे के प्रकार और स्तर का विवरण, तथा खोई हुई संपत्तियों के लिए प्रतिस्थापन लागत प्राप्त करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त उपाय।
विस्थापन का परिमाण	• प्रभावित व्यक्तियों, परिवारों, संरचनाओं, सार्वजनिक भवनों, व्यवसायों, कृषि भूमि, धार्मिक या आध्यात्मिक संरचनाओं आदि की संख्या का सारांश।
अधिकार ढाँचा	• एक ऐसा ढाँचा तैयार किया जाए जिसमें सभी प्रभावित व्यक्तियों की श्रेणियाँ और उन्हें प्रदान किए गए/प्रस्तावित विकल्प दर्शाए जाएँ, जिसे यथासंभव सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाए।
आजीविका पुनर्स्थापन उपाय	• विस्थापित लोगों की आजीविका को सुधारने या पुनर्स्थापित करने के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न उपायों की परिभाषा।
पुनर्वास स्थल	• स्थल चयन, स्थल की तैयारी और पुनर्स्थापन से संबंधित विवरण शामिल किए जाएँ, वैकल्पिक पुनर्स्थापन स्थलों पर विचार और चयन के कारणों का स्पष्टीकरण, तथा मेजबान समुदायों पर प्रभाव।
आवास, अवसंरचना और सामाजिक सेवाएँ	• आवास, अवसंरचना (जैसे जल आपूर्ति, संपर्क मार्ग) और सामाजिक सेवाएँ (जैसे विद्यालय, स्वास्थ्य सेवाएँ) प्रदान करने (या पुनर्वासित व्यक्तियों द्वारा उनकी व्यवस्था के वित्तपोषण) की योजनाओं का विवरण; मेजबान समुदायों के समान सेवाएँ सुनिश्चित करने की योजनाएँ; तथा इन सुविधाओं के लिए आवश्यक स्थल विकास, अभियांत्रिकी और वास्तु डिज़ाइन।
शिकायत निवारण प्रक्रिया	• पुनर्वास से उत्पन्न विवादों के निपटान के लिए एक किफायती और सुलभ तृतीय-पक्ष तंत्र विकसित किया जाए; ऐसे शिकायत निवारण तंत्र में न्यायिक उपायों की उपलब्धता तथा सामुदायिक और पारंपरिक विवाद समाधान तंत्रों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
संगठनात्मक जिम्मेदारियाँ	• पुनर्वास के कार्यान्वयन के लिए एक संगठनात्मक ढाँचा विकसित किया जाए, जिसमें पुनर्वास उपायों के क्रियान्वयन और सेवाओं के प्रावधान के लिए जिम्मेदार एजेंसियों की पहचान शामिल हो; कार्यान्वयन में शामिल एजेंसियों और विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रों के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करने की व्यवस्थाएँ; तथा कार्यान्वयन एजेंसियों की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक उपाय (जिसमें तकनीकी सहायता शामिल है) ताकि वे पुनर्वास गतिविधियों की योजना बना सकें और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू कर सकें। साथ ही, परियोजना के अंतर्गत प्रदान की गई सुविधाओं और सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी स्थानीय प्राधिकरणों या स्वयं पुनर्वासित व्यक्तियों को हस्तांतरित करने के प्रावधान, तथा

अनुभाग	विवरण
	जहाँ उपयुक्त हो, अन्य संबंधित जिम्मेदारियों को पुनर्वास कार्यान्वयन एजेंसियों से स्थानांतरित करने की व्यवस्था भी शामिल होगी।
कार्यान्वयन कार्यक्रम	• एक कार्यान्वयन कार्यक्रम तैयार किया जाए, जिसमें पुनर्वास से संबंधित सभी गतिविधियाँ–तैयारी से लेकर कार्यान्वयन तक–शामिल हों। इसमें पुनर्वासित व्यक्तियों और मेजबान समुदायों को अपेक्षित लाभ प्राप्त करने की लक्षित तिथियाँ तथा विभिन्न प्रकार की सहायता के कार्यान्वयन की समय-सीमा शामिल होगी। यह कार्यक्रम यह भी दर्शाएगा कि पुनर्वास गतिविधियाँ समग्र परियोजना के कार्यान्वयन से किस प्रकार जुड़ी हुई हैं।
लागत और बजट	• सभी पुनर्वास गतिविधियों के लिए मदवार लागत अनुमान दर्शाने वाली सारणियाँ तैयार की जाएँ, जिनमें मुद्रास्फीति, जनसंख्या वृद्धि और अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान शामिल हों; व्यय की समय-सीमा; धन के स्रोत; समय पर धन प्रवाह सुनिश्चित करने की व्यवस्थाएँ; तथा जहाँ लागू हो, कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में पुनर्वास के लिए वित्तपोषण की व्यवस्था।
निगरानी, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग	• पुनर्वास गतिविधियों की निगरानी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा की जाएगी, जिसे पूर्ण और निष्पक्ष जानकारी सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र निगरानीकर्ताओं द्वारा पूरक किया जाएगा; पुनर्वास गतिविधियों के इनपुट, आउटपुट और परिणामों को मापने के लिए प्रदर्शन संकेतक निर्धारित किए जाएँगे; निगरानी प्रक्रिया में विस्थापित व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी; सभी पुनर्वास और संबंधित विकास गतिविधियों के पूर्ण होने के बाद एक उचित अवधि तक पुनर्वास के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा; तथा पुनर्वास निगरानी के परिणामों का उपयोग आगे के कार्यान्वयन को दिशा देने के लिए किया जाएगा।

परिशिष्ट ग3: स्वदेशी समुदाय

1. परिचय

स्वदेशी समुदायों को किसी देश के संविधान या अन्य विनियमों में हमेशा स्पष्ट रूप से पहचाना या परिभाषित नहीं किया जाता है। "स्वदेशी समुदाय" की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है। विभिन्न देशों में इन समूहों को अलग-अलग नामों से जाना जा सकता है, जैसे "स्वदेशी जातीय अल्पसंख्यक", "आदिवासी", "पहाड़ी जनजातियाँ", "अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताएँ", "अनुसूचित जनजातियाँ", "फर्स्ट नेशंस" या "जनजातीय समूह"। तथापि, आईएफसी प्रदर्शन मानक (पीएस) 7 में दी गई परिभाषा को अकैया ग्रीन फ्यूल्स द्वारा अपनाया गया है।

आईएफसी पीएस7 के अनुसार, "स्वदेशी समुदाय" शब्द का उपयोग एक सामान्य अर्थ में किया जाता है, जो एक विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक समूह को संदर्भित करता है, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएँ विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं:

- स्वयं को एक विशिष्ट स्वदेशी सांस्कृतिक समूह के सदस्य के रूप में पहचानना और अन्य लोगों द्वारा इस पहचान की मान्यता;
- परियोजना क्षेत्र में भौगोलिक रूप से विशिष्ट आवासों या पैतृक क्षेत्रों तथा उन क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों के साथ सामूहिक जुड़ाव;
- ऐसी प्रथागत सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक संस्थाएँ जो मुख्यधारा समाज या संस्कृति से अलग हों; या
- एक विशिष्ट भाषा या बोली, जो प्रायः उस देश या क्षेत्र की आधिकारिक भाषा/भाषाओं से भिन्न होती है जहाँ वे निवास करते हैं।

परियोजना के प्रभाव क्षेत्र में स्वदेशी समुदायों की संभावित उपस्थिति की पहचान परियोजना मूल्यांकन (समुचित परिश्रम आकलन) के दौरान की जाएगी, किन्तु किसी समुदाय को स्वदेशी समुदाय के रूप में वर्गीकृत करने की पुष्टि करने के लिए, या आईएफसी प्रदर्शन मानकों (पीएस) के अनुसार अन्य हाशिए पर स्थित और/या संवेदनशील समूहों की पहचान करने के लिए, तथा ऐसे समुदायों पर परियोजना के संभावित प्रभावों का आकलन करने के लिए एक सामाजिक आकलन (जैसे ईएसआईए के भाग के रूप में) आवश्यक हो सकता है।

यह मान्यता प्राप्त है कि अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के कारण स्वदेशी समुदाय परियोजना के प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं, और स्थानीय समुदाय के अन्य सदस्यों की तुलना में उन पर प्रभाव भिन्न रूप से पड़ सकता है। इस कारण से, जब स्वदेशी समुदायों की उपस्थिति की पुष्टि होती है, तो उनके संवेदनशीलताओं को आकलन के एक विशेष पहलू के रूप में ध्यान में रखा जाएगा। स्वदेशी समुदायों तथा समुदाय के अन्य सभी सदस्यों पर प्रभावों का आकलन परियोजना जीवनचक्र के सभी चरणों के संदर्भ में किया जाएगा।

नोट: इस मार्गदर्शन को स्वदेशी समुदायों के अधिकारों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जिनका पालन परियोजना को उसके स्थान के अनुसार लागू स्थानीय/राष्ट्रीय कानूनों के तहत करना आवश्यक हो सकता है। कुछ न्यायक्षेत्रों में स्वदेशी समुदायों के अधिकारों तथा उनके साथ सहभागिता या उनसे संबंधित आकलनों की सामग्री और प्रारूप विस्तृत रूप से निर्धारित और अनिवार्य होते हैं। इसलिए, परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय/राष्ट्रीय आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए; इस दस्तावेज़ में प्रदान किया गया मार्गदर्शन (अन्य अनुशंसित प्रकाशनों सहित) परियोजना को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप लाने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

2. मार्गदर्शन

स्वदेशी समुदायों से संबंधित विस्तृत मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित प्रकाशनों (या उनके नवीनतम संस्करणों) का संदर्भ लिया जाना चाहिए:

- आईएफसी प्रदर्शन मानक 7: स्वदेशी समुदाय (आईएफसी, 2012)[23];
- आईएफसी मार्गदर्शन नोट 7: स्वदेशी समुदाय (आईएफसी, 2021);[24]
- स्वदेशी मामलों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्य समूह (आईडब्ल्यूजीआईए);[25]
- संयुक्त राष्ट्र मार्गदर्शक सिद्धांत (यूएनजीपी, 2011);[26]
- जटिल परिस्थितियों में सुरक्षा और मानवाधिकार चुनौतियों का समाधान, तृतीय संस्करण (डीसीएएफ/आईसीआरसी, 2016)।[27]

3. स्वदेशी समुदायों से संबंधित परियोजनाओं के लिए सामान्य सिद्धांत और आवश्यकताएँ

अकैया ग्रीन फ्यूल्स ऐसे किसी भी परियोजना को वित्तपोषित नहीं करेगा जहाँ स्वदेशी समुदायों पर महत्वपूर्ण प्रभाव का जोखिम हो, जब तक कि यह प्रदर्शित न किया जा सके कि तालिका C3-1 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। जहाँ स्वदेशी समुदायों पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव अपेक्षित हों, वहाँ परियोजनाओं को ऐसे प्रभावों से बचने के लिए सभी आवश्यक उपाय लागू करने होंगे। जब बचाव संभव न हो, तो परियोजना इन प्रभावों को सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त तरीके से न्यूनतम करेगी, शमन करेगी या उनकी क्षतिपूर्ति करेगी। प्रस्तावित कार्रवाइयाँ प्रभावित स्वदेशी समुदायों की सूचित सहभागिता के साथ विकसित की जाएँगी और उन्हें समयबद्ध स्वदेशी समुदाय योजना (आईपीपी) में शामिल किया जाएगा (नीचे अनुभाग 5 देखें)।

तालिका C3-1 स्वदेशी समुदायों से संबंधित परियोजनाओं के लिए सामान्य सिद्धांत और आवश्यकताएँ

अनुभाग	विवरण
प्रभाव आकलन	• यदि समुचित परिश्रम के दौरान स्वदेशी समुदायों की पहचान की गई है, तो ईएसआईए के दौरान आगे का आकलन किया जाएगा। • ईएसआईए प्रक्रिया में शामिल किए जाने वाले स्वदेशी समुदाय-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए तालिका D-2 का संदर्भ लिया जाए।
सहभागिता और सहमति	• परियोजना को परियोजना योजना के प्रारंभिक चरण से ही और पूरे परियोजना जीवनकाल के दौरान प्रभावित स्वदेशी समूहों के साथ-साथ व्यापक रूप से परियोजना से प्रभावित समुदायों के साथ निरंतर संबंध स्थापित करना होगा। • सभी हितधारक समूहों (जिसमें स्वदेशी समुदाय भी शामिल हैं) के साथ सहभागिता सामान्यतः ईएसआईए के प्रारंभिक चरण में औपचारिक रूप से प्रारंभ होगी।[28] • परियोजनाएँ प्रभावित स्वदेशी समुदायों के साथ सूचना प्रकटीकरण तथा सूचित परामर्श

[23] https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-7
[24] https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-7
[25] http://iwgia.org/images/yearbook/2020/IWGIA_The_Indigenous_World_2020.pdf
[26] https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
[27] http://www.securityhumanrightshub.org/sites/default/files/publications/ASHRC_Toolkit_V3.pdf
[28] कुछ मामलों में, विशेष रूप से जहाँ विधिक आवश्यकताएँ ऐसा निर्धारित करती हैं, सहभागिता प्रक्रिया ईएसआईए की शुरुआत से पहले ही प्रारंभ हो सकती है। ऐसी स्थिति में, ईएसआईए को इस प्रक्रिया की समीक्षा करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि यह आईएफसी पीएस7 की आवश्यकताओं के अनुरूप संचालित हुई है, तथा इस संबंध में किसी भी कमी को दूर किया जाए।

अनुभाग	विवरण
	और सहभागिता की प्रक्रिया के माध्यम से संवाद करेंगी। कुछ विशिष्ट मामलों में, आईएफसी पीएस7 की आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (एफपीआईसी) प्राप्त करना आवश्यक होगा।
संस्थागत व्यवस्थाएँ	• जहाँ परियोजना क्षेत्र में स्वदेशी समुदायों की उपस्थिति की पुष्टि होती है, वहाँ परियोजना कंपनी द्वारा निम्नलिखित संस्थागत व्यवस्थाएँ स्थापित की जाएँगी: - ऐसा शिकायत निवारण तंत्र और प्रबंधन प्रक्रिया जो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो और स्वदेशी समुदायों के लिए सुलभ हो; - स्वदेशी समुदायों से संबंधित दायित्वों के निरंतर प्रबंधन में सहायता के लिए स्वदेशी विशेषज्ञों तक पहुँच; - - योजनाओं और परियोजना दस्तावेज़ों का एक संग्रह, जिसे प्रभावित स्वदेशी समुदाय को उपयुक्त रूप, तरीके और भाषा में उपलब्ध कराया जाए; - - परियोजना के लिए एक विशिष्ट स्वदेशी समुदाय योजना (आईपीपी), जो संभावित जोखिमों और प्रभावों के अनुरूप हो (नीचे तालिका D-2 देखें)।
परंपरागत या प्रथागत भूमि पर प्रभाव[29]	• परियोजनाएँ वैकल्पिक डिज़ाइन पर विचार करेंगी ताकि स्वदेशी समुदायों की पहचान और समुदाय को परिभाषित करने वाली परंपरागत या प्रथागत भूमि पर स्थित होने से बचा जा सके और/या उनकी आजीविका या सांस्कृतिक, धार्मिक या आध्यात्मिक उपयोगों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। • यदि यह संभव न हो और प्रतिकूल प्रभाव अपेक्षित हों, तो परियोजना यह सुनिश्चित करेगी कि ईएसआईए के भाग के रूप में एफपीआईसी प्रक्रिया का पालन किया जाए। • एफपीआईसी प्रक्रिया के अंतर्गत परियोजना निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी: - प्रस्तावित परियोजना के क्षेत्रफल (फुटप्रिंट) से बचने या उसे कम से कम करने के प्रयासों का दस्तावेजीकरण; - प्रभावित स्वदेशी समुदायों के साथ मिलकर भूमि उपयोग का दस्तावेजीकरण, बिना उनके भूमि अधिकारों के दावे को प्रभावित किए; - प्रभावित स्वदेशी समुदायों को राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत उनके भूमि अधिकारों के बारे में सूचित करना, विशेषकर वे कानून जो प्रथागत अधिकारों या उपयोग को मान्यता देते हैं; - प्रभावित स्वदेशी समुदायों को उचित मुआवजा और न्यायसंगत प्रक्रिया प्रदान करना, जैसे लाभ-साझेदारी तंत्र; तथा जहाँ संभव हो, नकद मुआवजे के स्थान पर भूमि आधारित और/या वस्तु-आधारित मुआवजा प्रदान करना; और - प्रभावित स्वदेशी समुदायों के साथ सद्भावना के आधार पर वार्ता करना तथा उनकी सूचित सहभागिता और परामर्श के परिणामों का दस्तावेजीकरण करना।
स्वदेशी समुदायों का पुनर्वास	• परियोजनाएँ वैकल्पिक परियोजना डिज़ाइन पर विचार करेंगी ताकि स्वदेशी समुदायों को उनकी सामूहिक रूप से स्वामित्व वाली परंपरागत या प्रथागत भूमि से विस्थापित करने से बचा जा सके। • यदि पुनर्वास अपरिहार्य हो, तो परियोजनाएँ तब तक आगे नहीं बढ़ेंगी जब तक प्रभावित स्वदेशी समुदायों के साथ सद्भावना के आधार पर वार्ता न की गई हो और उस वार्ता के परिणामस्वरूप एफपीआईसी का दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध न हो। • स्वदेशी समुदायों का कोई भी पुनर्वास आईएफसी पीएस 5 (भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास) के अनुरूप होना चाहिए। यदि पुनर्वास का कारण समाप्त हो जाए, तो पुनर्वासित स्वदेशी समुदायों को उनकी परंपरागत या प्रथागत भूमि पर वापस लौटने का विकल्प पूरे

[29] स्वदेशी समुदायों का अपनी परंपरागत भूमि तथा उस भूमि पर स्थित प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों के साथ गहरा संबंध होता है। भूमि का उपयोग, जिसमें मौसमी या चक्रीय उपयोग भी शामिल है, स्वदेशी समुदायों द्वारा उनकी आजीविका या उनकी सांस्कृतिक, धार्मिक या आध्यात्मिक आवश्यकताओं के लिए किया जाता है, जो उनकी पहचान और समुदाय को परिभाषित करता है। इन सभी पहलुओं की पुष्टि और दस्तावेजीकरण ईएसआईए के भाग के रूप में किया जाना आवश्यक है।

अनुभाग	विवरण
	परियोजना जीवनचक्र के दौरान उपलब्ध रहना चाहिए।
सांस्कृतिक संसाधन	• जहाँ कोई परियोजना स्वदेशी समुदायों के सांस्कृतिक संसाधनों, ज्ञान या प्रथाओं का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव करती है, वहाँ परियोजना को स्वदेशी समुदायों और अन्य प्रभावित समुदायों को निम्नलिखित के बारे में सूचित करना और उसका दस्तावेजीकरण करना होगा: - राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत उनके अधिकार; - प्रस्तावित व्यावसायिक विकास का दायरा और स्वरूप; तथा - ऐसे विकास के संभावित परिणाम।
विकास लाभ	• ईएसआईए प्रक्रिया के माध्यम से तथा उसके बाद निरंतर सहभागिता के भाग के रूप में, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त विकास लाभों के अवसरों की पहचान की जाएगी। ऐसे अवसर परियोजना के प्रभावों की सीमा के अनुरूप होने चाहिए, जिनका उद्देश्य स्वदेशी समुदायों के जीवन स्तर और आजीविका में सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त तरीके से सुधार करना तथा उन प्राकृतिक संसाधनों की दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा देना हो, जिन पर वे निर्भर हैं। • लाभों और लाभ-साझेदारी की सहमति प्रक्रिया का विवरण आईपीपी (और जहाँ प्रासंगिक हो, परियोजना के सामुदायिक विकास कार्यक्रम) में दर्ज किया जाएगा और इन्हें स्वदेशी समुदायों को पारदर्शी समावेशन, सहभागिता और निर्णय-निर्माण की सतत प्रक्रिया के भाग के रूप में प्रदान किया जाएगा।

4. स्वदेशी समुदायों पर प्रभावों का आकलन

यदि समुचित परिश्रम के दौरान परियोजना क्षेत्र में स्वदेशी समुदायों की पहचान होती है, तो ईएसआईए का दायरा इस प्रकार अनुकूलित किया जाएगा कि स्वदेशी समुदायों को एक विशिष्ट हितधारक समूह के रूप में शामिल किया जा सके। आकलन की व्यापकता, गहराई और प्रकार परियोजना के संभावित प्रभावों की प्रकृति और पैमाने तथा स्वदेशी समुदायों की संवेदनशीलता के अनुपात में होना चाहिए। ईएसआईए करने के लिए नियुक्त परामर्शदाता को एक स्वदेशी समुदाय विशेषज्ञ को शामिल करना होगा, तथा संबंधित स्वदेशी समुदायों के लिए विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता भी सुनिश्चित की जाएगी।

स्वदेशी समुदायों से विशेष रूप से संबंधित ईएसआईए का दायरा नीचे दी गई तालिका C3-2 में वर्णित तत्वों को शामिल करेगा।

तालिका C3-2 स्वदेशी समुदायों से संबंधित परियोजनाओं के लिए ईएसआईए का दायरा

विषय	विवरण
स्वदेशी समुदाय प्रभाव आकलन का दायरा (ईएसआईए का एक घटक)	• परियोजना का विवरण तथा स्वदेशी समुदायों पर संभावित मुद्दों या प्रभावों का उल्लेख, जिसमें ऐसे संभावित प्रभावों का संकेत भी शामिल हो जो प्रभावित समुदाय के अन्य समूहों की तुलना में स्वदेशी समुदायों को अलग ढंग से प्रभावित कर सकते हैं। • स्वदेशी समुदाय की जनसांख्यिकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताओं से संबंधित आधारभूत जानकारी, जिसमें समुदाय के भीतर किसी भी विशेष संवेदनशीलता (जैसा नीचे वर्णित है) का विचार शामिल होगा। • स्वदेशी समुदायों पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों तथा परियोजना से संबंधित संभावित लाभों का आकलन। • परियोजना के उद्देश्यों, लाभों तक पहुँच और उनकी सांस्कृतिक उपयुक्तता, संभावित प्रतिकूल प्रभावों के शमन, तथा परियोजना कार्यान्वयन व्यवस्थाओं के संबंध में स्वदेशी समुदाय की प्राथमिकताओं और चिंताओं का सारांश।
सहभागिता और सहमति	• स्वदेशी समुदायों के साथ सहभागिता आईएफसी पीएस1 की मानक आवश्यकताओं के अनुसार की जाएगी और इसके अतिरिक्त इसमें निम्नलिखित शामिल होगा: - स्वदेशी समुदायों के प्रतिनिधि निकायों और संगठनों (जैसे बुजुर्गों की परिषद या ग्राम परिषद) के साथ-साथ प्रभावित स्वदेशी समुदाय के सदस्यों को शामिल करना; - सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त तरीके से महिलाओं और पुरुषों तथा विभिन्न आयु समूहों की समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करना;

विषय	विवरण
	- स्वदेशी समुदाय द्वारा अपनाई जाने वाली निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं का सम्मान करना और इसके लिए पर्याप्त समय प्रदान करना; तथा - स्वदेशी समुदाय की पसंद की भाषा में उनके विचारों, चिंताओं और प्रस्तावों की अभिव्यक्ति को सुगम बनाना, बिना किसी बाहरी हेरफेर, हस्तक्षेप या दबाव के, और बिना किसी भय या धमकी के। • परियोजना क्षेत्र में स्वदेशी समुदायों वाली परियोजनाएँ उन सभी विषयों पर समुदायों की सूचित सहभागिता सुनिश्चित करेंगी जो उन्हें प्रभावित करते हैं, जैसे प्रस्तावित प्रभाव शमन उपाय, विकास लाभों और अवसरों का साझा करना, तथा कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे।
स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (एफपीआईसी)	• कुछ विशिष्ट मामलों में, स्वदेशी समुदाय से स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (एफपीआईसी) प्राप्त करना आवश्यक होगा। • वे परिस्थितियाँ जिनमें एफपीआईसी आवश्यक होती है: - जब परियोजना से उन भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव पड़ सकता है जो पारंपरिक स्वामित्व के अंतर्गत हैं या प्रथागत उपयोग में हैं (आईएफसी पीएस7, अनुच्छेद 13-14); - जब स्वदेशी समुदायों को उन भूमि और प्राकृतिक संसाधनों से विस्थापित करना आवश्यक हो जो पारंपरिक स्वामित्व या प्रथागत उपयोग के अंतर्गत आते हैं (आईएफसी पीएस7, अनुच्छेद 15); और/या - जब परियोजना से महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है और/या परियोजना सांस्कृतिक विरासत का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव करती है (आईएफसी पीएस7, अनुच्छेद 16-17)। • उद्देश्य परियोजनाओं के लिए स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति प्राप्त करना और उसे बनाए रखना है। यह निर्धारण सामान्यतः उप-परियोजना के उद्देश्यों, योजनाओं और कार्यान्वयन व्यवस्थाओं के संबंध में समर्थन व्यक्त करने वाले सामूहिक और प्रमाणित विचारों के आधार पर किया जाता है। इस निर्धारण के लिए सर्वसम्मति आवश्यक नहीं है, क्योंकि समर्थन तब भी मौजूद हो सकता है जब समुदाय के भीतर मतभेद हों या उप-परियोजना के उद्देश्यों या प्रस्तावित व्यवस्थाओं के प्रति सीमित विरोध हो। - आईपीपी में इस निर्धारण के आधार तथा किए गए परामर्श प्रक्रिया का विवरण दिया जाएगा।
संवेदनशीलताओं का आकलन	• आकलन का एक प्रमुख पहलू प्रभावित स्वदेशी समुदायों की सापेक्ष संवेदनशीलताओं को समझना है, यह समझना कि परियोजना उन पर कैसे प्रभाव डाल सकती है, तथा यह भी कि परियोजना उनके योगदान को परिवर्तनकारी जलवायु कार्रवाई में कैसे सुदृढ़ कर सकती है। • ईएसआईए में संवेदनशीलता और उसके मानदंडों को परिभाषित करने के लिए एक सहभागी प्रक्रिया शामिल होगी, जैसे प्रश्नावली या अन्य उपकरण, जिन्हें इस प्रकार विकसित किया जाएगा कि समुदाय उन्हें आसानी से समझ सकें और उपयोग कर सकें। • संवेदनशीलता के विश्लेषण में स्वदेशी समुदायों के निम्नलिखित पहलुओं का विचार शामिल होगा: - आर्थिक, सामाजिक और विधिक स्थिति; - उनकी भूमि, क्षेत्रों और संसाधनों की स्थिति (राष्ट्रीय और प्रथागत कानून के अंतर्गत), जिनसे उनका सामूहिक जुड़ाव है (जैसा नीचे वर्णित है); - संस्थाएँ, प्रथाएँ, संस्कृति और/या भाषा; - प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता, जिसमें प्रथागत और पारंपरिक आजीविकाएँ शामिल हैं; तथा - प्रमुख समूहों और मुख्यधारा अर्थव्यवस्था के साथ उनका पूर्व और वर्तमान संबंध।
सामूहिक जुड़ाव	• ईएसआईए यह निर्धारित करेगा कि स्वदेशी समुदायों के बीच किस स्तर और प्रकार का सामूहिक जुड़ाव मौजूद हो सकता है। • सामूहिक जुड़ाव का निर्धारण और मूल्यांकन करते समय इस तथ्य पर विचार किया जाएगा कि स्वदेशी समूह विभिन्न परिस्थितियों में रहते हैं और जिन क्षेत्रों में वे निवास करते हैं,

विषय	विवरण
	उनसे उनके जुड़ाव के स्तर अलग-अलग हो सकते हैं। • *आईएफसी पीएस7 मार्गदर्शन नोट (2012) के अनुसार: सामूहिक जुड़ाव का अर्थ है कि ये समूह सामान्यतः अपनी भूमि और संसाधनों को सामूहिक संपत्ति मानते हैं, जो उनकी संस्कृति और पहचान से जुड़े होते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि इन समूहों की आजीविका, अर्थव्यवस्था, उत्पादन के तरीके, सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिस्थितियाँ सामान्यतः विशिष्ट क्षेत्रों और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी होती हैं। सामूहिक जुड़ाव भौगोलिक रूप से विशिष्ट आवासों, पैतृक क्षेत्रों, मौसमी उपयोग या निवास वाले क्षेत्रों तथा वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर हो सकता है, और इसलिए ऐसे समूहों में शामिल हो सकते हैं:* - *वे स्वदेशी समुदाय जो परियोजना से प्रभावित भूमि या जल क्षेत्रों पर निवास करते हैं। इसमें वे समुदाय भी शामिल हो सकते हैं जो घुमंतू हैं या मौसमी रूप से स्थानांतरित होते हैं, और जिनका परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के साथ जुड़ाव आवधिक या मौसमी हो सकता है;* - *वे स्वदेशी समुदाय जो परियोजना से प्रभावित भूमि पर नहीं रहते, लेकिन पारंपरिक स्वामित्व और/या प्रथागत उपयोग (जिसमें मौसमी या चक्रीय उपयोग शामिल है) तथा सांस्कृतिक या आध्यात्मिक जुड़ाव के माध्यम से उन भूमि से संबंध बनाए रखते हैं;* - *वे स्वदेशी समुदाय जिन्होंने बलपूर्वक अलगाव, संघर्ष, सरकार द्वारा अनैच्छिक पुनर्वास कार्यक्रम, अपनी भूमि से बेदखली, प्राकृतिक आपदाओं या शहरी क्षेत्र में समावेशन के कारण परियोजना से प्रभावित भूमि और क्षेत्रों से अपना सामूहिक जुड़ाव खो दिया है;* - *वे स्वदेशी समूह जो परियोजना से प्रभावित क्षेत्र में मिश्रित बस्तियों में निवास करते हैं, जहाँ वे व्यापक समुदाय का केवल एक हिस्सा होते हैं; या* - *वे स्वदेशी समुदाय जिनका परियोजना से प्रभावित पैतृक भूमि (जो शहरी क्षेत्रों में स्थित है) से सामूहिक जुड़ाव है।*
अनपेक्षित परिणामों पर विचार	• कुछ परिस्थितियों में, परियोजनाएँ स्वदेशी समुदायों पर उनके विशिष्ट हालात या संवेदनशीलताओं के कारण अनपेक्षित प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। ईएसआईए ऐसे संभावित प्रभावों पर विचार करेगा, जिनमें भाषा और सांस्कृतिक मानदंडों का ह्रास, पारंपरिक शासन संरचनाओं का कमजोर होना, आंतरिक संघर्ष का उत्पन्न होना, भूमि पर बढ़ता दबाव और अतिक्रमण, तथा प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव या उनका प्रदूषण शामिल हो सकता है। • ईएसआईए में ऐसे प्रतिकूल प्रभावों की संभावना और उनके स्तर की पहचान करने तथा उन्हें टालने, कम करने या उनकी क्षतिपूर्ति करने के उपायों के लिए सहभागी कार्यप्रणालियों का उपयोग शामिल होगा।
भिन्न प्रभावों पर विचार	• स्वदेशी समुदाय विविध हो सकते हैं और इनमें कई समूह तथा उनके भीतर विभिन्न सामाजिक इकाइयाँ (जैसे व्यक्ति, कबीले, समुदाय और जातीय समूह) शामिल हो सकते हैं। सांस्कृतिक पहचान, भौगोलिक पहुँच, भाषा, शासन संरचनाएँ, सामंजस्य और प्राथमिकताओं से संबंधित मुद्दे विभिन्न समूहों के बीच काफी भिन्न हो सकते हैं। • परियोजनाएँ एक ही समुदाय के विभिन्न उप-समूहों पर अलग-अलग प्रभाव डाल सकती हैं। उदाहरण के लिए, परियोजना के लिए भूमि किसी एक कबीले से अधिग्रहित की जा सकती है, लेकिन इस अधिग्रहण से अन्य कबीलों की उस भूमि और वहाँ स्थित संसाधनों तक पारंपरिक पहुँच और उपयोग प्रभावित हो सकता है। • ईएसआईए के भाग के रूप में किया गया सामाजिक आकलन विभिन्न समूहों की पहचान करने तथा प्रत्येक समूह पर संभावित प्रभावों की प्रकृति और महत्व को समझने का आधार प्रदान करेगा।
प्राकृतिक संसाधन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ	• परियोजनाएँ स्वदेशी समुदायों की पहचान, प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित आजीविका, खाद्य सुरक्षा तथा सांस्कृतिक अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। ईएसआईए यह आकलन करेगा कि ऐसे प्रभाव किस हद तक उत्पन्न हो सकते हैं। • ऐसे प्रभावों से बचने के प्रयास में सक्षम विशेषज्ञों की सलाह ली जाएगी।

5. स्वदेशी समुदाय योजना की सामग्री

जहाँ परियोजना क्षेत्र में स्वदेशी समुदाय मौजूद हों और प्रतिकूल प्रभावों से बचा न जा सके, वहाँ आईएफसी पीएस7 (और संबंधित मार्गदर्शन नोट) के अनुसार एक समयबद्ध स्वदेशी समुदाय योजना (आईपीपी) तैयार की जाएगी। आईपीपी में उन निर्धारित कार्रवाइयों को शामिल किया जाएगा जिन्हें परियोजना द्वारा प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और प्रबंधित करने के लिए अपनाया जाएगा। ये कार्रवाइयाँ प्रभावित स्वदेशी समुदायों की सूचित सहभागिता के साथ विकसित की जाएँगी। आईपीपी का दायरा न्यूनतम रूप से नीचे दी गई तालिका C3-3 में निर्दिष्ट सामग्री को शामिल करेगा।

तालिका C3-3 स्वदेशी समुदायों से संबंधित परियोजनाओं के लिए ईएसआईए का दायरा

विषय	विवरण
आधारभूत जानकारी	• संबंधित आधारभूत जानकारी का सारांश, जिसमें स्वदेशी समुदायों (विशेषकर स्वदेशी महिलाओं), उनकी परिस्थितियों और आजीविका का स्पष्ट विवरण शामिल हो, साथ ही उन प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन और मात्रात्मक विवरण भी शामिल हो जिन पर स्वदेशी समुदाय निर्भर हैं। • उस कार्यप्रणाली और संदर्भों का विवरण, जिनके माध्यम से आधारभूत जानकारी प्राप्त की गई (अर्थात ईएसआईए और उससे संबंधित सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से)।
मुख्य निष्कर्ष और प्रभाव, जोखिम तथा अवसरों का विश्लेषण	• मुख्य निष्कर्षों का सारांश तथा प्रभावों, जोखिमों और अवसरों का विश्लेषण। • संभावित अनुशंसित उपायों का अवलोकन, जिनका उद्देश्य (i) प्रतिकूल प्रभावों से बचना या उन्हें कम करना; (ii) सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाना; (iii) स्वदेशी समुदायों के प्राकृतिक संसाधन आधार का सतत संरक्षण और प्रबंधन करना; तथा (iv) स्वदेशी समुदायों की अपनी योजनाओं के अनुरूप सतत सामुदायिक विकास प्राप्त करना है।
नकारात्मक प्रभावों से बचने, उन्हें न्यूनतम करने और शमन करने तथा सकारात्मक प्रभावों और अवसरों को बढ़ाने के उपाय	• सूचना प्रकटीकरण, परामर्श और सूचित सहभागिता की प्रक्रिया के दौरान सहमति से तय किए गए उपायों का विवरण, जिनका उद्देश्य स्वदेशी समुदायों पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों से बचना, उन्हें न्यूनतम करना और उनका शमन करना, तथा सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाना है। • एक कार्य योजना का समावेश, जिसमें अपनाए जाने वाले उपायों, जिम्मेदारियों और सहमत समय-सीमा का विस्तृत विवरण हो, जिसमें कार्यान्वयन के लिए (कौन, कैसे, कहाँ और कब) शामिल हो। शमन या क्षतिपूर्ति उपायों की तुलना में बचाव या निवारक उपायों को प्राथमिकता दी जाएगी।
सामुदायिक आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (जहाँ लागू हो)	• ऐसी व्यवस्थाओं का विवरण जो प्रभावित स्वदेशी समुदायों की आजीविका गतिविधियों (जैसे चराई, शिकार, संग्रहण या पारंपरिक मत्स्य पालन) की निरंतरता सुनिश्चित करें, जो उनके अस्तित्व तथा उनकी पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। • उन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और सतत उपयोग के लिए अपनाए जाने वाले उपायों का विवरण, जिन पर स्वदेशी समुदाय निर्भर हैं, तथा उन भौगोलिक रूप से विशिष्ट क्षेत्रों और आवासों का विवरण जहाँ ये संसाधन स्थित हैं।
परामर्श के परिणाम, एफपीआईसी और भविष्य की सहभागिता योजनाएँ	• सूचना प्रकटीकरण, परामर्श और सूचित सहभागिता की प्रक्रिया का विवरण, तथा जहाँ प्रासंगिक हो एफपीआईसी प्रक्रिया का भी विवरण, जिसमें सद्भावना के आधार पर की गई वार्ताएँ और स्वदेशी समुदायों के साथ किए गए दस्तावेजीकृत समझौते शामिल हों, और यह भी कि उठाए गए मुद्दों का समाधान कैसे किया गया। • भविष्य की सहभागिता के लिए परामर्श ढाँचा स्पष्ट रूप से यह वर्णन करेगा कि परियोजना के कार्यान्वयन और संचालन के दौरान स्वदेशी समुदायों (जिसमें महिलाएँ और पुरुष दोनों शामिल हैं) के साथ निरंतर परामर्श और उनकी भागीदारी की प्रक्रिया क्या होगी।
लाभ-साझेदारी योजनाएँ	• ऐसे उपायों का विवरण जो स्वदेशी समुदायों को परियोजना द्वारा उत्पन्न सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाएँ, तथा उन विशिष्ट प्राकृतिक संसाधनों के आधार का संरक्षण और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करें जिन पर वे निर्भर हैं।
भूमि अधिकार व्यवस्थाएँ	• परियोजना के लिए लक्षित भूमि पर राज्य कानूनों तथा प्रथागत कानूनों के अंतर्गत किसके अधिकार हैं, इसका विवरण, तथा परियोजना के अंतर्गत भूमि की विधिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन और उसका अधिकारधारकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
शिकायत निवारण तंत्र	• परियोजना के कार्यान्वयन और संचालन से उत्पन्न स्वदेशी समुदायों की शिकायतों के समाधान के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं का विवरण।

विषय	विवरण
	• शिकायत निवारण तंत्र और प्रक्रियाओं को तैयार करते समय न्यायिक उपायों की उपलब्धता तथा स्वदेशी समुदायों के भीतर प्रथागत विवाद समाधान तंत्रों को ध्यान में रखा जाएगा। • स्वदेशी महिलाओं और पुरुषों को उनके अधिकारों तथा प्रशासनिक और कानूनी उपायों/उपचारों की संभावनाओं के बारे में अवगत कराया जाएगा, और परामर्श एवं सूचित सहभागिता की प्रक्रिया के भाग के रूप में उन्हें उपलब्ध किसी भी कानूनी सहायता की जानकारी दी जाएगी। • शिकायत निवारण तंत्र स्वदेशी समुदायों के लिए आसानी से सुलभ होगा, जिसमें उनकी पसंद की भाषा और तरीके में संवाद करने की सुविधा शामिल होगी। • शिकायत निवारण तंत्र में गुमनामी सुनिश्चित की जाएगी; शिकायत उठाने वालों पर किसी प्रकार का खर्च डाले बिना निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान प्रदान किया जाएगा; तथा आवश्यक होने पर महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और समुदाय के अन्य संवेदनशील समूहों के लिए विशेष व्यवस्थाएँ की जाएँगी ताकि वे अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर सकें।
लागत, बजट, समय-सीमा और संगठनात्मक जिम्मेदारियाँ	• कार्यान्वयन की लागत का सारांश, बजट और वित्तपोषण की जिम्मेदारियाँ, साथ ही व्यय की समय-सीमा तथा परियोजना निधियों और व्ययों के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए संगठनात्मक जिम्मेदारियों का विवरण शामिल किया जाएगा।
निगरानी, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग	• निगरानी, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग तंत्र का विवरण, जिसमें जिम्मेदारियाँ, आवृत्ति, प्रतिक्रिया (फीडबैक) और सुधारात्मक कार्यवाही प्रक्रियाएँ शामिल होंगी। • निगरानी और मूल्यांकन तंत्र में स्वदेशी समुदायों (महिलाओं और पुरुषों दोनों) के साथ निरंतर सूचना प्रकटीकरण, परामर्श और सूचित सहभागिता की व्यवस्थाएँ शामिल होंगी, तथा मूल्यांकन प्रक्रिया में पहचानी गई किसी भी सुधारात्मक कार्यवाही के कार्यान्वयन और वित्तपोषण की व्यवस्था भी होगी। • सामुदायिक आधारित निगरानी और सूचना प्रणालियों जैसी सहभागी निगरानी व्यवस्थाओं पर विचार किया जाएगा और उन्हें समर्थन दिया जाएगा।

परिशिष्ट ग4: हितधारक सहभागिता और शिकायत निवारण तंत्र

1. परिचय

प्रत्येक अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजना के लिए एक आईएफसी अनुरूप हितधारक सहभागिता योजना (एसईपी) और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना अनिवार्य है, जिसे परियोजना के अनुरूप तैयार किया जाएगा (सामान्यतः यह ईएसआईए के भाग के रूप में किया जाता है)।

एसईपी एक गतिशील दस्तावेज़ है, इसलिए इसे परियोजना के विभिन्न चरणों के दौरान आवश्यकतानुसार अद्यतन किया जाना चाहिए। एसईपी को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि यह आम जनता के लिए सरल, स्पष्ट और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त भाषा में उपलब्ध हो सके, जहाँ इसकी आवश्यकता हो।

नोट: इस मार्गदर्शन को परियोजना के स्थान के अनुसार लागू स्थानीय/राष्ट्रीय कानूनों के तहत आवश्यक ईएसआईए या समान आकलनों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कुछ न्यायक्षेत्रों में ऐसे ईएसआईए अध्ययनों की सामग्री और प्रारूप विस्तृत रूप से निर्धारित होते हैं और अनिवार्य होते हैं। इसलिए, परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय/राष्ट्रीय आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए; इस दस्तावेज़ में प्रदान किया गया मार्गदर्शन (अन्य अनुशंसित प्रकाशनों सहित) यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप होने हेतु राष्ट्रीय ईआईए को पूरक करने के लिए कौन से अतिरिक्त अध्ययन आवश्यक हैं।

2. मुख्य संदर्भ

एसईपी की तैयारी तथा हितधारक सहभागिता और शिकायत प्रबंधन पर अधिक मार्गदर्शन निम्नलिखित प्रकाशनों (या उनके नवीनतम संस्करणों) में उपलब्ध है:

- आईएफसी मार्गदर्शन नोट्स और मैनुअल, विशेष रूप से:
  - हितधारक सहभागिता: उभरते बाजारों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों के लिए एक उत्तम प्रथा मार्गदर्शिका (आईएफसी, 2007);[30]
  - उत्तम प्रथा नोट: परियोजना से प्रभावित समुदायों की शिकायतों का समाधान (आईएफसी, 2009);[31]
  - रणनीतिक सामुदायिक निवेश: उभरते बाजारों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों के लिए एक उत्तम प्रथा मार्गदर्शिका (आईएफसी, 2010);[32]
  - उत्तम प्रथा नोट: निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के सामाजिक आयामों का समाधान (आईएफसी, 2003);
- संयुक्त राष्ट्र मार्गदर्शक सिद्धांत (यूएनजीपी, 2011);[33]
- मार्गदर्शन नोट: यूएनडीपी सामाजिक और पर्यावरणीय मानक (एसईएस), हितधारक सहभागिता (यूएनजीपी, 2020);[34]
- उत्तम प्रथा नोट: प्रमुख सिविल कार्यों से संबंधित निवेश परियोजना वित्तपोषण में लैंगिक आधारित हिंसा का समाधान (डब्ल्यूबी, 2018);[35]

3. हितधारक सहभागिता और शिकायत निवारण तंत्र के सामान्य आवश्यकताएँ

परियोजना के लिए यह आवश्यक है कि वह उन सभी हितधारकों की पहचान करे जो परियोजना में रुचि रखते हैं या प्रभावित हो सकते हैं, और उनके साथ निरंतर संवाद के लिए एक योजना स्थापित करे। हितधारक सहभागिता आईएफसी पीएस1 तथा सभी लागू कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। परियोजनाएँ स्थानीय समुदायों और अन्य बाहरी हितधारकों, जिसमें महिलाएँ, बच्चे और स्वदेशी समुदाय जैसे संवेदनशील समूह शामिल हैं, के मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध होंगी। जहाँ मानवाधिकारों के लिए जोखिम की पहचान होती है, वहाँ प्रभावित व्यक्तियों को समाधान तक पहुँच प्रदान करने के लिए प्रावधान किए जाएँगे। मुख्य आवश्यकताएँ नीचे तालिका C4-1 में विस्तृत रूप से दी गई हैं।

---

[30] https://www.ifc.org/en/insights-reports/2000/publications-handbook-stakeholderengagement--wci--1319577185063
[31] https://www.ifc.org/en/insights-reports/2000/publications-gpn-grievances
[32] https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/2022-02/12014complete-web.pdf
[33] www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
[34] www.undp.org/publications/undp-social-and-environmental-standards
[35] https://documents1.worldbank.org/curated/en/399881538336159607/Environment-and-Social-Framework-ESF-Good-Practice-Note-on-Gender-based-Violence-English.pdf

तालिका C4-1 हितधारक सहभागिता और शिकायत निवारण तंत्र के लिए सामान्य सिद्धांत और आवश्यकताएँ

विषय	विवरण
हितधारक सहभागिता योजना (एसईपी)	• जहाँ आवश्यकता की पहचान होती है, वहाँ सभी प्रमुख हितधारक समूहों के साथ बाहरी संचार के लिए एक एसईपी लागू किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: - हितधारक सहभागिता को नियंत्रित करने वाले अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय नियमों तथा सर्वोत्तम प्रथाओं का सारांश। - परियोजना से संबंधित हितधारकों की पहचान और उनका विश्लेषण। - परियोजना के प्रत्येक चरण के दौरान सहभागिता गतिविधियों की कार्यप्रणाली और कार्यक्रम। - निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए आवश्यकताएँ। • स्थानीय समुदायों को परियोजना से संबंधित जानकारी के समय-समय पर प्रकटीकरण के लिए एक प्रक्रिया विकसित और लागू की जाएगी। यह प्रक्रिया एसईपी के भाग के रूप में शामिल और/या विकसित की जा सकती है।
बाह्य संचार	• ऐसी परियोजनाओं के लिए जिनका स्थानीय समुदायों पर सीमित या कोई प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव नहीं है, औपचारिक एसईपी लागू करना आवश्यक नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में, परियोजना संबंधित हितधारकों की पहचान करेगी और समय-समय पर तथा निरंतर बाह्य संचार के लिए एक योजना स्थापित करेगी, जैसे परियोजना से संबंधित अद्यतन जानकारी प्रदान करना। यह सकारात्मक संबंध बनाए रखने और परियोजना की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए लाभकारी है।
व्यापक सामुदायिक समर्थन	• परियोजना को हर समय व्यापक सामुदायिक समर्थन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हितधारक सहभागिता योजना और स्थानीय शिकायत निवारण तंत्र का निरंतर कार्यान्वयन आवश्यक है, साथ ही ऐसे उपायों का भी कार्यान्वयन करना होगा जिनके माध्यम से यह निगरानी की जा सके कि यह समर्थन किस हद तक मौजूद है और बनाए रखा जा रहा है। • परियोजना को यह आकलन करना आवश्यक है कि व्यापक सामुदायिक समर्थन किस हद तक बना हुआ है। यह आकलन नियमित रूप से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के माध्यम से, जो चल रही हितधारक सहभागिता गतिविधियों का हिस्सा है, तथा उठाई गई शिकायतों की निरंतर निगरानी के माध्यम से किया जाएगा।
स्थानीय शिकायत निवारण तंत्र	• परियोजना को परियोजना से प्रभावित समुदायों और अन्य स्थानीय हितधारकों के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र विकसित और लागू करना होगा, ताकि वे परियोजना से संबंधित शिकायतें, चिंताएँ और मुद्दे उठा सकें। • शिकायत निवारण तंत्र सभी लागू स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कानूनों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के मानकों के अनुरूप होना चाहिए। • शिकायत निवारण तंत्र का प्रबंधन यूएनजीपी के सिद्धांत 31 में वर्णित प्रभावशीलता मानदंडों के अनुसार किया जाना चाहिए। • यह तंत्र समझने में सरल होना चाहिए और इसमें एक पारदर्शी परामर्श प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए, जो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और आसानी से सुलभ हो। • इसका उपयोग करने में कोई लागत नहीं होनी चाहिए और इसे बिना किसी प्रतिशोध के भय के उपयोग किया जा सके। यह तंत्र न्यायिक या प्रशासनिक उपायों तक पहुँच को बाधित नहीं करेगा और न ही उनका स्थान लेगा। • परियोजना से प्रभावित समुदायों को इस तंत्र के बारे में तथा इसे कैसे उपयोग और प्राप्त किया जा सकता है, इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। • इस तंत्र में लैंगिक आधारित हिंसा और उत्पीड़न (जीबीवीएच) के मामलों की रिपोर्टिंग और प्रबंधन के लिए विशिष्ट तथा पीड़ित-केंद्रित उपाय शामिल होने चाहिए। ऐसे उपायों में गवाहों और अन्य हितधारकों जैसे व्हिसलब्लोअर और परिवार के सदस्यों की उचित सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। जीबीवीएच के मामलों को प्राप्त करने, उनका उत्तर देने और उन्हें संबोधित करने के लिए जिम्मेदार सभी परियोजना कर्मियों को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

विषय	विवरण
शिकायत प्रबंधन प्रक्रिया	• स्थानीय शिकायत निवारण तंत्र में शिकायतों के प्रबंधन के लिए एक प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित के लिए प्रक्रिया का विवरण दिया जाए: - जनता से प्राप्त बाहरी संचार को प्राप्त करना और पंजीकृत करना। - उठाए गए मुद्दों की जाँच और मूल्यांकन करना तथा यह निर्धारित करना कि उन्हें कैसे संबोधित किया जाएगा। - शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि के लिए शीघ्र प्रतिक्रिया देना। - दिए गए उत्तरों का प्रावधान, उनका अनुकरण (ट्रैकिंग) और दस्तावेजीकरण करना। - प्राप्त शिकायतों का प्रवृत्ति विश्लेषण करना ताकि संभावित प्रणालीगत मुद्दों की पहचान की जा सके। • परियोजनाएँ एक या अधिक ऐसे व्यक्तियों को नामित करेंगी जो शिकायतों के उत्तर देने के लिए जिम्मेदार होंगे, और यह सुनिश्चित करेंगी कि वे पर्याप्त रूप से सक्षम हों तथा दैनिक शिकायतों के समाधान के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हों। • जीबीवीएच के रिपोर्ट किए गए मामलों के लिए विशेष व्यवस्थाएँ लागू की जाएँगी। इन्हें स्थानीय परियोजना संदर्भ के अनुसार तैयार करना होगा, परंतु न्यूनतम रूप से एक सुरक्षित, गोपनीय और बाल-अनुकूल तंत्र प्रदान करना आवश्यक होगा, जिसमें स्थानीय महिला और/या युवा संगठनों के साथ सहयोग शामिल हो सकता है। • परियोजना का स्थानीय शिकायत निवारण तंत्र लिखित रूप में प्रकाशित किया जाएगा, प्रकट किया जाएगा और सभी स्थानीय हितधारकों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। • सभी शिकायतों और उनके समाधान का एक अभिलेख (रजिस्टर) रखा जाएगा।
सामुदायिक संपर्क अधिकारी (सीएलओ)	• कुछ मामलों में, जब किसी परियोजना का स्थानीय समुदायों पर महत्वपूर्ण प्रभाव होने की संभावना हो या उनकी ओर से अधिक रुचि हो, तो परियोजनाओं को एक सीएलओ नियुक्त करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसकी भूमिका स्थानीय समुदायों के साथ संवाद स्थापित करना, उनके लिए प्राथमिक संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करना और अच्छे संबंध बनाए रखना होती है। • सीएलओ को प्राप्त होने वाली शिकायतों का अभिलेख रखने और उन्हें परियोजना प्रबंधन टीम को रिपोर्ट करने का कार्य सौंपा जा सकता है। सीएलओ की भूमिका के विशिष्ट पहलुओं का निर्धारण परियोजना द्वारा किया जाएगा। • सीएलओ को शिकायत रजिस्टर की निगरानी करने और नियमित विश्लेषण करने का दायित्व दिया जाएगा, ताकि ऐसे रुझानों की पहचान की जा सके जो किसी व्यापक समस्या का संकेत हो सकते हैं, जिसमें व्यापक सामुदायिक समर्थन में संभावित गिरावट या हानि भी शामिल है।

4. एसईपी की सामग्री और संरचना

तालिका C4-2 एसईपी के लिए अनुशंसित संरचना प्रस्तुत करती है और प्रत्येक अनुभाग में शामिल की जाने वाली सामग्री का एक सामान्य अवलोकन प्रदान करती है।

तालिका C4-2 एसईपी की सामग्री और संरचना

विषय	विवरण
परिचय	• परियोजना और उसके संदर्भ का संक्षिप्त विवरण, साथ ही संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का एक अवलोकन। • यदि संभव हो, तो परियोजना के प्रभाव क्षेत्र को दर्शाने वाला एक मानचित्र शामिल किया जाए।
नियामक अवलोकन	• हितधारक सहभागिता से संबंधित लागू स्थानीय/राष्ट्रीय/क्षेत्रीय कानूनों और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के मानकों का सारांश प्रस्तुत किया जाए। इसमें ईएसआईए प्रक्रिया से संबंधित सार्वजनिक परामर्श और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ भी शामिल हो सकती हैं।
परियोजना हितधारकों	• उन प्रमुख हितधारकों/हितधारक समूहों की सूची तैयार की जाए जिन्हें परियोजना के बारे

विषय	विवरण
की पहचान और विश्लेषण	में जानकारी देना और परामर्श करना आवश्यक होगा, जिनमें (परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं) निम्नलिखित शामिल हैं: - जो परियोजना से प्रत्यक्ष और/या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं; - जिनकी परियोजना में संस्थागत रुचि है; और/या - जिनमें परियोजना के परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता है। • पहचाने गए हितधारकों/हितधारक समूहों का विश्लेषण किया जाए ताकि प्रमुख हितधारकों/समूहों की पहचान की जा सके और प्रत्येक हितधारक/समूह के लिए आवश्यक सहभागिता स्तर निर्धारित किया जा सके।
पूर्व में की गई हितधारक सहभागिता गतिविधियों का सारांश	• यदि परियोजना से संबंधित पूर्व में कोई हितधारक सहभागिता गतिविधियाँ की गई हैं, तो उनमें शामिल हितधारकों/हितधारक समूहों का सारांश प्रस्तुत किया जाए; साझा की गई जानकारी और उसे साझा करने के तरीके का विवरण दिया जाए; आयोजित किसी भी सार्वजनिक/हितधारक बैठकों के स्थान, तिथियाँ और उपस्थिति सूची का उल्लेख किया जाए; साथ ही उठाए गए प्रमुख मुद्दों/चिंताओं और उन पर परियोजना की प्रतिक्रियाओं का सारांश भी शामिल किया जाए।
हितधारक सहभागिता कार्यक्रम	• हितधारक विश्लेषण और पूर्व हितधारक सहभागिता गतिविधियों के परिणामों के आधार पर परियोजना के लिए एक हितधारक सहभागिता कार्यक्रम तैयार किया जाए। • इस कार्यक्रम में निम्नलिखित का विवरण होना चाहिए: - प्रत्येक हितधारक/हितधारक समूह के लिए साझा की जाने वाली जानकारी और उसे साझा करने की विधि (जैसे समाचार पत्र विज्ञापन, सूचना पुस्तिकाएँ/पोस्टर, प्रकाशित रिपोर्ट आदि); - प्रत्येक हितधारक/हितधारक समूह के साथ परामर्श के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीके (जैसे साक्षात्कार, सर्वेक्षण/प्रश्नावली, फोकस समूह बैठकें, सार्वजनिक बैठकें, कार्यशालाएँ आदि), जिसमें स्थानीय समुदायों के साथ सहभागिता के लिए आवश्यक किसी भी पारंपरिक तंत्र को शामिल किया जाएगा; • यह सुनिश्चित किया जाएगा कि महिलाओं, अल्पसंख्यकों, बुजुर्गों, युवाओं और अन्य संवेदनशील समूहों (जिसमें स्वदेशी समुदाय भी शामिल हैं) के विचारों को कैसे ध्यान में रखा जाएगा; • स्थानीय समुदायों, गैर-सरकारी संगठनों या अन्य परियोजना हितधारकों के साथ किए जाने वाले किसी भी अन्य सहभागिता या सहभागी प्रक्रियाओं और/या साझेदारियों का विवरण (जैसे लाभ-साझेदारी कार्यक्रम, पुनर्वास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आदि); तथा • सहभागिता गतिविधियों के लिए एक समय-सारणी, जिसमें गतिविधियों की तिथियाँ/समय-सीमा और स्थान शामिल हों।
भूमिकाएँ, जिम्मेदारियाँ और प्रबंधन व्यवस्थाएँ	• परियोजना के उन प्रमुख भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों और प्रमुख कर्मचारियों की पहचान की जाए जो एसईपी और शिकायत निवारण तंत्र के प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए समर्पित होंगे और/या जिम्मेदार होंगे। • यह विवरण दिया जाए कि एसईपी परियोजना के पर्यावरणीय और सामाजिक / एकीकृत प्रबंधन प्रणाली तथा अन्य मुख्य व्यावसायिक कार्यों के साथ कैसे एकीकृत होता है।
परियोजना शिकायत निवारण तंत्र	• परियोजना की शिकायत प्रबंधन प्रक्रिया और उन प्रावधानों का विवरण दिया जाए जिनके माध्यम से शिकायतें उठाई जा सकती हैं, उनका विचार किया जा सकता है और उनका समाधान किया जा सकता है, तथा यह भी कि यह प्रक्रिया किसके द्वारा संचालित की जाएगी।
निगरानी और रिपोर्टिंग	• परियोजना के प्रभावों की निगरानी तथा परियोजना के ईएसएमपी के कार्यान्वयन में परियोजना हितधारकों (जिसमें प्रभावित समुदाय भी शामिल हैं) या तृतीय-पक्ष निगरानीकर्ताओं को शामिल करने की किसी भी योजना का विवरण दिया जाए। • यह भी बताया जाए कि हितधारक सहभागिता गतिविधियों के परिणामों को हितधारकों के साथ कैसे और कब साझा किया जाएगा।

परिशिष्ट ग5: लैंगिक पहलू

1. परिचय

अकैया ग्रीन फ्यूल्स यह मानता है कि उसकी वित्तपोषित परियोजनाओं की सफलता के लिए उनका लैंगिक रूप से संवेदनशील होना आवश्यक है। 'लैंगिक' शब्द का अर्थ महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक संबंधों से है; अतः यह आवश्यक है कि महिलाओं और पुरुषों दोनों के साथ कार्य किया जाए ताकि दोनों को समान रूप से लाभ मिल सके। अकैया ग्रीन फ्यूल्स महिलाओं को परियोजना के कर्मचारियों, लाभार्थियों और प्रभावित हितधारकों के रूप में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में, मान्यता देता है।

लैंगिक विचारों को परियोजना के मूल्यांकन और विकास के सभी पहलुओं में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजना के लिए स्थानीय लैंगिक संदर्भ का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है, साथ ही एक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए जो महिलाओं और लड़कियों के लिए चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का प्रयास करे। अकैया ग्रीन फ्यूल्स यह अपेक्षा करता है कि इस कार्य योजना को परियोजना जीवनचक्र के सभी चरणों के दौरान लागू किया जाए।

अकैया ग्रीन फ्यूल्स लैंगिक आधारित हिंसा और उत्पीड़न (जीबीवीएच) तथा यौन शोषण, दुरुपयोग और उत्पीड़न (एसईएएच) के मुद्दों को भी मान्यता देता है, जिनका अनुभव अक्सर महिलाओं और लड़कियों को पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। अकैया ग्रीन फ्यूल्स यह अपेक्षा करता है कि उसकी वित्तपोषित सभी परियोजनाएँ अपनी कार्यबल की महिला सदस्यों के साथ-साथ व्यापक समुदायों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय लागू करें। इसमें परियोजना के सभी पहलुओं में जीबीवीएच और एसईएएच से जुड़े जोखिमों पर विचार करना, ऐसे मामलों से बचाव के लिए नियंत्रण उपाय अपनाना, तथा रिपोर्ट किए गए या संदिग्ध मामलों का उत्तर देने और उनका समाधान करने के लिए उपाय शामिल हैं। परियोजना द्वारा अपनाया गया कार्यकर्ता शिकायत निवारण तंत्र ऐसे मामलों के समाधान में पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण के लिए विशेष प्रावधान करेगा, साथ ही गवाहों और अन्य व्यक्तियों (जैसे व्हिसलब्लोअर) को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा। इन मामलों के प्रबंधन में शामिल व्यक्तियों को अंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शन के अनुरूप उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। परियोजना के पूरे जीवनकाल के दौरान जोखिमों और संबंधित नियंत्रण उपायों की निरंतर निगरानी भी आवश्यक होगी।

2. मुख्य संदर्भ

अधिक मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित प्रकाशनों (या उनके नवीनतम संस्करणों) का संदर्भ लिया जाना चाहिए:

- आईएफसी प्रदर्शन मानक 1 (और संबंधित मार्गदर्शन नोट): पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों एवं प्रभावों का आकलन और प्रबंधन (आईएफसी, 2012);[36]
- आईएफसी प्रदर्शन मानक 2 (और संबंधित मार्गदर्शन नोट): श्रम और कार्य परिस्थितियाँ (आईएफसी, 2012);[37]
- आईएफसी प्रदर्शन मानक 4 (और संबंधित मार्गदर्शन नोट): सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षा (आईएफसी, 2012);[38]
- आईएफसी प्रदर्शन मानक 5 (और संबंधित मार्गदर्शन नोट): भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास (आईएफसी, 2012);[39]
- आईएफसी प्रदर्शन मानक 7 (और संबंधित मार्गदर्शन नोट): स्वदेशी समुदाय (आईएफसी, 2012);[40]
- लैंगिक आधारित हिंसा और उत्पीड़न का समाधान: निजी क्षेत्र के लिए उभरती सर्वोत्तम प्रथाएँ (आईएफसी, ईबीआरडी और सीडीसी, 2020)।[41]

[36] https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-1
[37] https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-2
[38] https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-4
[39] https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-5
[40] https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-7
[41] https://www.ifc.org/en/insights-reports/2020/publications-gpn-addressinggbvh

3. परियोजना-विशिष्ट लैंगिक विश्लेषण और कार्य योजना

परियोजना-विशिष्ट लैंगिक एकीकरण और कार्य योजना (जीआईएपी) का उद्देश्य उस क्षेत्र में लैंगिक से संबंधित मुद्दों का एक समग्र अवलोकन प्रस्तुत करना है जहाँ परियोजना स्थित है, साथ ही परियोजना-विशिष्ट लैंगिक मुख्यधारा में शामिल करने के लिए कार्यों और लक्ष्यों का एक सेट प्रदान करना है। जीआईएपी में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- स्थानीय लैंगिक संदर्भ और लैंगिक से संबंधित मुद्दों का अवलोकन।
- परियोजना से संबंधित क्षेत्र (क्षेत्रों) में लैंगिक विविधता।
- परियोजना क्षेत्र (क्षेत्रों) में महिलाओं के लिए प्रमुख चुनौतियाँ और अवसर।
- परियोजना स्तर पर लैंगिक एकीकरण और मुख्यधारा में शामिल करने के लिए कार्य योजना।
- लैंगिक एकीकरण के लिए निगरानी और मूल्यांकन योजना, जिसमें लैंगिक-संवेदनशील लक्ष्य और प्रदर्शन संकेतक शामिल होंगे।

परिशिष्ट ग6: सामुदायिक विकास

1. परिचय

अकैया ग्रीन फ्यूल्स इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि उसकी वित्तपोषित सभी परियोजनाएँ समाज में प्रभावशाली योगदान दें और उस व्यापक समुदाय का निरंतर समर्थन प्राप्त करें जिसका वे हिस्सा हैं। इस संदर्भ में, अकैया ग्रीन फ्यूल्स सभी परियोजनाओं से अपेक्षा करता है कि वे आवश्यकताओं पर आधारित एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम विकसित करें और उसे लागू करें। ऐसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में योगदान देना;
- पर्यावरणीय स्थिरता के उच्चतम मानकों को प्राप्त करना;
- हितधारकों के साथ दीर्घकालिक और सफल संबंध स्थापित करना;
- स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अकैया ग्रीन फ्यूल्स की प्रतिष्ठा को बनाए रखना और बढ़ाना; तथा
- व्यवस्था में परिवर्तन और बाजार परिवर्तन को प्राप्त करना।

2. मुख्य संदर्भ

अधिक मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित प्रकाशनों (या उनके नवीनतम संस्करणों) का संदर्भ लिया जाना चाहिए:

- आईएफसी मार्गदर्शन नोट्स और मैनुअल, विशेष रूप से:
  - रणनीतिक सामुदायिक निवेश: उभरते बाजारों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों के लिए एक उत्तम प्रथा मार्गदर्शिका (आईएफसी, 2010);[42]
  - उत्तम प्रथा नोट: निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के सामाजिक आयामों का समाधान (आईएफसी, 2003);
  - हितधारक सहभागिता: उभरते बाजारों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों के लिए एक उत्तम प्रथा मार्गदर्शिका (आईएफसी, 2007);[43]
- मैकिंज़ी संगठन क्षमता आकलन उपकरण;[44]
- संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी): https://sdgs.un.org/goals ; तथा
- संयुक्त राष्ट्र मार्गदर्शक सिद्धांत (यूएनजीपी, 2011)।[45]

3. सामुदायिक विकास के लिए सामान्य सिद्धांत और आवश्यकताएँ

अकैया ग्रीन फ्यूल्स द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा और कार्यान्वयन को तालिका C6-1 में निर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतों और सामान्य आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।

तालिका C6-1 सामुदायिक विकास के लिए सामान्य सिद्धांत और आवश्यकताएँ

विषय	विवरण
मार्गदर्शक सिद्धांत	• सतत (सस्टेनेबल) - सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाएगा कि वे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (यूएन एसडीजी) में योगदान दें, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और निर्भरता से बचें, साथ ही सरकारी सहयोग और अन्य विकास भागीदारों के साथ साझेदारी के अवसर उत्पन्न करें; तथा इनके लिए एक स्पष्ट सतत निकास रणनीति हो। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (यूएन एसडीजी) के महत्व और उन्हें समर्थन देने में सीएफएम की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित होगा, जहाँ सीएफएम सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करने में सक्षम है, जिनमें शामिल हैं:

[42] https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/strategic-community-investment-good-practice-handbook-companies-doing-business-emerging-markets
[43] https://www.ifc.org/en/insights-reports/2000/publications-handbook-stakeholderengagement--wci--1319577185063
[44] www.issuelab.org/resources/27379/27379.pdf
[45] https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

विषय	विवरण
	• एसडीजी 5: लैंगिक समानता • एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता (इसे शामिल किया गया है क्योंकि यह भारत में विकास का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है) • एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा • एसडीजी 8: सम्मानजनक कार्य और आर्थिक वृद्धि • एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना • एसडीजी 13: जलवायु कार्रवाई • एसडीजी 17: लक्ष्यों के लिए साझेदारी • समुदाय-आधारित (कम्युनिटी-लेड) - सामुदायिक विकास कार्यक्रम लैंगिक रूप से समावेशी होंगे और इन्हें समुदाय के सदस्यों और लाभार्थियों (जिसमें संवेदनशील समूह भी शामिल हैं) के परामर्श और सहभागिता के साथ डिज़ाइन, योजना, कार्यान्वित और प्रबंधित किया जाएगा। • समावेशी (इन्क्लूसिव) - कार्यक्रमों के विकास और कार्यान्वयन में, जहाँ प्रासंगिक हो, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय सरकारों, सिविल सोसाइटी संगठनों (सीएसओ), विकास एजेंसियों और अन्य स्थानीय हितधारकों की सहभागिता शामिल होगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र में चल रही विकास गतिविधियों के साथ समन्वय स्थापित करना और आवश्यकता अनुसार अन्य समुदायों में भी इसे दोहराने योग्य बनाना है। • पारदर्शी (ट्रांसपेरेंट) - सभी सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का विकास, कार्यान्वयन और प्रबंधन पारदर्शी, लेखापरीक्षण योग्य तथा आंतरिक और बाहरी समीक्षा के लिए खुला होगा। • मापनीय (मेज़रेबल) - प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) निर्धारित किए जाएँगे ताकि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों द्वारा लक्षित लाभार्थियों को प्राप्त मूल्य को मापा जा सके, जिसमें परिवर्तन को मापने के लिए परिणाम और प्रभाव संकेतकों का उपयोग किया जाएगा।
लाभार्थी पात्रता मानदंड	• यह अत्यंत आवश्यक है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में कार्यक्रम के लक्षित लाभार्थियों की पहचान के लिए स्पष्ट मानदंड हों। समुदाय के उन सदस्यों का निर्धारण, जो लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे, तथा कार्यक्रम के लिए संसाधनों का आवंटन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा: • परियोजना के प्रभाव क्षेत्र (एओआई) में उपस्थिति - एओआई की सीमाओं के भीतर रहने वाले सभी व्यक्तियों को लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाना चाहिए। जो व्यक्ति एओआई के बाहर हैं, वे सामान्यतः पात्र नहीं होंगे। सामान्यतः एओआई का निर्धारण परियोजना के लिए किए गए पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) के माध्यम से किया जाता है और इसमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रभाव क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। जिन मामलों में परियोजना के जोखिम और प्रभाव के आधार पर ईएसआईए की आवश्यकता नहीं होती (जैसे श्रेणी सी परियोजनाएँ), उन मामलों में पात्रता की सीमाएँ निर्धारित करने के लिए एओआई का निर्धारण किया जाना चाहिए। • सामाजिक मुद्दों की संभावना - यद्यपि एओआई की सीमाओं का उपयोग कुछ मामलों में उपयुक्त होगा, अन्य मामलों में यह बहुत संकीर्ण हो सकता है और इससे राजनीतिक रूप से प्रभावित सामाजिक चिंताएँ या धारणाएँ उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे मामलों में सांस्कृतिक, आर्थिक या प्रशासनिक/नगरपालिका सीमाओं पर विचार करना आवश्यक हो सकता है (संदर्भ: आईएफसी, 2010)। ऐसी स्थितियों का प्रबंधन परियोजना-विशिष्ट आधार पर और अनुभवी विशेषज्ञों के सुझावों के साथ किया जाना चाहिए।
विकास विकल्पों के चयन के मानदंड	• यद्यपि सामुदायिक विकास विकल्पों की पहचान के लिए विशिष्ट मानदंड प्रत्येक परियोजना के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, सभी प्रस्तावित सामुदायिक विकास हस्तक्षेपों को निम्नलिखित मानकों के आधार पर जाँचा जाएगा (और उनके अनुरूप होना आवश्यक होगा): • लक्षित लाभार्थियों द्वारा पहचानी गई उच्च प्राथमिकता वाली आवश्यकताएँ और अवसर; • चयनित संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (यूएन एसडीजी) तथा उपर्युक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ संरेखण; • लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देना और महिलाओं के लिए अवसर प्रदान करना;

विषय	विवरण
	• मौजूदा सरकारी विकास प्राथमिकताओं और योजनाओं के साथ संरेखण; • अकैया ग्रीन फ्यूल्स की मुख्य व्यावसायिक क्षमताओं के अनुरूप मूल्य संवर्धन के अवसर; • कार्यान्वयन में सहायता के लिए स्थानीय भागीदारों की उपलब्धता और क्षमता; तथा • उच्च प्रभाव प्राप्त करना और निर्धारित बजट के भीतर रहना।
स्थिरता, क्षमता निर्माण और निकास रणनीति	• सामुदायिक विकास कार्यक्रम की दीर्घकालिक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह समय के साथ आत्मनिर्भर बन सके और निर्भरता उत्पन्न होने से बचा सके, ताकि अकैया ग्रीन फ्यूल्स/अकैया ग्रीन फ्यूल्स द्वारा वित्तपोषित परियोजना उचित समय पर बिना किसी नकारात्मक प्रभाव के अपना समर्थन कम या समाप्त कर सके। क्षमता निर्माण कार्यक्रम की निकास और स्थिरता रणनीति का एक आवश्यक घटक होना चाहिए, क्योंकि स्थानीय भागीदार संगठनों को सशक्त बनाना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना एक सकारात्मक दीर्घकालिक प्रभाव सुनिश्चित करने की संभावना को काफी बढ़ाता है। प्रत्येक परियोजना के लिए निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करना आवश्यक होगा: - कार्यक्रम को निरंतर समर्थन प्रदान करने के लिए, आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर क्षमता निर्माण या कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता पर विचार किया जाएगा, जिसमें समुदायों, सीएसओ, स्थानीय सरकार और परियोजना के भीतर शामिल होगा। ये प्रशिक्षण तकनीकी और व्यवहारिक दोनों प्रकार की क्षमताओं पर केंद्रित होंगे। - सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अपेक्षित अवधि के संबंध में स्पष्टता तथा इसकी जानकारी प्रारंभ से ही लाभार्थियों और अन्य हितधारकों को प्रदान करना। - एक निकास या हस्तांतरण रणनीति तैयार करना, जिससे समुदाय कार्यक्रम/पहलों को आगे भी जारी रख सके, तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाहियों का विवरण देना।
हितधारक सहभागिता	• समुदायों और अन्य हितधारकों के साथ सहभागिता, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के विकास और कार्यान्वयन का मूल तत्व है और यह कार्यक्रम की सफलता के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी परियोजना की सफलता के लिए। • प्रारंभिक चरण में सहभागिता करने से स्थानीय विकास प्राथमिकताओं की पहचान संभव होती है और इससे अधिक लक्षित एवं सफल सामुदायिक विकास कार्यक्रम विकसित किए जा सकते हैं, जहाँ लाभों का वितरण स्थानीय हितधारकों द्वारा अधिक स्वीकार्य और समझने योग्य होता है। यह पारदर्शिता विश्वास निर्माण करती है और कंपनी के सकारात्मक व्यवहार की छवि स्थापित करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। • हितधारक सहभागिता कार्यक्रम (और परियोजना) के निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में भागीदारी को सुगम बनाती है और विचारों को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करती है, जिससे प्रभावों और संबंधित शमन उपायों की पहचान में सहायता मिलती है। • इस प्रक्रिया में जानकारी और ज्ञान का साझा करना, दूसरों की चिंताओं को समझना और संबंध निर्माण शामिल है, जिससे हितधारक परियोजना के जोखिमों, प्रभावों और अवसरों को समझ सकें और सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकें। यह प्रारंभिक चरण से ही परियोजना और उससे प्रभावित या उसे प्रभावित करने वाले पक्षों के बीच जानकारी के आदान-प्रदान की एक सतत 'दो-तरफा' प्रक्रिया है। • हितधारक सहभागिता सामुदायिक विकास कार्यक्रम के विकास और कार्यान्वयन के दौरान निरंतर रूप से की जाएगी। सहभागिता की प्रक्रिया और तकनीकों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट C3 में दिया गया है। सहभागिता को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक अनुभव, भाषा और सांस्कृतिक समझ रखने वाले विशेषज्ञों की नियुक्ति आवश्यक हो सकती है।
लैंगिक समावेशन	• अकैया ग्रीन फ्यूल्स यह मानता है कि उसकी वित्तपोषित परियोजनाओं की सफलता के लिए उनका लैंगिक रूप से संवेदनशील होना आवश्यक है। 'लैंगिक' शब्द का अर्थ महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक संबंधों से है; अतः यह आवश्यक है कि महिलाओं और पुरुषों दोनों के साथ कार्य किया जाए ताकि दोनों को समान रूप से लाभ मिल सके। • सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाएगा कि वे लैंगिक और

विषय	विवरण
	सामाजिक समावेशन के अवसरों को संबोधित कर सकें। सभी सामुदायिक विकास कार्यक्रम महिलाओं को हितधारकों, कार्यकर्ताओं और अंतिम उपयोगकर्ताओं (या 'लाभार्थियों') के रूप में ध्यान में रखेंगे। महिलाओं को शासन, कार्यबल और उद्यमिता में सशक्त बनाने के लिए स्वतंत्र पहलें भी विकसित की जाएँगी। इन पहलों में महिलाओं के उद्यम विकास, व्यावसायिक और कौशल विकास (विशेषकर क्षेत्र से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों जैसे इंजीनियरिंग, रखरखाव और सेवाएँ) तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के समर्थन में सामुदायिक संवाद शामिल हो सकते हैं। इन पहलों की विशिष्ट प्रकृति हितधारक सहभागिता और समुदाय की आवश्यकताओं एवं अवसरों के आकलन के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

4. सामुदायिक विकास बजट

निम्नलिखित बजट आवंटन किए जाएँगे और अकैया ग्रीन फ्यूल्स यह सुनिश्चित करेगा कि इस बजट का एक सौ प्रतिशत (100%) भाग स्वीकृत सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अनुसार केवल सामुदायिक विकास के उद्देश्य के लिए ही व्यय किया जाए और किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग न किया जाए:

- संबंधित विकास चरण के दौरान विकास वित्तपोषण का चार प्रतिशत (4%) सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटित किया जाएगा।
- प्रत्येक परियोजना के निर्माण चरण (अर्थात निर्माण चरण से सीओडी तक) के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम हेतु बजट निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

कैपएक्स	सामुदायिक विकास बजट
< यूएस$ 50 मिलियन	0.5%
यूएस$ 50 से यूएस$ 100 मिलियन	0.45%
>यूएस$ 100 मिलियन	0.35%

- प्रत्येक अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजना के संचालन चरण (अर्थात सीओडी के बाद) से बजट आवंटित किया जाएगा, जो परियोजना एसपीवी के वार्षिक ईबीआईटीडीए का कम से कम एक प्रतिशत (1%) होगा।

किसी एक अवधि/वित्तीय वर्ष का अप्रयुक्त बजट अगले वर्ष में स्थानांतरित किया जाएगा और इसका उपयोग केवल सीडीपी के अनुसार सामुदायिक विकास के उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा। ऐसा अप्रयुक्त बजट आगामी सभी वित्तीय अवधियों में स्थानांतरित किया जाता रहेगा जब तक कि इसे पूर्ण रूप से व्यय न कर दिया जाए।

परिशिष्ट ग7: श्रम और कार्य परिस्थितियाँ

1. परिचय

सभी अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजनाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे श्रम और कार्य परिस्थितियों से संबंधित ऐसी व्यवस्थाएँ स्थापित करें जो अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हों और मानवाधिकारों के सम्मान, लैंगिक मुख्यधारा में समावेशन तथा श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करें।

नोट: इस मार्गदर्शन को परियोजना के स्थान के अनुसार लागू स्थानीय/राष्ट्रीय कानूनों के तहत श्रम और कार्य परिस्थितियों से संबंधित आवश्यकताओं के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कुछ न्यायक्षेत्रों में श्रम और कार्य परिस्थितियों से संबंधित आवश्यकताएँ विस्तृत रूप से निर्धारित और अनिवार्य होती हैं। इसलिए, परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय/राष्ट्रीय आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए; इस दस्तावेज़ में प्रदान किया गया मार्गदर्शन (अन्य अनुशंसित प्रकाशनों सहित) परियोजना को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप लाने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

2. मुख्य संदर्भ

अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजनाओं को श्रम और कार्य परिस्थितियों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक मानकों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जो परियोजना गतिविधियों की प्रकृति के अनुसार लागू हों, और निम्नलिखित प्रकाशनों (या उनके नवीनतम संस्करणों) तक सीमित नहीं हैं:

- आईएफसी प्रदर्शन मानक 2 (और संबंधित मार्गदर्शन नोट): श्रम और कार्य परिस्थितियाँ (आईएफसी, 2012);[46]
- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के मुख्य श्रम मानक;[47]
- आईएलओ के रोजगार की मूल शर्तें, अर्थात वे आवश्यकताएँ जो वेतन, कार्य समय, श्रम अनुबंध और व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित हैं, जो आईएलओ सम्मेलनों 26 और 131 (वेतन), 1 (कार्य समय) और 155 (स्वास्थ्य एवं सुरक्षा) से संबंधित हैं;
- प्रदर्शन मानक 2 हैंडबुक: श्रम और कार्य परिस्थितियाँ, आईएफसी और सोशल अकाउंटेबिलिटी इंटरनेशनल (एसएआई);[48];
- आईएफसी उत्तम प्रथा नोट: भेदभाव-रहितता और समान अवसर;[49]
- आईएफसी उत्तम प्रथा नोट: छंटनी प्रबंधन;[50]
- आईएफसी उत्तम प्रथा नोट: निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के सामाजिक आयामों का समाधान;[51]
- आईएफसी उत्तम प्रथा नोट: कार्यस्थल और आपूर्ति श्रृंखला में बाल श्रम का समाधान;[52]
- श्रमिक आवास: प्रक्रियाएँ और मानक, आईएफसी और यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (ईबीआरडी);[53] तथा
- व्यवसाय और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र मार्गदर्शक सिद्धांत।[54]

3. सामान्य सिद्धांत

[46] https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-2
[47] https://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm#:~:text=the%20elimination%20of%20all%20forms,safe%20and%20healthy%20working%20environment.
[48] www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/sai-ifc-laborhandbook.pdf
[49] https://www.ifc.org/en/insights-reports/2000/publications-gpn-nondiscrimination
[50] www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/retrenchment.pdf
[51] https://www.ifc.org/en/insights-reports/2000/publications-gpn-socialdimensions--wci--1319578072859
[52] https://www.ifc.org/en/insights-reports/2000/publications-gpn-childlabor
[53] https://www.ifc.org/en/insights-reports/2000/publications-gpn-workersaccommodation
[54] https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजनाएँ, जिनमें सभी अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजना ठेकेदार और प्रमुख आपूर्तिकर्ता शामिल हैं जिन[55] पर अकैया ग्रीन फ्यूल्स का नियंत्रण या प्रभाव है, श्रम और कार्य परिस्थितियों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के मानकों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

इसके अतिरिक्त, आपूर्ति श्रृंखला में मानवाधिकार उल्लंघनों के जोखिम के प्रति बढ़ती जागरूकता को ध्यान में रखते हुए, सभी ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को अकैया ग्रीन फ्यूल्स के समुचित परिश्रम आकलन के भाग के रूप में जानकारी प्रदान करनी होगी। इसका मुख्य ध्यान कार्य परिस्थितियों से संबंधित नागरिक और राजनीतिक अधिकारों; रोजगार की शर्तों; कार्यबल की सुरक्षा; श्रमिक शिकायत निवारण तंत्र; यूनियन बनाने के अधिकार; बाल श्रम/बलपूर्वक श्रम/मानव तस्करी की संभावना; तथा भेदभाव-रहितता और समान अवसर की नीतियों पर होगा। अकैया ग्रीन फ्यूल्स यह स्वीकार करता है कि यह एक उभरता हुआ वैश्विक मुद्दा है और अपनी समग्र स्थिरता दृष्टिकोण के अंतर्गत विकसित होते मार्गदर्शन और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्रम और कार्य परिस्थितियों के प्रबंधन के लिए सामान्य सिद्धांत और प्रमुख आवश्यकताएँ नीचे तालिका C7-1 में दी गई हैं।

तालिका C7-1 श्रम और कार्य परिस्थितियों के प्रबंधन के लिए सामान्य आवश्यकताएँ

विषय	विवरण
कानूनी अनुपालन	• सभी प्रासंगिक राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार कानूनों का एक रजिस्टर स्थापित किया जाना चाहिए तथा उनके निरंतर अनुपालन की निगरानी की जानी चाहिए।
स्थानीय सामग्री	• परियोजनाओं को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कर्मचारियों के साथ-साथ विदेशी श्रमिकों के लिए भर्ती रणनीति, नीति और प्रक्रिया लागू करनी चाहिए। जहाँ संभव हो, स्थानीय वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और परियोजना को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये (i) भर्ती और प्रशिक्षण में लैंगिक समानता को बढ़ावा दें (नीति और व्यवहार दोनों में); तथा (ii) महिलाओं के कार्य-परिस्थितियों में सुधार करें जैसे कि सुविधाएँ, बाल-देखभाल, यौन उत्पीड़न संबंधी नीतियाँ और उनके समाधान आदि। साथ ही जहाँ संभव हो, स्थानीय वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता और समर्थन दिया जाना चाहिए। परियोजनाओं को उन व्यवसायों और ठेकेदारों को प्राथमिकता और समर्थन देना चाहिए जो महिलाओं के स्वामित्व में हों और/या महिलाओं में निवेश करते हों तथा उन्हें महत्व देते हों।
मानव संसाधन नीति और प्रक्रियाएँ	• परियोजनाओं को सभी श्रमिकों के लिए एक मानव संसाधन नीति लागू करनी चाहिए और उसे संप्रेषित करना चाहिए, तथा ऐसी प्रक्रियाएँ विकसित करनी चाहिए (जिन्हें 'कर्मचारी पुस्तिका' में शामिल किया जा सकता है) जो श्रम और कार्य परिस्थितियों से संबंधित सभी पहलुओं को कवर करें, जैसे कि: - कार्य घंटे, ओवरटाइम (यदि लागू हो) और विश्राम अवधि। - ओवरटाइम कार्य करने की प्रक्रिया तथा ओवरटाइम और अवकाश कार्य को नियंत्रित करने वाले नियम। - सामान्य कार्य घंटों और ओवरटाइम (यदि लागू हो) के लिए पारिश्रमिक। - भुगतान की प्रक्रिया (अर्थात वेतन, ओवरटाइम वेतन, अवकाश वेतन और अवकाश के दौरान ओवरटाइम वेतन के भुगतान की तिथि और स्थान)। - वार्षिक अवकाश नीति (जिसमें मातृत्व अवकाश, बीमारी अवकाश आदि शामिल हैं)। - कर्मचारी लाभ (जैसे सामाजिक सुरक्षा, कार्य के लिए यात्रा व्यय आदि)।

[55] प्रमुख आपूर्तिकर्ता वे होते हैं जो निरंतर आधार पर परियोजना की मुख्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक वस्तुएँ या सामग्री प्रदान करते हैं (स्रोत: आईएफसी पीएस2)।

विषय	विवरण
	- सामूहिक सौदेबाजी और संगठन से संबंधित नियम। - पदोन्नति, परिवीक्षा और प्रदर्शन मूल्यांकन। - प्रशिक्षण कार्यक्रम। - अनुशासनात्मक प्रक्रिया। - नौकरी से हटाना, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति लाभ और विशेष सेवानिवृत्ति भुगतान।
संवेदनशील श्रमिक	• परियोजनाओं को ऐसी प्रलेखित व्यवस्थाएँ लागू करनी चाहिए जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार तथा बंधुआ या बलपूर्वक श्रम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाती हों। यह आवश्यकता सभी ठेकेदारों और तृतीय पक्षों पर भी लागू होगी। परियोजनाओं को कार्यबल, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला के श्रमिक भी शामिल हैं (नीचे देखें), की नियमित निगरानी करनी चाहिए ताकि बाल श्रम और/या बलपूर्वक या बंधुआ श्रम से संबंधित किसी भी नए जोखिम या घटनाओं का पता लगाया जा सके और उन्हें दूर करने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें।
आपूर्ति श्रृंखला	• समग्र पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली के हिस्से के रूप में, परियोजनाओं को आपूर्ति श्रृंखला में मानवाधिकार जोखिमों के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएँ स्थापित करनी चाहिए: - आपूर्ति श्रृंखला और मानवाधिकार जोखिमों के संबंध में परियोजना की प्रतिबद्धताओं को दर्शाने वाली नीति या स्थिति विवरण। - स्पष्ट रूप से परिभाषित आवश्यकताएँ जिनका पालन आपूर्तिकर्ताओं को करना होगा। - नए प्रमुख आपूर्तिकर्ता के साथ समझौता करने से पहले मानवाधिकारों से संबंधित समुचित परिश्रम (ड्यू डिलिजेंस) करना। - इन नीतियों के प्रति आपूर्तिकर्ताओं के निरंतर अनुपालन की निगरानी करना।
भेदभाव-रहितता	• परियोजनाओं को निम्नलिखित के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए: - कार्यस्थल पर तथा भर्ती, पारिश्रमिक, सेवा समाप्ति, पदोन्नति, उन्नयन और अन्य कार्य परिस्थितियों या रोजगार की शर्तों के संदर्भ में निष्पक्ष व्यवहार, भेदभाव-रहितता और समान अवसर सुनिश्चित करना, जिसमें लैंगिक संवेदनशीलता भी शामिल हो। - सभी श्रमिकों (जिसमें ठेकेदार और तृतीय पक्षों द्वारा नियोजित श्रमिक भी शामिल हैं) के बीच भेदभाव के विभिन्न रूपों, यौन उत्पीड़न, समान अवसरों और श्रमिकों द्वारा अपनी चिंताओं या शिकायतों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
कर्मचारी परामर्श, सहभागिता और संचार	• परियोजनाओं को श्रमिक संबंधों के प्रबंधन के लिए व्यवस्थाएँ स्थापित करनी चाहिए, जिसमें सामूहिक सौदेबाजी और श्रमिक संगठन, तथा कर्मचारी परामर्श, संचार और सहभागिता शामिल हों। जहाँ कानून द्वारा सामूहिक सौदेबाजी और संगठन की स्वतंत्रता सीमित हो, वहाँ परियोजनाओं को श्रमिकों को यह अवसर प्रदान करना चाहिए कि वे स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें, जो उनकी ओर से नियोक्ता के साथ उनके श्रम और कार्य परिस्थितियों से संबंधित मामलों पर संवाद कर सकें।
श्रमिक शिकायत निवारण तंत्र	• परियोजनाओं को श्रमिकों के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र लागू करना चाहिए, जिससे वे अपनी प्रतिक्रिया, शिकायतें और समस्याएँ प्रस्तुत कर सकें। यह तंत्र संयुक्त राष्ट्र मार्गदर्शक सिद्धांत (यूएनजीपी) के सिद्धांत 31 में वर्णित प्रभावशीलता मानदंडों के अनुरूप डिज़ाइन और प्रबंधित किया जाना चाहिए।[56] शिकायत निवारण तंत्र में लैंगिक मुद्दों को

[56] संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय, एचआर/पीयूबी/11/04, 2011

विषय	विवरण
	शामिल किया जाना आवश्यक है ताकि सभी लैंगिक संबंधी शिकायतों का उचित रूप से निपटान किया जा सके। लैंगिक आधारित हिंसा और उत्पीड़न से संबंधित मामलों के समाधान के लिए विशेष प्रावधान भी किए जाने चाहिए, जिसमें गुमनाम रूप से शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था शामिल हो। अन्य प्रावधानों में प्रशिक्षित महिला संपर्क बिंदु की नियुक्ति, स्वतंत्र विशेषज्ञों की भागीदारी, तथा विशेष सुरक्षा और सहायता उपाय शामिल हो सकते हैं।
लैंगिक समानता	• परियोजनाओं को एक लैंगिक कार्य योजना लागू करनी चाहिए, परियोजना कर्मचारियों (जिसमें ठेकेदार भी शामिल हैं) को लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिला श्रमिकों की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा किया जाए, जैसे कि स्वच्छता सुविधाएँ, विश्राम स्थल, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सुविधाएँ, अलग आवास और स्नानागार (जहाँ उपलब्ध हों) आदि। लैंगिक आधार पर विभाजित प्रदर्शन और प्रभाव संबंधी डेटा एकत्रित किया जाना चाहिए और उसका प्रतिवेदन किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट ग8: व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षा प्रबंधन

1. परिचय

सभी अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजनाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण के लिए व्यवस्थाएँ स्थापित करें, जिससे परियोजना के लिए या उसकी ओर से कार्य करने वाले श्रमिकों को भौतिक, जैविक या रासायनिक खतरों से उत्पन्न जोखिमों के संपर्क में आने से कम किया जा सके।

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएचएस) से संबंधित जोखिमों को कम करने का दृष्टिकोण परियोजना के जोखिम परिदृश्य की समझ पर आधारित होना चाहिए तथा परियोजना गतिविधियों का प्रबंधन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि घटनाओं को समाप्त किया जा सके, जोखिमों को न्यूनतम किया जा सके और प्रदर्शन में उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया जा सके। सभी कार्यस्थल खतरों का जोखिम आकलन किया जाएगा और नियंत्रण पदानुक्रम के अनुसार उन्हें कम करने के लिए उपयुक्त नियंत्रण उपाय लागू किए जाएँगे। ये नियंत्रण उपाय ओएचएस प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत विकसित और लागू की जाने वाली प्रक्रियाओं के माध्यम से निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगे:

- कार्य वातावरण में संभावित सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और संरक्षा संबंधी खतरों की पहचान और उनका आकलन करना।
- असुरक्षित व्यवहार और परिस्थितियों को कम करना।
- यह सुनिश्चित करना कि कार्यस्थल पर घायल या बीमार हुए कर्मियों को उचित चिकित्सीय उपचार और अनुवर्ती देखभाल प्रदान की जाए।
- यह सुनिश्चित करना कि कर्मियों को अपने कार्य सुरक्षित, स्वस्थ और पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य तरीके से करने के लिए उपयुक्त उपकरण, प्रशिक्षण और कार्य वातावरण प्रदान किया जाए।

नोट: इस मार्गदर्शन को परियोजना के स्थान के अनुसार लागू स्थानीय/राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत ओएचएस प्रबंधन से संबंधित आवश्यकताओं के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कुछ न्यायक्षेत्रों में ओएचएस प्रबंधन प्रणाली की सामग्री और प्रारूप को विस्तार से निर्धारित किया गया होता है और यह अनिवार्य होता है। इसलिए, परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय/राष्ट्रीय आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए; इस दस्तावेज़ में प्रदान किया गया मार्गदर्शन (अन्य अनुशंसित प्रकाशनों सहित) यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए कि राष्ट्रीय ओएचएस आवश्यकताओं के पूरक के रूप में कौन-सी अतिरिक्त तैयारियाँ/व्यवस्थाएँ आवश्यक हैं, ताकि परियोजना को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाया जा सके।

2. मुख्य संदर्भ

अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजनाओं को ओएचएस के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक मानकों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जो परियोजना गतिविधियों की प्रकृति के अनुसार लागू हों, और निम्नलिखित प्रकाशनों (या उनके नवीनतम संस्करणों) तक सीमित नहीं हैं:

- आईएफसी प्रदर्शन मानक 2 (और संबंधित मार्गदर्शन नोट): श्रम और कार्य परिस्थितियाँ (आईएफसी, 2012);[57]
- आईएफसी प्रदर्शन मानक 4 (और संबंधित मार्गदर्शन नोट): सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षा (आईएफसी, 2012);[58]
- विश्व बैंक समूह के सामान्य पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा (ईएचएस) दिशा-निर्देश (आईएफसी, 2007) तथा संबंधित उद्योग क्षेत्र के ईएचएस दिशा-निर्देश;[59]
- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) का व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्मेलन, 1981 तथा ओएचएस से संबंधित अन्य प्रासंगिक आईएलओ साधन;[60]

[57] https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-2
[58] https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-4
[59] https://www.ifc.org/en/insights-reports/2000/general-environmental-health-and-safety-guidelines
[60] https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang--en/index.htm

- आईएसओ 45001:2018 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली;[61]
- आईएफसी उत्तम प्रथा मार्गदर्शिका: सुरक्षा बलों का उपयोग - जोखिम और प्रभावों का आकलन और प्रबंधन (आईएफसी, 2017)।[62]

3. ओएचएस प्रबंधन के लिए सामान्य सिद्धांत और आवश्यकताएँ

अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजनाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे एक ओएचएस प्रबंधन प्रणाली विकसित करें और उसे लागू करें, जो परियोजना जीवनचक्र के दौरान सभी परियोजना गतिविधियों और संबंधित आपात स्थितियों को कवर करे। ओएचएस प्रबंधन प्रणालियों के लिए सामान्य सिद्धांत और आवश्यकताएँ नीचे तालिका C8-1 में दी गई हैं।

तालिका C8-1 ओएचएस प्रबंधन प्रणालियों के लिए सामान्य आवश्यकताएँ

विषय	विवरण
खतरा पहचान और जोखिम आकलन	• ओएचएस प्रबंधन प्रणाली में सभी खतरों और उनसे जुड़े जोखिमों की पहचान करने की व्यवस्था होनी चाहिए। खतरे भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रकृति के हो सकते हैं। कुछ परियोजना गतिविधियाँ विशेष प्रकार के खतरे उत्पन्न कर सकती हैं, जैसे जल पर या जल के ऊपर कार्य करना। जोखिम आकलन में घटना की संभावना और उसके परिणाम दोनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
खतरा/जोखिम नियंत्रण	• सभी पहचाने गए खतरों के लिए निवारक और सुरक्षात्मक नियंत्रण उपायों की पहचान कर उन्हें शमन पदानुक्रम के अनुसार लागू किया जाना चाहिए: - खतरे को समाप्त करना (परहेज करना, प्रतिस्थापन करना आदि); - इंजीनियरिंग/डिज़ाइन के माध्यम से स्रोत पर ही खतरे को नियंत्रित करना; - प्रशासनिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं (जैसे सुरक्षित कार्य प्रणाली, निगरानी आदि) के माध्यम से खतरे को न्यूनतम करना; - उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) प्रदान करना।
घटना रिपोर्टिंग और जांच	• सभी घटनाओं की रिपोर्ट की जानी चाहिए (प्राधिकरणों, निवेशकों और/या अन्य हितधारकों को) और महत्वपूर्ण घटनाओं की गहन जांच की जानी चाहिए ताकि मूल कारण का पता लगाया जा सके और सुधारात्मक कार्यों की पहचान की जा सके। घटना जांच से प्राप्त अनुभव को सीख के रूप में साझा करने में सहायता मिलती है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचाव होता है। • प्रबंधन प्रणाली में प्रशिक्षित पेशेवरों द्वारा घटना रिपोर्टिंग और जांच के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और आवश्यकताएँ होनी चाहिए। रिपोर्टिंग प्रक्रिया में जिम्मेदारियों/जवाबदेही की पहचान की जाएगी तथा घटना की गंभीरता के आधार पर आगे की कार्यवाही (एस्केलेशन) के मार्ग निर्धारित किए जाएँगे।
प्रशिक्षण	• परियोजनाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी श्रमिकों को उनकी निर्धारित जिम्मेदारियों के अनुसार ओएचएस जोखिमों और नियंत्रण उपायों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण में सामान्य कार्य जिम्मेदारियों के साथ-साथ आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाएँ भी शामिल होनी चाहिए। • परियोजना के लिए या उसकी ओर से कार्य करने वाले सभी श्रमिकों के लिए प्रारंभिक परिचयात्मक प्रशिक्षण के साथ-साथ नियमित पुनःप्रशिक्षण (टूलबॉक्स वार्ता) भी अनिवार्य है।
प्रदर्शन संकेतक	• परियोजनाओं को कम से कम ऐसे प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का अनुगमन करना चाहिए जो घटनाओं को कम करें और "शून्य हानि" की संस्कृति को बढ़ावा दें। परियोजनाओं को दुर्घटना और घटना दर जैसे मानकों के लिए डेटा संग्रह और प्रवृत्ति विश्लेषण की प्रक्रियाएँ स्थापित करनी चाहिए। ऐसे परिणाम-आधारित संकेतकों के अतिरिक्त, परियोजनाओं को

[61] https://www.iso.org/standard/63787.html
[62] https://www.ifc.org/en/insights-reports/2017/publications-handbook-securityforces

विषय	विवरण
	अग्रिम संकेतकों (जैसे खतरनाक अवलोकन, लगभग-घटना स्थितियाँ आदि) की एक श्रृंखला भी शामिल करनी चाहिए, ताकि प्रदर्शन, प्रणालीगत कमियों की सक्रिय रूप से निगरानी की जा सके और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें, जिससे घटनाओं से बचा जा सके।
सुरक्षा संस्कृति	• परियोजना को ऐसी संस्कृति को लागू करना चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति असुरक्षित व्यवहारों/परिस्थितियों की पहचान करने और उन्हें नियंत्रण एवं शमन के लिए रिपोर्ट करने में सक्रिय रूप से भाग ले। यह नेतृत्व की प्रतिबद्धता द्वारा संचालित व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर केंद्रित होना चाहिए, जिससे सुरक्षित कार्य करने के लिए प्रेरणा और तत्परता का वातावरण तैयार हो। यह संस्कृति दोषारोपण से बचते हुए सभी हितधारकों के बीच सकारात्मक संवाद को प्रोत्साहित करे, ताकि कार्यस्थल को सुरक्षित, संरक्षित और स्वस्थ बनाया जा सके।
ओएचएस संचार	• परियोजनाओं को ऐसे संचार तंत्र विकसित और अपनाने चाहिए जो योजना प्रक्रिया के अनुरूप हों और सभी परियोजना पक्षों, जैसे श्रमिकों, ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, स्थानीय समुदाय और अन्य हितधारकों के बीच ज्ञान का प्रभावी आदान-प्रदान सुनिश्चित करें। • संचार में परियोजना की स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता तथा "शून्य हानि" के लक्ष्य का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। संचार में आगंतुक अभिविन्यास, क्षेत्र संकेतक, लेबलिंग, खतरा कोड, आपातकालीन व्यवस्था और सुरक्षा से संबंधित पहलू शामिल होने चाहिए।
ओएचएस निगरानी	• ओएचएस निगरानी नियंत्रण रणनीतियों की प्रभावशीलता की पुष्टि करने और कार्यस्थल को निरंतर सुरक्षित बनाए रखने के लिए आवश्यक है। परियोजना में दुर्घटनाओं और रोगों की निगरानी के लिए प्रक्रियाएँ और प्रणालियाँ शामिल होनी चाहिए, ताकि विफलताओं को समझा जा सके और श्रमिकों तथा प्रबंधन को समय रहते चेतावनी देकर शमन उपाय किए जा सकें। ओएचएस निगरानी के अन्य घटकों में परियोजनाओं में सुरक्षा निरीक्षण और उपकरणों का अंशांकन, श्रमिकों की चिकित्सीय निगरानी, प्रशिक्षण अभिलेखों की निगरानी तथा कार्यस्थल की सुरक्षा और संरक्षा उल्लंघनों की निगरानी शामिल हैं।
सुरक्षा (सिक्योरिटी)	• परियोजनाओं को सुरक्षा प्रक्रियाएँ विकसित करते समय स्वैच्छिक और राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि स्थानीय सांस्कृतिक और मानवाधिकार संबंधी जिम्मेदारियों का सम्मान किया जा सके। • सुरक्षा कर्मियों का चयन और प्रबंधन अनुपातिकता के सिद्धांतों के आधार पर तथा अंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शन के अनुरूप किया जाना चाहिए।
आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया	• आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना आवश्यक है ताकि संभावित आपात स्थितियों की पहचान की जा सके और ऐसी व्यवस्थाएँ एवं योजनाएँ लागू की जा सकें, जिनसे आपात स्थितियों को रोका जा सके और/या उनका त्वरित एवं प्रभावी तरीके से समाधान किया जा सके, ताकि लोगों और/या पर्यावरण को होने वाले किसी भी नुकसान को रोका और कम किया जा सके। आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए: - परियोजना के सभी चरणों के दौरान संभावित सभी आपात स्थितियों की पहचान करना, जिसमें प्राकृतिक, कार्य-संबंधी और नागरिक आपात स्थितियाँ शामिल हैं। - आपात स्थितियों में संचार और प्रतिक्रिया के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का निर्धारण करना। - प्रत्येक आपात स्थिति के स्तर (आपात स्तर/स्तर वर्गीकरण) के आधार पर विशिष्ट प्रतिक्रिया प्रक्रियाएँ निर्धारित करना। - प्रशिक्षण और अभ्यास की आवश्यकताएँ, जिसमें निर्धारित आपात स्तरों के आधार पर नियमित अभ्यास (ड्रिल) शामिल हों। - आपातकालीन संपर्क और संचार प्रणाली/प्रोटोकॉल (आवश्यक होने पर प्रभावित समुदायों के साथ संचार सहित)। - सरकारी प्राधिकरणों और आपात सेवाओं के साथ समन्वय के लिए प्रक्रियाएँ। - बचाव कार्य, चिकित्सीय सेवाओं, खतरे और घटना प्रतिक्रिया (जैसे खतरनाक

विषय	विवरण
	पदार्थों के रिसाव से निपटना), अग्निशमन और अन्य आपात कार्यों के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों हेतु आवश्यक उपकरण। - स्थायी रूप से स्थापित आपात उपकरण और सुविधाएँ (जैसे प्राथमिक उपचार केंद्र, अग्निशमन उपकरण, रिसाव प्रतिक्रिया उपकरण, आपात प्रतिक्रिया टीमों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण)। - निकासी मार्गों और एकत्रीकरण बिंदुओं की पहचान। - प्रदूषण को नियंत्रित, सीमित और कम करने के लिए, परियोजना क्षेत्र और परिसंपत्तियों की भौतिक सीमाओं के भीतर, डी-कंटैमिनेशन (प्रदूषण हटाने) प्रक्रियाएँ और त्वरित सुधारात्मक उपाय लागू करने की व्यवस्था।

परिशिष्ट ग9: प्रक्रिया सुरक्षा

1. परिचय

प्रक्रिया सुरक्षा का उद्देश्य खतरनाक पदार्थों, ऊर्जा या प्रक्रिया स्थितियों के नियंत्रण में कमी से उत्पन्न होने वाले बड़े दुर्घटना जोखिमों की रोकथाम करना है, जो लोगों, पर्यावरण, परिसंपत्तियों या आसपास के समुदाय को गंभीर नुकसान पहुँचा सकते हैं। सीबीजी परियोजनाओं के लिए, प्रमुख प्रक्रिया सुरक्षा जोखिमों में बायोगैस या मीथेन का अनियंत्रित उत्सर्जन, आग और विस्फोट, अधिक दबाव की घटनाएँ, गैस उन्नयन या संपीड़न प्रणालियों की विफलता, तथा प्रारंभ, बंदी या रखरखाव गतिविधियों के दौरान नियंत्रण का खो जाना शामिल हैं।

अकैया ग्रीन फ्यूल्स यह मानता है कि प्रभावी प्रक्रिया सुरक्षा प्रबंधन उसकी सुविधाओं के सुरक्षित डिजाइन, निर्माण, कमीशनिंग, संचालन और डीकमीशनिंग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए, सभी अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजनाओं को प्रक्रिया सुरक्षा के लिए एक व्यवस्थित, जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाना होगा, जो समग्र ईएसएमएस में एकीकृत हो और जीआईआईपी के अनुरूप हो।

2. मुख्य संदर्भ

प्रक्रिया सुरक्षा प्रबंधन को निम्नलिखित मानकों और मार्गदर्शनों के अनुरूप रखा जाना चाहिए, जो परियोजना गतिविधियों की प्रकृति और पैमाने के अनुसार लागू होते हैं:

- अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) प्रदर्शन मानक 2: श्रम और कार्य परिस्थितियाँ, तथा संबंधित मार्गदर्शन नोट (आईएफसी, 2012);[63]
- विश्व बैंक समूह के सामान्य पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा (ईएचएस) दिशा-निर्देश (आईएफसी, 2007) तथा संबंधित उद्योग-विशिष्ट ईएचएस दिशा-निर्देश;
- खतरनाक रसायनों के निर्माण, भंडारण और संचालन तथा कारखाना सुरक्षा से संबंधित लागू विधि-विधान।

3. प्रक्रिया सुरक्षा के लिए सामान्य सिद्धांत और आवश्यकताएँ

अकैया ग्रीन फ्यूल्स प्रक्रिया सुरक्षा के लिए जीवनचक्र आधारित दृष्टिकोण अपनाएगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रारंभिक डिजाइन से लेकर डीकमीशनिंग तक खतरों की पहचान की जाए, जोखिमों का आकलन किया जाए और नियंत्रण उपाय लागू किए जाएँ। प्रक्रिया सुरक्षा के लिए सामान्य सिद्धांत और आवश्यकताएँ नीचे तालिका C9-1 में दी गई हैं।

तालिका C9-1 प्रक्रिया सुरक्षा के लिए सामान्य आवश्यकताएँ

विषय	विवरण
खतरा पहचान और जोखिम आकलन	• विस्तृत डिजाइन से पूर्व, अकैया ग्रीन फ्यूल्स यह सुनिश्चित करेगा कि एक औपचारिक खतरा पहचान (हैज़िड) अध्ययन सक्षम और अनुभवी कर्मियों द्वारा किया जाए। परियोजना की जटिलता और जोखिम प्रोफ़ाइल के आधार पर जहाँ आवश्यक हो, अधिक विस्तृत अध्ययन जैसे खतरा और संचालनशीलता अध्ययन (हैज़ोप), मात्रात्मक जोखिम आकलन या समकक्ष विश्लेषण भी किए जाएँगे। खतरा पहचान में न्यूनतम रूप से निम्नलिखित शामिल होना चाहिए: - फीडस्टॉक पूर्व-उपचार और हैंडलिंग प्रणालियाँ; - एनेरोबिक पाचन प्रक्रियाएँ; - बायोगैस का संग्रहण, भंडारण, उन्नयन, संपीड़न और हस्तांतरण प्रणालियाँ; - कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ$_2$) पृथक्करण और हैंडलिंग प्रणालियाँ (जहाँ लागू हो); - डाइजेस्टेट का प्रबंधन और भंडारण; - उपयोगिताएँ, नियंत्रण प्रणालियाँ, तथा संबद्ध सुविधाओं के साथ उनके इंटरफेस।

[63] https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-2

विषय	विवरण
	इन अध्ययनों के निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा, और सभी महत्वपूर्ण जोखिमों को परियोजना एचएसएसई जोखिम रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, जिसमें जोखिम नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण किया जाएगा।
डिज़ाइन और अभियांत्रिकी में प्रक्रिया सुरक्षा	• प्रक्रिया सुरक्षा से संबंधित विचारों को संयंत्र लेआउट, उपकरण चयन और अभियांत्रिकी डिज़ाइन में एकीकृत किया जाना चाहिए। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: - ज्वलनशील गैस सेवाओं के लिए उपयुक्त मान्यता प्राप्त कोड और मानकों के अनुसार प्रणालियों का डिज़ाइन करना; - स्वाभाविक रूप से सुरक्षित डिज़ाइन सिद्धांतों को अपनाना, जिसमें खतरनाक पदार्थों की मात्रा को न्यूनतम करना और अनावश्यक जटिलता से बचना शामिल है; - उचित सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करना, जैसे दबाव राहत उपकरण, आपातकालीन शटडाउन प्रणालियाँ, गैस पहचान और अलार्म प्रणालियाँ, वेंटिलेशन और अग्नि सुरक्षा प्रणालियाँ; - प्रमुख प्रक्रिया मापदंडों (जैसे दबाव, तापमान, गैस संरचना) के लिए सुरक्षित संचालन सीमाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना। हैज़िड, हैज़ोप या समकक्ष अध्ययनों से प्राप्त सभी महत्वपूर्ण प्रक्रिया सुरक्षा सिफारिशों को कमीशनिंग से पहले पूरा किया जाना चाहिए।
संचालन नियंत्रण और प्रक्रियाएँ	• परियोजनाओं को ऐसी प्रलेखित संचालन प्रक्रियाएँ स्थापित और बनाए रखनी चाहिए जो सामान्य संचालन, प्रारंभ, बंदी, आपात स्थितियों और रखरखाव गतिविधियों को कवर करें। प्रक्रियाएँ स्पष्ट और समझने योग्य भाषा में लिखी जानी चाहिए तथा सभी संबंधित कर्मियों को संप्रेषित की जानी चाहिए। • उच्च जोखिम वाली गतिविधियों के लिए एक औपचारिक कार्य अनुमति प्रणाली (पीटीडब्ल्यू) लागू की जानी चाहिए, जिसमें हॉट वर्क, सीमित स्थान में प्रवेश, विद्युत पृथक्करण और गैस प्रणालियों पर रखरखाव कार्य शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। आकस्मिक ऊर्जा प्रवाह या खतरनाक ऊर्जा के उत्सर्जन को रोकने के लिए लॉक-आउट/टैग-आउट (एलओटीओ) प्रक्रियाएँ लागू की जानी चाहिए।
संपत्ति अखंडता और रखरखाव	• सुरक्षा-गंभीर उपकरणों और प्रणालियों की निरंतर अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक निवारक रखरखाव और निरीक्षण कार्यक्रम स्थापित किया जाना चाहिए। इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: - दबाव पात्रों, पाइपलाइनों, वाल्वों, कंप्रेसरों और सुरक्षा उपकरणों का नियमित निरीक्षण और परीक्षण; - उपकरणों और अलार्मों का अंशांकन और कार्यात्मक परीक्षण; - जंग, घिसाव और थकान का प्रबंधन; - निरीक्षण के निष्कर्षों और सुधारात्मक कार्यों का दस्तावेजीकरण; - प्रक्रिया सुरक्षा को प्रभावित करने वाली कमियों को प्राथमिकता के आधार पर समय पर ठीक किया जाना चाहिए।
परिवर्तन प्रबंधन	• प्रक्रिया डिज़ाइन, उपकरण, संचालन स्थितियों, फीडस्टॉक विशेषताओं, नियंत्रण प्रणालियों या संगठनात्मक व्यवस्थाओं में किए गए सभी परिवर्तन, जो प्रक्रिया सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं, एक औपचारिक परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाने चाहिए। परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि: • परिवर्तन से संबंधित प्रक्रिया सुरक्षा जोखिमों की पहचान और उनका आकलन किया जाए; • कार्यान्वयन से पहले आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए जाएँ; तथा • संचालन प्रक्रियाएँ, प्रशिक्षण और दस्तावेज़ आवश्यकतानुसार अद्यतन किए जाएँ।
क्षमता और प्रशिक्षण	• प्रक्रिया उपकरणों के संचालन, रखरखाव या निगरानी में शामिल कर्मियों को उनकी भूमिकाओं के अनुसार उपयुक्त प्रशिक्षण और दक्षता प्राप्त होनी चाहिए। प्रशिक्षण में निम्नलिखित शामिल होंगे:

विषय	विवरण
	- प्रक्रिया से जुड़े खतरे और संबंधित जोखिम; - सुरक्षित संचालन सीमाएँ और प्रक्रियाएँ; - प्रक्रिया सुरक्षा घटनाओं से संबंधित आपातकालीन प्रतिक्रिया; - घटनाओं और लगभग-घटनाओं से प्राप्त सीख। प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान प्रशिक्षण आवश्यकताओं के आकलन के माध्यम से की जाएगी और समय-समय पर इसे अद्यतन किया जाएगा।
घटना रिपोर्टिंग, जांच और सीख	• सभी प्रक्रिया सुरक्षा घटनाओं, लगभग-घटनाओं और नियंत्रण-हानि घटनाओं की रिपोर्टिंग और जांच ईएसएमएस घटना प्रबंधन प्रक्रियाओं के अनुसार की जानी चाहिए। जांच का उद्देश्य दोषारोपण के बजाय मूल कारणों और प्रणालीगत कमजोरियों की पहचान करना होना चाहिए। प्राप्त सीखों को सभी परियोजनाओं में साझा किया जाएगा और प्रक्रिया सुरक्षा नियंत्रणों एवं प्रथाओं को सुदृढ़ करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया	• प्रक्रिया सुरक्षा से संबंधित परिदृश्यों, जैसे गैस का उत्सर्जन, आग, विस्फोट और अधिक दबाव की घटनाओं को परियोजना की आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना में शामिल किया जाना चाहिए। परियोजना कर्मियों, ठेकेदारों और जहाँ आवश्यक हो स्थानीय आपात सेवाओं के बीच समन्वय और तैयारी की जाँच के लिए नियमित अंतराल पर आपातकालीन अभ्यास किए जाने चाहिए।

परिशिष्ट ग10: फीडस्टॉक स्रोत एवं खरीद में मानवाधिकारों का संरक्षण

1. परिचय

सीबीजी परियोजनाओं के लिए फीडस्टॉक की आपूर्ति में अक्सर बिखरी हुई, बहु-स्तरीय आपूर्ति श्रृंखलाएँ शामिल होती हैं, जिन पर औपचारिक निगरानी सीमित हो सकती है। प्रमुख संभावित मानवाधिकार जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- कृषि गतिविधियों या अनौपचारिक फीडस्टॉक संग्रह में बाल श्रम या बलपूर्वक श्रम;
- किसानों, श्रमिकों, चालकों और लोडिंग कर्मियों के लिए असुरक्षित या अस्वास्थ्यकर कार्य परिस्थितियाँ;
- अपर्याप्त वेतन, अनुचित भुगतान प्रथाएँ, या फीडस्टॉक के वजन और मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता की कमी;
- महिलाओं, प्रवासी श्रमिकों या अन्य संवेदनशील समूहों के प्रति भेदभाव;
- संगठन की स्वतंत्रता या शिकायत निवारण तंत्र तक पहुँच पर प्रतिबंध; और/या
- ऐसी आजीविका पर प्रभाव जहाँ फीडस्टॉक की आपूर्ति पारंपरिक अवशेष उपयोग की प्रथाओं को बदल देती है।

ये जोखिम विशेष रूप से उन परिस्थितियों में अधिक बढ़े हुए माने जाते हैं जहाँ फीडस्टॉक की आपूर्ति छोटे किसानों या अनौपचारिक श्रम व्यवस्थाओं पर निर्भर होती है।

अकैया ग्रीन फ्यूल्स निम्नलिखित के प्रति प्रतिबद्ध है:

- अपने संचालन और आपूर्ति श्रृंखलाओं में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों का सम्मान करना;
- फीडस्टॉक आपूर्ति में बाल श्रम, बलपूर्वक श्रम और किसी भी प्रकार की मानव तस्करी के उपयोग को प्रतिबंधित करना;
- फीडस्टॉक संग्रह, परिवहन और प्रबंधन में शामिल सभी श्रमिकों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ कार्य परिस्थितियों को बढ़ावा देना;
- भेदभाव-रहितता, समान अवसर और संगठन की स्वतंत्रता के प्रति सम्मान सुनिश्चित करना; तथा
- जहाँ तक संभव हो, आपूर्तिकर्ताओं और एग्रीगेटरों को अनुबंधात्मक और संचालनात्मक नियंत्रणों के माध्यम से इन प्रतिबद्धताओं का पालन करने के लिए संलग्न करना।

ये प्रतिबद्धताएँ अकैया ग्रीन फ्यूल्स की एचएसएसई नीति और मानवाधिकार कार्य योजना में परिलक्षित होती हैं।

2. मुख्य संदर्भ

फीडस्टॉक की खरीद निम्नलिखित मानकों और मार्गदर्शनों के अनुरूप होनी चाहिए, जहाँ लागू हो:

- व्यवसाय और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र मार्गदर्शक सिद्धांत (यूएनजीपी);
- आईएफसी प्रदर्शन मानक, विशेष रूप से पीएस1, पीएस2 और पीएस4;
- आईएलओ के मुख्य श्रम मानक; तथा
- लागू राष्ट्रीय श्रम और मानवाधिकार कानून।

3. फीडस्टॉक स्रोत एवं खरीद में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए सामान्य सिद्धांत और आवश्यकताएँ

फीडस्टॉक खरीद के लिए सामान्य सिद्धांत और आवश्यकताएँ नीचे तालिका C10-1 में दी गई हैं।

तालिका C10-1 फीडस्टॉक स्रोत एवं खरीद में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए सामान्य आवश्यकताएँ

विषय	विवरण
मानवाधिकार समुचित परिश्रम	• यूएनजीपी के अनुरूप, अकैया ग्रीन फ्यूल्स फीडस्टॉक स्रोत के लिए एक निरंतर मानवाधिकार समुचित परिश्रम प्रक्रिया लागू करेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: • फीडस्टॉक आपूर्ति श्रृंखलाओं का मानचित्रण, ताकि प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं, एग्रीगेटरों, परिवहनकर्ताओं और भौगोलिक जोखिम क्षेत्रों की पहचान की जा सके; • फीडस्टॉक स्रोत से जुड़े वास्तविक और संभावित मानवाधिकार प्रभावों की पहचान और उनका आकलन; • निष्कर्षों को खरीद प्रक्रिया, आपूर्तिकर्ता सहभागिता और संचालन संबंधी निर्णय-निर्माण में एकीकृत करना;

विषय	विवरण
	• स्रोत व्यवस्था या स्थानीय परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए जोखिम आकलनों की समय-समय पर समीक्षा और अद्यतन करना। समुचित परिश्रम गतिविधियाँ जोखिम के स्तर और अकैया ग्रीन फ्यूल्स के प्रभाव की सीमा के अनुरूप होनी चाहिए।
रोकथाम और शमन उपाय	• फीडस्टॉक स्रोत में प्रतिकूल मानवाधिकार प्रभावों की रोकथाम और शमन के लिए, परियोजना कंपनी को निम्नलिखित करना चाहिए: • फीडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं और एग्रीगेटरों के साथ अनुबंधों में मानवाधिकार और श्रम संबंधी आवश्यकताओं को शामिल करना; • लागू श्रम कानूनों, आईएलओ मानकों और परियोजना एचएसएसई आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करना; • आपूर्तिकर्ताओं और एग्रीगेटरों को मानवाधिकार संबंधी अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करना; • सुरक्षित कार्य प्रथाओं को बढ़ावा देना, जिसमें उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का उपयोग और सुरक्षा प्रशिक्षण शामिल है; तथा • जहाँ अनुपालन नहीं पाया जाता है, वहाँ सुधारात्मक कार्य योजना लागू करना। जहाँ अकैया ग्रीन फ्यूल्स का ऊपरी स्तर के पक्षों (जैसे छोटे किसान) पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है, वहाँ वह उपलब्ध प्रभाव का उपयोग करने का प्रयास करेगा, जिसमें सहभागिता, क्षमता निर्माण तथा आपूर्तिकर्ताओं और स्थानीय हितधारकों के साथ सहयोग शामिल है।
उपचार और शिकायत निवारण तंत्र	• यूएनजीपी के अनुरूप, अकैया ग्रीन फ्यूल्स प्रतिकूल मानवाधिकार प्रभावों के समाधान के लिए वैध प्रक्रियाओं को उपलब्ध कराएगा या उनमें सहयोग करेगा। परियोजना का शिकायत निवारण तंत्र निम्नलिखित होना चाहिए: • फीडस्टॉक स्रोत से जुड़े या उससे प्रभावित श्रमिकों, आपूर्तिकर्ताओं और समुदाय के सदस्यों के लिए सुलभ होना; • शिकायतों को गोपनीय रूप से और बिना किसी प्रतिशोध के भय के दर्ज करने की अनुमति देना; • यूएनजीपी के सिद्धांत 31 में निर्दिष्ट प्रभावशीलता मानदंडों के अनुरूप होना; • जांच, प्रतिक्रिया और समाधान के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएँ शामिल करना; तथा • संवेदनशील शिकायतों के लिए विशेष प्रावधान करना, जिसमें श्रम शोषण या लैंगिक आधारित हिंसा से संबंधित शिकायतें शामिल हों। शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित जानकारी आपूर्तिकर्ताओं, एग्रीगेटरों और स्थानीय समुदायों को उपयुक्त और सांस्कृतिक रूप से सुलभ तरीके से संप्रेषित की जानी चाहिए।
निगरानी, रिपोर्टिंग और सतत सुधार	• अकैया ग्रीन फ्यूल्स अपने मानवाधिकार प्रबंधन दृष्टिकोण की प्रभावशीलता की निगरानी निम्नलिखित माध्यमों से करेगा: • वशीलता की निगरानी निम्नलिखित माध्यमों से करेगा: • आपूर्तिकर्ताओं की समय-समय पर समीक्षा और जहाँ उपयुक्त हो, लेखा-परीक्षण; • शिकायतों, घटनाओं और सुधारात्मक कार्यों का अनुश्रवण; • आंतरिक एचएसएसई और ई एंड एस रिपोर्टिंग में संबंधित संकेतकों को शामिल करना; तथा • ईएसएमएस लेखा-परीक्षण और प्रबंधन समीक्षाओं के भाग के रूप में इस परिशिष्ट और संबंधित प्रक्रियाओं की समीक्षा। महत्वपूर्ण मानवाधिकार घटनाओं की रिपोर्टिंग और प्रबंधन परियोजना की घटना रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं और ईएसएमएस आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा।

परिशिष्ट घ: बाह्य शिकायत निवारण तंत्र

1. परिचय

अकैया ग्रीन फ्यूल्स अपने बाह्य हितधारकों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप सक्रिय रूप से हितधारक सहभागिता करने का प्रयास करता है। अकैया ग्रीन फ्यूल्स यह मानता है कि हितधारकों के पास समय-समय पर इसकी गतिविधियों के संबंध में टिप्पणियाँ, प्रश्न या चिंताएँ हो सकती हैं।

बाह्य हितधारकों द्वारा उपयोग के लिए बाह्य शिकायत निवारण तंत्र (अनुभाग 5.3 देखें) स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से वे अपनी प्रतिक्रिया, शिकायतें और समस्याएँ प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें जीबीवीएच और एसईएएच जैसे मुद्दों से संबंधित शिकायतें भी शामिल हैं। अकैया ग्रीन फ्यूल्स एक निष्पक्ष, पारदर्शी और रचनात्मक प्रक्रिया प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो पीड़ित-केंद्रित और लैंगिक रूप से संवेदनशील हो। बाह्य शिकायत निवारण तंत्र का उद्देश्य किसी भी टिप्पणी, प्रश्न या शिकायत–चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक–का समाधान करना है, ताकि वे गंभीर शिकायतों में परिवर्तित न हों।

यह बाह्य शिकायत निवारण तंत्र स्थानीय समुदायों या अन्य हितधारकों द्वारा उठाई गई शिकायतों या समस्याओं के प्रबंधन के लिए नहीं बनाया गया है, जिन्हें अकैया ग्रीन फ्यूल्स परियोजना के एसईपी के अंतर्गत परियोजना-विशिष्ट शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से संभाला जाता है।

2. सामान्य सिद्धांत

अकैया ग्रीन फ्यूल्स का बाह्य शिकायत निवारण तंत्र निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है:

- पारदर्शिता और निष्पक्षता: यह तंत्र समझने में आसान, पारदर्शी है और बिना किसी लागत तथा बिना किसी प्रतिशोध के उपलब्ध है।
- सुलभता और सांस्कृतिक उपयुक्तता: शिकायत निवारण तंत्र तक पहुँच अकैया ग्रीन फ्यूल्स की वेबसाइट के माध्यम से तथा परियोजना स्थलों पर प्रसारित जानकारी के जरिए प्रदान की जाती है।
- अनुपातिकता: यह तंत्र अकैया ग्रीन फ्यूल्स और उसकी गतिविधियों के पैमाने के अनुरूप है।
- अभिलेखन: सभी शिकायतों को शिकायत रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और उनके समाधान एवं समापन तक उनकी निगरानी की जाती है।
- संवाद और स्थल भ्रमण: सभी शिकायतों के लिए शिकायतकर्ता के साथ चर्चा आवश्यक होती है, और कुछ मामलों में शिकायत की प्रकृति, वैधता और गंभीरता को प्रत्यक्ष रूप से समझने के लिए स्थल भ्रमण की आवश्यकता हो सकती है।
- समयबद्ध समाधान: अकैया ग्रीन फ्यूल्स अपने शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से प्राप्त सभी संदेशों का तीन कार्य दिवसों के भीतर उत्तर देने और 20 कार्य दिवसों के भीतर पूर्ण प्रतिक्रिया प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि किसी प्रकार की देरी होती है, तो शिकायतकर्ता को इसकी जानकारी दी जाएगी।

3. उद्देश्य

यह बाह्य शिकायत निवारण तंत्र अकैया ग्रीन फ्यूल्स की गतिविधियों से संबंधित शिकायतों या चिंताओं के समाधान के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है। यह शिकायत निवारण प्रक्रिया के दायरे और प्रक्रियात्मक चरणों का वर्णन करता है तथा इसमें शामिल पक्षों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ स्पष्ट करता है। अनुभव और हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर इसे समय-समय पर संशोधित और अद्यतन किया जाएगा।

यह तंत्र बाह्य हितधारकों, जैसे गैर-सरकारी संगठन, सिविल सोसाइटी संगठन, सरकार, निवेशक, आम जनता आदि द्वारा उठाई गई शिकायतों के निपटान के लिए एक पूर्वानुमेय, पारदर्शी और विश्वसनीय प्रक्रिया के रूप में तैयार किया गया है। अकैया ग्रीन फ्यूल्स सभी प्राप्त शिकायतों का समाधान करने का प्रयास करता है, चाहे वे वास्तविक मुद्दों से उत्पन्न हों या धारणा पर आधारित हों, और चाहे शिकायतकर्ता की पहचान ज्ञात हो या गुमनाम। कोई भी हितधारक जो स्वयं को अकैया ग्रीन फ्यूल्स की गतिविधियों और/या उसकी परियोजनाओं से प्रभावित मानता है, इस बाह्य शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग बिना किसी लागत के कर सकता है। इस प्रक्रिया में भाग लेने से शिकायतकर्ता के कानूनी कार्यवाही करने के वैधानिक अधिकार अप्रभावित रहते हैं।

4. अकैया ग्रीन फ्यूल्स का बाह्य शिकायत निवारण तंत्र प्रक्रिया

अकैया ग्रीन फ्यूल्स की शिकायत प्रबंधन प्रक्रिया का सारांश निम्नानुसार है:

1. शिकायत प्राप्त होने पर, प्राप्ति के 1 दिन के भीतर उसे शिकायत रजिस्टर में दर्ज किया जाता है।

2. शिकायत की प्राप्ति की लिखित पुष्टि (यदि शिकायतकर्ता ज्ञात हो) शिकायत प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर की जाती है।

3. अकैया ग्रीन फ्यूल्स का शिकायत अधिकारी[64] शिकायत की पात्रता और महत्व का आकलन करता है। यदि शिकायत को अकैया ग्रीन फ्यूल्स द्वारा निवारण के लिए अपात्र माना जाता है, तो शिकायतकर्ता (यदि ज्ञात हो) को निर्णय और उसके कारणों की लिखित सूचना दी जाती है।

4. अकैया ग्रीन फ्यूल्स का शिकायत अधिकारी, टीम के संबंधित सदस्यों के साथ समन्वय में, उपयुक्त सुधारात्मक कार्यवाही/प्रतिक्रिया पर सहमति बनाता है, जिसे आंतरिक रूप से अनुमोदित किया जाता है और शिकायत रजिस्टर में दर्ज किया जाता है।

5. शिकायत प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर, शिकायतकर्ता (यदि ज्ञात हो) को लिखित प्रतिक्रिया भेजी जाती है, जिसमें सुधारात्मक कार्यवाहियों और उनके समय-सीमा का विवरण होता है। यदि प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं हो, तो शिकायतकर्ता को अपील करने के अधिकार के बारे में सूचित किया जाता है। ऐसे मामलों में शिकायत अधिकारी समीक्षा करेगा और आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही/प्रतिक्रिया में संशोधन करेगा।

6. सुधारात्मक कार्यों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अकैया ग्रीन फ्यूल्स के संबंधित टीम/व्यक्ति को सौंपी जाती है।

7. सभी सुधारात्मक कार्य शिकायत प्राप्त होने के **20 दिनों** के भीतर पूर्ण (समाप्त) किए जाते हैं। शिकायतकर्ता को इसकी लिखित सूचना दी जाती है, साथ ही यह भी बताया जाता है कि यदि वह समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वह स्वतंत्र पैनल/प्राधिकरणों के समक्ष अपील कर सकता है।

8. यदि किसी कारणवश सुधारात्मक कार्य 20 दिनों के भीतर पूरे नहीं हो पाते हैं, तो शिकायतकर्ता को सूचित किया जाता है कि अधिक समय की आवश्यकता है और कार्यान्वयन के लिए नई समय-सीमा प्रदान की जाती है।

9. शिकायत रजिस्टर को समाधान/समापन कार्यवाहियों के साथ अद्यतन किया जाता है।

जहाँ सीएफएम-वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है, वहाँ अकैया ग्रीन फ्यूल्स यह सुनिश्चित करेगा कि प्रमुख हितधारकों को दी जाने वाली जानकारी में ग्रीन क्लाइमेट फंड के स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र का लिंक शामिल हो।[65] यह स्वतंत्र तंत्र शिकायतों को एक स्वतंत्र जीआरएम के माध्यम से दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। इस समावेशन का प्रमाण सीएफएम को प्रदान किया जाएगा।

---

[64] शिकायत अधिकारी अध्यक्ष होता है, जब तक कि यह जिम्मेदारी अकैया ग्रीन फ्यूल्स के किसी अन्य कर्मचारी को सौंप न दी जाए।
[65] ग्रीन क्लाइमेट फंड स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र: https://irm.greenclimate.fund/